



* पत्र लेखन *

CONVEYANCING IN HINDI

अर्थात्

दस्तावेज़ नवीसी पर हिन्दी भाषा में एक नई
और निराली पुस्तक

जिस को

पन्नालाल वी० ए० एल एल वी०

वकील हाईकोर्ट इलाहाबाद

ने

अपनी बनाई हुई उर्दू की किताब “दस्तावेज़ नवीसी”
से अनुवाद किया ।

और

पालघाटर्स अलीगढ़ ने प्रकाशित किया ।

प्रथमवार
१००० प्रति

}

सन् १९०३ ई०

}

मूल्य
२) ८०

विषय सूची

भूमिका	पृष्ठ
पुस्तक निर्माण कारण	१
प्रस्तावना	६
दस्तावेज लेखक का प्रारम्भिक कार्य	१०
रकका या प्रामेसरी नोट	१८
तम्मसुक और उसके भेद	२३
✓ धैनामा	३२
✓ रहन नामा	६७
पट्टा और कबूलियत	१२२
दियानामा (दान पत्र)	१४३
तमलीक नामा (समर्पण पत्र)	१४८
घसीयत नामा (निष्ठा पत्र)	१५३
तवांदले नामा (बदल पत्र)	१६४
✓ साझा	१६८
✓ वक्फ (धर्मार्थ या पुण्यार्थ)	१७७
✓ बटवारा	१८८
✓ अधिकार पत्र	१९३
जमानत नामा (लग्नक पत्र)	२०१
दस्त बरदारी (त्याग पत्र)	२०४
तवनियत नामा (गोद पत्र)	२१०
विप्री निश्चय का प्रतिज्ञा पत्र	२१३
✓ पचायती निबटारा	२१८
प्रतिज्ञा पत्र पजैन्सी	२२१
उपयोगी और लाभदायक बातें	२२४
दस्तावेज नवीसी के लफ्ज़ों के पर्याय	२२६

आवश्यकीय सूचना

स्टाम्प का क़ानून सन् १९१६ की रिफ़ार्म प्रचलित होने से पूर्व सारे हिन्दुस्तान में एक था। परन्तु अब उसके कम बेंश करने का अधिकार सूबे की गवर्नमेंटों को हो गया है और कई सूबों में इस अधिकार के अनुसार स्टाम्प की दर बदल गई है। जहाँ ऐसा होगया हो वहाँ पत्र लेखक उस बदली हुई दर से स्टाम्प लगावें। प्रामेसरी नोट के स्टाम्प में जो तबदीली हुई है वह देश भर के लिये है। इस अनुवाद में इस तबदीली को लिखा दिया है।

दस्तावेज नवीसी

(उर्दू में)

जिसकी यह किताब (पत्र लेखन) उरथा है पाल ब्रादर्स अलीगढ़ से १) प्रति मिल सकती है। पहले एडिशन की बहुत कम कापी बची है इस वास्ते जल्दी कीजिये, दूसरे एडिशन से इसी किताब की कीमत २) होगी।

ओ३म् भूमिका

दस्तावेज नयीसी जिसका यह पुस्तक " पत्र लेखन" उरधा है सन् १९२२ के अन्त में प्रकाशित हुई उसकी अंग्रेजी और उर्दू के बहुत से समाचार पत्रों ने बड़ी अच्छी समालोचना की और सर्व साधारण को बहुत उपयोगी और लाभ दायक प्रतीत हुई फल यह हुआ कि आधा पेंडिशन थोड़े ही दिनोंमें हाथ बिकगया यह सफलता देखकर बहुत से मित्रों और विशेष करके मातृ भाषा हिन्दी के प्रेमियों ने मुझ से आग्रहकरके कहा कि उसका हिन्दी अनुवाद अपश्य छपना चाहिये और मैंने यह सोचा कि ऐसा करने से हिन्दी में पत्र लेखन का प्रचार होने के अतिरिक्त ग्राम निवासी व्यवहार कर्ताओं को बड़ा सुभीता होगा और वह बहुत से कष्ट से जो उनको उर्दू जानने वाले लेखकों की तलाश में होता है बच जावेंगे और व्यय में भी किफायत होगी क्योंकि हिन्दी जानने वाले लोग आसानी से और कम मजदूरी पर मिल जाते हैं। इसके सिवाय व्यवहार करने वाले अपने कामों को आसानी से समझ सकेंगे।

इन विचारों से उत्साहित होकर मैंने अनुवाद छपवाने का निश्चय किया परन्तु मुझे प्रकाशक के कार्य से अभाव बहुत कम मिलता है और पैसा आदमी जो इस कार्य में सहायता दे सके बहुत दिनों तक नहीं मिल सका। हाई कोर्ट की बड़ी छुट्टियों में स्वामी रामानन्द सरस्वती जी से, जो हिंदी फारसी के बड़े योग्य विद्वान हैं, भेट हुई। उन्होंने यह सहायता देना स्वीकार कर

लिया और उनके सम्मेलन से यह कार्य पूर्ण हुआ। मैं उक्त स्वामी जी का बहुत कृतज्ञ हूँ।

अनुवाद करने में सघ से अधिक कठिनार्थ यह हुई कि अरबी फारसीके बहुत से शब्दों के जो पत्र लेखन में प्रयोग होते हैं पर्याय वाची सरल शब्द हिन्दी धोलचाल में नहीं मिलते। बहुत से अरबी फारसी के शब्द ऐसे हो गये हैं जिन को अनपढ़ मनुष्य तक भली भाँति जानते और बोलते हैं ऐसे शब्दों के स्थान में कठिन शब्द संस्कृत विकास के रचना केवल व्यर्थ ही नहीं धरन पुस्तक को निरर्थक बनाना है। बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनके समान वाची शब्द हिन्दी में हो ही नहीं सकते जैसे शुफा—मिहर—इत्यादि सब घातार्थों पर दृष्टि रखते हुए यह मार्ग स्वीकार किया गया कि जिन शब्दोंके पर्याय वाची, सरल और धोलचाल के शब्द हिन्दी में मिलते हैं उनको तो उर्था करके लिया दिया है, जहाँ ऐसे शब्द कठिन या कम धोलचाल के हैं उन शब्दों को वैसा ही रहने दिया है और पर्याय वाचियों को कोष्ठ में लिख दिया है और उनका प्रचार बढ़ानेके लिये कहीं उर्दू और कहीं उसके पर्याय वाची हिन्दी शब्द का एक ही दस्तावेज में प्रयोग किया है। भाषा को सरल और मामूली बाल बाल की बनाने का ध्यान रफखा है इस अभिप्राय से कि हिन्दी पत्र लेखकों को अनुवाद के समझने में और आगे को पत्र लेखन में सुभीता और आसानी हो, एक सूचीपत्र अरबी फारसी के शब्द और उनके हिन्दी अनुवाद का दे दिया है। आशा है कि उसका उक्त प्रयोग करने से बहुत कुछ सहायता मिलेगी।



दस्तावेज़ नवीसी

अर्थात्

दस्तावेज़ लिखना सिखाने वाली पुस्तक

पुस्तक निर्माण कारण

दस्तावेज़ लेखन कानूनी शिक्षा का एक आवश्यक अंग है, अमेरिका योरोप आदि में जहा कानून की विविध शाखाएँ और उसके अगोपाग पूर्णता को पहुँच चुके हैं दस्तावेज़ लेखन को उसकी उचित पदवी दीजा चुकी है, और उन देशों में इस विषय में अनेक पुस्तकें विद्यमान हैं, जब कोई मनुष्य किसी जायदाद को मोल लेना या किसी और प्रकार से प्राप्त करना चाहता है वह पट्टारनी या किसी कानूनी सलाहकार की सहायता लेता और कच्चीलिपि बनवाता है भिन्न २ प्रकार के दस्तावेजों के लिये, भिन्न २ प्रतिष्ठा नियत है और मुख्य प्रतिष्ठायें जो लेने देने वाले दोनों पक्षों के बीच में ठहर जाती हैं उन दोनों पक्षों के पट्टारनी कच्चीलिपियों में लिखते हैं और स्थत्व और अन्य अधिकारों

के विषय में किसी प्रकार का सन्देह नहीं रहने पाता इतने प्रकार जायदाद के परिवर्तन का काम अत्यन्त सुगमता और उत्तमता के साथ चलता है, झगडा और मुकद्दमे दाजी कम होने पाती है। इसके विपरीत भारत वर्ष में अभी तक इस ओर कुछ ध्यान नहीं दिया गया है, यद्यपि कानून की शिक्षा लगभग उसी सोमा तक पहुँच चुकी है जैसी अन्य सभ्य देशों में पाई जाती है, नित्य प्रति अगरेजी कानून के नियम और उनके विषय में नजीरों ला रिपोर्टों ने अदालतों के सामने पेश की जाती है और उनके अनुसार सैकड़ों बरन सहस्रों नजीरों हिन्दुस्तान की हाई कोर्टों से निकल चुकी हैं, और निकल रही हैं। तावीर (व्याख्या) के नियम जो नियमानुसार लिखा हुई दस्तावेजों के लिये याराप आदि में नियत हुए हैं उनको अदालतें बड़ी स्वतंत्रता और बहुतायत के साथ भारतवर्ष के अपूर्ण और सदेह युक्त दस्तावेजों के अर्थ लगाने में काम में लाती हैं और सैकड़ों साइलों (न्याय इच्छकों) के भाग्य का नियंटारा इसी प्रकार हो जाता है, परन्तु शोक तो यह है कि उन दस्तावेजों के लेख की ओर जिन के अर्थ लगाने और उनके द्वारा दोनों फरीकों के स्वत्वों के नियंटारा करने में इनका परिश्रम किया जाता है कोई मन नहीं लगाता।

भारतवर्ष में दस्तावेज लिखने का काम अंगरेजी शिक्षा लगभग डेढ़ सौ वर्ष म. प्रारम्भ होने पर भी अब तक ऐसे मनुष्यों के हाथ में है, जिन को विद्या तथा कानूनी जानकारी तो दूर रही सीधी इवारत (लेख) भी लिखानहीं आती। बहुत से दस्तावेज लेखक जो ग्रामों में रहते हैं थोडा सा लिखना पढ़ना सीप कर दस्तावेज लिखने लगते हैं दोनों फरीक अतः पढे हाते हैं इस लिये जो उन दस्तावेज लेखकों की समझ में आजाता है लिख मारते हैं जब

का लेख पढ़े योग्य और कानून जानने वाले जजों के सामने
 व्याख्या के लिये पेश जाता है यह अपने मस्तिष्क को भीति २ का
 कष्ट देकर उसके समझने और किसी समय उसके निरर्थक और
 अनमिल प्रजाइ टुकटों का अर्थ लगाने और दानों फसकों के
 स्वर्णों के निपटारा करने का परिश्रम करते हैं, ऐसे फेसिली में जो
 दानों फसकों की हानि होती है वह प्रत्यक्ष है। यह दशा तो
 आमीण दस्तावेज लेखक की है, अथ रहे फसों के दस्तावेज
 लिखने वाले जो गुरुवा तहसीलों और रजिस्ट्री के दफ्तरों के
 धरामदे या दस्तावेज पर घठव है निस्त-देह उनकी लिपिया आम के
 दस्तावेज लेखकों से कुछ अच्छा होती हैं परन्तु उन फस-लिपि का
 सम्बन्ध जहा तक कानूनी स्वर्णों के मुलभाने और आयदाद
 परिवर्तन की भिन्न शर्तों के समझने से है दोनों लेखकों में
 कुछ अधिक अन्तर नहीं है, इन फसों वाले दस्तावेज लेखक के लिये
 हुए साधारण उधार के दस्तावेज तथा रफके सम्भव है कि अधिक
 आक्षेप के योग्य न पाये जायें परन्तु पेन्द्रदार दम्बला रहना नामे,
 मशरूत उल रहन (रहन की शर्त वाले) वेउतवफा (रहन ये हो
 जाने वाले) आदि के दस्तावेज इन लोगों के लिये हुए साधारण
 तथा नुटि से चाली नहीं होते बहुधा बहुत भदा भाषा में लिखे
 हुए होते हैं, इंगलिश के रहन से ता यह लोग निरे अनभिज्ञ होते
 हैं इन लोगों के लिखे हुए असियन नामे गुरुवा एली शर्तों से भरे
 होते हैं। बहुत से बेअ नामे और दस्तपरदारी पट्टे यह ऐसे लिख
 देने हैं जो कानूनन (कानून द्वारा नहीं लिखे जा सकते जैसे
 पीठे से पैदा होने वाले वारिस (उत्तराधिकारी) के विरासत के
 हफक (स्वत्व) की वैअ (विक्री) वा शारीरिक सेवा का पट्टा या
 पैदा हा से पहले साकितुल मिलकियत के विषय में दस्तपरदारी
 (त्याग पत्र) इत्यादि जहा शायश्यक शर्तें मिलकियत-के नफस

(जुटि) के मध्ये बहुत सी दस्तावेजों में लिपना आवश्यक होती है उनका कहीं पता नहीं चलता, वैश्र नामों (विक्री पत्रों) में यद्यपि जायदाद समस्त स्वत्व और अधिकारों सहित परिघर्तन होना लिखी जाती है । और कानून का तात्पर्य भी यही है परन्तु तो भी बहुत से शब्द जैसे 'शोर, कल्लर वजर आदि बहुधा अनावश्यक और वे अवसर लिखे जाते हैं और दस्तावेज का आकार जो आवश्यक और उचित विषयों से मरा जाना चाहिये या व्यर्थ किस्से कहानी से बढ़ा दिया जाता है जायदादका व्यौरा बहुधा ऐसा लिखा जाता है कि या तो उससे पूरा पता जायदाद का नहीं मिलता अथवा कोई आवश्यक अवयव छूट जाता है, बहुधा देखा गया है कि जमींदारी के विवरण में शामिलत देह या शामिलत थोककी हकिकयत दोनों उभयपक्ष की इच्छा होने पर भी लिखने से रह जाती है और बहुत सी अनावश्यक मुकद्देवाजी का कारण होती हैं । रहन नामों में ऐसी शर्तें जो रहन करने वाले और रहन रखने वाले के आपस के सम्बन्ध की सुगमता के साथ स्थिर रख सकें नहीं होतीं या ऐसे रूप में रख दी जाती हैं जो विवश लडाई और झगडे का कारण होजाती हैं । पट्टा और कबू लियत आदि की शर्तों के विषय में भी हर रोज यही दशा देखने में आती है । तात्पर्य यह है कि न्यूनाधिक हर प्रकार के दस्तावेज अनुचित और अधूरी दशा में पाय जाते हैं जब तक भारतवर्ष में दस्तावेज लिपने के कामकी ओर पूरा ध्यान न दिया जावेगा यह जुटि दूर न होगी और मुकद्दे वाजी बढ़ती रहेगी । बड़ी भारी कठिनाई जो इसके दूरकरने में आकर पड जाती है वह यह है कि भारतवर्ष में दस्तावेज उर्दू भाषा में लिखे जाते हैं और बहुत समय तक लिखे जायगे । और कानूनी शिक्षा जो हम लोगों को दी जाती है वह अगरेजी भाषा में होती है और कानून पेशा अगरेजी

जानने वाले इस कार्य को नहीं करते और एक प्रकार के कर भी नहीं सकते। इसके अतिरिक्त साधारण मनुष्य जो निधन होते हैं वे वकीलों की फीस नहीं दे सकते और पहिले से देश में प्रथा न हाने के कारण उनको इस प्रकार का व्यय करना बहुतही असह्य मालूम होता है। कलकत्ता, बर्मा, मदरास और दो चार शहरों के अतिरिक्त बहुत कम स्थान देश में मिलेंगे जहाँ इन्तिकाल (परिवर्तन) करने वाले और लेने वाले मनुष्य अपने कार्यों को कानूनी वकीलों के द्वारा कराते हों और उनक कच्ची लिपियोंमें वकीलोंका हस्ताक्षेप हाता हो यही कारण है कि वकीलों का इस शोर मन नहीं लगता और आज तक इस विषय पर किसी ने कोई पुस्तक लिखने का साहस नहीं किया। यह पुस्तक इस विचार से लिखी गई है कि इन्तिकाल (परिवर्तन) करने वाले और लेने वाले उस भगटे से जानकार होजाय जो निकम्मी और अशुद्ध इन्तिकाल के दस्तावेजों से पैदा होता है। और दस्तावेज लेखक जिनकी जीविका इस काम पर निर्भर है, अपने कर्त्तव्य को अच्छी प्रकार जान सकें और पहिले जिन दस्तावेजों को वह बेपरवाही और अच्छी तरह ध्यान देने के बिना ही लिख देने थे उचित और अच्छे ढंग से लिख सकें। जिन आवश्यक बातों को वह नहीं जानते इस पुस्तक से जान सकें। आशा की जाती है कि यह पुस्तक अनुभवी और बूढ़े वकील महाशयों को नहीं तो कम से कम नये वकीलों के लिये सहायता पहुचावेगी।



प्रस्तावना

सम्पत्ति दो प्रकार की होती है (१) चल (२) अचल

दोनों प्रकार की सम्पत्तियों का परिवर्तन एक मनुष्य से दूसरे की ओर साधारणतया दो प्रकार से होता है एक कानूनी नियम या प्रभाव द्वारा दूसरे उभय पक्ष के कार्यद्वारा यदि कोई मनुष्य जायदाद छोड़कर मर जाय तो उस जायदाद के स्वामी उसके मरण पश्चात् उस कानून के अनुसार उसके उत्तराधिकारी होंगे जिस कानून पर मरने वाला चलता था। इस प्रकार का परिवर्तन कानूनी प्रभाव द्वारा कहा जाता है। उसके लिये किसी लेख की आवश्यकता नहीं होती। इसके विपरीत जब एक मनुष्य अपनी जायदाद को या कि उसमें किसी (परमित) स्वत्व को आरजी तौर (कुछ दिन के लिये) या सदा के लिये किसी दूसरे मनुष्य को दे दे तो उसके लिये कानून ने नियम बनाये हैं और उन नियमों के अनुसार उसका इन्तिकाल परिवर्तन निश्चल हो सकता है जैसे यदि कोई मनुष्य अपनी जायदाद अचल किसी कर्जे में आड करना चाहे तो कानून के अनुसार उसका परिवर्तन उस समय हो सकता है जब उसका लेख उचित स्टाम्प पर किया जावे और उस पर धम से कम दो मनुष्यों की सार्वा प्रमाण की रीति पर की जावे और नियमानुसार उसकी रजिस्ट्री कराई जावे, इसी प्रकार अचल सम्पत्ति का हिया (दान) इसी प्रकार होता है, तात्पर्य यह है हर प्रकार के इन्तिकाल (परिवर्तन) के लिये भिन्न भिन्न नियम बनाये गये हैं। ऐसे इन्तिकाल जो इन नियमों के अनुकूल किये जाते हैं वह दोनों पक्षों के करने से कार्यरूप में

आते हैं, और दस्तावेज लेखन इस प्रकार के इन्तिकालों से सम्बन्ध रखता है।

नियम पूर्वक और ठीक २ दस्तावेज लिखने के लिये आवश्यक है कि वे लोग जो इस काम को करें कानून से इतनी जानकारी रखते हों कि जिस से वह यह जान सकें कि खास इन्तिकाल (मुख्य परिवर्तन) किस प्रकार का है और वह किस मूल्य के और कैसे स्ट्याम्प पर लिखा जावेगा, और उस की रजिस्ट्री आवश्यक है या अपने अधिकार की और उसके लिये क्या २ शर्तें आवश्यक हैं जो लिखी जावें, इसमें सन्देह नहीं जितनी योग्यता अधिक होगी उतनी ही दोनों पक्षों के स्वतः की रक्षा होगी और-दस्तावेज नियमानुसार और शुद्ध लिखी जायगी परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि एक साधारण योग्यता का दस्तावेज लेखक यदि वह आवश्यक बातों को जान ले तो सब तरह की दस्तावेज शुद्ध और ठीक २ न लिख सके, जो लोग दस्तावेज लिखने की जीविका करते हैं और उनकी लेखनी से सैकड़ों दस्तावेज हर प्रकार की निकलती हैं वह बहुत सी शर्तों और बन्धनों को जो दस्तावेजों में लिखी जाती हैं जान जाते हैं, काम करने वाले उनको अपनी ठहरी हुई शर्तें बतलाते हैं और तरह-२ के मुआमले (व्यवहार) सामने रखते हैं जिस कारण उनको बहुत सा प्रवसर व्यवहारों की रगटें और रूप देखने और समझने का मिलता है और कुछ दिनों के अनुभव के पश्चात् वह लगभग उन सब बातों को जान जाते हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के दस्तावेजों के लिये आवश्यक होती हैं, परन्तु ऐसा अनुभव यद्यपि वह मूल्य और बड़े परिश्रम के पश्चात् प्राप्त होने पर भी अन्त को नियमानुसार नहीं होता, और कुछ मुख्य उदाहरण को छोड़ कर बहुधा अपूर्ण और अधूरा होता है।

प्रथमकार का विचार है कि दस्तावेज लेखकों की शिक्षा के लिये इस पुस्तक में प्रथम दस्तावेजों के आवश्यक अधयय दिख-

लाये जायें और उनके विषय में सक्षित व्याख्या की जाये जिस के द्वारा दस्तावेज लेखक जो श्रुटिया घेपरवाई और कभी २ बिना विचारे कर जाते हैं न कर सकें, और जो बलभूत भिन्न भिन्न व्यवहार के प्रकाशित करने में दस्तावेजों में हो जाती है न हो सके, दस्तावेज का सारांश और भिन्न भिन्न टुकड़ों का अर्थ समझने में सुगमता हो, विषय प्रणाली नियम पूर्वक हो सके और वह स्पष्ट वर्णन और व्याख्या जो प्राय दस्तावेजों में नहीं होती पैदा हो जावे, जिससे मुकद्दमे वाजी कम हो और झगडे न उठ सकें और दोनों पक्ष अपने स्वत्व और उत्तर दायित्व को अच्छी तरह समझ सकें, आवश्यक अवयवों के पश्चात् भिन्न २ प्रकार की दस्तावेजों के मुख्य अंग और उनकी आवश्यक शर्तें लिखी जावेंगी, और यह भी लिखा जावेगा कि उनके लिये किस मूल्य का स्टाम्प लगेगा और उनकी रजिस्ट्री आवश्यक है या अपने अधिकार में और कभी कभी दस्तावेजों के भेदों का वर्णन और उनके लक्षण लिखते हुये यह प्रयत्न किया जावेगा कि एक ही ढग की भिन्न २ दस्तावेजों में क्या अन्तर होता है और इस अन्तर से दोनों फरीकों के स्वत्तों पर कितना प्रभाव पडता है । पर तु यह याद रहे कि यह पुस्तक दस्तावेज नवीसी की है न कि किसी कानून की व्याख्या । इस लिये यह वर्णन बहुत सक्षित और उसी सीमा तक होंगे जहा तक कि वह दस्तावेज लेखक को सहायता दे सकें । जो दस्तावेजों के नमूने इस पुस्तक में लिखे गये हैं वह अधिकतर पेचदार व्यवहारों के सम्बन्ध में हैं और साधारणतया उनको दस्तावेज लेखकशुद्ध और ठीक तीर पर नहीं लिखते । यह रिमार्क (Remark) साधारण रूक्यों और तमस्सुखों से सबन्ध नहीं रखते जो लगभग सबही दस्तावेज लेखक बहुत थोडे अनुभव के पीछे लिख लेते हैं । रहन्नामे । दम्बली मशरुतुर्रइन (त्रैउल्लवफा) वसीयतनामे, तमलीक

नामों आदि ऐसी दस्तावेज हैं, कि जिनमें विशेष उल्लेख और कठनाई पड़ती है और उन्हीं के विषय में प्रयत्न किया जाता है कि दस्तावेज लेखक के विचार स्पष्ट और शुद्ध हों, वह व्यवहार को ठोक और शुद्ध रीति से समझ और लिख सकें। नमूनों में इच्छा पूर्वक भिन्न भिन्न व्यवहार छाट कर सम्मिलित किये गये हैं और आशा है कि जिसका प्रभाव यह होगा कि दस्तावेज लेखक जान सकेंगे कि विशेष मुआमिलों किस प्रकार और किस भाति से दस्तावेज में रये जायें। बहुत से परिवर्तन जो साधारण नहीं होते या जो कि बड़े बड़े शहर जैसे कलकत्ता, बम्बई, मद्रासादि में प्रचलित हैं। उनके नमूने नहीं दिये गये और उसका कारण यह है कि वह जहा कहीं होते हैं अङ्गरेज़ी भाषा में लिखे जाते हैं और साधारण दस्तावेज लेखक को उनसे काम नहीं पड़ता। पुस्तक के अन्त में दस्तावेज-नवीसों के जानकारी के लिये कुछ ऐसी बातें लिखी गई हैं जिनसे यह मालूम हो सके कि किस प्रकार के मुआमलों के विषय में परिवर्तन या दूसरा लेख अनुचित है, और उस प्रकार के परिवर्तनों को दस्तावेज लेखक न लिख सके।



दस्तावेज लेखक का प्रारम्भिक कार्य ।

दस्तावेज लिखने से पहिले लेखक का कर्तव्य है कि वह कार्य कराने वालों से उसकी नौद्वयत (भेद) पूछे और फिर ज्ञात करे कि वह किस प्रकार की दस्तावेज लिखाना चाहते हैं, और उसके सम्बन्ध में निम्न लिखित बातें एक एक करके किसी कागज पर नोट करता जाये।

(१) दस्तावेज का लिखने वाला धौन होगा और किस हफ्ते में दस्तावेज लिखा जायेगा ।

(२) दस्तावेज लिखने का कारण ।

(३) मुआवजा (बदल) क्या है और उसका देना किस प्रकार ठहरा है।

(४) यदि किसी ऋण से सम्बन्ध रखता हो तो उसकी व्याज की दर और मूल और व्याज तथा दोनों के चुकाने की रीति और उसका निश्चित समय और चूक हाने पर प्रत्येक पक्ष का अधिकार और उत्तरदायित्व क्या होगा ।

(५) यदि व्यवहार किसी अचल सम्पत्ति के विषय में हो या उस से सम्बन्ध रखता हो तो उसका व्योरा शुद्धता के साथ जिस से उस की पहचान में कुछ सन्देह न रह सके, और यदि वह किसी चल सम्पत्ति से सम्बन्ध रखता है । जिसमें पते या व्याख्या की आवश्यकता हो तो उसका पूरा पता और व्योरा, आया उक्त जायदाद पर कोई पहला भार आड या दूसरी प्रकार का रोटी कपड़े का या मालिकाना इत्यादि का है या नहीं, और यदि है तो उसके चुकाने, पूरा

करने या दूर करने के विषय में दोनों पक्षों का समझौता पया है ।

(६) यदि अभीष्ट कार्य्य वैश्र, रहन दान, आदि इस प्रकार का हो जिन् के द्वारा एक आदमी स्थायी का स्वत्व दूसरे आदमी की ओर बदलता हो तो परिवर्तनीय जायदाद के सक्षिप्त और स्पष्ट वृत्तान्त जिससे कि वर्तमान परिवर्तन करने वाले को स्वत्व प्राप्त हुआ हो और उसके परिवर्तन का उसको अधिकार हो ।

(७) अगर जायदाद एक मनुष्य के नाम हो और दूसरा मनुष्य अपनी स्त्रामी के हिसियत से उसको बदलता हो तो उसे किस प्रकार यह अधिकार प्राप्त है ।

(८) अगर व्यवहार से एक मनुष्य की जायदाद दूसरे मनुष्य के अधिकार में रहनी टहरी हो तो उसकी आमदनी का परिमाण और बसूल का ढग और हिसाब की रीति और मुजरई व व्याज आदि का व्योरा ।

इनके अतिरिक्त उस व्यवहार के सम्बन्ध में जो अन्य उचित और आवश्यक बातें होती हैं वह भी दोनों फरीकों को बतला देव और उसके विषय में जो दोनों पक्ष निश्चय करें वह नोट करके जैसे रद्दायशी जायदादकी दखली रहन में साधारण मरम्मत की शर्त तथा असाधारण टूटे फूटे की मरम्मत और खाली रहने की दशा में किराये की कमी का उत्तरदाता कौन होगा, और पुराने ऋण के भारों की दशा में उनके अदा करने का प्रबन्ध कौन करेगा और किस तरह करेगा । और वैश्र के विषय में मिलाकियत के सत्व के सम्बन्ध में शर्त, कुल वा कुछ हिस्सा मूल्य की वापसी बेची हुई वस्तु के समस्त वा किसी अंश के निकल जाने या किसी

जायदाद का व्यौरा जो लिखा जावे वह पूरा होना चाहिये जैसे हकीकत जिमीदारी की दशा में उसका रकबा, मालगुजारी, महाल, खाता खेचट नाम मौजा, परगना, जिला और उस के साथ शामिलत थोक और पट्टी या महाल और शामिलत देह सब लिखने चाहिये।

इसी तरह जुतऊ जमीन की दशा में उसका नम्बर रकबा, लगान सालाना, मौजा महाल आदि देना चाहिये जायदाद सक्नी (रहायशी) की दशा में उसकी हालत तामीर, चारों सीमा नाम मुहल्ला व कस्या आदि सब लिखा जाना चाहिये। अगर उसके सम्बन्ध में पाषाना या चौक या दूसरी चीज हो या कोई हक आसाइश, परनाला या खिंडकी आदि का हो तो वह सब लिखना चाहिये इससे लेने और देने वालों का भगडा होने की दशा में बड़ी मदद मिलती है और बहुत से खर्च से बच जाते हैं।

जब एक धार मुकिर या परिवर्तन ग्रहीता का पूरा पता दस्तावेज में आ जावे तो दूसरी जगह दस्तावेज के अन्दर उचित और किसी समय आवश्यक होता है कि उस फरीक को किसी सक्षिप्त नामसे दस्तावेज के भेदानुसार लिखा जावे जैसा कि चैनामे में लफज वायअ (घेबने वाला) और मुयतरी (मोल लेने वाला) अर रहन नामे में राहिन (रहन करने वाला) और मुर्चहिन (रहन कराने वाला) और हिवअनामा में वाहिव (दाता) और मौहबिलह (जिसको दान किया जावे)

परन्तु ध्यान रखना चाहिये कि उक्त प्रयोग की शुद्धि से दोनों फरीकों के सत्वाँ में गडबड न होने पावे।

जब किसी दस्तावेज में कई फरीक हों जैसा कि शरकतनामा, तकसीमनामा, मुलहनामा, इकसारनामा आदि में लक्ष्य होता है

तो उन मनुष्यों को जिनके हकूक यकताई या मुश्तरिक हों अलग-अलग फरीक, नम्यरवार, कर लेना उचित होता है जैसे फरीक न० १ फरीक न० २ इत्यादि, परन्तु एक ही फरीक को दस्तावेज में दो भिन्न नामों से वर्णन करना अनुचित और बहुधा सदेहजनक होता है।

इन सब बातों को समझते हुये और ध्यान रखते हुये कच्ची लिपि बनाई जावे और दोनों फरीकों को सुनाई जावे। इस में जो अन्तर दोनों फरीक बतलावें या कोई कमी वेशी या दुर्स्ती चाहे वह कर दी जावे—दोनों फरीकों की इच्छा और नीयत को सामने रखना दस्तावेज लेखक का काम है उसकी कच्ची लिपि एक आईना होना चाहिए जिसमें दोनों फरीकों का मामिला बिना कमी वेशी के देखने वाले को दीख सके।

इसके पश्चात् कच्ची लिपिको कागज पर या स्टाम्प पर जैसी किसूरत हो साफ करना चाहिये जो दस्तावेज किसी नकश किये हुये स्टाम्प पर लिखे जावें तो नकश किया हुआ स्टाम्प ऊपर की तरफ होना चाहिये दूसरा कागज हो तो भी थोड़ा सा हिस्सा ऊपर छोड़ देना चाहिये जिस पर आवश्यकता पडने पर टिकट चिपका दिया जावे अगर दस्तावेज ऐसा है कि जिस पर इकरार करने वाले के हस्ताक्षर करने के अतिरिक्त गवाहियां होना भी आवश्यक है तो दाहिने हाथ की ओर ग्यूस चौड़ा किनारा इकरार करने वाले और गवाहों के दस्तखतों को छोड़ना चाहिये। साधारण तथा हाशिये की चौड़ाई सारे कागज की चौड़ाई की चायार्द रक्खी जाती है परन्तु आवश्यकता पडने पर कम या अधिक रक्खी जा सकती है चौड़ा रखने में पता आदि लिखने में सुगमता रहती है।

इकरार करने वालों के दस्तखत पहिले हाशिया पर कराने के पीछे गवाहों की गवाहियां करानी चाहियें चूकि इकरार करने

‘वालौका पूरा पता दस्तावेजमें बहुधा आजाता है इस लिए इकरार करने वालों के हस्ताक्षर कराने में अगर उनका पूरा पता न लिखा जाये तो कुछ हानि नहीं है परन्तु हर एक गवाह का नाम उसके पिता का नाम जाति, निवास स्थान, और पेशा आदि गवाही में लिखना चाहिये। अगर गवाह अपने हस्ताक्षर उस भाषा में नहीं कर सकता जिस में दस्तावेज लिखा गया है तो उसका नाम पूरे पते सहित पहिले लेखक, आप लिख देवे और उसके नीचे उसके हस्ताक्षर उस भाषा में जो गवाह जानता हो करावे अगर गवाह दस्तावेज की जवान में दस्तखत करना जानता हो तो उसके हस्ताक्षर पूरे पते के साथ खुद लिखाने चाहिये। किसी समय ऐसे गवाह मिलते हैं कि वह केवल हस्ताक्षर करना जानते हैं ऐसी दशा में अच्छी रीति यह है कि लेखक उसका नाम पूरे पते सहित आप लिखे और उसके पीछे गवाह के दस्तखत करावे।

दस्तावेज के इकरार करने वालों से उनके दस्तखतों के नीचे इस प्रकार के शब्द कि “इतने रुपये पाये” “दस्तावेज पढकर दस्तखत किये”, या गवाहों से यह लिखाना कि दोनों फरीफों के कहने से गवाही की” दोनों “धनी हाजिर” या इसी प्रकार की और कोई इवारत लिखाना सदिग्ध लाभ है और सम्भव है कि किसी दशा में लाभदायक सिद्ध हो परन्तु साधारणतया उसका प्रभाव या तो कुछ नहीं होता, या सन्देह का कारण हो जाता है अधिकांश जब किसी मुकद्दमे में दस्तावेज की असलियत और सच्चाई पर फरेब धोखा बिना बदल गलत बयानी आदि पर घबराह होती है तो ऐसे लेखों से सन्देह दूर होने की जगह और बढ़ जाता है निदान यह मुआमिला अधिकतर दस्तावेज के दोनों फरीफों की इच्छा और खुशी पर निर्भर है दस्तावेज लेखक के काम का यह कोई अङ्ग नहीं और न उसको इस प्रकार के लेख के विषय में किसी फरीफ या गवाह से कोई प्रस्ताव करना चाहिये

इकारार करने वाले और गवाह ये पढ़े हों उनको दस्तावेज सुना कर उनके अगूठे के निशान दस्तावेज़ पर लगाने चाहियें जब से रजिस्ट्री में अगूठे लेने का प्रचार हो गया है तब से दस्तावेज लेखक को यह सामान जिसके द्वारा अगूठे के निशान साफ और उत्तम आ सकें रखना आवश्यक है। और उसको अभ्यास कर लेना चाहिये कि वह अच्छे निशानात ले सके। धराव निशानात लेने का फल विशेष कर उन दस्तावेज़ों की बाधत जो ये रजिस्ट्री हों किन्हीं मुकद्दमों में बड़ा घुरा होता है। और कभी २, दोनों फरीकों का इसी से गला कट जाता है ॥

सब से अन्तिम बात जो इस प्रकरण में विचारने योग्य है यह यह है कि जहा तक हो सके दस्तावेज़ बड़ी साफ इषारत में लिखी जाये। उत्तम अक्षर हर एक लेखक नहीं लिख सका परन्तु साफ लिखने का प्रयत्न हर अनुष्य कर सका है। घसीट लेख में अशुद्ध लिखे जाने और पढ़े जाने की सम्भावना साफ लेख की अपेक्षा अधिक होती है इसलिये यह अच्छा है कि लेख सवार कर लिखा जाये, यदि घसीट लिखा जाये तो साधधानी के साथ जिससे उसके पढ़ने में कोई सदेह न हो सके और दोनों पक्ष लेखक के बुरे लेख से हानि न उठाये।



रुक्का या प्रोमेसरी नोट

परिभाषा—प्रोमेसरी नोट वह लिखी दस्तावेज है (वे के नोट या करेन्सी नोट को छोड़कर) जिसमें बिना शर्त के लिखने वाले के दस्तखत से केवल एक नियत राशि के निकट रुपये का अदा करने की प्रतिज्ञा इस प्रकार की गई हो कि एक लाख मनुष्यों को या जिस को यह दिलाये उस को या उस दस्तावेज के हामिल (ले जाने वाले) को दिया जावेगा।

अकसाम [भेद]—प्रोमेसरी नोट दो प्रकार के होते हैं। एक वह जो इन्दुत्तलव भाग पर अदा करने योग्य हो दूसरे जो किसी नियत समय पर देने योग्य हो। मुहती प्रोमेसरी नोट या मुहती हु डी में कुछ अन्तर नहीं होता, और मुहती प्रोमेसरी नोट बहुत कम लिये जाते हैं।

स्टाम्प—प्रोमेसरी नोट पर जब कि वह इन्दुत्तलव (मांग पर) अदा करने योग्य हो एक आने का स्टाम्प ढाई सौ रुपये तक दो आने का स्टाम्प एक हजार रुपये तक और उस से ऊपर चार आने का स्टाम्प (टिकट) लगता है, यदि किसी धादे पर अदा करने योग्य हो तो वही स्टाम्प लगता है जो मुहती हु डी पर और जो साधारणतया एक आने सैकडे के लगभग होता है।

देखो मह १३ जमीमा १ कानून स्टाम्प एक्ट सन् १८६८ ई०

सामान्य सूचना

प्रोमेसरी नोट के लिखने में यह विचार अवश्य रफया जावे कि उसका रुपया मांग पर अदा करने योग्य हो नहीं तो हु डी का स्टाम्प लगना, इस पर गवाहिया क्वापि न

होनी चाहिये, नहीं तो दस्तावेज के समान हो जायेगा, अगर बदल की अपाणी की गवाही का प्राप्त करना आवश्यक हा तो रुपये की रसीद अलग लिखाई जा सकती है, और उस पर गवाहिया हो सकती है।

जो चिपकाने का स्टाम्प प्रामेसरी नोट पर लगाया जावे उस के ऊपर इकरार करने वाले के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान तारीख और सन सहित इस प्रकार कराये जावे कि वह 'स्टाम्प' फिर काम में न आ सके।

प्रामेसरी नोट इन्दुत्तलव का नमूना न० १

टिकट -)

हस्ताक्षर इकरार करने वाले के तारीख सहित	जनाय मुशी अब्दुल करीम साद्विब, तसलीम जो कि मुबलिग, दोसौ २०० रुपये सिक्के, सरकार कि जिनके आधे मुबलिग, सौ रुपये, १००) उक्त सिक्के के होते है आपसे नकद कर्ज लिये है उक्त रुपये इन्दुत्तलव (मागने पर ही) एक रुपया मासिक सैकड़ा व्याज सहित अदा किये जावेंगे इस लिये यह प्रामेसरी नोट टिकट चरफा आपको लिख दिया कि प्रमाण रहे।
-----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

साकिम

नासिरुद्दीन बलद मियाँ सा कौम पठान साकिम अलीपुर तहसील गुर्जा जिला बुतेशहर।

मुकाम अलीपुर,

ता० १३ मई सन् १९१०।

प्रामेसरी नोट नमूना नं० २

टिकट

मैं नौबतराम बेटा रामधन जाति ब्राह्मण निवासी शाहनगर तहसील माट जिले मथुरा, इकरार करता हूँ, कि एक हजार रुपया अर्केन १०००) सिक्के सरकार कि उसके आधे पाच सौ रुपये अर्केन ५००) उक्त सिक्के के होते हैं देवकी नन्दन बहद रामसहाय ब्राह्मण साकिन उक्त शाह नगर को नीचे लिखे हुए मुआवजे के बदले में इन्दुत्तलब अदा करूंगा, इसलिये यह रक्का लिख दिया कि सनद रहे।

दस्तखत
ता० सन्
सहित

अपने लिखे रहननामे के मध्ये लाला केवलराम साकिन कोल के नाम का जो ५ अप्रैल सन् १८६७ को लिखा-आप के पास छोडे।

५००)

यच अदालत के लिये नकद आज की तारीख में वसूल पाये

२५०)

अपने लिखे हुए हफके के मध्ये जो २४ जुलाई सन् १८६५ को आप के नाम लिखा था 'असल' व सद के मुजरा दिये।।

२५०)

हस्ताक्षर

नौबतराम बकलम खुद

मुकाम शाहनगर तारीख २७ अगस्त सन् १८६७ ई०

नमूना नं० ३

टिकट
दस्तगत,
ता० सन्

जनार मुशी अब्दर्रहमान पा साद्विय रईस मोहनपुर
जिला बिजनौर तसलीम-

जोकि २००) रुपये आप के मेरे ऊपर मेरे पहले रुकके तादादी
दो सौ रुपये तारीख ३ अक्टूबर सन् १९१२ के चाहिये और २०) रु०
आज घरेलू काम के लिये नकद कर्ज लिये हैं।

कुल तीन सौ रुपये कि जिसके आधे डेढ सौ रुपये होते हैं,
एक रुपये मासिक सैरुडा व्याज सहित जब आप माँगेंगे तब
अदा करूंगा, इस लिये यह रुकका टिकट चरणा लिप दिया किं
सनद रहे और समय पर काम आवे।

ह०। खुदावख्त वटद इमाम अली साकिन कस्बा नगीना,
जि० बिजनौर।

स्थान,

तारीख

नमूना नं० ४

म इफरार करता हूँ कि चारसौ रुपये कि जिस के आधे दो सौ
रुपये होते हैं मु० अहमद यार खा वटद मु० गुलाम नबीखा कौम
पठान साकिन इहसान नगर जि० गुडगावा को निश्चय कर्जा जो
मैंने उनसे नकद लिया है मय सूद फीसदी एक रुपया माहवारी
इन्दुत्तलव अदा करूंगा इसलिये प्रामेसरी 'नोट' लिख दिया कि
सनद रहे।

ह०। प्रेम सुखदास वटद खानदास कौम चौहरा साकिन
मुहम्मदनपुर जि० गुडगावा, बकलमखुद

ता० १७। नवम्बर सन् सन् १९११ मुकाम इहसान नगर।

नमूना रसीद मध्ये प्रामेसरी नोट नं० (१)

टिकट

नासिरुद्दीन
बकलम खुद
ता० -

मैं कि नासिरुद्दीन बलद मियांखां कौम पठान
 साकिन परगना व तहसील जि०
 का हू, जो कि दो सो रुपये कि उसके आधे सौ

रुपये होते हैं, मुं० अब्दुल करीम खां बलद मु० इनायत अहमद या
 कौम पठान साकिन जि० से बाबत
 मुआवजा प्रामेसरी नोट नविशत खुद मौसूमा मुशी साहिव मौसूफ
 नकद बसूल पाये, इस लिये यह रसीद टिकट चरपा लिखदी कि
 सनद रहे।

अल अ _____ द गवाह शु _____ द गवाह शु _____ द
 नासिरुद्दीन बकलम खुद
 तहरीर तारीख _____ मुकाम _____

नमूना रसीद नं० २

तारीख १६ सितम्बर सन् १९१७ को मुक नौबतराय बलद
 रामधन ब्राह्मण साकिन शाह नगर तहसील जि० न
 मुवलिंग कि उसके आधे मुरलग रुपये हाते, हे
 पुं० देवीकीमन्दन बलद राम सहाय ब्राह्मण साकिन मौजा शाह
 नगर मजकूर से बाबत मुआवजा रुकका जो मैंने बहफके उक्त पण्डित
 जी के आज लिखा है नकद बसूल पाये इस लिये यह रसीद
 लिख दी ॥

अल अ _____ द गवाह शु _____ द
 गवाह शु _____ द
 तहरीर तारीख _____ मुकाम _____

तमस्सुक

लफ्ज तमस्सुक मे,

(अ) हर ऐसी दस्तावेज सम्मिलित है जिसके द्वारा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को इस शर्त पर रुपया अदा करने की प्रतिज्ञा करे कि यदि अमुक विशेष-क्रिया कार्य में आवे या न आवे और जैसा अगसर हो तो उक्त प्रतिज्ञा भंग हो जावेगी। और

(य) हर ऐसी दस्तावेज, शामिल है जिस पर किसी की गवाही हो और उसका रुपया काबिज (कब्जा रखने वाले) के हुक्म पर हामिल (लेजाने वाले) को वाजिबुल अदा न हो और उसकी रू-से एक शर्त दूसरे को रुपया देने का वायदा करे और

(स) हर ऐसी दस्तावेज जिस पर ऊपर लिखे हुये अनुसार गवाही लिखी हो और उसमें इस बात का वायदा हो कि मनुष्य अनाज या और कोई खेती की पैदावार दूसरे शर्त को देगा

नोट—तमस्सुक के लिये जरूरी है कि उसके द्वारा एक मनुष्य दूसरे को रुपया या दूसरी चीज हवाला करने का वायदा (प्रतिज्ञा) करे और उस पर गवाहिया हो।

दस्तावेजों की किस्म (भेद)

दस्तावेज बवायदा इन्दुत्तलप, बवायदा मुअइयत (नियत समय) या फिस्तबंदी के होते हैं। हवालगी गटला या दूसरी जिम्स के दस्तावेज सट्टे के नाम से बोले जाते हैं।

स्टाम्प

दस रुपये तक दो आने, पचास रुपये तक चार आने, सौरुपये तक आठ आने, एक हजार रुपये तक फी जायद सौ रुपये पर आठ आने, उसके पश्चात् हर पांच सौ या उसके खण्ड पर दो रुपये आठ आने। देखो (मह १५ जमीना १ कानून स्टाम्प)

सामान्य सूचना

किसी दस्तावेज का बदल नकद रुपया होता है, किसी का कर्जा या पुराने हिसाब की बाकी, किसी का कुछ भाग नकद रुपया और कुछ भाग पुराना कर्जा (ऋण)।

इसी तरह अदा करने का वायदा कभी इन्दुत्तलय होता है कभी कोई तारीख या महीना या नियत फसल। कभी किस्तबन्दी द्वारा, और वायदा खिलाफी (प्रतिष्ठा हानि) की दशा में एक या कई किस्तों के चुकने पर बाकी मुतालवा, एक मुश्त, व्याज की दर, कभी सादा होती है कभी व्याज पर व्याज जुमाही, तिमाही या सालवार।

कभी वायदे पर रुपया या सूद अदा होने या न होने की दशा में कम या अधिक और उसका निफाज (चलन) तारीख वायदा खिलाफी (प्रतिष्ठा हानि) या तारीख दस्तावेज से होता है। किसी समय सूद पेशगी मुतालवा दस्तावेज में शामिल कर दिया जाता है। इन सब रह व बदल के विचार से भिन्न २ दस्तावेजों के आशय भिन्न २ होते हैं। यदि प्रत्येक, अलग अलग तयदीली दिखाने के लिये अलग अलग नमूने लिखे जाय तो सख्या बहुत बढ़ जायगी। नीचे के नमूनों में जहा तक हो सका है भिन्न २ रहो, बदल (परिवर्तन) दिखाने का प्रयत्न किया गया है दस्तावेज लेखक उन को देख कर अवश्यकता के अनुसार नमूने बना सकता है।

तमस्सुक साधा इन्दुत्तलव

मै कि करीमुल्ला बलद सईदुल्ला कौम पठान साकिन मोजा अहमदपुर परगनह सआदतपुर जिला हमीरपुर का हू जो कि मुबलग अस्सी रुपया सिर्के चहरेदार कि जिनके आधे चालीस रुपये होते हैं। मु० सिराजुद्दीन बलद हमीरबख्त कौम शेख साकिन अमरपुर परगना सआदतपुर जिला हमीरपुर से नकद कर्ज लिये हैं। इकारार यह है कि उक्त रुपये इन्दुत्तलव मय सूद फीसदी सया रुपया माहगारी दाइन मौसूफ को अदा करू गा और सूद का रुपया हर छ माही पर अदा करता रहूगा, छमाही सूद के अदा न करने की दशा में जरे सूद पिना अदा शुद को शामिल असल के करके सूद पर सूद उक्त दर से दूगा, और निस्वत तरीका अदायगी यह करार पाया है कि जो कुछ असल वा सूद में अदा करू गा उसकी रसीद अलग लेता रहूगा या तमस्सुक की पीठ पर तहरीर कराता रहूगा इस लिये तमस्सुक लिख दिया कि सनद रहे।

अल अ _____ द

निशानी बापें अगूठे की

करीमुल्ला मुकिर की

गवाह शु _____ द

गवाह शु _____ द

अहमदअली बट्ट मुरतारअली

कौम शेख पेशा नोकरी साकिन

अहमद पुर बकलमसुद

मोहन लाल बलद मोती लाल बकलम राहतुल्ला बलद विसमित्लाह

ब्राह्मण पेशा पडिताई साकिन

कौम शेख इस दस्तावेज का

अहमद पुर बकलम सुद

लेखक

अहमद पुर

ता० १५ अगस्त सन् १९२० ई०

तमस्सुक किरतवन्दी (टीपखन्दी)

मैं कि रामदास बलद मोहनदास जाति बेरागी साकिन, कसवा हयात नगर बलद मम्भल जिला मुरादाबाद का हूँ ॥ जो कि एक हजार पाच सौ रुपया सिक्के चहरेदार कि जिनके आधे, सात सौ पचास रुपये उक्त सिक्के के होते हैं नीचे लिखे अनुसार मेरे ऊपर लाला परमसुपटास बलद मोतीलाल कौम बोहरे उक्त कस्बे के रहने वाले के लेने हैं ।

बाबत बेराकी असल व सूद बाबत सूद पेशंगी के पाये
एक दस्तावेज लिखा हुआ मुझ
इकारार करने वाले का देने वाले के
नाम का-तादादी आठ सौ रुपये
=००) ता०

११ जनवरी सन् १९१६ को मुजरा किये

१२५०)

२५०)

जोड़ १५००)

इकारार यह है कि उक्त रुपये बिना व्याज ढाई सौ रुपया छः माही के हिसाब से तीन साल में अदा करूंगा, पहली किस्त वैसाख सम्बत १९७६ और दूसरी किस्त कतिक मास सम्बत १९७६ में देने योग्य होगी इसी प्रकार अगली किस्तें बेराकी होने तक हर अगले साल की वैसाख व कतिक में अदा करने योग्य होती रहेंगी, किन्हीं दो किस्तों के चूक जाने पर बिना अदा किया हुआ समस्त रुपया एक मुश्त बारह आने माहवारी सैकड़ा व्याज सहित किस्त चूकने की तारीख से अदा करना होगा, इस लिये यह थोड़े से शब्द तमस्सुक किस्त वन्दी की तरह लिख दिये कि जमाए रहे और समय पर काम आवे ।

अल अ—————ब्द गवाह शु—————द

गवाह शु—————द तहरीर तारीख माह जनवरी

वकलम लेखक

नियत समय पर भुगतान की टीप

मैं कि नूरमुहम्मद बट्ट गुलाममुहम्मद कोम शेख पेशा जमींदारी कस्बा फरोदनगर जिला बरेली का हूँ जो कि मुबल्लिग छैसौ रुपये सिक्के सरकार कि उसके आधे मुबल्लिग तीन सौ रुपये उक्त सिक्के के होते है देने मिर्जा अलीअहमद बट्ट गुलामअहमद कौम मुगल साकिन कस्बा मजहूर के नीचे लिखे हुए अनुसार मेरे ऊपर चाहिये ।

प्रायत असल २ सूद दस्तावेज	नकद लगान अदा करने को रगी
५ मार्च सन् १९१५ ई० के मेरा	सन् १३०४ फसली और दीगर
लिखा हुआ देने वाले के	गर्जों को बसूल पाये
नाम तादादी २४०)	२००)
४००)	

कुल ६००)

इफ्तार यह है कि उक्त रुपयों को सवा रुपया सैकडा मासिक ब्याज समेत देने वाले को एक साल की अवधि में अदा कर दूंगा परन्तु शर्त यह है कि अगर आधा रुपया सूद सहित छ माह के अन्दर और शेष १ साल के अन्दर अदा करदू तो ब्याज सवा रुपया की जगह एक रुपया की दरसे दी जायेगी और नियत अवधि के भीतर कुल रुपया तैवाक न करने की दशा में ब्याजदर सवा रुपया सैकडा मासिक हर छ माही पर देता रहूंगा । और अगर छ माही पर ब्याज न अदा करू ता हर छ माही पर बिना अदा किये हुये सूद को मूलधन में शामिल करके ब्याज पर ब्याज उक्त ब्याजके हिसाब से दूंगा और कुल रुपया जय मागे तभी देना हरेगा इस लिये यह तमस्सुक लिख दिया कि प्रमाण रहे ।

अलम	द	गयादशु	द
गयादशु	द	तदरीर तारीग	मुकाम
			बकलम लेखक

विविध प्रतिज्ञाओं की टीप

मैं कि नीवतसिंह बेटा पदमसिंह जात ठाकुर पुडी साकिन कौडियागज परगना अकराबाद तहसील सिकन्दरा राज जिला अलीगढ़ का हूँ जो कि २५००) दो हजार पाँच सौ रुपये सिक्के सरकार कि उसके आधे १२५०) एक हजार दो सौ पचास रुपये होते हैं बालकिशन बट्ट लाल जीवन कौम चौहरा साकिन पुरागाव परगना अतरौली जिला अलीगढ़ के इस ब्यौरे से कि मध्ये टीप रजिस्ट्री १३ दिसम्बर सन् १८७३ १०००) मध्ये हिसाब वहीखाता ६६८८) छै सौ अडसठ रुपये चार आना अथ नकद वसूल पाये ८२१॥१) आठसौ इक्की रुपये बारह आना कुल २५००) मेरे जिम्मे है । और देने रखता हू इस लिये इकराम करता हू और लिये देता हू कि उक्त रुपयों में से १०००) एक हजार रुपया १) सवा रुपया माहवारी सूद सहित एक मुश्त जय मागे तब उक्त चौहरे को दे दूगा कुछ बंधाना न करू गा ऊपर लिये हुये रुपयों का व्याज छ माही पर देता रहूंगा अगर सूद छ माही पर अदा न करू तो चढे हुये सूद को मूलधन में शामिल करके सूद पर सूद १) सैकड़ा मासिक के हिसाब से अदा करू गा और बाकी १५००) में से ५००) उक्त सूद दर से अदा की तारीख तक मार्च सन् १६७७ ई० के अंत तक देने ठहरे हैं और उसके मध्ये यह शर्त ठहरी है कि उक्त ऋण को मैं आज की तारीख से एक साल के अन्दर अदा करदू तो उस पर १) सैकड़ा मासिक सूद की जगह १) सैकड़ा मासिक सूद लगाया जाये और शेष १०००) दो किस्त में बिना व्याज के देने ठहरे पहिली किस्त ३१ जनवरी सन् १८७६ को और दूसरी किस्त ३१ जौलाई सन् १८७६ को देने योग्य होगी । और किसी किस्त के चूकने पर शेष ऋण एक साथ १) सैकड़ा मासिक सूद के हिसाब से चूकने की तारीख से

घसूल करने के योग्य होगा जो रुपया दाता को किसी मध्ये दूगा उसको इस तमस्तुक्र की पीठ पर लिखा, दूगा या नियमानुसार रसीद लेता रहूँगा इस लिये यह टीप लिख दी कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे ।

हस्ता _____ तर सा _____ ली

नौबतसिंह कौम ठाकुर इकरार भाऊलाल घट्ट लेंधराज वैश्य
करने वाला पेशा परचूनी साकिन कौडिया

गज घसत सराफी

सा _____ ही सा _____ ली

दलपतसिंह घट्ट केसरीसिंह कौम ट० घहाडुरसिंह बल्ल श्याम
ठाकुर पेशा जमींदारी नगद्वार सा सुदर कौम कायस्थ साकिन
किन देह बखत हिन्दी कौडियागज पटवारी दस्ता

वैज लेखक

लिखतम तारीख ३१ जौलाई सन् १८७५ ई० स्थान दुर्वाजा
तहसील सिकन्दराराऊ जिला अलीगढ़ ।

- टीप सट्टा सादा -

मैं कि भूमनसिंह घट्ट सुशालसिंह फ़ोम ठाकुर साकिन व
काश्तकार मौजा उखलाना पगना मोर्थल नहसील कोल जिला
अलीगढ़ का हूँ जा कि ७५) सिक्के चलन याजार कि आधे जिस
के ३७॥) होते हैं लाला तुलसीप्रसाद घट्ट लाला देवीप्रसाद वैश्य
सिक दरारऊ मालिक कोठा नील मांज खालरा उक्त पगना और
तदस ल से मारफत यादू द्योनरमल गुमाश्त के पेशगी लेकर इकरार

करता हूँ कि उक्त रुपयों के बदले एक रुपया सैकड़ा माहवारी सूद के साथ अपनी खेती की पैदावार का नील का लांक अन्त किस्म का कारिन्दे के मांगने पर अपनी वाररदारी उक्त कोठी पर पहुँचा कर तुलवा दूंगा और उसका मोल २५) सौ मन के हिसाब से मुजरा लूँगा और जो मेरी नील का लांक उक्त कोठी में अधिक पहुँचैगा उसका मोज खुशखरीद भाष से उक्त लाला साहिब को देना होगा जो लांक कोठी पर न पहुँचाऊँगा या दूसरी जगह बेचदू तो उक्त लाला साहिब को अधिकार होगा कि पेशगी दिये हुये रुपये को ३२ सैकड़ा माहवारी सूद और उस हर्जे के साथ जो मेरी प्रतिज्ञाहानि से हो मुझसे और मेरी जायदाद से जब चाहें और जैसे चाहें वसूल करलें मुझको कुछ उजर न होगा इस लिये यह थोड़े से शब्द तमस्तुक बदनी लांक नील के तौर-पर लिख दिये कि प्रमाण रहे और आवश्यकता के समय काम आवे।

अलम	वद गवाह शु	द
मन्मनसिंह वद खुशहालसिंह		दस्तखत मथुराप्रसाद
मुकिर बकलम खुद		वद प्रानसुख कौम का
		यस्थ पेशा नौकरी सा०
		मौजा उखलाना मजकूर

गवाह शु	द
कटयानसिंह वद हीरसिंह कौम ठाकुर पेशा काश्तकारी	
साकिन सफेदपुर ययत महाजनी	

तहरीर बतारीख ५ मई सन् १८६६ ई० बकलम अजुध्याप्रसाद वद कुज बिहारीलाल कौम कायस्थ साकिन कोल कातिब घसीका हिजा

(विविध प्रतिज्ञाओं की टीप सूट्टा)

हम कि रामनारायण घट्ट गगाधर व जीधाराम घट्ट माधोप्रसाद कौम ब्राह्मण पेशा खेती साकिन मौजा जलपुर सेहौर पगंना अकराघाट जिला अलीगढ़ केहैं जोकि मुबलिंग २५०) दोसौ पंचास रुपया कि आधे जिसके मुबलिंग १२५) सवा सौ रुपये सिक्के सरकार के होते हैं याफतनी लाला जसराम घट्ट मोहनलाल कौम बौहरा साकिन मौजा मजकूर हमारे जिम्मे नीचे लिखे व्यौरे अनुसार चाहिये ।

बायत बकाया एक कितअ
तमस्तुक सादा तादादी
४६) उनबचास रुपयालिखा
हुआ इकरार करने वालेका
देने वाले नाम के १३ मार्च सन्
१९२० का लिखा हुआ
६१॥=)

बायत बकाया हिसाब खाद
व बीज आजकी तारीख तक
जो मेरे नाम देने वाले के नि
कले ।

३२=)

गेहू व जौ जा फुस्त रयी
की घुवाई के लिये देने वाले
सलिय फीमती ७५)

एक बैल खरीदने के लिये
नकद लिये ७५)

इकरार यह है कि उक्त ऋण में से १५०) और उसका व्याज १॥) मासिक दर के बदले में गेहू व जौ अगले बीसास में अद्यतोज के भाव बाजार के हिसाब से उक्त महाशय को अदा कर वृगा और पाफो १००) और उसकी ऊपर लिखी व्याज के बदले में नील का

लाकर अगले साल की पैदावार का ३०) सेकड़ा मन के भावसे दाता की कोठी नील मौजा जलपुर पर लाकर तुलवा दूंगा और इस तरह कुल ऋण दस्तावेज का मूल और व्याज घेवाक कर दूंगा दोनों अथवा एक प्रतिज्ञा तोड़ने की दशा में उक्त दाता को अधिकार होगा कि दस्तावेज लिखित ऋण को उक्त दर की व्याज सहित दस्तावेज लिखने की तारीख से हम लोगों की व्यक्ति और सम्पत्तिसे वसूल कर लेवें हमको कोई उजर न होगा और सूद छ माही ऐसी दशा में उक्त रुपयों का हर छ माही पर देना वाजिब होगा और भुगतान न होने की दशा में व्याज पर व्याज हर छ माही बाद देना होगा इस लिये यह थोड़े से शब्द सट्टे के दस्तावेज के रूप में लिख दिये कि प्रमाण रहे।

अलख — शब्द अलख — शब्द गवा — ह गवा — ह
लिखने की तारीख — मुकाम — यकलम — लेखक

बैनामा (विक्रय पत्र)

बैत्र की तारीफ (विक्री की परिभाषा) वैत्र के शब्द से तात्पर्य मिलकियत का परिघर्तन कीमत के बदले में जो अदा की जावे या जिसके अदा करने का वायदा (प्रतिज्ञा) किया जावे या कुछ हिस्सा अदा किया जावे और कुछ हिस्से की प्रतिज्ञा हो—
दफे ५४ कानून इन्तिकाल जायदाद।

अकसाम वा तरिका वैत्र (विक्री के भेद व रीति)

ऐसा परिवर्तन जो कि किसी अचल या उस-सम्पत्ति के विषय में हो जिसका मूल्य १००) २० से, अधिक हो और

या ऐसे स्वत्व के विषय में हो जो लोपता हो या अन्य किसी अप्राकृतिक वस्तु के विषय में हो तो केवल रजिस्टर्ड विक्रीपत्र द्वारा हो सकता है।

जब प्राकृतिक अचल सम्पत्ति एक सौरपये से कम मूल्य की हो तो उचित है कि उसका परिवर्तन रजिस्ट्री की हुई वैश्र के द्वारा हो या जायदाद के साँपने के द्वारा और अचल प्राकृतिक सम्पत्ति की सौंप उस समय हो जाती है जब कि बेचने वाला मोल लेने वाले या जिसको वह बतलावे उसको सम्पत्ति पर अधिकारी करदे।

अचल सम्पत्ति के बेचने के लिये किसी लेख की आवश्यकता नहीं है साधारणतया मालके साँपने या मूल्य घसूल पाने की रसीद लिखाई जाती है रसीद पर अगर बीस रुपये से अधिक की मालियत हो तो एक आने का टिकट लगाना चाहिये।

साधारण सूचना—कोई मनुष्य किसी सम्पत्ति के मध्ये उस स्वत्व से अधिक और अच्छा जो आप रखता हो दूसरे को नहीं दे सकता इस लिये आवश्यक है कि बेचने में बेचने वाले का स्वत्व बेची हुई सम्पत्ति के सम्यन्ध में प्रगट किया जावे यदि वक्त स्वत्व उसके पास पहिले परिवर्तनों द्वारा आया हो या उसके मध्ये कोई न्यायालय का निवटारा हुआ हो तो उसका पुराना दस्तावेज के भीतर लिखा जावे। इसके अतिरिक्त जब तक कोई दूसरी (प्रतिष्ठा) दोनों पक्ष के बीच में निश्चय हुई हो तो उचित है कि बेचने वाले की ओर से यह शर्त लिपी जावे कि उसके स्वत्व न होने की दशा में या बेचने वाले के किसी साम्नी की दाये दारी से या उसके स्वामित्व के किसी खोट से बेची हुई जायदाद या उसका कोई भाग मोल लेने वाले के अधिकार से निकल जाये तो बेचने वाला)

रहित बेची जावे तो किसी ऋण या भार के निकल आने की दशा में बेचने वाला उसका उत्तर दाता होगा। जो कुछ दोनों उसके विषय में ठहरा लें वह दस्तावेज लेखक को लिखना चाहिये।

जो नियमावली उभय पक्षों के पक्ष सम्पत्ति के ध्यौरे और उस क सम्बन्धित और आश्रित स्वत्वों और मूल्य का विवरण और उस के चुकाने आदि के विषय में लिखी जा चुकी है वेधनामेके लिखने में उनकी सावधानी विशेषतया रखनी चाहिये। क्योंकि वेधनामे के द्वारा एक मनुष्य का स्वत्व दूसरे मनुष्यकी ओर स्थायी रूप से बदल जाता है। और वह सदा को स्वत्व प्रमाणपत्रकी भाति मनुष्यों के हाथ में जाता है और उसीके द्वारा बहुत से स्वत्वों का निश्चय होजाता है।

रहायशी सम्पत्ति के विक्रय, पत्र में जो सम्पत्ति का विवरण लिखा जावे उसमें इस बातका ध्यान रखा जावे कि उस सम्पत्ति का कोई अंग जो परिधर्तन होती है रह न जावे न उसके रह जाने का संदेह हो सके, संदेह रहजाने की जगह यह अच्छा होता है कि एक रात दोबार घरेन आवश्यकता अनुसार तीन बार लिखदी जावे जो आसाइश का स्वत्व, परनाले, गेशनदान पिडकी, जगला, मारी आने जाने का द्वार आदि की भाति जो बेची हुई जायदाद के किसी ओर या किसी मनुष्य के विक्रय हो वह अवश्य लिखना चाहिये। वेधनामे के लिये अधिकार का परिवर्तन होना आवश्यक है चाहे वह वास्तव में हो या नियमबद्ध हो इस लिये अधिकार सौंपनेका घर्णन भी विक्रयपत्रमें अवश्य लिखा जाना चाहिये।

अन्य विषय जैसे स्वत्वादि सम्बन्धी पत्रादिका देना आड और श्रय भार मालिकाना खान पान आदिका चुकाना। इस विषय में जो निश्चय दोनों पक्षोंने किया हो, लिखना चाहिये।

भगडे टटों से शुद्ध और पवित्र है, उस में कोई मेरा साझी और हिस्सेदार नहीं है अगर कोई शरीक या साझी पैदा होकर किसी प्रकार का दावा बेची हुई वस्तु पर करे उसका मैं उत्तर दाता हूँ और अगर इस प्रकार की दावेदारी या मेरे स्वत्व की किसी घुटि के कारण कोई अश वा समस्त जायदाद मोल लेने वाले के अधिकार से निकल जावे और कोई ऋण या भार किसी मेरे कारण से मोल लेने वाले को चुकाना पड़े तो मोल लेने वाले को अधिकार होगा कि अपने मृत्यु का सारा रुपया हानि और व्यय सहित जो उस पर पड़े एक रुपये मौसिक सैकड़ा व्याज सहित बेची हुई वस्तु और मेरी व्यक्ति और अन्य सम्पत्ति से जैसे चाहे प्राप्त कर लेवे, किसी प्रकार बहाना न होगा और बेची हुई वस्तु उस ऋण में आड समझी जावेगी, बेची हुई सम्पत्ति की स्वत्व से सम्बन्ध रखने वाली समस्त दस्तावेजें मोल लेने वाले को सौंप दी गईं जो रुपया मोल लेने वाले के पास मेरा ऋण चुकाने के लिये धरोहर छोड़ा गया है उसको उक्त खरीदार का कर्तव्य होगा कि बहुत शीघ्र चुका कर दस्तावेज लौटा लेवे और उसको मेरे सुपुर्द करदे, जो व्याज उक्त दस्तावेज के रुपये पर आज से पड़ेगा उसका उत्तरदाता ग्राहक है, इसलिये यह थोड़े शब्द विक्रय पत्र के सहित लिख दिये कि प्रमाण रहे और आवश्यकता के समय काम आवें ।

बेचे हुए मकान की चारों सीमा

पूर	व	पश्चि	म
सडक		हरदेव माली का घर	
दक्षि	ण	उत्त	र
रामय्यश चमार का घर		गली	

मूल्य के रुपये का व्यौरा

राम सहाय ब्राह्मण अहमद नगर निवासी के पहिले ऋण के चुकाने के लिये जो दस्तावेज ३ मार्च सन् १८६८ ई० को लिखा गया जिस में मेरी जायदाद आड है। ग्राहक के पास धरोहर छोडे।

१७५)

दस्तावेज का रुपया आज की तारीख तक मूल और व्याज सहित इतना ही होता है।

रजिस्ट्री के समय रोक पाये	पूरय)
हस्ता	माक्षी

साक्षी

लिखतम २५ जनवरी सन् १६०२ स्थान अहमद नगर

यकलम अहमद यारखा बेटा मुहम्मद यार खा

टीप लेखक—

दूसरी रिहायशी जायदाद का विक्रय पत्र

मैं कि मुसम्मात सु दरिया गैराती की स्त्री जाति कठि, यारा रहने वाली काल मुहदला मामू भानजा जिला अलीगढ़ की हूँ। जोकि एक मकान कच्चा बना हुआ जिसमें भीतर की शार एक कोठा उत्तर मुहाना और उक्त कोठे के आगे एक दरादालान लकड़ी की बडी से पटा हुआ और उसके साथ चौपट बाजू और दा जोडी किबाड और ५६ गज जमीन सहित जो शहर कोल के मुहदले मामू भानजे में है। उसकी सीगा निम्न लिखित हैं।

पूर— — — — — यी पश्चि— — — — — मी

इस मकान की दोवार उसके इस मकान की दावार उसके

पश्चात् मकान मोहन लाल
राज का

पश्चात् मकान जयम
और मकान बैनीराम

दक्षिणी

उत्त

इस मकान की दीवार और
एक परनाला इस वेचे हुए
कोठे का फिर रास्ता

इस मकान का दरवा
चक्कर की सड़क

लम्बाई

चौड़ाई

उत्तर दक्षिण

पूरव

१२ गज, १८ तल्लू

८ गज

जोड़ ४६ गज

उक्त मकानको वर्तमान भूमि सहित, जिसको मेरे पति
ने १७ अप्रैल सन् १८७६ ई० के लिखे और रजिस्ट्री किये हुए
पत्र द्वारा खरीदा था पाच मास की अवधि हुई कि देवियों
पति का स्वर्गवास होगया अब मैं सुन्दरिया उसको
हूँ और उक्त मकान पर किसी साम्नी आदि के बिना
अधिकारिणी हूँ अब अपने पति के पण
बैनीराम घेटा कूढेराम जाति क
था और अपने खाने पीने के
और स्थिर बुद्धि की अवस्था
कि उसके आगे ४६॥) होते
कठियारा साकिन कोल
और उसके मूल्य का २५५

उक्त सय रुपये को काम में लाकर उक्त ग्राहक को समस्त बेची हुई वस्तु पर अपनी सट्टश स्वामी और अधिकारी बना दिया और रुपया कौड़ी २ भर पाया जो आगे को रुपया न पाने का या कम पाने का बहाना करू, तो वह भूठा समझा जावे और आज की तारीखसे उक्त ग्राहक अपने लिये इस बेची हुई वस्तु का पक्का स्वामी और पूरा अधिकारी समझे अगर किसी समय कोई मेरा सामी पैदा होकर बेची हुई चीज पर किसी प्रकार का दावा करे तो मूल्य के रुपये और न्यायालय के व्यय की मैं उत्तर दायी हू । उक्त ग्राहक से किसी प्रकार का सम्बन्ध है और न होगा यदि देनात बेची हुई वस्तु मेरे श्रुण चाहने वाले के भगडे के कारण ग्राहक के अधिकार से निकल जावे तो ग्राहक को अधिकार है कि अपने मूल्य का रुपया मेरी दूसरी जायदाद और मेरी व्यक्ति से जैसे चाहे प्राप्त करले मैं कुछ बहाना न करूगी और अब मुझको या मेरे उत्तराधिकारियों और प्रतिनिधियों को कुछ स्वत्व और अधिकार शेष नहीं रहा और एक विक्रिय पत्र उस मकान का जो १७ अप्रैल सन् १८७५ का लिखा और रजिस्ट्री किया हुआ मेरे पास था उक्त ग्राहक को सौंप दिया इस लिये यह थोड़े शब्द विक्रियपत्र की रीति से लिख दिये कि प्रमाण रहे और समय पर कामआवे ।

बकलम अजुध्याप्रसाद पुत्र बालमुकन्द जाति दूसर रहने वाला कोल मुहल्ला मियागज । लिखतम् ६ जौलाई सन् १८८३ तदनुसार आसाढ़ सुदी ५ स० १६५०

हस्ता—र गवा—ह

निशानी अगुठा सु दरिया पत्नी द० सेवाराव वट्ट कचनसिंह
 खैराती जाति कठियारा मुहल्ला कौम कठियारा सांफन काल
 माम्भानजा काल नगर महल्ला माम्भानजा

निवासी

गवा—ह

गोपाल वट्ट भमानीराम जाति कठियारा सा० मुहल्ला माम्भानजा

युवा हुए स्वामियों का ओर से पहले संरक्षक के लिये
हुए ऋण चुकाने के निमित्त

विक्रिय पत्र

हम देवकीनन्दन व शिवदयालु व तेजपाल वेदे अप्पेराम जाति वैश्य चूड़वाल अग्रवाल सिकन्दराऊ जिला अलीगढ निवासी हैं। जो एक कच्ची व पक्की नील की कोठी समस्त कोठी की सामिग्री सहित ननामी परगना व तहसील हाथरस जिला अलीगढ में निम्न लिखित सीमा बद्ध स्थित है। जिसमें आधे के सामी हम लोग है। और एक पक्का मकान डाक खाने के समीप कसबा सिकन्दरा राऊ जिला अलीगढ में स्थित है। उसमें आधे सामी हम लाग और शेष के लाला ताताराम हैं। और जो एक तिहाई भाग जमींदारी कसबा सिकन्दराराऊ महाल एक सुब्ब तहसील सिकन्दराराऊ जिला अलीगढ खाता प्लेट न० १ में स्थित है उसके आधे के हम लोग स्वामी और अधिकारी हैं। यह उपरोक्त सर्व सम्पत्ति अन्य दूसरी सम्पत्तियों सहित दो तमससुकों द्वारा लाला हरमुखराय व लाला दुलीचन्द साहुआन कस्बे हाथरस के यहा आड है। यह दोनों तमससुक हम लागों की माता तथा सा-र्टीफिकेट प्राप्त सरक्षक के लिखे हुए हैं (जब हम लोग नावालिग थे) एक तमससुक ६०००) रुपये का ११ अगस्त सन् १८८४ ई० का लिखा और रजिस्ट्री किया हुआ है और दूसरा ४५००) का ३ जनवरी का लिखा और ८ जनवरी सन् १८८५ ई० का रजिस्ट्री किया हुआ है। और सिमाय इस आड के कोठी और मकान और उपरोक्त जमींदारी अर तक समस्त परिवर्तनों से हमारे जान और समझ के अनुकूल बची हुई और पाक है चूँकि उक्त साहुओं का तफाजा उपरोक्त तमससुकों के रुपये की मध्ये अत्यन्त है और उक्त

तमस्सुक के रुपये के असल और सूदमें से कुछ रुपया हम लोगों ने चुका दिया है और कुछ रुपया उक्त साह साहियों ने छोड़ दिया है अब केवल ५०००) उपरोक्त दोनों तमस्सुकों के मध्य हम लोगों को चुकाना है और सिधाय उक्त काठी और मकान और हक्कियत के परिघर्तन करने और येचने के उक्त साहियों के ऋण चुकाने का और कोई मार्ग नहीं है। इस लिये अब ऊपर लिये हुये मकान, कोठी और हक्कियत को अपनी स्वस्थ इन्दी और स्थिर बुद्धि की अवस्था में अपनी प्रसन्नता और पुत्री के साथ ५०००) सिक्के सरकार कि बदले कि जिसके आधे २५००) होते हैं लाला हरमुखराय बल्द लाला भगत राम व लाला दुलीपचंद बल्द उक्त लाला हरमुखराय जाति बनिये अग्रवाल चंडवाल साह रहने वाले और रेईस कच्चा हाथरस जिला अलोगढ़ के हाथ समस्त अधिकार और स्वत्व धाहरी व भीतरी सहित कोठी नील व मकान और उपरोक्त जमीन्दारी जुतऊ व जुतऊभूमि व बनजर व जलकर व शोर व घरागाह मवेशियान व चाही

व साकी व वजनकशी व बागात व चाहात पक्के, कच्चे और ढाका और फलदार और वे फल वाले पेड़ और वगाही भूसा व करय और मरे हुये ढारों का चमड़ा और रास्ता व तालाब, पोचर तात्पर्य यह है कि सम्पूर्ण स्वत्व और अधिकार सहित विक्री की और बेची और मृत्यु का रुपया पूरा २ उक्त दोनों तमस्सुक वामें जिनका वर्णन ऊपर हो चुका है ग्राहकों से मुजरर और घसूल पा लिया कौडी पैसा ग्राहकों के ऊपर शेष नहीं रहा अगर काम पाने या बिलकुल न पाने रुपये का बहाना करें तो अदालत में मुनने योग्य न होगा और ग्राहकों को, विक्रिय पत्र की लिखने की तारीख से अपनी तरह से बेची हुई जायदाद का मालिक और अधिकारी बना दिया और ग्राहक अपने अधिकार ओर कब्जे में ले आये अर्थात् जो अधिकार और स्वत्व हमको प्राप्त था वह आज की ता० से

ग्राहकों की ओर, परिवर्तन हुआ अथ इस विक्रिय पत्र के लिखने के पश्चात् हमको, या हमारे उत्तराधिकारियों, या प्रतिनिधियों या हमारे दायभागियों को किसी प्रकार का यद्दाना और इन्कार शेष नहीं रहा अगर कोई हमारा साझी पैदा होकर बेची हुई जायदाद के मध्ये कुछ दावा किसी प्रकार का करे या हमने अपनी ओर से मिलकर या अलग २ सिवाय ऊपर लिखे हुए आड के कोई और परिवर्तन किया हो या बेची हुई जमींदारी किसी ऋण से गृहित हुई निकले या पूरा २ अधिकार ग्राहकों को न मिले या दारिल खारिज का सवाल महकमा माल में गुजरान कर ग्राहकों का नाम खेवट में न लिखवावें तो, ऐसी दशा में खरीदारों को अधिकार है कि कुल रुपया कीमत का अपना दिया हुआ आठ आने सैकड़ा माहवारी व्याज सहित जिस तरह चाहें हमारी व्यक्ति और जायदाद मनकूला और गैर मनकूला हमारी, से जैसे चाहें वसूल करलें अगर किसी गैर शख्स के दावा करने के कारण खरीदारों के कब्जे से जायदाद निकल जावे तो इसके जिम्मेदार हम इकार करने वाले नहीं है इस लिये ये थोड़े से शब्द चैनामे की रीति से लिख दिये कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें ।

चारों सीमा कोठी नील निनामई तहसिल हाथरस

पूर	बी	पश्चिम	मी
खेत चेता चमार		रास्ता	

दक्षिण	न	उत्त	र
खेत मन्दिर		आधादी गांव	

चारों सीमा मकान पटा हुआ चाधकरी व चौखट, बाजू, किवाड, वाकन कृष्ण सिकन्दराराऊ

पूर _____ य पश्चि _____ म

मकान कल्लू मोती _____ सडक सरकारी _____

उत्त _____ र दक्षिण _____ न

मकान मफयान लाल _____ मकान कल्लू भटियारा _____

फिर रास्ता

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

देवकी गन्दन

शिवदयाल

तेजपाल धकलम हिन्दी

साक्षी _____ साक्षी _____

लाला प्यारेलाल मुरनार ग्राम _____ गोपालसहाय वेडा हीरालाल _____

लाला तुलसीप्रसद रईस सि _____ काम बनिया साकिन सिक _____

कन्दराराऊ धकलम गुद _____ न्दराराऊ _____

हस्ताक्षर _____

मेघतीराम लैपालक वेडा लाला मिट्टनलाल अग्रवाल

चूडीवाल बिकन्दराराऊ निवासी

हस्ताक्षर _____

तोताराम वेडा लाला गुलाबराय जाति बनिया अग्रवाल

चूडीवाल सिकन्दराराऊ निवासी

भू सम्पत्ति का साधारण विक्रयपत्र

मं कि मोहनसिंह घट्ट नोलफठ जाति ठाकुर रहनेवाला जमी दार मौजा शेवा परगना कोल तहसील घ जिला अलागढ़ का हू जाकि हविक्रयन एक बोघा छु विस्वा पक्की भूमि बाग नम्बरी १०३ जमई एक रुपय ३ आना मिनजुमला पाच बोघा २ विस्वा जमई १४॥) खेयट न० १० थोक सुमेरसिंह पट्टी हीरसिंह ग्राम शेवा परगना कोल तहसील घ जिला अलीगढ़ में मेरी सीर और मेरे अग्रि कार में है और, मं उस का इस समय अधिकारी और स्वामी

ग्राहकों की ओर परिधर्तन हुआ अथ इस विक्रिय पत्र के लिखने के पश्चात् हमको या हमारे उत्तराधिकारियों या प्रतिनिधियों या हमारे दायभागियों को किसी प्रकार का बहाना और इन्कार शेष नहीं रहा अगर कोई हमारा साझी पैदा होकर बेची हुई जायदाद के मध्ये कुछ दावा किसी प्रकार का करे या हमने अपनी ओर से मिलकर या अलग २ सिवाय ऊपर लिखे हुए आड के कोई और परिधर्तन किया हो या बेची हुई जमींदारी किसी ऋण से गृहित हुई निकले या पूरा २ अधिकार ग्राहकों को न मिले या दाखिल रारिज का सवाल महकमा माल में गुजरान कर ग्राहकों का नाम खेवट में न लिखवावें तो ऐसी दशा में खरीदारों को अधिकार है कि कुल रुपया कीमत का अपना दिया हुआ आठ आने सैकड़ा माहवारी ध्याज सहित जिस तरह चाहें हमारी व्यक्ति और जायदाद मनकूला और गैर मनकूला हमारी से जैसे चाहें वसूल करलें अगर किसी गैर शख्स के दावा करने के कारण खरीदारों के कब्जे से जायदाद निकल जावे तो इसके जिम्मेदार हम इकटार करने वाले नहीं है इस लिये ये थोड़े से शब्द वैनामे की रीति से लिख दिये कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें ।

चारों सीमा कोठी नील निनामई तहसिल हाथरस

पूर	शी	पश्चिम	मी
खेत चेता चमार		रास्ता	
दक्षिण	न	उत्त	र
खेत मन्दिर		आधादी गाव	

चारों सीमा मकान पटा हुआ चावकरी व चौखट, धाजू, बिघाड, वाकन कस्बा सिकन्दराराज

पूर	य	पश्चिम	म
मकान कल्लू मोती		सडक सरकारी	
उत्तर	र	दक्षिण	न
मकान मफखम लाल		मकान कल्लू भटियारा	
फिर रास्ता			
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	
देवकी नन्दन	शिवदयाल	तेजपाल	वकलम हिन्दी
साक्षी	साक्षी		
लाला प्यारेलाल मुखनार ग्राम		गोपालसहाय घेडा हीरालाल	
लाला तुलसीप्रसद रईस सि		काम बनिया साकिन सि	
कन्दराराऊ वकलम खुद		न्दराराऊ	
हस्ताक्षर			
मेघतीराम लैपालक घेडा लाला मिट्टनलाल अग्रवाल			
चूडीवाल सि कन्दराराऊ निवासी			
हस्ताक्षर			
तोताराम घेडा लाला गुलाबराय जाति बनिया अग्रवाल			
चूडीवाल सि कन्दराराऊ निवासी			

भू सम्पत्ति का साधारण विक्रयपत्र

मैं कि मोहनसिंह वल्द नोलफठ जाति ठाकुर रहनेवाला जमीदार मोजा शेखा परगना कोल तहसील व जिला अलीगढ़ का हू जाकि हफिक्रयत एक घोघा छु बिस्वा पक्की भूमि वाग नम्बरी १०३ जमई एक रुपय ३ आना मिनजुमला पाच घोघा १ बिस्वा जमई १४॥) खेवट न० १० थोक सुमेरसिंह पट्टी हीरसिंह ग्राम शेखा परगना कोल तहसील व जिला अलीगढ़ में मेरी सीर और मेरे अधिकार में है और मैं उस का इस समय अधिकारी और स्वामी

हूँ रूपरामसिंह के भार व आड के अतिरिक्त कि जिसके
 ब्याज दिन २ चढ़ता जाता है और जिस से सारी जमींदारी
 हूँ जाने का भय है सब प्रकार के भार आड आदि से सुरक्षित
 और पवित्र है। इस लिये अब अपनी स्वस्थ इन्द्रियों और स्थिर
 बुद्धि की अवस्था में अपनी खुशी और प्रसन्नता से बिना किसी
 क दबाव या बहकाने और फुसलाने के उक्त जमीन को नीचे लिखे
 हुए बाग के पेड़ों सहित समस्त स्वत्व और अधिकार बाहर
 और भीतरी समेत जो उक्त भूमि से सम्बन्ध रखते हैं
 छ सौ रुपये (६००) चहरेदार के बदले में कि जिसके आधे (३००)
 रुपया होते हैं रूपरामसिंह घरद मोतीसिंह जाति ठाकुर रहने
 वाले मौजा चादगज परगना कोल तहसील व जिला अलीगढ़ के
 हाथ बेच डाली और अधिकार दे दिया और विक्री का रुपया
 पूरा पूरा चुकाने में तीन तमस्सुकों एक आडा मेरा लिखा
 हुआ बशमूल नाम प्रसादीसिंह व श्यामलाल प्रसिद्धि श्यामा भाई
 हकीकी बनाम मरे हुये मोतीसिंह ग्राहक के पिता के लिखा
 हुआ और रजिस्ट्री किया १७ मार्च सन् १९०३ का तादादी २००।
 और दूसरा उपरोक्त ग्राहक के नाम लिखा हुआ १८ सितम्बर सन्
 १९०७ का तादादी ४०) का और तीसरा उक्त ग्राहक के नाम ता० २०
 जौलाई सन् १९०६ मेरा लिखा हुआ तादादी ८६) का इन
 तीनों तमस्सुकों के ब्याज सहित मुजरा देकर (६००) बसूल पा लिये
 अब एक कौड़ी भी मेरी ग्राहक के नाम शेष नहीं रही अगर आगे को
 बसूल न होने या कम बसूल होने का बहाना करू तो इस दस्ता
 वेज के अनुसार नाजाइज होवे और आज की तारीख से ग्राहक
 को अपनी तरह स्वामी और अधिकारी बना दिया ग्राहक को
 चाहिये कि अपने को पक्का स्वामी और पूरा अधिकारी घेची
 हुई वस्तु का समझ कर सरकारी मालगुजारी भुगताने के पश्चात्
 हानि लाभ उठावे और हर प्रकार का अधिकार परिधर्तन और

वेचने आदि का प्राहक को प्राप्त है अथ मेरा और मेरे उत्तराधिका-
रियों और प्रतिनिधियों को किसी प्रकार का स्वत्व और अधिकार
नहीं रहा और न आगे को होगा अगर कोई मेरा सामीप्य अर्थात् पैवा
होकर बेची हुई वस्तु पर किसी प्रकार का दावा करे और उसके
दावे से समस्त या कोई अथ बेची हुई वस्तु का प्राहक के अधि-
कार और कब्जे से निकल जाये तो उसको अधिकार होगा कि
कुल रुपया विक्री का (१) सैकड़ा भासिक घ्याज सहित बेची हुई
वस्तु और मेरी व्यक्ति और हर प्रकार की मेरी दूसरी वर्तमान
सम्पत्ति और मेरे उत्तराधिकारियों की सम्पत्ति से जैसे चाहे प्राप्त
करे और दाम्निह एरिज महबमा माल में उपरोक्त प्राहक के नाम
करा दूंगा अगर न कराऊ तो उसको अधिकार होगा कि नियमा-
नुसार न्यायालय में अपने नाम दाम्निह एरिज कराने और व्यय
और हानि मुझ से प्राप्त करते किसी प्रकार का यहाना न होगा
इस लिये यह घोड़े से शब्द विक्रिय पत्र के ढग पर लिख दिये कि
प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

वृक्षा का व्यौरा

आम के पेड़	सिरस के पेड़	बहेरे के पेड़	आमले के वृक्ष
२३	८	३	३

लिखने की ता० २१ मार्च सन् १९१० ई० एकलम किशोरीहाल
पुत्र मुशी रामप्रसाद जाति कायस्थ कोल निवासी टीप क्षेत्रक
स्थान कोल अहाता दीधानी में प्रतिज्ञा करने वाले के कहने पर
लिखा गया।

दस्ता—चार गया—द गया—द
 निशानी अगूठा मोहन- नरायनसिंह पल्लु अन्दुल रजाक पल्लु
 सिंह उक्त प्रतिहाकारी गगाराम जानि ठाकुर हमीदुल्ला कौम
 साकिनमौजा शेख शेख पटवारी शेखा
 पेशा गेती निशानी अगूठा वकलम खुद

गवाह शु—द गयाह शु—द
 धारूलाल पल्लु नन्दगाम फायस्य मगलमेन घेटा नरायनसिंह
 शेखा निवासी जीधिका नौफरी पेशा जमीदारी महदपुर निवासी
 वकलम खुद

जुतऊ भू सम्पत्ति का साधारण विक्रिय पत्र

हम कि नजर हुसैन प्रसिद्ध नज़र अहमदखा पुत्र मुहम्मदखा व मुसम्मात मलूकी बेवा अताउरला व मुसम्मात हरन बेवा अन्दुल लतीफां मौजा हाल उक्त नजर अहमद खा जाति मेवाती पेशा जमीदारी साकिनान मौजा पिलखना तहसील सिकन्दरा-राऊ हफिकयतदारमौजा शेखा परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ़ के हैं ।

जोकि मौजा शेखा परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ़ में हफिकयत व जमींदारी एक विस्वा २ विस्वांसी ४ कचवासी १६ ननवासी रकवी ६३ बीघा १२ विस्वा पक्की भूमि जमई ५५) खाता खेवट न० ५ थोके जोधाराम पट्टी उक्तमसिंह में इस ब्योरे से हमारे अधिकार और स्वामत्व में है ।

२२ बीघा १२ विस्वे के आधी अर्थात् ११ बीघा ६ विस्वे हमारे स्वत्व और अधिकार में रहन से सुरक्षित है और

११ बीघे २ बिस्वे में से उसकी आधी ५ बीघा, ११ बिस्वे हकराहिनी ।

चूंकि यह हफिकयत हमारी ओर से मुसम्मात प्रजुध्याकुमरि मगलसेन की पत्नी के पास रहन है और दूसरी जगह हर प्रकार के घार आड से पाक और साफ है हमको इस समय लगान ओर आयपाशी हफिकयत मौजा पिलखना और दूसरे घरेलू खचोके लिये रूपये की आवश्यकता है इसलिये हमने अपनी स्वस्थ इन्द्रियों और स्थिर बुद्धि की अवस्थामें अपनी आवश्यकताके लिये १६ बीघे १७ बिस्वे हफिकयत रहन से सुरक्षित और हक राहिनी दोनों उग्रोक्त मौजा, शेन्ना की जमीन जुतऊ और घे जुतऊ हर प्रकार की ऊसर, बजर, जलकर यकर, खाने, कस्कर, शोरा, आगर, आवादी रास्ता, पला, पतेल, गाडर, डगरो की चरागाह, मरघट, फय-रिस्थान, कुये, घाग, फलवाले घ घेफलके वृक्ष, आवादी के घर गैर आवादी आमदनी सित्राप तुलारि, उघाई भूसा, करब इत्यादि अन्न वाच का रुपया चौकीदारी, सीर खुद, काश्त, भूमि स्वत्व त्यक्त बो, परजौट समस्त अधिकार घ शामिलीत खेवट न० १२ तादादी ३२५ बीघा १४ बिस्वा समस्त अधिकार घ स्वत्व, याहिरी घ भीतरी सब निधत आधित सहित उक्त हफिकयत को ७००) सिक्के चहरेदार के बदले में कि जिसके आधे ३५०) होते हैं महाराज श्यामलाल बेटा रामजीमल ब्राह्मण रहने वाला कस्वा जलाली तहसील कोल जिला अलीगढ़ पेशा जमींदारी और लेंन देन के हाथ बेंच डाली और समस्त रुपया बिक्री का इस प्रकार कि वास्ते अदा करने आधे मुतालवे रहन अपने हिस्से के मुतहिन हफिकयत ५ बीघा ११ बिस्वे के लिये ग्राहक के पास अमानत छोड़े १००) और रजिस्ट्री के समय नजर अहमदखा विक्रीयता कोदिये जायगे ३००) और रजिस्ट्री के समय मलुकी नाम्नी विधया अताउदलाखा, और

हरन नाम्नी विधवा अब्दुललतीफ घर्तमान पत्नी नजर अहमदसा को दिये जावेंगे ३००) अत्र एक कौड़ी विक्री के रुपये ७००) में से उक्त ग्राहक के ऊपर शेष नहीं रहा आज की तारीख से उपरोक्त ग्राहक हमारी व्यक्ति को तरह पक्का स्वामी समस्त उक्त हफिकयत हकराहिनी और रहन से बची हुई का हुआ। दाभिल खारिज मार्च सन् १९३२० फसली से नियमाऽनुकूल महकमा माल में कराते और जब चाहे तब आधा हिस्सा हमारे रहन के रुपये का जो उसके पास धरोहर छोड़ा है चुका कर सब को रहन से छुटावे। हमको और हमारे उत्तराधिकारियों को दाभिल खारिज और इन्फिकाफ (रहन छुड़ाना) के वक्त कुछ उज्र न हांगा अत्र हमारा और हमारे उत्तराधिकारियों भतिनिधियों और स्थानपन्नों का किसी प्रकार का कुछ अधिकार बेची हुई हफिकयत के मध्ये नहीं रहा और न आगे को होगा और दैवयोग से आगे को हम या कोई हमारा साक्को अशो किसी प्रकार की कफालत वा भार वाला पैदा होकर दाबा वा भगडा करे और उसके कारण से समस्त या कोई भाग बेची हुई हफिकयत का ग्राहक के अधिकार से निकल जावे उस दशा में खरीदार अपना विक्री का कुल रुपया ॥) सैकडा मासिक व्याज सहित हमारी जात खास और बेची हुई हफिकयत और दूसरी जायदाद घर्तमान और आगामी हर प्रकार हमारी से जिस तरह हो सके वसूल करे हम को कुछ उज्र न होगा हमने अपना अधिकार और वसूल सब छोड दिया और ग्राहक को कब्जा दे दिया चाहे आप खेती करावे या पट्टे पर उठावे या बटगारा करावे या बेचे तात्पर्य यह कि जैसे चाहे उस का प्रबन्ध करे हर प्रकार का बदलने और परिवर्तन करने का उस को अधिकार है और सन् १९३६ फसली तक का घकाया लगान आसामियों से लेना है उस को हम उघावेंगे खरीदार को उस के उघाने का अधिकार न

'होगा इस दस्तावेज की लिखी सब शर्तें हम पर और हमारे प्रतिनिधियों और उत्तराधिकारियों को माननीय और प्रमाणित होंगी इस लिये यह विक्रय पत्र लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे । ता० ३ अगस्त सन् १९१० ई० इतवारस्थानपिलखना ।

दस्तावेज लेखक चचलप्रसाद बट्ट ठाकुरप्रसाद कौम कायस्थ साकिन पिलखना ।

अल अ—————ब्द अलअ—————ब्द
नजर अहमदया बट्ट अताउ निशानी अगूठा हूरन इफरार
रला खा साकिन कसबा पिल करने वाली
खना वकलम सुद
हस्ताक्षर—————

निशानी अगूठा मलूकी नाम्नी प्रतिज्ञा करनेवाली

सा—————जी सा—————जी

मन्नूलाल वेटा बालमुकद नैनकुमार वेटा प्रसादीलाल
कसबा पिलखना निवासी ब्राह्मण पिलखना निवासी

हिन्दू पिता कर्ता कुटुम्बकी ओर से विक्रिय पत्र घर की आवश्यकता निमित्त

मैंकि बाबू कामता नाथ वेटा बाबू हरप्रसाद ब्राह्मण रहने वाला मुहटता त्रिपालिया शहर इलाहाबाद का हू ।

जा कि मैं प्रतिज्ञा करने वाला और मेरे दो लडके रामेश्वर नाथ और अमर नाथ नाथालिंग अधिभक्त हिन्दू कुल के मेम्बर हू । और मैं कुटुम्बका अधिष्ठाता और कर्ता हू पर मकान कच्चा घ पक्का

महल्ला मीर गज शहर इलाहाबाद न० १२ मेरी पेट्रिक सम्पत्ति है, और मैं प्रबन्धक और कर्ता परिवार रूप में उस पर बिना किसी साझी के स्वामी और अधिकारी हूँ उक्त मकान इस समय हर प्रकार के ऋण, परिवर्तन और आट आदि के बोझ भार से शुद्ध और अलग है, मेरे छोटे लड़के अमरनाथ की सगाई हो चुकी है और उस का विवाह होने का है, उक्त अमरनाथ के विवाह के व्यय और दूसरे घरेलू खर्चों के निमित्त उक्त मकान का बेचना अभीष्ट है। इस लिये इन्द्रियों के स्वस्थ और स्थिर बुद्धि की अग्रस्था में अपनी इच्छा व प्रसन्नता से बिना किसी जबर दस्ती या दबाव और रुचि दिलाने और बहकाने फुसलाने आदि के मीने नीचे लिखी सीमा वाले उक्त घर को समस्त भूमि अमला चारों ओर का दीवार और सर्व प्रकार के बाहरी व भीतरी मकान से सम्बन्ध रखने वाले स्वत्व और अधिकार के सहित किसी वस्तु या स्वत्व के छोटे बिना सब का सब नौ हजार पाचसी रुपये के बदले में कि जिसके आधे चार हजार सात सौ पचास रुपये होते हैं राधेश्याम बेटा लाला सीतल चन्द जाति वैश्य धारह सैनी महल्ला मीरगज शहर इलाहाबाद निवासी के हाथ बिक्री किया और बेचा और बेची हुई वस्तु पर ग्राहक को अपनी तरह स्वामी और अधिकारी बना दिया और अपना हर प्रकार का स्वत्व और अधिकार उठा लिया, अब मुझ बेचने वाले और मेरे उत्तराधिकारियों प्रति निधियों का कुछ स्वत्व और अधिकार बेचे हुए मकान में नहीं रहा और बिक्री का रुपया उपरोक्त ग्राहक से नीचे लिखे अनुसार प्राप्त कर लिया

३१ अक्टूबर सन् १९१८ ई०
साई की रसीद द्वारा

५००)

सबरजिस्ट्रार साहिब के
सामने रोक लेना ठहरे

६०००)

अब कोई पैसा उपरोक्त ग्राहक के ऊपर शेष नहीं रहा । अब कोई मेरा अशी साझी पेदा होकर कुछ दावा बेची हुई वस्तु पर करे तो मैं उसका उत्तर दाता हूँ । अगर किसी साझी या शरीक के दावा करने पर या मेरे स्वत्व की किसी त्रुटि के कारण समस्त मकान या उसका कोई अंश ग्राहक के अधिकार से निकल जावे, या इस प्रकार के किसी दावा करने से या किसी भार या ऋण के कारण कुछ रुपया ग्राहक का देना पड़े तो उसको अधिकार होगा कि समस्त विक्री का रुपया और व्यय और हानि जो उठानी पड़े या ठा अने मासिक सेकड़ा व्याज सहित सब बेची हुई सम्पति और मेरी व्यक्ति और मेरी दूसरी सम्पति से जिस प्रकार चाहे प्राप्त करले मैं कुछ बहाणा न करूंगा और बेची हुई वस्तु उक्त रुपये में आड समझी जावेगी इस लिये यह विक्रय पत्र लिप्य दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे ।

चारों सीमा

पूर	—	व पश्चिम	—	उत्तर	—	दक्षिण
हस्ताक्षर		साक्षी		साक्षी		
लेख तारीख स्थान		घकलम		इस विक्रिय पत्र का लेखक		

हिन्दू विधवा की ओर से विक्रय पत्र पति का ऋण उतारने के निमित्त

मैं कि जयदेवी विधवा हीरामन ब्राह्मण रहनेवाली ग्राम गानपुर परगना अनूपशहर जिला मुलन्दशहर की हूँ । जो कि मेरे पति जमींदारी मौजे अटारी तहसील अमरोहा जिला मुरादाबाद के स्वामी थे और उक्त मायदाद उनकी और म दम्नानेजु आडी २५ जून

१६१२ ई० लिखित द्वारा तीन हजार रुपये के बदले मुबारकहुसेन
 चेटा इनाइतुल्ला जाति शेष अनवरगज निवासी के पास आड चला
 आती थी, मेरे पति का मई सन् १६१७ में स्वर्ग वास हो गया,
 और वह अपने जीवन में उक्त दस्तावेज का ऋण न चुका सके अर
 उक्त ऋण की सरया ५०००) होती है, उपरोक्त सम्पत्ति की आय
 केवल ३५०) रुपया धीपिक है जो व्याज के लिये भी पर्याप्त नहीं
 होती, इस कारण उक्त जायदाद के हूत्र जाने का भय है, मेरे पति
 की सम्पत्ति में इस हकिकयत के अतिरिक्त एक रहायशी मकान
 और है जिस से कोई आमदनी नहीं होती, मुझ इकरार करनेवाली
 के लिये कोई खान पान का सहारा नहीं है, उपरोक्त जायदाद क
 कुछ भाग से पति का ऋण चुक सका है और कुछ भाग मेरे निर्वाह
 के लिये बच सका है इस लिये अपनी स्वस्थ इन्द्रिय और स्थिर
 बुद्धि की अवस्था में मैं चौथाई भाग मिनजुमला तीन विसवा १६
 विसवासी कुछ कसरअधिक हकिकयत जमींदारी खाता खेवट न० ५
 महाल परम सुख मय हकिकयत शामिलत थोक मुन्दरजा खेवट
 न० १ और शामिलत देह मुन्दरजा खेवट न० २६ वाकिश्च मौजा
 अटारी तहसील अमरोहा जिला मुरादाबाद मय तमाम हकक हकूक
 बाहिरी व भीतरी ५०००) रुपये के बदले आधे उस के दो हजार
 पांच सौ रुपये हाते है बदस्त नईमुल्ला चल्द करीमुल्ला काम
 शेख साकिन मौजा नारई तहसील अमरोहा जिला मुरादाबाद क
 बेची और विक्री का रुपया दाम दाम सारा उक्त ग्राहक से
 वास्ते अदा करने वार कफालत उक्त मुबारकहुसेन के अमानत
 छोडा उक्त जायदाद पर उक्त ग्राहक को स्वामी के सदृश अधिकार
 दे दिया आज की तारीख से मुझ को और मेरे उत्तराधिकारियों
 प्रतिनिधियों और स्थानापन्नों को कोई लगाव और सम्बन्ध बेची
 हुई वस्तु से नहीं रहा न आगे का होगा, ग्राहक को चाहिये कि
 तत्काल विक्रीका रुपया उक्त आड वालेको देकर सम्पत्तिको लुडा लेवे

और बेची हुई जायदाद पर कागजात सरकारीमें मेरी जगह अपना नाम लिखा लेवे मुझ को कुछ उज्ज न होगा उक्त जायदाद सिवाय मतालवा कफालत जिसके अदा करने के लिये रुपया खरीदार के पास अमानत छोड़ा गया है, हर प्रकार के ऋण आदि के बाहसे सुरक्षित है, और इस में कोई मेरा साझा अंश नहीं है अगर कोई पुराना ऋण बेची हुई जायदाद पर निकल आवे यदि उस के कारण और मुझ इकरार करने वाली के किसी साझा के दावेदारी से या मेरी मिलकियत के किसी पॉट से बेची हुई जायदाद का कोई भाग या सारा जायदाद खरीदार के हाथ से निकल जावे या कोई मुतालवा खरीदार को देना पड़े या और कोई हरजा उठाना पड़े ता खरीदार को अधिकार है के अपनी कीमतका रुपया हरजा और खरचा सब आठ आना सेकडा महावारी व्याज सहित मुझ से और बेची हुई जायदाद और मेरी दूसरी जायदाद से जैसे चाहे बसूलकर लेवे मुझे किसी तरहका उज्ज न होगा आजकी तारीख से २५ जून सन् १९१२ ई० के लिये हुये आडी दस्तावेज का सूद खरीदार को देना होगा अगर कफालत के रुपय के भुगतान न करने के कारण कोई भाग या सारा मुतालवा कफालत का उस हकियत पर जो बेचने के पीछे मेरी मिलकियत रही है पड़ेगा तो उस के बसूल का अधिकार हरजा और खरचा और दस्तावेज की दरसे सूद सहित उक्त खरीदार से मुझ इकरार करने वाली का प्राप्त होगा। और मुझ को यह भी अधिकार होगा कि इस येनामे की मनमूसवी कराकर हरजा और खरचा और सूद खरीदार से बसूल करू इस लिये यह येनामा लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे।

अलख—-—-द गवाहशुद । गवाहशुद तारीख मुकाम
येनामे का लेखक

उत्तराधिकारियों के साथ सम्मिलित और सहमत होकर हिन्दू विधवा का विक्रय पत्र

हम कि कमला विधवा ब्रज विहारीलाल और चमेली विधवा बनारसीदास व मुसम्मात कैलासी विधवा काशीनाथ तथा विश्वेश्वर दयाल व रामेश्वर दयाल बेटे मोहनदास जाति खत्री रहन वाले कसबे इटावे के है।

जो कि काशीनाथ, व बनारसीदास व विश्वेश्वर दयाल व रामेश्वरदयाल सगे भाई लाला श्यामसुन्दरलाल के लठके ये और दूकान आढत आदिके जिस पर श्यामसुन्दरलाल रामरतनका नाम फसवे इटावा में पडता था मालिक ये उक्त भाइयों का कुटुम्ब बटा हुआ था वह घराबर के उस दूकान में साझी थे उक्त दूकान की एक डिगरी न० ११५ सन् १८६६ अदालत सयजजी अलीगढ़ की विजयलाल वगैरह मदयूनों पर थी उक्त डिगरी के इजरा में नीचे लिखी हुई जायदाद नीलाम हुई उसको डिगरीदारों ने तारीख ८ मार्च सन् १९०७ को खरीदा उसके पश्चात् काशीनाथ का स्वर्गवास हो गया और विश्वेश्वर दयाल व रामेश्वर दयाल ने वजरिपे दस्तघरदारी रजिस्ट्री शुद्ध मुवरखे १ मई सन् १९०६ मिल कियत दूकान व जायदाद मुतअरलका से व शमूल जायदाद मजकूर बहकक ब्रज विहारीलाल काशीनाथ स्वगवासी व बनारसीदास दस्तघरदारी के से । । । लाल व बनारसीदास सन्

मुसम्मात कैलाशी काशीनाथ की विधवा है जो मुक्त इकरार करने वाली न० १ के साथ रहती और खान पान करती है।

हम इकरार करने वालीयों न० १ व २ को रुपये की अपने पतियों के ऋण चुकाने (तीर्थ यात्रा गया थाद पुत्री के विवाह आदि) के लिय आवश्यकता है और इतनी आमदनी नहीं है कि उसमें उक्त आवश्यकता पूरी हो सके और कोई मार्ग जायदाद बेचने के अतिरिक्त नहीं है।

ऊपर लिखी हुई जायदाद कसबे हाथरस में है जो इटावे से सौ मील के लगभग है, और उसमें केवल एक तिहाई हिस्सा हम इकरार करने वालीयों का है और बहुत काल से मरम्मत के गिना पड़ी हुई है, और साभे और दूरी तथा मरम्मत न हाने के कारण कोई आमदनी उस जायदाद से हम को नहीं होती, न० ४ व ५ के इकरार करने वालों का कोई हक उस जायदाद पर सन् १९०६ की दस्तखतदारी के कारण नहीं है परन्तु वे ग्राहक को विश्वास इस विषय में दिलाने के लिये विक्रिय पत्र लिखने और उसके पूरा करने में सम्मिलित होते हैं कि हम इकरार करने वाली न० १ व २ को वास्तव में आवश्यकता बेचने की है इस लिये हम समस्त इकरार करने वाले स्वस्थचित्त और स्थिर बुद्धि से उपरोक्त सम्पत्ति की जिम्का ध्यौरा नीचे लिखा है समस्त और सब प्रकार के बाहिरी और भीतरी सत्व व अधिकारों के साथ 'मुसलिग छ' हजार पांच सौ रुपये के बदले जिसके आधे तीन हजार दो सौ पचास रुपये होते हैं लाला गोरक्ष राम वेदा साह अमृतलाल कौम मंत्री साकिन व रईस हाथरस के हाथ बेचा और विक्रय किया और मूल्य का कुल रुपया पूरा पूरा उक्त ग्राहक से अपने पतियों के ऋण चुकाने के निमित्त वसूल पा लिया कौड़ी पेसा शेष नहीं रहा और बेची हुई जायदाद पर खरीदार को कब्जा दे दिया। अब हम बेचने वालों

और हमारे उत्तराधिकारियों और प्रतिनिधियों का किसी प्रकार का कोई स्वल्प बेची हुई जायदाद पर नहीं रहा न आगे को होगा, बेची हुई जायदाद हर प्रकार के ऋण आदि के बोझ के मुक्त और शुद्ध है। और इस में हम इकरार करने वालियों का कोई साझी और अंश नहीं है। यदि कोई भार किसी प्रकार का बेची हुई जायदाद पर निकले और उस कारण से या किसी साझी या अंश के दावेदारी से या और किसी प्रकार की हमारे स्वल्प की त्रुटि से समस्त जायदाद वा उसका कोई अंश उक्त खरीदार के अधिकार से निकल जावे। या कोई ऋण या भार किसी प्रकार का उसको देना पड़े तो खरीदार को अधिकार होगा। कि समस्त मूल्य धन अपना हानि और व्यय सहित जो उठे तथा आठ आना सैकड़ा मासिक व्याज समेत हम इकरार करने वालियों से तथा बेची हुई जायदाद और अन्य हमारी जायदाद से जैसे चाहे वसूल करले-इस लिये यह विक्रिय पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे।

बेची हुई जायदाद का व्यापार

(१) एक मकान कूचा पक्का मुहल्ला लखपती शहर हाथरस में स्थित नीचे लिखी उक्त मकानके दो परनाले घरसाती एक मजिला के खूरीराम के मकान के आगन में गिरते हैं और तीन रोशनदान पश्चिम की और मोतीराम सराफ के एक मजिला मकान की ओर बने हुए हैं।

पूर	घ	पश्चिम	म
बेचे हुए मकान का सदर दरवाजा फिर सडक		मकान मोतीराम सराफ	
दक्षिण	ए	उत्तर	र
मकान खूरीराम गुडिया		कूचा नाफिजा (रस्ते वाला)	

(२) एक दूकान पक्की पत्थर बाजार में नीचे की सीमा वाली,
 पूर ————— व पश्चि ————— म
 दरवाजा दूकान फिर सड़क मकान रामलाल लोहिया इस में
 सरकारी परनाला बरसाती दूत्त दो मजिला
 वेची हुई दूकान का गिरता है।
 दक्षि ————— उत्त ————— र
 दूकान राम अतार पाडे दूकान रामधनदास श्रावक

विक्री के रुपये का ब्यौरा

मुकिरा न० १ की पुत्री पार्वती । गया जगन्नाथ के आने जाने
 के विवाह निमित्त ३०००) तथा ब्रह्मभोज के निमित्त ।
 १५००)

बाबू रेवाकी असल व सूद मुतालजा दस्तावेज साधा तादादी
 २५००) लिखा हुआ मुकिर न० १ के पति का मुवरखा १३ अगस्त
 सन् १९११ का
 २०००)

हस्ताक्षर —————	हस्ताक्षर —————
दस्तख्त हिंदी मुसम्मात कमला मुकिरा	दस्तख्त चमेली इकरार करने वाली
हस्ताक्षर —————	हस्ताक्षर —————
निशानी सीधा अगुठा कैलाशी	त्रिश्वेश्वर दयाल मुकिर
हस्ताक्षर —————	
परमेश्वरी दयाल मुकिर यकलम गुरु	साक्षी
तारीख शब्द नम्बर सन् १९१३	स्थान हाथरस
यकलम न दक्षिणेश्वर वेडा ज्ञानचन्द्र ब्राह्मण	हाथरस निशानी
त्रिदिव्य पत्र लेखक —————	—————

विक्रय पत्र सार्टीफिकेट प्राप्त संरक्षिका का

ओर से

मैं कि मुसम्मन इन्द्रफुवरि पत्नी निर्मल स्वय तथा मात और सार्टीफिकेट प्राप्त सरिक्तका सम्पत्ति सुमेरसिंह पुत्र नावालिग अपने की जाति जाट साकिन व हक्कियत दार मौजा पालर परगना टप्पल तहसील खैर जिला अलीगढ की हूँ। यह कि मौजा पालर परगना टप्पल थोक धर्मसिंह बन्धरदारी राम प्रसाद नम्बरदार में हक्कियत जमीदारी सुमेरसिंह नावालिग पुत्र मेरे की १०७ बीघा पक्की भूमि जिस पर मालगुजारी सरकार १०७) रुपया है खाता खेवट न० १० की बिना किसी साझे के और मिन जुमला आठ हिस्सा १६१ बीघा ११ बिसवा पक्की भूमि खाता खेवट न० १२ की जिस की जमा शामिल खाता असली है साझे में रामप्रसाद आदि के ४ हिस्सा व मिनजुमला २ बीघा ६ बिसवा पुरत आराजी शामिल खाता न० ११ के आधी हिस्सा मय हक्क व हिस्सा मिन जुमला ६७५ बीघा पुरत आराजी शामिल खाता खेवट न० २३ की है इस में से आधी जमोदारी निर्मल सुमेर सिंह के बाप की छोड़ी हुई है। और आधी सुमेरसिंह को उस के चचा भोला से जो चे श्रीलाद मरा पहुची है और १०७ बीघा ६ बिसवा पुरत आराजी खाता न० १० खेवट की असली हक्कियत और मिन जुमला चार हिस्सा दर आठ हिस्सा १६१ बीघा ११ बिसवा पुरत आराजी खाता न० १२ खेवट के एक हिस्सा हक्कियत भोला मजकूर बमूजिय रहन नामा मुबरेखा ७ फरवरी सन् १८८७ बपवज २००, पास रामप्रसाद उद टिकम जाति जाटे साकिन व नम्बरदार मौजा मजकूर रहन दगली है। और धाकी हक्कियत पर हम

शयत मुतालवा अमल व सूद एक डिगरी अदालत मुंसिफी इवाली
 जिला अलीगढ़ न० ८६५ सन् १८६८ मुतफसला २५ मई
 १८६६ यावत जर कर्जाजिमगी उक्त भोलादादनी गजाधर घेडा
 लक्ष्मन दास कौम घाहण घालण साकिन मौजा भोजुयाका परगना
 टप्पल और नोज ३००) यावत मुतालवा जर अमल व सूद एक
 नमस्सुक आडी तादादी ४६। मुतरराः कातिथ सम्बन् १६४६
 लक्ष्मन दास के भोला पर हैं। कि जिनका सूद रोज व रोज बढ़ना
 जाता है। और नमस्न जायदाद फे ड्य जाने का भय है और
 सिधाय इसके मुक्त का २००) की आवश्यकता सर्व शदी और दूसरे
 घरेलू खर्चों उक्त सुमेरसिंह नाथालिग के है, इस लिये वासते
 मुगन न जरे करजा डिगरी व नमस्सुक व जरे रहन मजकूरों
 यांना व सर्व शदा वगैरह सुमेरसिंह नाथालिग मजकूर के मेंने
 लक्ष्मन दास व जयहण दास पिनरान देरी व कौम घालण
 साकिन मौजा भोजुयाका परगना टप्पल को आमादा
 खरोदारी तमाम हकिरयत मजकूरों भोला खालद मरहूम
 अर्थात् आधा हिस्सा मिन जुमला १०१ घोघा ६ विसवा
 पुरत आराजो खाता नम्बर १० खेवट व दो हिस्सा
 मिन जुमला चार हिस्सा आधे आठ हिस्से १६१ घोघा ११ विसव
 पुरत आराजो खाता न० १२ व बीघाई हिस्सा मिन जुमला २ घोघा
 ६ विसवा पुरत आराजो शामिलतात खाता न० ११ खेवट मअ
 हकक व हिस्सा मिन जुमले ६७। बीघे पुखन आराजो शामिलतात
 देह खाता मजकूरों थाला मौसूम व ममलूक सुमे सिंह मजकूरना
 थालिग जिसमें मेरा नाम शामिल है और अमल में सय हकिरयतका
 मालिक सुमेरसिंह है वकीमत मुतलिग १७००) के आरूढ़ कर के
 इजाजत इतिफाल हकिरयत मजकूर की अदालत साहिय जंज
 बहादुर जिला अलीगढ़ से हासिल करली, इस लिये अपनी खुशी
 व रजाम दी से आ ग हिस्सा मिन जुमला १०७ घोघा ६ विसवा

पुस्त आराजी खाता न० १० खेवट व दो हिस्सा मिन् जुमला च
 हिस्से निसफो आठ हिस्से १६१ घोघा ११ विसवा पुस्त आरा
 खाता न० १२ खेवट व चौथाई हिस्सा मिन् जुमला २घोघा ६
 सवा पुस्त; आराजी,शामिलात खाता न० ११ खेवट मजकूरा व
 हक्कियत जमोदारी मतरूका भोला लावलद मरहूम ममलूका सु
 रसिंह नावालिग मजकूर जिसमें मेरा नाम वशमूल नाम सुमेरसि
 दर्ज कागजात है मअ हक्क व हिस्सा मिन्-जुमला ६
 घोघा पुस्त आराजी खाता न० २३ खेवट मअ तमाम लवाजमा
 हक्क हुक्क दाखिली व सारिजी व आराजियात हर किस्म,ज
 व बजर व जलकर व शोर व तालाब व चाहात पुस्त व खा
 फलदार व येरुले वृत्त, आयादी, खेडा, वों, परजोट, हरवजनक
 उघाई आदि, बकोमत १७००) सिक्के सरकार कि उसके अ
 २५०) हाते, हैं वदस्त लज्जुमनदास, जेकिशनदास पिसरान देवीच
 कौम प्राहण बौहरा साकितान मौजू मौजुआ का परगना टप
 बहिस्सा बराबर वेच, डाली और बिक्री की और कौमत का रुपया प
 २ उक्त सरीदारों से नीचे लिखे अनुसार वसूल पाया कौडी पै
 बाकी नहीं रहा वसूल न होने और कम वसूल होने का उज्र भू
 होय इररार यह है कि उक्त सरीदार आज की तारीख से वे
 हुई चीज का पक्का मालिक जानकर जो हक्कीयत पास रामप्रस
 रहन है उसको रहन का रुपया अदा करके छुडाले उस पर तारी
 छुटाने से और बाका हक्कियत बेची हुई पर आज की तारीख
 मालिक और अधिकारी होकर सरकारी मालगुजारी अदा होने
 वाद लाभ, हानिके सहन करने वाले होयें अमानत का रुपया अप
 जिम्मे जानें अथ मुझको व सुमेरसिंह नावालिग पुन मेरे को कु
 दावा किसी तरह का बेची हुई चाज को प्राप्त नहीं रहा रजिस्
 क वाद, इसका दाखिल सारिज माल के महकमे से करा दूगी अग

हृदय जागता करा लेंवें इस लिये यह धैश्रवनामा लिख दिया ताकि प्रमाण रहे।

कीमत् के रुपये का व्यौरा

आधे रहन के रुपये के अदा करने के लिये जो कि आराजी पुखता १० बीघे ६ बिस्से नं० १० खेपट में है रामप्रसाद मुरतखिन के लिये खरीदारों के पास अमानत छाडे ४००)

घायत मुतालया अमल सूद कर्जा १ डिगरी अशालत मुन्सिफी हवाली न० २६५ सन् १८५५ दादनी गजाधर डिगरीदार बरद लछमन दास खरीदार मुजरा दिये ७३१॥=) ४ पा०

घायत मुतालया जरे असल सूद नर्मस्तुक तादादी ४६) मुरखिय कातिक सयत १९४६ लिखा हुआ भोला लावलद खगंवासी चचा सुमेर सिंह नावालिग का यनाम लछमन दास खरीदार को मुजरा देकर बसूल पाये ७००)

नावालिग की परवरिश के लिये, अखराजात इन्तिकाल सार्टीफिकेट दिलाने के लिये नकद लिये ६८०) ८ पा०

अथ मामने रजिस्टार रजिस्ट्री के वक्त शादी उक्त सुमेरसिंह नावालिग के लिये नकद लिये २०)

तारीख १७ अक्तूबर सन् १८६६ मिती क्वार सुदी १३

संवत् १९५६

लेखक दस्तावेज

-देवीप्रसाद बरद राधेमोहन कोम कायस्थ साकिन गौर पेशा

दस्तावेज नवोसी,

मु० गेर में लिखा गया

अल ————— वद : गवा ————— ह
 निशानो अगूठा मुसम्मात इन्दर दुर्गाप्रसाद घट्ट हरप्रसाद कौम
 फुपरि इफार करने वाली वैश्य पेशा पटवारी मौजा
 पालर पर्गना टप्पल

गवा ————— ह गवा ————— ह
 पहुकरदास वल्द गगाराम कौम धनोराम वल्द नाथूराम कौम
 ब्राह्मण पेशा लैनदैन साकिन ब्राह्मण धौहरा पेशा लैनदैन
 मौजा जट्टारी पर्गना टप्पल साकिन मौजा मौजुआ का पर्गना
 टप्पल वरत सराफी

वैनामा इस्तहकाक नालिश

हम कि हेतराम, खूबचन्द पुत्र उत्तमचन्द सरावगी साकिन काल
 जिला अलीगढ महल्ला छपीटी के हैं ।

जो कि एक फितअ दस्तावेज किस्तबन्दी तादादी २६०) तारीख
 ७ अक्टूबर सन् १८६८ ई० नविशत शिबलाल वल्द मानसिंह कौम
 बनिया वारहसैनी साकिन महल्ला बाघरीमडी शहर कोल मिल
 क्रियत हमारी है और हम को उक्त दस्तावेज के म०ये ४५) जो
 उसकी पीठ पर लिखे हुये हैं वसूल हुये हैं वाको किस्तें अभी तक
 शेष हैं और मुतालवा (अर्थ) दस्तावेज एक मुश्न होकर हिसाब
 की रकम २५१) मदयून के नाम वाको निकलते हैं उक्त मुतालावे
 (माग) के लिये मुसलिग २५०) के बदले जिसके आधे १२५) होते
 हैं लाला ज्वालाप्रसाद, डालचन्द बेंटे मानसिंह बनिये वारहसैनी
 रहने वाले मुहल्ला बाघरीमडी शहर कोल के हाथ बेचा और
 कीमत का रुपया दाम दाम खरीदारों से नीचे लिखे ब्यारे से
 घसूल पाया ।

आज की तारीख में एक तमस्तुक खरीदारों से अपने नाम लिखाया (५०)

नकद वसूल पाये । (२००)

खरीदारों को अधिकार है कि उक्त दस्तावेज का रुपया मद्यूनो से अदालत द्वारा जैसे चाहें वैसे वसूल-करें, हमको या हमारे उत्तराधिकारियों को कुछ उज्र न होगा यदि दैवात हमारे किसी कारण से उक्त रुपया खरीदारों को वसूल न होवे और हम इकरार करने वालों को मद्यून से १५) ने अधिक प्राप्त हाना सिद्ध हो तो प्राहकों को अधिकार है कि समस्त कीर्त का रुपया १) सैकड़ों माहगारी सूद हर्जा और खर्चा जो उठे उसके साथ हमारी जात और जायदार से वसूल करलें येची हुई असल दस्तावेज, एक छुडवी तादादी ०६०) मयरेख साधन बदी ६ सवत १६५२ जिसके बदले में बेचा हुआ दस्तावेज लिखा गया था खरीदारों को सौंप दी गई इस लिये यह कुछ शब्द येनामे की रीति पर लिखे गये कि प्रमाण रहे तहरीर ता० १६ अफटूबर सन् १६१२ कोल में लिखा गया ।

धकलम सैयद फजलहुसैन लेखक बट्ट सैयद हसनअली साकिन कोल ।

अल ————— ध्द अल ————— ध्द
हेतराम बट्ट उत्तमचद ध० खुद खूबचद बट्ट उत्तमचद ध० खुद
गवा ————— ह गवा ————— ह
जोराधर बट्ट गोकलचद गवा ————— ह
सराधगी साकिन कोल रेवती बट्ट कमाल सराधगी साकिन
धकलम खुद कोल महत्ता शाहपाडा पेशा दुकान-
दारी ध० खुद

जुतऊ जमीन का विक्रय पत्र

हम कि जहागीरीमल व ज्वालाप्रसाद 'पेटे' भीमसेन ब्राह्मण निवासी और जमींदार मोजा मौहरसा परगना अहार तहसील अनूपशहर जिला बुलन्दशहर के हैं।

जो कि हम इफ्तार करने वाले मोजा मौहरसा परगना अहार महाल, गौरा हटका पट्टी जहागीरीसिंह मुन्दरजा खाता खेवट न० १, तादादी ७ बिश्वासी १० ननधासी ७, कचवासी रऊवी २६ बीवा २ बिस्वा ३ बिस्वासी जमई ४७॥-१) के मालिक और हिस्सेदार हैं और हम को उक्त हक्कियत पर बेचने और बदलने आदि के सर्व प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं और उक्त हक्कियत हमारी ओर से बजरिये, दस्तावेज रहन्नामा, चिला दगली मवरख ४-दिसम्बर सन् १९०३ ई० को जिसकी रजिस्ट्री हो चुकी है पास बाबू लीलाधर वेटा महाराज चुन्नीलाल ब्राह्मण निवासी शहर-बरेली हाल रहने वाले मौहरसा परगना अहार के रहन दखली चली आती है और किसी प्रकार की बाधा या रुकावट उस हक्कियत को हमारे परिवर्तन करने में नहीं है इसलिये अत्र स्पष्ट चित्त और स्थिर बुद्धि से प्रसन्नता और इच्छा पूर्वक उक्त हक्कियत की समस्त भूमि जुतऊ और गैर जुतऊ धनजर, जलकर, शोर, कल्लर, चरागाह, गैरचरागाह, फले, बेफले आपउगे हुए वृक्ष व वागात, कुए, पक्के, कच्चे, पोखर, तालाव, खेडा, आवाद गैरआवाद, वौ परजोड तुलाई उगाही भूसा, करव आदि सारांश यह कि उक्त हक्कियतसे सम्बन्ध रखने वाली जा'कुछ चीज हैं सब के समेत तथा एक मकान छपर रखपोश मशहर मवेशी खाना मुन्दरजा खसरा सहनाई नम्बरी ५३६ मिनजुमेला घाग वारुअ मौजे मौहरसा परगना अहार ३०००) के बदले में कि आधे जिस को १५००) सिक्के चहरेदार होते हैं

चदस्त महाराज शिवदत्त बेटा नौवत एक हिस्सा, गोविन्द सहाय फल्लू पुत्र मोहनसिंह व हिस्सा बराबर एक हिस्सा रामचन्द्र, लछमन बेटे दुर्जन के व हिस्सा बराबर एक हिस्सा जाति ब्राह्मण निवासी मौजा मुहरसा पगना अहार तहसील अनूपशहर जिला बुलन्दशहर के विक्रय किये और तेचे और कीमत का रुपया पूरा २ नीचे लिखे ब्यौरे से उक्त खरीदारों से मुजरा व वसूल पा लिया कौडी पैसा हमारा ग्राहकों पर बाकी नहीं रहा, उक्त बेची हुई हविकयत पर उक्त खरीदनेवालों को अपनी तरह से कायिज और अधिकारी बना दिया और हर तरह के अधिकार दे दिये कि चाहे जिस तरह बेची हुई हविकयत से मालगुजारी सरकार श्रदा करने के पश्चात् लाभ उठावें। और कार्य में लायें इकरार यह है कि यदि कोई हमारा साझी और दाय भागी पैदा होकर बची हुई हविकयत के मध्ये दावेदार या उज़रदार होगा तो उस की जवाबदही हर तरह हम बेचने वालों के जिम्मे है मोल लेने वालों से कोई सबन्ध न होगा और बेची हुई हविकयत का दायिल सारिज नियम पूर्वक मोल लेने वालों के नाम माल में करा देंगे दायिल सारिज न कराने की दशा में मोल लेने वालों को अधिकार होगा कि अपने नाम का अमल दरामद माल के कागजों में करालें हम उसके हजें और पत्रों के देने वाले होंगे यदि देघात बेची हुई समस्त हविकयत या उसका कोई भाग किसी कारण से मोल लेने वालों के कब्जे से निकल जावे या और कोई भार किसी प्रकार का उक्त हविकयत पर नीचे व भार के अतिरिक्त निकले या हम दखल न दें या दखल देने के पश्चात् बेदखल कर दें या दखल में बाधक हों ता खरीदारों को अधिकार होगा कि अपनी कीमत का रुपया नियम पूर्वक गालिश करके हमसे और हमारी व्यक्ति से और हर प्रकार की जाय दाद मनकूला गैर मनकूला, बेची हुई और न बेची हुई वतमान और आगामी हमारी से चाहे जिस तरह २) सैकडा भासिफ व्याज सहित

घसूल करलें हमको किसी प्रकार का कोई उजर न होगा और इस दस्तावेज की शर्तें हम पर और हमारे उत्तराधिकारियों, व स्थाना पत्नों पर माननीय व प्रमाणित होंगी इस लिये यह बैनामा लिपि दिय' कि प्रमाण रहे

व्यौरा (घसूलयाधी मुबलिग ३०००) जरे समन का वास्ते चुकाने ऋण आडी दस्तावेज रजिस्ट्री ४ दिरुम्बर सन् १९०३ हमारी लिपि हुई घावू लीलाधर के नाम जिसमें बेची हुई हविकयत आड़ है। हिसाय होकर इस दस्तावेज के रुपये जो हमारे ऊपर घावू लीलाधर के निफले घइ लीलाधर को देने के लिये उक्त ग्राहकों के पास अमानत छोड कर घसूल पाये २५००) वास्ते अदाय मुतालवा एक कतअ तमस्तुक रहन नामा चिला दयली मुवरय २७ मई सन् १९०६ई० रजिस्ट्री २० मई सन् १९०६ नविशत हम मुकि रान मौसुगा घावू लीलाधर बिल मुक्ता मूल मय व्याज आज की तारीख तक खरीदारों के पास अमानत छोड कर घसूल पाये ४९५)

ता० ९ अगस्त सन् १९१० को मु० अनूप शहर में लिखा गया
वकलम भवानी प्रसाद वेटा मोहन लाल भार्गव अनूपशहर निवासी

अलअ—————व्द

अलअ—————व्द

जहागीरी मल वकलम खुद

निशानी अगूठा ज्नाला प्रसाद

गवा—————इ

गवा—————इ

रेवतीराम वरद दुर्गाप्रसाद

लीलाधर घल्द प० चुन्नी लाल

प्राक्षण साकिन मौहरसा पेशा

ब्राह्मण वारिदहाल (वर्तमान

पडिताई व खुद

निवासी) मौहरसा पेशा दुकान

दारी वकलम खुद

गवा—————इ

नन्दकिशोर वजाज मुहरसा

वकलम खुद

रहन नामा

परिभाषा, रहन, राहिन, मुरतहिन आदि ।

रहन शब्द से आशय किसी मुख्य अचल सम्पत्ति के स्वत्व परिघर्तन से है जो उस रुपये के चुकाने के विश्वास के निमित्त किया गया हो । जो वर्तमान या आगामी के ऋण रूप में दिया गया हो या जिस के देने की प्रतिज्ञा की हो या किसी प्रतिज्ञा पालन के अर्थ जिससे नकद रुपये की जिम्मेदारी पैदा हो किया गया हो ।

राहिन—इतकाल (परिघर्तन) करने वाला

मुरतहिन—जिसके पास रहन रक्खी जावे या जिसकी तरफ इन्तिकाल किया जावे

जरे रहन—वह असल मय खुद जिसके अदा के इतमीनान के लिये जायदाद कुछ दिनों तक आड की जावे

रहननामा—जिस दस्तावेज के द्वारा एक जायदाद किसी दूसरे की और इन्तिकाल की जावे रहन नामा कहलाता है

रहन सादा वा आड—जब रहन की हुई जायदाद पर दखल दिये बिना राहिन अपने आप को रहन का रुपया चुकाने का पाबन्द करे, और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिज्ञा करे कि रहन का रुपया प्रतिज्ञानुसार न चुकाने की अवस्था में मुरतहिन को अधिकार होगा कि आडी सम्पत्ति को नीलाम कराये और नीलाम के रुपये से रहन का रुपया आवश्यकताऽनुसार चुकावे । ऐसा व्यवहार आड या रहन सादा और ऐसा मुरतहिन सादा कहलाता है ।

तारीफ़ रहन वैजिल बफा—जब राहिन रहनकी हुई जायदाद को प्रत्यक्ष रूप से इन शर्तों के साथ बेचे याती इस शर्त पर कि यदि रहन का रुपया एक नियत तारीख पर अदा न किया जावे तो रहन का व्यवहार विक्री का व्यवहार हो जावेगा । या

इस शर्त पर कि रहन का रुपया ऊपर लिखे हुये व्यौरे के अनुसार अदा हो जावे तो मुआमला वै का फसख हो जायगा (टूट जायगा)

या इस शर्त पर कि रहन के रुपये अदा होने पर खरीदार जायदाद को बेचने वाले के नाम परिवर्तन कर देगा तो ऐसा रहन वैजिल बफा कहलाता है ।

और ऐसे मुआमले का मुरतहिन वैश्रविल बफादार कहलावेगा

तारीफ़ रहन दखली—(भोगबन्धक) जब राहिन जायदादे मरहूना पर मुरतहिन को काबिज कराई और इसको अधिकार दे कि रहन के रुपये अदा होत तक वह उस पर काबिज बना रहे और लगान का रुपया और मुनाफा जो उस जायदाद से पैदा हो लेता रहे और लगान के रुपये और मुनाफे को बजाइ सूद या बजाइ असल जरे रहन या कुछ हिस्से को सूद में और कुछ को असल जर रहन में महसूज करे ता यह मुआमिला रहन दखली या रहन भोगबन्धक कहलाता है ।

और ऐसा मुरतहिन, मुरतहिन दखली कहलावेगा ।

तारीफ़ रहन इंगलिशिया—जब राहिन यह इकरार करे कि किसी नियत तारीख पर रहन का रुपया अदा करदेगा और जायदाद मरहूना को कतई मुरतहिन के पास मुन्तकिल करदे मगर इस शर्त पर कि जिस वक्त जरे रहन इकरारके मुवाफिक अदा कर दिया जावे तो मुरतहिन उक्त जायदाद को फिर राहिन के

पास मुन्तकिल कर देगा तो यह मुआमिला रहन इगलिशियक कहलाता है।

(दफत्र ५८ कानून इन्तकाल जायदाद)

रहन प्रणाली

जब मूल धन जिसके अदा के लिये जायदाद आड हो एक सा रुपया या उससे अधिक हो तो उस का रहन केवल ऐसे रहन नामा रजिस्ट्री द्वारा हो सका है जिस पर रहन कराने वाले के हस्ताक्षर हों और कम से कम दो साक्षियों ने उस को प्रमाणित किया हो।

जब जिसके भुगतान के लिये जायदाद आड हुई हो एक सौ रुपये से कम हो तो (रहन साधा की दशा के अतिरिक्त) जाइज है कि उस का रहन दस्तावेज रजिस्ट्री द्वारा जिस पर हस्ताक्षर और साक्षी उपरोक्त रीति से हुई हो या जायदाद की सुपर्दगी के द्वारा हो।

(दफत्र ५९ कानून इन्तकाल जायदाद)

तात्पर्य यह है रहन नामा साधा किसी मुतालयेका हो उसकी रजिस्ट्री आवश्यक है इसके अतिरिक्त दूसरी प्रकारकी रहन सौ या सौ रुपये से अधिक मालियत की रजिस्ट्री शुदा दस्तावेज के द्वारा हो सकती है और इससे कम मालियत की रजिस्ट्री शुदा दस्तावेज के द्वारा तथा जायदाद सौपने के द्वारा भी हो सकती है।

स्टाम्प, साधा रहन की दशा में, तमस्सुक साधा के अनुसार मद १५ जमीमा १ कानून स्टाम्प के अनुसार स्टाम्प लगता है।

(परिशिष्ट) अर्थात्

दस रुपये मालियत तक =)

पचास रुपये तक 1)

सौ रुपये तक 11)

एक हजार रुपये तक फी सौ रुपया अधिक पर 11) फिर हर पांच सौ रुपया या उसके अधिक भाग पर २11)

दूसरे रहन की दशा में जब कि रहन की हुई जायदाद रहन ग्रहीता को अधिकार दिया जावे वही रसूम जो विक्रय पत्र के लिये नियत है। (देखो धाव वेञ्च)

जो रहननामे उन परिभाषाओं में जो ऊपर वर्णनकी गई हैं नहीं आते वह रहननामे असाधारण प्रतिज्ञायें कहलाते हैं। और जो रहननामे दो प्रकार के रहन नामों की प्रतिज्ञाएँ सम्मिलित हों वे रहननामे सम्मिलित कहलाते हैं। ऊपर लिखी हुई परिभाषाओं से प्रकट होगा कि साधारण तथा रहन चार प्रकार की होती है।

(१) रहन साधा में रहन की हुई सम्पत्ति पर रहन कर्ता स्वयं अधिकार रखता है। और वह सम्पत्ति रहन के रुपये के मूल और व्याज में भकफूल व आड रहती है। रहन कर्ता का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व रहन का ऋण चुकाने का होता है और उस उत्तरदायित्व को पूरा न करने की दशा में रहन ग्रहीता को अपने ऋण के भरपाने का अधिकार रहन की हुई सम्पत्ति से प्राप्त होता है।

(२) रहन दायली (भोग बन्धक) में इसके विपरीत रहन कर्ता रहन की हुई सम्पत्ति पर रहन ग्रहीता को अधिकार देता है, और रहन की हुई सम्पत्ति की आय से व्याज अथवा कुछ भाग व्याज में कुछ भाग रहन के मूल धन में अदा होता रहता है इन प्रकार की रहन में रहन कर्ता का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व रहन का रुपया चुकाने के विषय में नहीं होता न रहन ग्रहीता को रहन काल में रहने का रुपया मांगने का अधिकार होता है,

हो अगर् रहन नामे में दोगों पक्षों ने इस के विपरीति प्रतिज्ञा की हो तो लिखी जा सकती है। और उस दशा में रहन ग्रहीता को रुपया मागने का अधिकार और रहन कर्त्ता का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व दोनों हो सकते हैं। और रहन की हुई जायदाद ऋण न चुकाने की दशा में नीलाम हो सकती है। परन्तु ऐसा रहा नामा एक सम्मिलित रहन नामा कहलायेगा जिसमें रहन दखली और रहन साद दोनों की शर्तें शामिल होंगी।

(३) रहन वैउलवफा (विक्री सम रहन) में रहन की हुई जायदाद, प्रत्यक्ष में तो रहन ग्रहीता के हक्क में विक्री होती है, परन्तु उक्त विक्री किसी मुख्य प्रतिज्ञा या निश्चित व्यवहार के आश्रित होती है कि जिसको रहन कर्त्ता पूरा कर दे तो विक्री रद्द होजाती है। और अगर् प्रतिज्ञा पूरी न करे तो विक्री पूरी होजाती है। और इस परिवर्तन में सम्पत्ति परिवर्तन ग्रहीता के अधिकार और प्रबन्ध में रहती है और जो तारीख प्रतिज्ञा पूरा करने की होती है उस पर प्रतिज्ञा भंग होने की दशा में रहन ग्रहीता अधिकारी होता है कि उक्त परिवर्तन को अदालत से विक्रीयत् करा ले, इस प्रकार के रहन में कोई नीलाम की कार्यवाही नहीं होती, और रहन के रुपये के भुगतान करने की दशा में सम्पत्ति रहन कर्त्ता को वापस मिल जाती है, नहीं तो रहन ग्रहीता उसका स्वामी होजाता है।

(४) रहन इगलिशिया में पूरा परिवर्तन रहन ग्रहीता के प्रति होता है, परन्तु उस में रहनकर्त्ता अपने को किसी नियत तारीख पर रहन के रुपया चुकाने का पाबन्द करता है, और ऐसा करने की दशा में रहन ग्रहीता उस जायदाद को रहनकर्त्ता के प्रति लौटा देता है, ऐसी रहन कानून के अनुसार केवल विशेष २ दशामें और मुख्य २ कस्यों में जाइज रक्खी गई है।

साद. रहन नामे में चर्कि रहन कर्ता की व्यक्ति उत्तर दाता होती है इस लिये वास्तव में वह एक तमस्सुक होता है, जिस में तमस्सुक की शर्तों के अतिरिक्त यह शर्त अधिक होती है। कि आड सम्पत्ति भी दोनों पक्षों को प्रतिक्षा पूरा कराने की जामिन व उत्तर दाता होती है इस लिये साधा रहन की कच्ची लिपि अधिक लिपना विस्तार का कारण होगा, दस्तावेज लेखक को चाहिये कि साधारण रहन लिखने में पहले तमस्सुक का आशय दोनों पक्षों की प्रतिक्षा के अनुसार लिखे, तत्पश्चात् रहन की हुई जायदाद के मध्ये लिखे कि वह दाता के विश्वास के लिये आड की जाती है, जायदादका व्योरा लिखने में उन समस्त धारों का ध्यान रखे जो इस पुस्तक में दस्तावेज लेखक के प्रारम्भिक काम के क्रम और विक्री पत्रों के विषय में लिखी जा चुकी है रहन दरखती और विक्री सम रहन के नमूने विक्रिय पत्र के नमूने के सदृश बनाने चाहिये।

जो सूचनार्थ पहले लिखी जा चुकी हैं। दस्तावेज लेखक ध्यान रखे अधिक धारें जो इस प्रकार के दस्तावेजों में लिखी जाती हैं वे नमूने से प्रकट होंगी।

रहन इंगलिशिया साधारण तथा प्रचलित नहीं है और न हर जगह कानून द्वारा आज्ञा है। इस लिये उस का कोई नमूना नहीं लिखा गया।

साधारण रहन नामा (दृष्टि बन्धक)

मैं कि. राम अवतार वेटा भज राधे ब्राह्मण सारस्वत रहने वाला ग्राम नया घास परगना व तहसील कोल जिला अलीगढ़ का हूँ। जो कि छ सौ रुपये सिक्के चहरेदार कि उसके आधे तीन सौ रुपये होते हैं, नीचे लिखे हुए व्योरे के अनुसार, मिर्जा करीम बख्श वेटा मिर्जा रहीम बख्श जाति मुगल साकिन मोजा नया घास उप रोक के मुझ को देने हैं। प्रतिक्षा करता हूँ और लिखे देता हूँ कि

उक्त रुपये को नीचे लिखी हुई खन्दियों से उक्त (दाता) को बिना
 प्याज के चुका दूंगा और कोई सी दो खन्दी चूक जाने पर कुल
 रुपया एक साथ बारह आने सैकड़े मासिक न्याज समेत दूंगा और
 दाता के विश्वास के लिये एक पक्का मकान उक्त मौजे में, नीचे
 लिखी हुई चौदही अनुसार अपनी मिलिकियत इस दस्तावेज के
 रूपमें में आड करता हूँ, जब तक इस दस्तावेज का रुपया अदा
 न हो उसको दूसरी जगह किसी प्रकार परिवर्तन न करूँगा और
 अगर करूँ तो इस दस्तावेज के सामने वे असर होगा। इस लिये
 यह आड नामा लिख दिया कि सनद रहे।

रुपया पाने का व्यौरा

दाता के पहले बहीखाते के शेष के मध्ये हिसार समझ कर	
मुजरा दिये	३४५)
दो पैलों के मूल्य के मध्ये जो आज दाता से मोल लिये ह	१८५)
रजिस्ट्री के समय रोकडी लेना ठहरे	७०)

खन्दी का व्यौरा

वैसाख सम्बत्	१००)
कातिक सम्बत्	१००)
वैसाख सम्बत्	१००)
कातिक सम्बत्	१००)
वैसाख सम्बत्	१००)
कातिक सम्बत्	१००)

आड किये मकान की चौदही

पूर ————— पश्चिम ————— म

दरवाजा आडी मकानका फिर सडक मकान मगा तेली

दत्ति _____ ग उ _____ सर
 यापरहुसैन की पत्नी हुई जमीन इस हुकान अहमदहुसैन अचार
 ओर आड किये हुए मकान का एक
 परनात्ता घरसाती और एक सदा
 का जारी है

हस्ता _____ क्षर गवा _____ ह
 रामश्रोतार _____ गुलामरसूल वेटा हुसैनअली सा
 _____ जाति पठान पेशा नौकरी रहने
 _____ वाता नयावास बकलम खुद

गवा _____ ह गवा _____ ह
 चेदराम वेटा गगाराम कायस्थ गणेशीलाल वेटा भवानोदास
 पेशा नौकरी पटवारी नयावास ब्राह्मण पेशा पडिताई अमापुर
 ता० २४।७।१६१३ परगना व तहसील कोल जिला
 अलीगढ निवासी

(")
 स्थान नये वास में लिखा नया
 (०७) दस्तावेज ले _____ खक
 राधेलाल बलद श्यामलाल कायस्थ

(००३)

साधारण रहन नामा (दृष्टि बन्धक पत्र)

() मैं कि सालिगराम वेटा कृष्ण सहाय जाति ब्राह्मण रहने वाला
 कसबे महावन जिला मथुरा व हकिमयतदार मोजा पलोई परगना
 अकराबाद तहसील सिकन्दरह राज जिला अलीगढ

जो कि एक हजार _____ स के आ
 होते हैं जिन का व्योरा यहाँ _____

कोठी विजयगढ़ के मध्ये देने लाला तुलसी प्रसाद

व लाला दुली चन्द्र के अपने ऊपर देने स्वीकार किये ७००)

अथ ऋण लिये रोकड़ी

३०७)

पास लाला तुलसी प्रसाद पेटा लाला देवी प्रसाद साहू निवासी व रईस कसबे सिकन्दराऊ जिला अलीगढ़ मालिक कोठी ग्राम बसई से उधार लिये है। इसलिये प्रतिज्ञा करता है कि उपरोक्त रुपये ग्यारह आना सँकड़ा मासिक व्याज सहित उक्त लाला साहिय को जब मागे तब भुगतान और निश्चेष करूंगा और उपरोक्त रुपये का व्याज छ. माही की छ. माही देता रहूंगा। अगर छ. माही की छ. माही व्याज अदा न करू तो चढ़ी हुई छ. माही का व्याज मूल में सम्मिलित होकर व्याज पर व्याज उपरोक्त व्याजदर से उक्त लाला साहिय को अदा व निश्चेष करूंगा और जो रुपया दूंगा इस तमस्सुक की पीठ पर घसूल लिखा लूंगा, या दाता के हस्ताक्षर लिखित रसीद से लूंगा, बिना तमस्सुक की पीठ पर घसूल लिखाये या रसीद लेने के एक कौड़ी मुजरा न पाऊंगा, जवानी अदा करने का बहाना अनुचित होगा उक्त दाता के विश्वास के लिये, इस तमस्सुक के मूल और व्याज के बदले १ बिसवा १३ बिसवासी ६ कचवासी १३ ननवासी रकबी २५६ नीचा १५ बिसवा हफिकयत जमींदार। ग्राम पलोई परगना अकराबाद तहसील सिकन्दराऊ जिला अलीगढ़ खाता खेघट न० ३ महाल सुन्दर सिंह में स्थित है और जो समस्त ऋण आदि से मुक्त और बची हुई है आड करता है इस रुपये के मूल व व्याज के चुकाने तक दूसरी जगह किसी प्रकार कारहन धित्री, दान, पट्टा ठेका, आड आदि न करूंगा, अगर करू तो इस तमस्सुक के सामने नाजाइज़ होवे, इसलिये यह रहननामा लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे ॥

लिखने की तारीख १७ जुलाई सन् १९६३

लेखक दस्तावेज ब्रजयासी लाल कायस्थ, कंसवा सिकन्दराऊ निवासी

हस्ता	द्वारा	सा	क्षी
सालिगराम बकलम खुद		श्री कृष्ण दास बलद	जयसुख
सा	क्षी	कायस्थ पटवारी	नौरता
हर नारायण घेटा	छाजनलाल	ईसापुर बकलम खुद	
वैश्य	सिकन्दरा राऊ	निवासी	

साधारण रहननामा (दृष्टि बन्धक पत्र)

मैं कि गुलाबसिंह घेटा बदले जाति जाट पेशा जमींदारी व रोती रहनेवाला ग्राम जाखर मजरआ भान परगना हसनगढ़ तहसील इगलास जिला अलीगढ़ व जमींदार ग्राम डासौली परगना जेवर तहसील खुर्जा जिला बुलन्दशहर का हूँ।

जोकि मैंने दो हजार २०००) रुपये सिर्फके चहरेदार कि जिसके आधे एक हजार रुपये होते हैं, बजरूरत दायित्व करने मुतालवा तमस्सुक (१३००) तेरहसौ रु० इकरारी रामजीत घेटा चन्द्रसेन जाट उक्त जाखर निवासी व जयराम व रामधन व बलदेव व शिवसिंह जाति जाट रहने वाले कलाखुरी परगना जेवर के नाम लिखा हुआ और रजिस्ट्री किया हुआ ता० २२ जुलाई सन् १९०१ ई० कि जिसके मध्ये मैंने नालिश शुफा अदालत मुंसिफो खुर्जा में जयराम आदि के नाम दायर कर के डिग्री पाई और दूसरे चर्च मुकद्दमा और घरेलूके लिये पास बल्ला घेटा खुशहाली जाट रहने वाले ग्राम सलत परगना नोह जिला मथुरा व ननुर्वा घेटा रामप्रसाद व हरना रायन घेटा हरीसिंह जाति जाट रहनेवाले ग्राम डासौली परगना

जेवर से—इस व्योरे से कि बहला से ५००) ननुवा से ६००) हरनारायण से ६००) रोकड़ी उधार लिये, इस लिये प्रतिष्ठा करता हूँ और लिखे देता हूँ कि उक्त रुपये छु आनेसैकडा मासिक व्याज सहित मांगने पर बिना बहाने के उक्त दाताओं को भुगतान कर निश्चय कर दूंगा और उक्त दाताओं के विश्वास के लिये खाता खेवट न० ५ तादादी छु बिस्वः रकबी १५२बीघा जमई १६२॥=) में से तीन घटानी ३ अर्थात् दो बिसवा और खाता खेवट न० ८ तादादी ६२ बीघा १२ बिसवा पक्की भूमि में से हिस्सा रसदी आराजी हकिकयत जमींदारी मालिकी घाफिशमौजा डांसौली परमना जेवर हरीसिंह घाती कि जो मुक्तको डिगरी शुफा अदास्त तय जजी अलीगढ के द्वारा मिली हैं इस तमस्सुक के अर्थ में आड अर्थात् रहन दृष्टि बन्धक की जय तक इस तमस्सुक का सारा रुपया मूलव व्याजका निश्चयन होजाये तय तक जमींदारी आडी को कदापि किसी प्रकार परिवर्तन न करूंगा अगर करू तो नाजाराज होगा इस लिये यह तमस्सुक रहन नामा दृष्टि बन्धक लिख दिया कि प्रमाण रहे ।

तारीख २२ अगस्त सन् १९०२ स्थान खुर्जा बकलम घसीधर
घेटा खुशीलाल वैश्य खुर्जा निवासी दस्तावेज लेखक

हस्ता— दार सा— स्त्री
गुलाबसिंह मुफिर बकलम खुद अजुध्या परसाद घेटा राधेलाल
साही बिन्हा निशानी अगुठा पर जाति कायस्थ पटवारी ग्राम
माल घेटा इच्छा जाट पेशा खेती डांसौली
डांसौली निवासी

सा— स्त्री सा— स्त्री
निशाना अगुठा कल्लू घेटा टीका रामधल घेटा हेमराज ब्राह्मण
राम ब्राह्मण डांसौली निवासी रहने वाला ग्राममल परगना
पेशा खेती नोह तहसील महायन जिला
मथुरा बकलम खुद

दखली रहन नामा

हम कि जहानसिंह पुत्र व मुसम्मात जल कुवर पत्नी हर वखश व मुसम्मात भवन कुवर पत्नी पदमसिंह व खुशीराम वेडा हरनारायण स्वय व सार्थीफिकट प्राप्त सरत्तक महतावसिंह पुत्र नायालिंग दरयावसिंह स्वर्गवासी भतीजा खुद जाति जाट रहनेवाले मौजा खेडा कृष्ण परगना टप्पल तहसील खैर जिला अलीगढ के हैं।

जो कि मौजा अट्टारी परगना टप्पल तहसील खैर जिला अलीगढ में महाल व पट्टी जहानसिंह में ३५३ बीघा ५ बिस्वा पक्की भूमि जिसकी माल गुजारी २६२) खाता खेवट न० १ हकिकयत जमींदारी हमारी निम्न लिखित है।

जहानसिंह व जलकुवर व भवन कुवरि सम भाग आधी

खुशीराम व महतावसिंह नायालिंग समभाग आधी

और चूकि उक्त हकिकयत पर ऋण है और जायदाद के हूब जाने का भय है और मुक्त खुशीराम ने महतावसिंह नायालिंग के मध्ये जज साहिव से आशा प्राप्त करली है, इसलिये उक्त हकिकयत में से १७१ बीघा १२ बिसवा १० बिसवांसी नीचे लिखी हुई पक्की भूमि को हर प्रकार के बाहिरि और भीतरी स्वत्व तथा अधिकार सहित, स्वस्वचित्त तथा स्थिर बुद्धिकी अवस्थामें हमने ६ ००) २० के बदले में जिसके आधे तीन हजार रुपये होते हैं लाला गंगा प्रसाद व गोपीलाल घेडे लाला नथारामजाति वैश्य निवासी खडहा परगना टप्पल तहसील खैर जिला अलीगढ के हाथ समान भाग से नीचे लिखी हुई शर्तों के अनुसार दखली रहनकी और मूल्यका रुपया उक्त रहनदारों से नीचे लिखे हुए व्यौरे के अनुसार प्राप्तकर

लिया कोई पैसा शेष नहीं रहा अगर आगे को रुपया न पाने या कम पाने का बहाना करें तो वह झूठा समझा जायेगा, और आज की तारीख से रहन दार कच्चा और अधिकार पाकर लगान उधारे और सरकारी माल, गुजारी देकर जायदाद का लाभ व्याज की जगह लेते रहें रहन दारों को सूद का और रहन करने वालों को मुनाफे का दावा एक दूसरे से न होगा। जिस समय जेठ मास के अन्त में रहन का सय रुपया भुगतान देंगे रहन छुटा लेंगे।

(२) रहन के बीच में हम रहन कर्ता रहन ग्रहीताओं के प्रबन्ध व अधिकार में किसी प्रकार का हस्ताक्षेप न करेंगे रहनदारों को अधिकार होगा चाहे जमीन में आप खेती करें या आसामियों से करावें अगर हम भूमि के कुछ भाग में रहन ग्रहीताओं की आज्ञा से, खेती करेंगे तो उसका लगान उनको देते रहेंगे। अगर कुछ लगान रहन छुडाने के समय शेष रहेगा वह भी रहन छुडाने के समय अदा कर देंगे और उसके अदा न करने पर रहन न छूट सकेगी।

(३) जो बकाया आसामियों के ऊपर रहन छुडाने के समय तमादी शुद्ध होगी वह भी रहन के रुपये के साथ अदा की जायेगी और उसके अदा न करने पर रहन न छूटेगी।

(४) रहनदारों को अधिकार है कि रहन काल में खेती के औजारों तथा घर के चर्चा के लिये रहन की हुई जायदाद के पेड़ों की लकड़ी अपने अधिकार से लेते रहें।

(५) रहन की हुई जायदाद इस ऋण के अतिरिक्त कि जिसके चुकाने के लिये यह रहननामा लिखा जाता है और हर प्रकार के ऋण और भारसे सुरक्षित तथा निर्दोष है उसमें कोई हमारा सा

व अशी नहीं है। अगर कोई भार या ऋण आदि रहनदारों को देना पड़े-या सब या कोई भाग रहनकी हुई जायदाद का किसी साझी व अशी की दायेदारी से या किसी हमारे दूसरे कारण से रहनदारों के अधिकार से निकल जावे तो उन को अधिकार होना कि अपने रहन का रुपया हानि व व्यय और उस भार सहित जो उठाना पड़े एक रुपया सैकडा मासिक व्याज सहित हमसे और हमारी दूसरी जायदाद से प्राप्त कर लें और रहन की हुई जायदाद उस रुपये में आड समझी जावेगी।

(६) हक्कियत का दाखिल खारिज हम रहन कर्ता रहन प्रहीतों के नाम नियम पूर्वक करा देंगे। नहीं तो रहन प्रहीता अपने अधिकार से करा लें और उसका व्यय हम लोग रहन लुहाने के समय व्याज १) मासिक सैडका सहित अदा करेंगे।

(७) जो आवादीके नम्बर रहन की हुई हक्कियत के भीतर हैं। उन में रहनदारों को अधिकार है कि चाहे वह मकान बनाकर अपने काम में लावें या दूसरे लोगों को बसावें। इस लिये यह रहननामा लिख दिया कि प्रमाण रहे ॥

रहन की हुई हक्कियत का व्यौरा नम्बरों सहित

१७१ बीघ १२ बिसवा १० बिसवासी चाक़िअ मौजा अंटारी परगना टप्पल तहसील खैर जिला अलीगढ़।

नम्बरों का व्यौरा

२७५	२७६	२७७	३१८
२ बीघा ६ बि०	१ बीघा १५ बि०	१ बीघा १५ बि०	२ बीघा २ बि०
३१५	३२५	३३५	३४५
१ बीघा ११ बि०	३ बीघा	२ बीघा ३ बि०	१ बीघा ६ बि०
३४०	३४८	३५१	३६८
२ बीघा ७ बि०	१८ बिसवा	१ बीघा ५ बि०	१ बीघा ८ बि०

३६९	३७०	३७१
१ बीघा १० विसवा	१० विसवा	१० बीघा ० विसवा
३७०	३७३	३७४
१६ विसवा	१० विसवा	१८ विसवा
३७१	३७६	३७७
६ विसवा	१६ विसवा	५ विसवा
३७२	३७९	३८२
७ विसवा	४ बीघा १५ विसवा	६ विसवा
४०४	४०८	४०९
३ बीघा ३ विसवा	१ बीघा १८ विसवा	१ बीघा ८ विसवा
४१०	४११	४१२
२ बीघा	३ बीघा ४ विसवा	१५ विसवा
४१३	४१८	४१९
२ बीघा ७ विसवा	२ बीघा	३ बीघा १२ विसवा
४२३	४२६	४३०
१५ विसवा	३ बीघा ४ विसवा	१ बीघा १५ विसवा
४३०	४३१	४४०
२ बीघा ४ विसवा	१ बीघा ३ विसवा	२ विसवा
४४३	४४६	४४९
१३ विसवा	१ विसवा	१ बीघा १७ विसवा
४५१	४५२	४५३
२ बीघा ४ विसवा	२ बीघा १२ विसवा	२ बीघा १ विसवा
४५४	४५६	४७४
२ बीघा ४ वि०	२ बीघा १४ वि०	२ विसवा
४७४	४७६	४७७
२ बीघा ६ वि०	५ बीघा ११ वि०	३ बीघा
४८१	४८२	४८३
३ बीघा १ वि०	२ बीघा १ विसवा	५ बीघा ७ विसवा
४८६	४८६	४८७
२ बीघा ४ विसवा	१ बीघा १६ विसवा	१ विसवा
४८८	४८९	४९०
३ बीघा १ विसवा	२ बीघा ५ विसवा	१ बीघा ६ विसवा
	४९३	

४९८	५००	५०३
४ बीघा १२ विसवा ५०४	३ बीघा १८ ५०५	१ बीघा १८ विसवा ५०६
२ बीघा ४ विसवा ५११ कायम	३ बीघा ३ विसवा ५११	० बीघा ४ विसवा ५१२
५ बीघा ७ विसवा ५१४	३ बीघा १२ विसवा ५१२	६ बीघा १० विसवा ५१३
१		
२ बीघा १० विसवासी ५६४	१ बीघा ५ विसवा ५६६	३ बीघा १० विसवा ५६६
३ बीघा १० विसवा ५७५	१ बीघा १२ विसवा ५८० कायम	२ बीघा ३ विसवा ५९६
	३	२
२ बीघा ७ विसवा ६००	१ बीघा १ विसवा ६०३	१ बीघा ६०६
०	५	४
३ विसवा ६३३	१ बीघा ७ विसवा ६८०	४ विसवा ६८१
५	५	
१ बीघा ११ विसवा ६८६	४ विसवा	६ विसवा ६९०
		६

२ बीघा १ विसवा १० विसवासी ३ विसवा १० विसवासी
कुल जोड़ १७१ बीघा १२ विसवा १० विसवासी

मूल्य के रुपये का व्योरा

बाबत ये याकी दस्तावेज, ११ अगस्त सन् १६०५ रजिस्ट्री इकरारी हरनारायण वर्गरेह, यनाम मुहरसिंह तादादी ६००) असल य मूद इस तारीख तक अमानत छोड़ा (१५००)

वायत बेबाकी दस्तावेज मुबर्रका १६ फरवरी सन् १९०६ रजिस्ट्री शुदा इकरारी हरनारायण घग्गरह वनाम मुहरसिंह तादादी ६००) जिसका असल व सूद इस तारीख तक अमानत छोडा १०५०)

वायत बे बाकी दस्तावेज मुबर्रका ६ अगस्त सन् १९०६ ई० रजिस्ट्री शुदा नविशता जह नसिंह व खुशी राम वनाम मुहरसिंह जो व परज दस्तावेज साधिका मुबर्रका १० अक्टूबर सन् १९०५ नविशता हरबट्य व हरनारायण मूरिस नागलिंग लिखा गया तादादी ७००) जिस की माग आज की तारीख तक असल व सूद अमानत छोडा ६००)

वायत बे बाकी दस्तावेज रजिस्ट्री मुबर्रका ११ अगस्त सन् १९०५ ई० इकरारी जहानसिंह मौसूमा मुहरसिंह तादादी ८००) जिस की माग आज की तारीख तक असल व सूद सहित जोड कर अमानत छोडा १५००)

वायत बेबाकी दस्तावेज मुबर्रका १६ फरवरी सन् १९०६ रजिस्ट्री शुदा इकरारी जहानसिंह मौसूमा मुहरसिंह तादादी ६००) जिसकी माग असल व सूद आज की तारीख तक अमानत छोडा १०५०)

कुल जाड ६०००)

हस्ता—क्षर हस्ता—क्षर हस्ता—क्षर
हस्ताक्षर—गवा—ह गवाह—

लिखने की तारीख स्थान बकलम रामचन्द्र दस्तावेज लेखक

जुतऊ भूमि का दखली रहन नामा

(भोग बन्धक पत्र)

हम कि कुवर अब्दुल गफूरखा बेटा कुवर सरदारखा व मुसम्मात मुहम्मदी बेगम जोजा कुवर अब्दुलगफूर जाति राजपूत नौमुसलिम जमीदारान मौजा हरदुआ गज रहनेवाले व रईस कसबा अतरौली जिला अलीगढ के हैं ॥ जो कि मुझ इफ्तार करने वाले न० १ की ३०० बीघा = विसवा हफिकयत जमीदारी महाल गैर खास्तगारान वाकश्र मौजा हरदुआगज खाता खेवट न० १ मौसूमा फतह गढ़ी दानपत्र द्वारा अपने पिता कुवर सरदार खा साहिब से मिली है और खेवट शामिलत से सम्बन्धित न० ३ तादादी ६६०० बीघा ६ विसवा वाकिश्र हरदुआगज के १२ हिस्सों में से दो हिस्सा पैत्रिक सम्पत्ति द्वारा मुझ अब्दुल गफूर को मिली है

यह दोनों हफिकयत मेरी ओर से रहन नामा रजिस्ट्री तारीख जुलाई सन् १८६२ द्वारा होतीलाल व मांतीलाल के पास रहन दखला हुई, तत्पश्चात् मैंने उपरोक्त रहन छुड़ाने और अन्य पुरुष छुड़ान के लिये उस हफिकयत को रहन नामे भोग बन्धक तारीख १५ जून और रजिस्ट्री तारीख २८ जून सन् १९०४ द्वारा पान कुवर अब्दुल गफूर खा बेटा कुवर अब्दुलजुहूर खा जाति राजपूत नौ मुसलिम साकिन हरदुआ गज सगे भतीजे अपने के रहन दखली की । और उपरोक्त रहन प्रहीता उनपर कारिज और दखली है । इस के पीछे मुझ इफ्तार करने वाले न० १ ने उपरोक्त जायदाद का हकक राहिनी, नीचे लिखे हुए तमम्सुखों में ग्राह किया है ।

(१ तमम्सुख आडी ५५००) नारीख ५ फरवरी सन् १९०८ यनाम जालचन्द्र, मोदालाल गोविन्दराम व मन्मथन लाल ।

- (२) तमस्नुफ आडो ५०००) तारीख ८ सितम्बर सन् १९०८ वनाम
मगलसेन ।
- (३) तमस्नुफ आडो २५००) तारीख १० रजिस्ट्री १२ अगस्त सन्
१९१० वनाम रघुवर दयालु
- (४) तमस्नुफ आडो ३००००) तारीख २५ नवम्बर सन् १९१०
रजिस्ट्री ७ दिसम्बर सन् १९१० वनाम मुसम्मात मुहम्मदी
वेगम व अन्यासी वेगम ।

मुक्त अब्दुल गफूर ने कुल हफिकयत का १ सिद्दाम शामिलतात
येवट जे डफर विक्री पत्र रजिस्ट्री तारीख १७ फरवरी सन् १९१२
द्वारा मुसम्मात मुहम्मदी वेगम अपनी पत्नी के हाथ बेच दिया और
जफरधती ग्रा. अब्दुल गफूर के भतीजे का येवट शामिलतात
में १२ हिस्सों में से १ हिस्सा जफर अली ग्रा फ फर्ज में जिसकी
हजराय द्विप्री उस के मरने पर कु धर अब्दुल जहर या उस के
पिता पर जो उस का दायभागी हुआ हुई नीलाम होकर
मदखनलाल ने खरीदा और मदखनलाल ने उस को मुक्त इकरार
करने वाले न० १ को बेच दिया ।

इस प्रकार ३०० बीघा भूमि पक्की और येवट शामिलतात में से
१ सिद्दामकी मालिक मुसम्मात मुहम्मदी वेगम इकरार करनेवाली
न० २ है । और येवट शामिलतात में से दो सिद्दाम का मालिक
इकरार करने वाला न० १ है । अब हम दोनों इकरार करने वाले
उपरोक्त हफिकयत को समस्त भीतरी व बाहरी वर्तमान व
आगामी स्वर्तों सहित बिना छूटे किसो वस्तु और स्वत्व के
व्यस्य वित्त और स्थिर पुद्धि की प्रवस्था में अपनी इच्छा और
मसखनता से, अब्दुल गफूर का वाली रहन के रुपये चुकाने तथा
अपनी द्मरी आवश्यकता के लिये तीस हजार रुपये ३०००० के
बदले में जिनके आवे पन्द्रह हजार रुपये (५०००) होते हैं । लाला

रामलाल व श्यामलाल चेटे लाला किशोरीलाल जानि येश्वर, रहने वाले कोल पेशा लेन देन व तिजारत के हाथ निम्न लिखित शर्तों के हाथ दखली रहन (भोगबन्धक) करते हैं ।

(१) उपरोक्त रहन का रुपया पूरा पूरा उक्त रहन ग्रहीताओं से निम्न लिखित विवरण के अनुसार प्राप्त कर लिया ।

उपरोक्त कुघर अब्दुलशफरगा के नाम मुझ अब्दुलगफरखा मुफिर न० १ के १५ जून के लिये और २२ जून सन् १९१४ ई० के रजिस्ट्री किये हुए दखली रहननामे क रुपया चुकाने और रहन लुडाने के निमित्त ग्रहीताओं के पान्न अमानन छोटे (१५०००) एक दस्तावेज आडी रहन ता० १२ अगस्त के लिये और १६ अगस्त सन् १९१० के रजिस्ट्री किये हुए तादादी (१००००) रुपये के विक्रिय पत्र के मूल्य का रुपया चुकाने के निमित्त जो आज की तारीख में रहन ग्रहीताओं ने मुसम्मान मुहम्मदी बेगम इकरार करने वाली न० २ के हाथ रेचा है (१५०००) मुजरा लिये ।

(२) रहन के रुपयेका सूद और उपरोक्त हकियत का मुनाफा धराधर टहरा है । अर्थात् न तो रहन ग्रहीताओं का व्याज का दावा और न हम रहन करने व लों को मुनाफे का दावा होगा और रहन काल में जो लगान बढ़े उसके पाने और मालगुजारी की बढ़ती के देनदार रहन ग्रहीता होंगे रहन कर्ताओं को उससे कुछ सम्बन्ध न होगा ।

(३) १७ फरवरी सन् १९१३ के लिये व रजिस्ट्री किये विक्रिय पत्र के द्वारा मुसम्मान मुहम्मदीबेगम का दाखिल व रिज अबतक नहीं हुआ है और न ६ फरवरी सन् १९११ ई० लिखित विक्री पत्रद्वारा मुझ कुघर अब्दुलगफरगा का जफरअलीया वाली हकियतका दाखिलया रिज हुआ मुफिरान इकरार करते हैं कि कारवाई

दाखिल खारिज दोनों जुदी २ हफ्तिनयतों की निश्चयत अर्थात् पहिली रहन की हुई हफ्तिनयत और एक हिस्सा खरीदी हुई जो कि मन्सूनलाल ने मोल लिया है, दाखिल खारिज को दरखास्त देकर दाखिल खारिज उस पर करादिया जावेगा और रहन ग्रहीताओं का नाम मुरतहन और अपना नाम राहिनकी महमें दर्ज करालेंगे ऐसा न कराने की वशा में रहन ग्रहीताओं को अधिकार होगा कि वह नियमानुसार दाखिल खारिज करालें और जा कुछ एच दाखिल खारिज में हो वह रहन के रुपये का भाग होकर छ आना सैकड़ा माहवारी व्याज सहित रहन छुडाने के समय घसूल करने याग्य हागा और उसको अदा न करने पर रहन न छुडा सकेगा ।

(५) रहन काल में रहन ग्रहीताओं को अधिकार होगा कि आसामियों को वेदगल करें—लगान में घटती करावें । और दूसरे अधिकार मालिकाना हमारी तरह बतें और जो रहन काल में अधिक मुनाफा हो उस क मालिक रहन ग्रहीता होंगे हम रहन कर्त्ताओं का कुछ सम्बन्ध न होगा ।

(६) रहन काल में हम इकरार करने वाले किसी तरह पर रहन ग्रहीताओं के अधिकार को न रोकेंगे और रहन ग्रहीताओं को आसामियों की इच्छानुसार पन्के हुए खुदवाने की आवश्यकता हो तो हम रहन करने वालों से लेय घद्द भाशा प्राप्त करें ।

(७) उपरोक्त रहन के रुपये का चुकाना और रहन की हुई जायदाद का भार से निर्दोष कगना हम रहन कर्त्ताओं का कर्तव्य है । और विशेष सावधानी व विश्वासके निमित्त आजकी तारीखमें एक जमानत नामा कुजर अब्दुलवासितरा से रहन ग्रहीताओं के प्रति लिखा दिया गया है कि, वह उसका मुफक दाप करा देंगे । और रहन ग्रहीताओं को अधिकार होगा कि वह दस्तावेजों का रुपया स्वयं चुका कर रहन को हुई जायदाद के अतिरिक्त जो और

जायदाद उन दस्तावेजों में आड है उस से चुकाया हुआ खपया घसूल करे ।

(८) २५ नवम्बर की लिखी और ७ दिसम्बर सन् १९१० की रजिस्ट्री की हुई (३००००) की दस्तावेज जिस के अन्दर रहन की हुई जायदाद का भाग भी रहन है उस के मध्ये रहन कर्ताओं से उक्त रहन को हुई जायदाद का एक त्पाग पत्र आत की तारीख में लिख कर रजिस्ट्री करा दिया है । और उसका भार रहन की हुई जायदाद पर नहीं रहा ।

(९) विदित हो कि जो उपरोक्त रहन की हुई जायदाद का इतिहास हम रहन कर्ता ऊपर वर्णन कर आये हैं वेह त्यों का त्यों ठीक है और रहन की हुई जायदाद उन परिवर्तनों के अतिरिक्त जिनका वर्णन उस में है अन्य प्रकार से किन्ती दूसरी जगह परिवर्तित नहीं है । और दूसरे हर प्रकार के ऋण और भार से रहित और निर्दोष है । उसमें कोई हमारा साक्षी व अशी नहीं है । यदि हमारी जायदाद की त्रुटिके कारण या किसी साक्षी व अशी की दारे दारी से रहन की हुई जायदाद का कोई भाग अथवा समस्त सम्पत्ति रहन प्रहीताओं के अधिकार से निकल जावे । या हम रहन प्रहीता प्रतिज्ञा अनुसार पुराना ऋण न चुकावे और रहन न छुडावे जिसका चुकाना हम लोगों ने अपने ऊपर ओट लिया है अथवा किसी हमारे दूसरे भार के कारण रहन प्रहीताओं को कुछ हानि उठानी पड़े तो रहन प्रहीताओं का अविचार होगा कि रहन का खपया आठ आना सैकड़ा माहवारी व्याज सहित रहन की हुई जायदाद और हमारी व्यक्ति और अन्य प्रकार की जायदाद से घसूल करलें इस प्रकार की मुकदमेबाजी में जबाब दही और रहन प्रहीताओं के स्वत्यों की रक्षा करना हम रहन कर्ताओं का कर्तव्य होगा । और रहन प्रहीताओं को रहन की हुई जायदाद की हर प्रकार की रक्षा हमारे समान करना होगा ।

10) रहन छुडाने के समय रहन का रुपया हम रहन कर्ताओं को उस शेष लगान सहित जो काश्तकारों के ऊपर जो मीआद (अवधि) के भीतर सरकारी कागजों में हो, चुकाना होगा, और उसके बिना चुकाये रहन न छुडा सकेंगे।

11) इस रहन नामे का आरम्भ १ जुलाई सन् १९१३ से होगा और रहन की हुई जायदाद पर रहन ग्रहीताओं का अधिकार उस समय होगा जब पहले रहन ग्रहीताओं के रहन का रुपया वर्तमान रहन ग्रहीता चुका दें। उस समय अधिकार दिलाना हम इकरारियों का काम है।

12) जेट मास के अन्त में जब हम रहन कर्ता रहन का समस्त रुपया उस रुपये सहित जो कूथा बनाने आदि के मध्ये रहन ग्रहीताओं का इस रहन नामे के नियमानुसार देना हो चुकायेंगे। तब जायदाद को छुडा लेंगे। और रहन ग्रहीताओं को रहन के रुपया वापस मांगने का अधिकार किसी समय न होगा। इस लिये यह रहन नामा लिख दिया कि सनद रहे।

इस्तातल ————— र

फुवर अन्दुलगफूर या मुकिर
न० १ बकलम खुद

गवा ————— ह

मदनलाल घेटा मुन्दरलाल जाति
वैश्य पेशा नोकरी सिकन्दराराज
निवासी बकलम खुद

इस्ता ————— खर

मुहर मुसम्मात मुहम्मदी बेगम
मुकिरा न० २

गवा ————— ह

निरजालाल घेटा मिट्टलाल वैश्य
वर्तमान निवासी सिकन्दराराज
बकलम खुद

- लिखतम तारीख १६ जून सन् १९११ म्यान सिकन्दराराज
बकलम नसीमुल्ला घेटा फहीमुल्ला जाति शेख साकिन सिकन्दराराज
राज दस्तारेज खैरक

रहायशी सम्पत्ति का देखली रहननामा

मैं कि तुरसी राम बेटा खुशहाल चन्द जाति महाजन पेशा जमीदार रहने वाला कस्बा दहगवां परगना सहावर जिला एटा का है ।

जोकि सात दुकानें पक्की बाला यनों सहित सब प्रकार से बनी हुई बाजार सब्जी मण्डी कस्बे दहगवा कि जिन की चौहद्दी नीचे लिखी है मैं स्वामी और अधिकारी हूँ । और वे ३२००) के दस्तावेज ता० २१ मार्च सन् १९०६ द्वारा मेरी ओर से पास गिरधारी लाल कायस्थ इठाव निवासी के आड हैं । सिवाय इस आड के हर प्रकार के ऋण और भार से रहित और निर्दोष हैं । अब मुझ को आड का रुपया जिस पर व्याज प्रति दिन बढ़ता जाता है देने के लिये तथा अन्य ग्रह कार्य के लिये उपरोक्त दुकानों को रहन भोग बन्धक करना अभीष्ट है । इस लिये स्वस्थ चित्त और स्थिर बुद्धि की अवस्था में उपरोक्त सात दुकानो को सब प्रकार के बाहिरी और भीतरी स्वत्व और अधिकारों सहित ५०००) रुपये के बदले में जिसके आधे २५००) होते हैं बलीमुहम्मद बेटा अली मुहम्मद जाति शेख पेशा तिजारत के पास रहन देखली की है । और रहन का रुपया पूरा २ उक्त रहन दार से निम्न लिखित व्यौरे से वसूल पाकर रहन की हुई जायदाद पर अपने समान रहन ग्रहीता को स्वामी और अधिकारी कर दिया । रहन की शर्तें निम्न लिखित ठहराईं ।

१-रहन के रुपये का सूद और रहन की हुई जायदाद का मुनाफा बराबर ठहरा रहनकालमें रहनग्रहीता को व्याजका दावा और मुझ रहन कर्ता को मुनाफे का दावा एक दूसरे पर न होगा ।

२-रहन की अवधि आठ साल की ठहरी इस बीच में न मुक्त रहनकर्ता को रहन छुडाने का अधिकार हागा और न रहन प्रहीता को रहन का रुपया मागने का अधिकार हागा ।

३-आठ साल की अवधि बीत जाने पर मुक्त रहन कर्ता को अधिकार हागा कि जब रहन का रुपया भुगतता टू रहा की हुई जायदाद को छुडाले ऐसे ही अवधि बीत जाने पर रहनदार को अधिकार वसूल करने रहन के रुपये का मुक्त रहन कर्ता की व्यक्ति (जात) तथा रहन की हुई जायदाद से नोताम की कार्यवाही द्वारा प्राप्त हागा ।

४-साधारण तिपाईं रिहसाईं और छत्त पर मट्टी डालना रहनदार के जिम्मे है और दूसरी मरम्मत टूट फूट तथा फडी किराड आदि की मुक्त रहन कर्ता के जिम्मे है अगर तारीख सूचना देनेसे एक मासके भीतर में रहनकर्ता मरम्मत टूट फूटकी न कराऊ तो रहनदार को आधा है कि वह अपने अधिकार से मरम्मत करा लेवे और जो कुछ व्यय उसमें पड़े वह मुक्त रहन कर्ता न माग ले न देने की दशा में वह रुपया रहन का भाग समझा जायगा और रहन छुटाने के समय ॥) सैकडा माहगारी व्याज सहित उसका अदा करना आवश्यक हागा और बिना उसके अदा किये रहन न छुट सकेगी और हिसाब इस प्रकार के खच का बना कर रहन कर्ता के पास भेजना रहनदार का काम हागा ।

५-उपरोक्त आड के अतिरिक्त जिसके भुगतान के लिए रहनदार के पास रुपया छोडा गया है और अगर कोई भार रहन की हुई जायदाद पर निकले और उसके कारण से या किसी साझी व अग्री के दावा करने या किसी मेरे स्वतंत्र की छुट्टि के कारण रहन की हुई जायदाद या उसका कोई भाग रहनदार क कब्जे से निकल जाय या कोई रुपया रहनदार का देना पड़े या उनका कोई और

हानि उठानी पड़े तो रहन दार को अधिकार होगा कि रहन का रुपया अपना व्यय और हानि तथा व्याज सहित मुक्त राहिन की हर प्रकार की जायदाद से वसूल कर लेवे और रहन की हुई जायदाद उस रुपये में, आड समझी जावेगी इस लिये यह रहन नामा दखली लिख दिया कि सनद रहे।

रुपया पाने का व्योरा

वास्ते वेवाकी असल द सूद मुतालया दस्नावेज आड नविष्ता मुफिर मौसूमा गिरधारीलाल कायस्थ तादादी ३२००) मुवरतः २१ मार्च सन् १९०७ पास मुरतहिन अमानत छोडे ४२७५) नकद घक्त रजिस्ट्री लेने ठहरे ७२५)

चोहद्दी ७ दुकान रहन की हुई एक दूसरे से मिली हुई स्थित बाजार सब्जी मंडी कस्ये दहगवा।

पूरव	पच्छिम	उत्तर	दक्खिन
अल—	द गवा	ह गवाहयु	द गवाहयु—
तहरीर	तारीग	मुकाम	चकलम
			कातिय

जुतऊ जायदाद का दखली रहननामा

मे कि सासेराम वेटा सीताराम जाति जाट साकिन व जमी दार मौजा बाजौता परगना टप्पल तहसील खैर जिला अलीगढ का ह जो कि मौजा बाजौता परगना टप्पल थोक कल्लू ब्राह्मण व नम्बरदारी साहबराम नम्बरदारमें मिनजुमला २३१ बीघा १ विस्वा आराजी जमई १९४३)॥ माल गुजारी मुन्दरजा खातां न० ७ खेवट के आठवा हिस्सा जमीदारी मेरी बिना किसी साझी के है और उपरोक्त जमीदारी से सम्बन्धित रसदी हिस्सा मिनजुमले ६२ बीघे ७ विस्वे पुरता आराजी शामिलत मुन्दर्जे खाते खेवट न० ८ और

रसदो हिस्सा आराज़ी शामिलतात थोक कल्लू ब्राह्मण का है। इस कुल जमींदारी का मैं इस समय तक स्वामी और अधिकारी हूँ। अपने ऊपर का ऋण चुकाने के लिये उपरोक्त जमींदारी का दाँतिहाई हिस्सा अर्थात् थारहवा हिस्सा मिनजुमले २३१ बीघे १ विस्वे पुख्ता आराज़ी मुदर्जा खाता खेवट न० ७ मअ रसदो हिस्सा मिन जुमल ३२ बीघे १७ तिसरे पुख्ता आराज़ी शामिलतात मुन्दर्जा खाते खेवट न० ८ व रसदो हिस्सा आराज़ी शामिलतात थोक कल्लू ब्राह्मण सब प्रकार के बाहिरि और भीतरी व सम्बन्धित स्वत्व और अधिकारों सहित मुवलिंग ३००) रुपये सिफके सरकार के बदले कि जिस के आधे १५०) रुपये होते हैं पास राम दयालु व त्रिहारो लाल व किशोरी लाल बेटे टोडर मल वैश्य रहने वाले मौजे पिलोरा परगना खुर्जा जिला बुलन्द शहर समान भाग आधा हिस्सा, व सीताराम व तिरया राम बेटे नेतराम जाति धनिये रहने वाले मौजा भोर परगना टण्पल तहसील खेर जिला अलीगढ समान भाग आधा हिस्सा रहन दराली मुजरई ७ साल की मीथाद से की और गिरवी रफ्तगी, रहन का हपया पूरा २ उक्त मुरतहनों से नीचे लिखे हुए अनुसार वसूल पाया कोई कौड़ी पैसा याकी नहीं रहा, वसूल न होने और कम वसूल होने का बहाना भूठा होवे। इकारार और शर्त रहन यह है कि उक्त मुरतहि आज की तारीख से रहन की हुई आराज़ी पर काबिज़ और दखील होकर सरकारी माल गुजारी अदा करने के पश्चात् जो कुछ बचे असल व सूद जर रहन में लेते रहें और सात साल की अवधि बीतने पर रहन की हुई आराज़ी को अपने कब्ज व दखल से निकाल कर मुभराहिन क फज्जे में दे दें अत्र तक जो आराज़ी रहन में लकड़ी मौजूद है उसको मैं राहिन काट लूंगा और रहन की अवधि में जो लकड़ी आगे की पदा होगी उसके काटने व

दग्वली रहननामा (भोग बन्धक पत्र)

मैंकि पैमराज पुत्र नार्थूराम ब्राह्मण चौहरा निवासी तथा जमीदार ग्राम समराऊ परगना व तहसील जलेशर जिला एटा का हूँ जोकि दो बिसये की एक तिहाई जमींदारी का जो चार बिसवेकी पट्टी पैमराज महाल १६ बिसवा मौजा समराऊ परगना व तहसील जलेशर जिला एटा में है मे स्वामी और अधिकारी हूँ और अब कानूनी बटवारे द्वारा महाल पैमराज खेत न० १ मौजा समराऊ परगना व तहसील जलेशर जिला एटा के कागजों में उस का लेख—१३ बिसवासी १६ कचवासी १३ तनवासी तादादी ५६ एकड़ २२ डिस्मिल जमई ६३=) हुआ है यह जमींदारी मेरे लिये आड़नामे रजिस्ट्री ता० २२ अगस्त सन् १८६७ तादादी १२२०) के द्वारा प० कृष्णलाल ब्राह्मण और लोलाधर चौहरे के पास आड चली आती है और प्रति दिन व्याज बढ़ता चला जाता है।

इस लिये मैं स्वस्थ चित्त और स्थिर बुद्धि की अवस्था में उपरोक्त सम्पूर्ण जमींदारी १३ बिसवासी १६ कचवासी १३ तनवासी जुतऊ व वे जुतऊ भूमि और फलदार और वे फलवाले वृक्ष बाग फरवे व पक्के कूप, तालाब, नदी नाले, पोपर, भील, डहर जल कर, वनकर, चौ परजौट, बखान, जंगल ढाका, ऊसर, बजर, पशु चारनभूमि, गाडर-पूला सौंफ व आबादी, व आमदनी सिवाय व सायर व हिस्सा आमदनी ठेका नगला भगवानपुर और ३ एकड़ ६ डिस्मिल भूमि अपनी जात, और सब प्रकार के बाहिरि, भीतरी बतमान और आगामी स्वत्व और अधिकारी समेत २७००) रुपये सिफने सरकार के बदल में कि जिसके आये १३५०) रु० होते ह— पास प० कृष्णलाल व प० ज्वालाशकरसहाय व प० शम्भूनाथ पुत्र प० द्वारिकाप्रसाद जाति ब्राह्मण गाड रहने वाले कसे जले-

सर जिला एटा के नौ आना सैकडा माहवारी ध्याज पर भोग बन्धक (रहन दखली) करदी और गिरवी रफती, और रहन का रुपया पूरा व कुल नीचे लिखे निवरण अनुसार पालिया, और रहन की हुई, जमीदारी पर उक्त पडितों का अधिकार और दखल करा दिया और निम्न लिखित नियम उभय पक्ष में ठहरे।

(१) रहन ग्रहीता हकियत पर स्वामी और अधिकारी रह कर सब प्रकार की आमदनी वसूल करें। और सरकारी मालगुजारी और वसूल का खर्च काट कर जो कुछ बचे उसको पहले ध्याज में फिर मूल में मुजरा दें।

(२) रहन ग्रहीताओं को समस्त अधिकार लगान उधाने, लगान नियत करने और बकाया व वेदखली को नालिश करने और लगान बढाने, कुर्की खुद इस्तियारी आदि के प्राप्त होंगे। मुक्तको और मेरे दायभागियों को रहन काल में कुछ अधिकार न होगा।

(३) रहन ग्रहीताओं को खेती के औजारों के लिये वृत्तों की लकड़ी काटने का अधिकार प्राप्त होगा। उसके मध्ये मेरा कोई दावा किसी समय या रहन छुडाने के समय न होगा।

(४) इस महाल में ५ एकड १४ डिसमिल आराजी जमई धारह रुपये चौदह आना सालाना खेवट न० २ मेरे लडके छीतर मल के नाम है। और यह मालगुजारी वह जो खेवट न० २ का मालिक है अदा करता रहा है। सो आगे को भी इसी तरह अदा करता रहेगा। अगर किसी कारण से यह मालगुजारी रहन ग्रहीताओं को देनी पड़े तो रहन ग्रहीता उसको १) सैकडा माहवारी ध्याज सहित खेवट न० २ के मालिक से वसूल करेंगे। जो उससे वसूल न हो तो वह मालगुजारी नौ आना सैकडा माहवारी दर

जमेत रहन के रुपये में बढ़ती रहेगी और उसको में इकरार करने वाला रहन के रुपये के साथ रहन दारोंको अदा करू गा ।

(५) ३ एकड ६ डिसमिल आराजी खुद काशत मुक्त इकरा करने वाली की है, जिसकी कबूलित मने ३६) सालाना लगान की रहन दारों के नाम २ साल के लिये लिख दी है। यह लगान का रुपया बिना किसी घटाने और टाल के में रहन दारों को अदा करू गा। जो अदा न करू तो रहन ग्रहीताओं को अधिकार है कि मुक्तको नियमाऽनुकूल दफे ५६ कानून लगान की इजराय डिग्री द्वारा घेदखल करादे। और लगान का रुपया अपना मुक्त से वसूल करें।

(६) रहन की मीआद गुजर जाने पर कुल रहन का रुपया तथा उपरोक्त मर्हों का रुपया यदि कुछ हो और जितनी बाकी आसामियों पर हो, यह सब जब जेठ मास में खाली खेत पर एक साथ अदा करू गा तब रहन की हुई वस्तु को रहन से छुडा लूंगा। रहन का रुपया अदा किये बिना मुक्त को या मेरे दाय भागियों को रहन छुडाने का अधिकार किसी अवस्था में न होगा।

(७) उपरोक्त जमीदारी ऊपर लिखे हुए दस्तावेज में आड है और उसका भार पूर्व का है, इस लिये रहन ग्रहीताओं को पूर्व भार के समस्त स्वत्व और अधिकार प्राप्त रहेंगे। और दूसरे मनुष्यों के सम्मुख उनको सब प्रकार विशेषता रहेगी।

(८) रहन ग्रहीताओं को अधिकार होगा कि दो साल की मीआद गुजर जाने पर या जिस समय उचित समझें अपने कुल रुपये की व्याज आदि सहित नालिश दाइर करके रहन की हुई जायदाद के नीलाम द्वारा कुल ऋण अपना वसूल करें या।

रहन को उसी प्रकार स्थिर रखें। इस कुल भार में उपरोक्त जायदाद आड और मानी रहेगी।

(६) इस दस्तावेज की रजिस्ट्री कराकर दाखिल खारिज महकमे माल में रहन ग्रहीताओं के नाम का करादूंगा। यदि कोई घहाना या टाल करू तो जो कुत्रु हानि और व्यय रहन ग्रहीताओं का होगा वह सब मेरे ऊपर है।

(१०) इस दस्तावेज के भार के सन्मुख और कोई पूर्व भार या ऋण नहीं है। यदि रहन ग्रहीताओं को कोई ऐसा भार चुकाना पड़े या मुक्त रहन कर्त्ता के स्वत्व की त्रुटि से कुल रहन की हुई वस्तु अथवा उसका कोई भाग उनके अधिकार से निकल जावे या कोई व्यय उनको सहन करना पड़े तो रहनदारोंको अधिकारी होगा कि अपना कुल रुपया रहन की हुई वस्तु व मुक्त रहनकर्त्ता की व्यक्ति और मेरी हर प्रकार की दूसरी सम्पत्ति से पूर्व भार के रूप में घसूल करें या अन्य उपाय काम में लावें। इस लिये यह रहन नामा लिख दिया कि सनद रहे।

घासिते चुकाने रुपया दस्तावेज २२ अगस्त रजिस्ट्री ३१ अगस्त सन् १८६७ जो चौहरे लीलाधर बेट चौहरे सदासुख जलेसर निवासी के देने हैं रहन ग्रहीताओं के पास छोडे (१४६६) मध्वे दस्तावेज २२ अगस्त रजिस्ट्री ३१ अगस्त सन् १८६७ के मध्ये देने प० कृष्णलाल रहनदार के पहली अदायगी काट कर अब मुजरा दिये (१२५१)

तारीख २ सितम्बर सन् १६०६ को मग्गामल बेटा नाथूराम जाति वैश्य अगरवाँल जलेसर निवासी लेखक दस्तावेज ने लिखा
हस्ता _____ क्षर सा _____ क्षी
सा _____ क्षी सा _____ क्षी

रहननाम दरूली (भोग बन्धक) जमींदारी

हम कि चिरजीलाल व अमृत लाल येद्रे लाला सन्तलाल के वयम् । और अपने सगे नायालिंग भाइयों मोहन लाल व बिहारी लाल येद्रे उपरोक्त लाला सन्तलाल के सरसक, व हैसिय मनेजर । कर्ना गानदान जाति वैश्य अगूषाल चूड़वाल रहने वाले दिल्ली चार्ड डोरा कस्बा गुर्जा जिला मुल्तानशहर के हैं ।

जो कि लाला सन्तलाल कुटुम्ब के पुण्या के अधिकार में त्रिक सम्पत्ति थी, उसके सिवाय वह अनाज का व्यापार और आदत गुर्जे की मडी में बहुत काल से करने थे । व्यापार और जमींदारी की आमदनी से उन्होंने पैसिक सम्पत्ति के अतिरिक्त शिथिल रदायशी जायदाद मोल लेकर बनाई । जीवन के अन्तिम काल में व्यापार की हानि के कारण उनके ऊपर लगभग पाच हजार रुपये का ऋण हो गया था जिसको वह अदा न कर सके । और १७ फरवरी सन् १९१३ को उन का स्वर्गवास हो गया । हम विज्ञा करने वालों ने एक ऋण चुकाने के निमित्त २६७ बीघे (बिसबे पक्की भूमि जमई ३५२) हफिकयत जमींदारी खाता गेट न० २ चाकिश्र मौजा नहरई परगना खुर्जा और चौदत्तर ७४ बीघा आठ बिस्वा पक्की भूमि जमई १८१) खाता खेपट न० ५ आकथ मौजा गढ़ो कन्धारी परगना हाथरस जिला अलीगढ़ पास गला छेदा लाल येद्रे बसीधर जाति मुनार रहने वाले मुहत्ता जयायी कसबे हाथरस छ हजार ६०००) रुपये के बदले १६ जून सन् १९१५ लिखित दस्तावेज द्वारा आड की और कुल ऋण चुका देया पूँजी न होने के कारण व्यापार तथा आदत का काम अहुन कम हो गया है । जिसके कारण से कुटुम्ब पालन में कठिनाई आइती है । और कारवार के लिये रुपये की आवश्यकता है,

इस के अतिरिक्त बोयी चम्पादेवी हमारी वहन का विवाह पित्रले फाटगुण में हुआ था और उसके निमित्त रक्क के द्वारा ऋण लेना पडा उस का चुकाना आवश्यक है, आडी दस्तावेज की ब्याज दर १) सैकडा मासिक है, और प्रत्यक्ष में कोई ढग ऋण चुकान का नहीं है इस लिये पैत्रिक सम्पत्ति के डूब जाने की शका है। इस बात का ध्यान करके हम प्रतिज्ञा कर्ताओं ने आडी हनिकयत को रहन मुजरई करने की इच्छा की है। जिस स सुगमता के साथ हौले २ ऋण अदा हो जावे। और पैत्रिक सम्पत्ति सुरक्षित रहे इसलिये स्वस्थ चित्त और स्थिर बुद्धि की अवस्था में हमने स्वयम् और अपने नाथालिग भाइयों के सरक्षक और अविभक्त कुल के कर्ता की हैसियत से उपरोक्त जायदाद जमोदारी को बिना किसी स्वत्व व वस्तु के छोडने के समस्त स्वत्व व अधिकार भीतरी व बाहिरी सहित नौ हजार ६०००) रुपये सिर्फक सरकार के बदले कि जिसके आधे चार हजार पाच सौ ४५००) रुपये होते हैं ना आना सैकडा मासिक ब्याज दर से उपरोक्त दाता लाला छेदालाल वेडा वसीधर जाति सुनार रहने वाले मुहल्ला नजयार्ई कस्या हाथरस के पास निम्न लिखित शर्तों अनुसार रहन दखली 'मुजरई' की ओर गिरवी रक्खी।

(न० १) यह कि कुल रहनका रुपया, निम्न लिखित जमीमा (अ) के ध्यारे के अनुकूल उपरोक्त रहन ग्रहीता से वसूल पा लिया, एक कौडी उस के ऊपर शेष नहीं रहा, आगे कम पाने या कुल न पाने का बहाना हमारी ओर से या हमारे दायभागियों प्रतिनिधियों व स्थानापानों की ओर से भूडा और सुनने के अयोग्य, होगा।

(न० २) — यह कि रहन की हुई जायदाद पर इस दस्तावेज के नीचे लिखे जमीमा (ब) के अनुकूल, उपरोक्त रहन ग्रहीता को अपने समान स्वामी और अधिकारी करा दिया। रहन की स्थिति

तक हम रहन कर्ता किसी प्रकार का हस्ताक्षेप उक्त रहन ग्रहीता और उस के दायभागियों, स्थाना पन्नों और प्रतिनिधियों के स्वत्व व अधिकार में न करेंगे।

(न० ३)—यह कि उक्त रहन ग्रहीता का नाम कागजात माल में दरखास्त देकर रहन ग्रहीता रूप में लिखा देंगे। और ऐसा न करने की दशा में रहन ग्रहीता का अधिकार होगा कि वह अपना दाखिल खारिज स्वयम् करा ले। और जो कुछ दाखिल खारिज में खच पड़े वह रहन के रुपये का भाग होगा और नौ आना सैकड़ा मासिक व्याज दर से रहन के रुपये के साथ और सम्मिलित चुकाना होगा।

(न० ४)—यह कि रहन काल में उक्त रहन ग्रहीता स्वामी व अधिकारी रह कर हर प्रकार की आमदनी रहन की हुई जायदाद की उचावे और उससे पहले माल गुजारी तथा दूसरा रुपया सरकारी देने योग्य अगर कोई हो अदा करे और बाद मिनहाई (काटने) खर्च तहसील व तशखीस और खर्च गाव के जो खच रहे उसको प्रथम व्याज में तत्पश्चात् मूल धन में मुजरा दे।

(न० ५) यह कि माल गुजारीकी घटोतरी बढ़ोतरी हम इफरार करने वालों के जिम्मे हैं रहन ग्रहीता को हिसाब में वह रुपया मुजरा दिया जावेगा जो वास्तव में वह अदा करे।

(न० ६)—यह कि हिसाब आमदनी व व्याज का उभय पक्ष के बीच में सालाना हुआ करेगा। और रहन के रुपये का व्याज और रहन की हुई जायदाद की आमदनी भी सालाना मुजरा की जाया करेगी रहन ग्रहीता का कतव्य होगा कि वह उस की नफल हर साल १ अगस्त को रहन कर्ताओं के पास भेज देवे।

(न० ७) यह कि रहन काल में रहन ग्रहीता को अधिकार होगा कि आसामियों को ये दखल करे इजाफा (वृद्धि) या तगलीस लगान कराये और हमारे समान स्वामियों के से दूसरे अधिकार काम में लावे। जो वृद्धि लगान में होगी उसके स्वत्वाधिकारी हम रहन कर्ता होंगे। जो रच रहन ग्रहीता का लगान बढ़ाने में पड़ेगा वह रहन के रुपये का भाग समझा जाकर उसके साथ व शामिल उक्त दर के व्याज सहित हिसाब में शामिल होगा और हम रहनकर्ता उस के देनदार होंगे।

(न० ८) यह कि रहन काल में रहन गृहीता को अधिकार होगा कि वह विविध वृक्षों की सूखी व गीली लकड़ी खेती के ओजारों के लिये कटवा लेवे। परन्तु उसको लकड़ी बेचने और किसी याग की कटवाने का अधिकार न होगा।

(न० ९) यह कि रहनकी हुई जायदाद सिवाय आडके भार के कि जिस के भुगतान के लिये रहन गृहीता के पास रुपया अमानत छोड़ा है अन्य हर प्रकार के ऋण और भार से रहित व निर्दोष है। और नउसमें कोई साझी व अशी हमारा है। अगर किसी पूर्व भार या ऋण के या किसी साझी व अशी के दावा करने से अथवा हम रहन कर्ताओं की जायदाद की किसी चुट्टि के कारण कुल या कोई भाग रहन की हुई जायदाद का रहन ग्रहीता के अधिकार से निकल जावे। या कोई रुपया या भार अन्य प्रकार का हमारे कारण रहन ग्रहीता को चुकाना पड़े तो उस को अधिकार होगा कि अपनी रहन का रुपया और अ य दूसरा अदाकिया हुआ रुपया नौ आना सैकड़ा मासिक व्याज सहित रहन की हुई जायदाद और हमारी व्यक्ति तथा दूसरी हर प्रकार की हमारी जायदाद से वसूल करे और रहनकी हुई जायदाद उस रुपये में आड समझी जायेगी।

। (१०) यह कि रहन काल में हम रहन कर्ताओं का कर्तव्य होगा कि अपने स्वत्वों तथा रहन ग्रहीता के स्वत्वों की रक्षा रहन की हुई जायदाद के मध्ये करते रह। और रहन ग्रहीता को उन स्वत्वों की रक्षा करने में सहायता करें।

(११) यह कि इस रहन की मीमाद (अर्थात्) सरीफ सन् १३२१ फसली से अन्तिम रथीय सन् १३३३ फसली अर्थात् आठ सालकी ठहरी है। और उपरोक्त मीमादके धीत जाने पर किसी साल जेठ मास के अन्त में जब हम रहन कर्ता रहन ग्रहीता का देना रुपया जो रहन के मध्ये और दूसरे रुपये जो इस रहन नाम की प्रतिष्ठा अनुकूल हम रहन कर्ताओं को देने ठहरे हैं अदा करेंगे जायदाद को रहन से छुडा लेंगे। रहन छुडाने के समय जितना रुपया आसामियोंके नाम मीमादके अर्ध शेष होगा वह हम रहनकर्ताओं को अदा करना होगा उस के चुकाने के बिना भी रहन न छूटेगी।

(१२) अगर दस साल के धीतने पर रहन का रुपया बेबाक न होये तो रहन ग्रहीता को भी अधिकार होगा कि वह अपना रुपया आड की हुई जायदाद के नीलाम द्वारा घसूल करे

(१३) यह कि इस रहन की प्रतिष्ठाओं का पालन करना हम रहनकर्ता व रहन ग्रहीता और दोनों पक्षों के दायभागियों प्रतिनिधियों व स्थानापत्रों का कर्तव्य होगा। इस लिये यह थोडे शब्द रहननामा दखली के रूप में लिख दिये कि सनद रहे।

जमीमा (अ) रहन के रुपया चुकाने का विवरण
१६ जून सन् १६१५ लिखित आडी दस्तावेज के मूल व व्याज के मध्ये उक्त रहन ग्रहीता को मुजरा दिये (७२५३)

धोयी चम्पा देवी के विवाह रच निमित्त जो ऋण १७ फरवरी सन् १६१७ लिखित वक्के द्वारा कन्हैया लाल बंटा राम लाल ब्राह्मण

खुर्जा निवासी से लिया था वह उक्त दाता को दिला कर रुक्का वापस करा दिया ६४७)

इस रहन नामे की पूर्ति के निमित्त वसूल पाये १५०)

अनाज की दुकान के कारबार के लिये रजिस्ट्री के समय लिये जावेगे ६५०)

जमीना (व) रहन की हुई जायदाद का विवरण

(१) आराजी हकियत जमीदारी खाना खेवट न० २ वाकिअ मौजा नहरई परगना खुर्जा जिला बुलन्दशहर २६७ बीघा ७ बिसवा जमई ३५२)

(२) आराजी हकियत जमीदारी खाना खेवट न० ५ वाकिअ मौजा गढीकन्धारी परगना हाथरस जिला अलीगढ़, ७४ बीघे ११ बिसवे जमई १२१)

हस्ता-----क्षर हस्ता-----क्षर

चिरजीलाल मुफिर न० १ स्वय अमूलतल मुफिर न० २

व मोहनलाल व बिहारीलाल

अपने सगे भाइयों का सरसक्त

सा-----क्षी सा-----क्षी

हीरालाल सराफ हाथरस तुलसीराम मुनारहाथरस निवासी

निवासी धकलम खुद

तारीख स्थान

धकलम रहननामा लेखक

रहायशी जायदाद का दखली रहन नामा

हम कि अहमद अली व साहिद बराअली बेटे व मुसम्मात नसी बुन्निसा स्वयम् व सार्टीफिकेट प्राप्त सरदरक शाकिरअली पिसर व नावालिग व मुस्तमान मासूमन व रहीमन दुप्रतरान नावालिगान रजाअली जाति शेख पेशा जग्गीदारी रहने वाले मौजा रहीमाबाद परगना मुस्तफापुर जिला बदायूँ के हैं। जो कि हम इफ्तार करने वालों के पुरुखा रजा अली विविध रहायशी जायदादों के स्वामी और अधिकारी थे। उन्होंने तारीख २६ अक्टूबर सन् १९१४ ई० का वफात (मौत) पाई। उस समय उन पर लगभग ३०००) रुपया ऋण था और उसमें कुल जायदाद विविधव्याज दर से आड थी। हम इफ्तार करने वाले दायमागी शरथ के अनुसार पैत्रिक सम्पत्ति के मालिक व अधिकारी हुए और जायदाद की आमदनी से अत्यन्त प्रयत्न ऋण चुकाने का किया। परन्तु अतीव प्रयत्न व परिश्रम करने पर केवल कुछ भाग व्याज का अदा हो सका, ऋण की सख्या दिनों दिन बढ़ती जाती थी। त्रिंश होकर मुझ मुसम्मात नसीबुन्निसा इफ्तार करने वाला ने शाकिर अली नावालिग बेटे व मासूमन व रहीमन नावालिग बेटियों रजा अली की रक्षा का सार्टीफिकेट जज साहिब बदायूँ की अदालत से तारीख २१ अगस्त सन् १९१९ ई० को प्राप्त किया। तत्पश्चात् मरे हुए पुरुखा की सम्पत्ति के कुछ भाग के रहन करने की आज्ञा नावालिगों के हिस्से के शामिल तारीख १३ नवम्बर सन् १९१९ को प्राप्त की। उक्त आज्ञा के अनुकूल नीचे लिखी हुई रहायशी जायदाद को समस्त आश्रित व सम्बन्धित स्वतंत्र सहित (५०००) के बदले में कि जिसके आवे २५००) रुपये होते हैं दस आना सैकड़ा मासिक व्याजदर से पास मौलगी समो उल्ला वेदा हाफिज इनाय तुटला जाति शेख रहने वाले उक्त मौजे व जिले के नीचे

लिखी शर्तों के साथ स्वस्थचित्त व स्थिर बुद्धि की अवस्था में बिना किसी जबरदस्ती व दबाव के रहन दखली करते हैं। निम्न लिखित समस्त शर्तें हम इकरार करने वालों और हमारे स्थानापन्नों व दायभागियों पर रहन की स्थिति तक पालन करने व मानने के योग्य होंगी।

(१) उपरोक्त रहन का ५०००) रूपया निम्न लिखित व्योरे से उक्त रहन ग्रहीता से वसूल पालिया।

रजा अली लिखित आडी दस्तावेज के मूल व व्याज की बेधाकी के मध्ये जो उक्त रहन ग्रहीता के नाम २५ दिसम्बर सन् १९१३ को लिखा था मुजरा दिये (७६०)

१३ जनवरी सन् १९१२ ई० को रजा अली लिखित आडी दस्तावेज तादादी १२००) के असल व सूद के भुगतान के लिये जो कन्हैयालाल बेटा रामलाल ब्राह्मण शेखपुर निवासी जिला मुजफ्फरपुर के नाम लिखा गया रहन ग्रहीता के पास अमानत छोडे (२२१०)

२३ जून सन् १९१२ ई० की रजा अली लिखित साधा रहन नामे तादादी १७००) के बकाया के मध्ये जो लाल मुहम्मद बेटा अली मुहम्मद कौम शेख साकिन रियाजपुर जिला वदाय के नाम लिखा गया उक्त रहन ग्रहीता से दिला कर रहन नामा उसको चापस दिलाया =५०)

इस रहन नामे के पूर्ति के निमित्त रहन ग्रहीता से तहरीर के समय वसूल पाये (१५०)

कोई भाग रहन के रुपये का उक्त रहन लिखने के ऊपर शेष नहीं रहा न पाने या कम पाने का बहाना हमारी ओर से या हमारे दायभागियों व स्थानापन्नों की ओर से झूठा ओर न सुन्ने योग्य हागा।

(२) उक्त रहनदार को रहन की हुई जायदाद पर, अपने समान अधिकारी और मालिक बना दिया और वास्तविक में अधिकार दे दिया रहन ग्रहीता उस पर अधिकारी व स्वामी रह कर किराया वसूल करे और उसको रहन के रुपये के व्याज में लेता रहे, कमतो बढ़ती के लेनदार और पाने वाले हम रहन कर्त्ता हैं।

(३) जो रहन काल में किराये में बढ़ती होगी उस पर लेनदार हम रहन कर्त्ता होंगे और रहन ग्रहीता के किसी अनुचित व्यवहार के सिवाय अगर किसी और कारण से काई भाग रहन की हुई जायदाद का खाली रहेगा उसके जिम्मेदार भी हम रहन कर्त्ता होंगे। रहन ग्रहीता जायदाद के वास्तविक किराये का जिम्मेदार होगा परन्तु किराया वसूल न होने का जिम्मेदार रहन ग्रहीता होगा।

(४) अगर रहन ग्रहीता जायदाद का कोई भाग अपने अधिकार में रखेगा तो उसका उचित किराया रहन ग्रहीता को हिसाब में मुजरा देना होगा।

(५) किराये की आमनदनी और व्याज का हिसाब सालाना हुआ करेगा और रहनदार का कर्तव्य होगा कि ब्यौरे वार हिसाब की एक प्रति सालाना रहन कर्त्ताओं को देना रहे।

(६) लिपि, लिखाई और छुत्त पर मट्टी उलाई आदि सामान्य मरम्मत रहन ग्रहीता के ऊपर ठहरी है। और असाधारण टूट फूट की मरम्मत हम रहन कर्त्ताओं के ऊपर है। अगर हम रहन कर्त्ता न करावें तो रहन ग्रहीता को अधिकार है कि अपने प्रबन्ध और खर्च से करा लेवे वह मरम्मत का रुपया सालाना हिसाब में हम रहन कर्त्ता मुजरा देंगे। परन्तु ऐसा करने से पहले रहन ग्रहीता का कर्तव्य होगा कि हम रहन कर्त्ताओं को एक सप्ताह

की मीश्राद का नौटिस देवे और हमारे मरम्मत न कराने की द
में स्वयम् करा लेवे ।

(७) रहन की मीश्राद ७ साल की ठहरी है, मीश्राद के अ
न हम रहन कर्ताओं को रहन छुडाने का अधिकार न रहन ग्रही
को अपने रुपये मागने का अधिकार होगा मीश्राद बीत ज
पर हम रहन कर्ताओं को अधिकार होगा कि जिन समय रह
का रुपया और रहन ग्रहीता का दूसरा रुपया अगर कुछ हो अ
करें रहन छुडालें इसी प्रकार रहन ग्रहीता को अधिकार होगा
अपना लेना रुपया हम से मागे । और अदा न करने की दशा
रहन की हुई जायदाद से वसूल करे । रहन की हुई जायदाद उ
रुपये में आड़ समझी जावेगी ।

(८) रहन की हुई जायदाद हर प्रकार के ऋण व भार से उ
रुपयों के चुकाने के पश्चात् जो रहन ग्रहीता के पास अमानत छो
गये है रहित और निर्दोष होगी । यदि कोई अन्य ऋण या भार
किसी प्रकार का निकले या कोई साभी व अशी उत्पन्न हो
बाधक वा रोकने वाला रहन ग्रहीता का रहन की हुई जायदा
के दरमल में हो तो हम उसके उत्तर दाता होंगे अगर इस प्रकार
के व्यवहार से रहन की हुई जायदान कुल या उसका कोई भा
रहन ग्रहीता के अधिकार से निकल जाये अथवा कोई भार य
ऋण अधिक देना पड़े तो हम रहन कर्ता उसके उत्तर दाता होंगे

और रहन ग्रहीता को अपने पाने योग्य कुल रुपये वसूल कर
का अधिकार हानि और खर्च और उक्त दर से व्याज सहित ह
रहन कर्ता और और रहन की हुई जायदाद से प्राप्त होगा ।

इस लिये यह कुछ शब्द रहननामा दखली के भांति लिख दिये
कि सनद रहे ।

जर्माणा (अ) रहन की हुई जायदाद का व्योरा

(१) एक मकान पक्का बना हुआ मौजा रहोमा, वाद में समस्त स्वतंत्र आसायश भीतरी व बाहिरी सहिन। जिस की चारों सीमा निम्न लिखित हैं।

पूर _____ व

इस मकान का द्वार और द्वार के आगे मकान का चबूतरा व जोना व पक्का कुआ फिर सरकारी सडक

पश्चि _____ म

पडी हुई भूमि मुहम्मद हुसैन शेख की जिस में इस मकान के तीन परनाले गिरते हैं एक नित्य का व दो धरसाती, और तीन जगले पहिली मजिल के बने हुए हैं।

दक्षि _____ ए

मकान यारव हुसैन दर्जी का जिस में एक जंगला व रोशन दान इस मकान की दूसरी मजिल का है।

उ _____ तर

निकल ने की गली-और इस मकान का एक दरवाजा इस तरफ को है और दो जगले गली में है।

(२) एक पक्की दुकान पूरव मुहानी जिस से लगा हुआ उत्तर में जीना उक्त दुकान का बाजार रहीमावाद में स्थित जिस की चौहद्दी नीचे लिखी है और जिस पर इन दिनों बुद्धसेन माली किरायेदार है।

पूर _____ व

उक्त दुकान का दरवाजा फिर सडक

पश्चिम _____ म

आध चक जिस में दो परनाले उक्त दुकानों के गिरते हैं।

दक्षिण _____ ए

दुकान बफाती रगरेज इस ओर को दुकान से मिली हुई का दीवार बफाती की नहीं है

उ _____ उत्तर

उक्त दुकान का जीना तत्पश्चात् अब्दुल्ला भटियारे तमाकू बेचने वाले की दुकान

(३) एक कच्चा नौहरा। निम्न लिखित चौहद्दी वाला

पूर _____ ब; पश्चिम _____ म

आम रास्ता

नौहरा गोविन्द राम माली

दक्षिण _____ ए उ _____ उत्तर

पडी हुई भूमि पंचायती

मकान नौबत राम ब्राह्मण

(४) दो दुकानों पक्की एक दूसरे से मिली हुई बाजार रहीमा बाद में निम्न चौहद्दी वाली जो आज कल अब्दुल मजीद दरजी के के पास किराये पर है।

पूर _____ ब; पश्चिम _____ म

दुकानों के दरवाजे फिर सड़क

मकानात अब्दुल भटियारा

घ मुहम्मदी तेली

दक्षिण _____ ए उ _____ उत्तर

गली जिस में दो परनाले दुकानों के गिरते हैं। और दो जगले लगे हुए हैं।

दुकान रामसहाय मेधा फरोश

द _____ स्तान्तर हस्तान्त _____ र

अहमद मुकिर बकलम गद

घाहिद अली मुकिर बकलम खुद

हस्ता _____ द्वार

निशानी अगुठा मुसम्मात गर्मी बुन्निमा खुद घ सरिहया शाकिर अली म मलम्मान मासवन ३ रहीमन

गया _____ ह

अजीम बेग बेटा मिर्जा सआदत बेग मुगल साकिन रहीमा
बाद पेशा काश्तकारी बकलम खुद

गया _____ ह

मस्तू बेग बेटा इमदाद बेग मुगल पेशा तिजारत साकिन
रहीमा बाद बकलम खुद

गया _____ ह

मिर्जा महमूद हुसैन बेटा हाजी बन्द अली बेग मुगल साकिन
रहीमाबाद बकलम खुद

ता० २६ नवम्बर सन् १६१४ स्थान रहीमाबाद
बकलम अहमद हुसैन बेटा इमदाद हुसैन मुगल साकिन
रहीमा बाद इस दस्तावेज का लेखक

रहन नामा मशरू तुल रहन (पूर्व रहन संयुक्त रहन नामा)

मे कि हुकम सिद्ध बेटा राम रतन जाति तगा रहने वाला ब
जमींदार मौजा बेरा फीरोज पुर परगना स्याना जिला बुलन्द शहर
का ह

जो कि ३८ बीघा ६ बिसवा पक्की भूमि निम्न लिखित खातों
की मेरी जमींदारी मौजा बेरा फीरोज पुर परगना स्याना जिला
बुलन्दशहर में २६ सितम्बर सन् १८८७ ई० के रहन नामे द्वारा
(३५००) के बदले राम प्रसाद बेटा गुशहाल सिद्ध जाट रहने वाला
गाव इखितयार पुर परगना हापुड जिला मेरठ के पास रहन
(दरमूली चली आती है। आर म १०००) एक हजार रुपये सिक्के
चहरे शाही कि जिस के आधे ५००) पाच सौ रुपये होते हैं

सैकड़ा मासिक व्याज दर से उक्त रहन ग्रहीता से नया कर लेकर अपने काम और खर्च में लाया है । प्रतिज्ञा यह है कि उहरोक्त रहन की हुई जायदाद आज की तारीख से दोनों दस्तावेजों में रहन और गिरवी समझी जावेगी, रहन की हुई जायदाद पर उक्त रहन ग्रहीता पूर्ववत् अधिकारी रहेगा परन्तु उसका अधिकार दोनों दस्तावेजों के बदले समझा जावेगा इस रहन नामे का रुपया मूल व व्याज का १६ सितम्बर सन् १८८७ के रहन नामे लिखित रहन छुडाने के समय भुगतया और निशेष किया जावेगा । दोनों रहन नामों के रुपयों के बिना चुकाये रहन की हुई जायदाद न छूटेगी । इस लिये यह थोडे शब्द पूर्व रहन संयुक्त रहन नामे के समान लिख दिये कि सन्द रहे और आवश्यकता के समय काम आवे ।

रहन की हुई ३८ बीघा ९ विसवा भूमि का विवरण

खाता न० ७२ तादादी ४६ बीघा ५ विसवे में से १० बीघा ६ विसवा ।

खाता न० ७३ तादादी ४६ बीघे ६ विसवे मेंसे ११ बीघे १२ विसवे ।

खाता न० ७४ तादादी २२ बीघे १३ विसवे में से १६ बीघा ८ विसवा ।

दस्ता.....क्षर

हुकम सिंह प्रतिष्ठा कारी बकलम गुद
ना.....क्षी

हरजस सिंह चेटा सयाई सिंह जाति जाट पेशा सेती बैरा फारोज पुर परगना स्याना जिला मुल्तान शहर निवासी बकलम गुद

सा क्षी
 शिवलाल बेटा दुर्गादास वैश्य पेशा दुकानदारी गांव बैरा फीरोजपुर
 परगना स्याना जिला बुलन्द शहर निवासी परत सराफी

सा क्षी
 हरदेव सिंह बेटा नारायण सिंह जाट पेशा जमींदारी व लेन देन
 गांव बैरा फीरोज पुर परगना स्याना जिला बुलन्द शहर निवासी ।

लिपने की तारीख १६ सितम्बर सन् १८८८

स्थान सिकन्दराबाद बकलम हरदयाल सिंह बेटा शम्भू नाथ वैश्य
 अग्रवाल सिकन्दराबाद निवासी दस्तावेज लेखक ।

पूर्व रहन संयुक्त रहन नामा

। हम कि खुश बक्त राय प्रसिद्ध छोटे लाल बेटा मुशी छत्रसिंह
 व गिर राज सिंह बेटा उक्त खुश बकराय जाति कायस्थ रहने
 वाते शहर कोत मुहल्ला सराय बीबी जिला अलीगढ़ के हैं । जो
 कि एक हजार दो सौ पचास (१२५०) रुपये सिक्के चहरे दार कि
 जिसके आधे छ सौ पन्चीस (६२५) रुपये होते हैं दूसरे प्रण
 कर्ता गिर राज सिंह के विवाह के लिये बाबू गोकुल चन्द
 डाक्टर बेटा पंडित जीवा राम ब्राह्मण रहने वाले बचौरा परगना
 सिकन्दरा-राऊ जिला, अलीगढ़ के पास से एक रुपया, सेरुजा
 मासिक व्याज दर से रोकड़ी उधार लिये हैं । उक्त रुपये व्याज
 सहित के बदले अपने रहने का पक्का मकान नीचे लिखी चीहदी
 वाला सराय बीबी शहर अलीगढ़ में स्थित जो उपरोक्त दाता के
 पास १७ मई सन् १८६७ लिखित रहन नामें द्वारा रदन दयली
 चला आता है दूसरी धार रदन रखते और गिरची करते हैं प्रतिगा
 यह है कि उक्त रहदातार इस दस्तावेज के रुपय के बदले मी

रहने की हुई जायदाद पर पहिले की तरह अधिकारी रहे। इस दस्तावेज का रुपया सूद सहित १७ मई सन् १८६७ ई० की रहन छुडाने के समय अदा किया जावेगा। दोनों दस्तावेजों का रुपया एक जगह और इकट्ठा समझा जावेगा, इस दस्तावेज के मूल व व्याज के भुगताये विना जायदाद न छूट सकेगी। इस लिए यह थोड़े शब्द पूर्व सयुक्त रहननामके सदृश लिए दिये कि प्रमाण रहे।

रहन की हुई जायदाद की चारों सीमा

पूर	ध
इस मकान का दरवाजा फिर सडक व पक्का कुआ	
पश्चिम	म
मकान लाला गंगा प्रसाद वकील मुसिफी कोल। रहन किये हुए मकान से इस ओर मिली हुई उक्त मकानकी कोई दीवार नहीं है।	
दक्षि	ण
मकान धावू नन्द लाल फायस्थ, आसा राम किराए दार के पास	
उत्त	र
मकान खुश चन्द टीकाराम दरजी	
लिखने की तारीख ११ जनवरी सन् १८६२ वकलम खुश वक्त राय	
मुफिर नं० १ स्थान अलीगढ	
हस्ता ह	हस्ता ह
खुश वक्त राय मुफिर	गिरराज सिंह मुफिर
वकलम खुद	वकलम खुद
सा	सा
विहारी लाल वेटा नेत राम जाति ठाकुर राठौर पेशा नौकरी, रहने वाला कोल वकलम खुद	भाधीलाल वेटा नाथूराम जाति फायस्थ, रहने वाला सराय ग्वाली शहर कोल पेशा नौकरी वकलम खुद

पूर्व रहन संयुक्त रहन नामा

में कि ज्वालाप्रसाद घेडा रतीराम जाति ब्राह्मण रहने वाला व नम्यरदार कस्या पटियाली परगना सुद जिला पटा का ह ।

जो कि हफिकयत जमीदारी खाता सेक्ट न० ३ पट्टी हर गोविन्दप्रसाद शामिलत थोक व शामिलत देह सहित उक्त पट्टी के हिस्सा रसदो अनुसार कस्या पटियाली जिला पटा में मेरे अधिकार में है । उक्त हफिकयत में से आधो हफिकयत प्रथात् सवा विसवा छ सौ ६००) रुपये के बदले १७ अक्टूबर सन् १९१० ई लिखित रहन नामे द्वारा लाला कांजीप्रसाद घेडा लाला सुखगीर सिंह जाति कायस्थ रहने वाले वक्त कसे पटियाली के पाघ सूद व मुनाफे पर बराबर दखली रहन चली आती है । मुक्त को अन्य ऋण लेने की आवश्यकता थी और विचार था कि उक्त हफिकयत को कम ध्याज पर दूसरी जगह रहन करके पहला रहन छुडा लू । परन्तु उक्त लाला काजीप्रसाद इस बात पर रजामन्द (प्रसन्न) हो गये कि वह चार सौ ४००) रुपया उस रहन के रुपये पर और अधिक दे देंगे । और कुल एक हजार १०००) रुपये में उक्त हफिकयत बराबर सूद व मुनाफे पर पहिले की भांति उन के यहा रहन हो जावेगी इस लिये मैं स्वस्थचित्त व स्थिर बुद्धि की अवस्था में चार सौ ४००) रुपये कि जिसके आधे दो सौ २००) रुपये होते हैं अधिक रुपया उक्त लाला काजी प्रसाद से रोक लेकर प्रतिष्ठा करता हू और लिखे देता हू कि अपनी जमीदारी में से सवा विसवा जमीदारी कस्या पटियाली खाता सेक्ट न० ३ पट्टी हरगोविन्द जो पहिले से १७ अक्टूबर सन् १९१० ई० लिखित रहन नामे द्वारा उक्त लालाजी के पास रहन दखली है । इस दस्तावेज के के रुपये में भी रहन दखली रहेगी । और रह-

की हुई हकियत का मुनाफा पहले रहन नामे के घर्तमान रहन नामे के सूद के बदले उक्त रहन दार लेते रहेंगे। इस दस्तावेज का रुपया १७ अक्टूबर सन् १९१० ई० लिखित दस्तावेज के साथ अदा किया जावेगा। और दोनों रहन एक साथ ब-एक जाई छुडाये जावेंगे। इस दस्तावेज के रुपये भुगताये बिना रहन न छूटे सकेगी। दूसरी सब शर्तें १७ अक्टूबर सन् १९१० ई० लिखित रहन नामे की इस दस्तावेज से भी सम्बन्धित होंगी। इस लिये यह पूर्व सयुक्त रहन नामा लिख दिया कि प्रमाण रहे और आय शयका के समय काम आवे।

दस्तावेज की तारीख स्थान
 साक्षी साक्षी
 कलम इस रहन नामे का लेखक

जुतऊ जमनि का विक्रिय सम रहन नामा
 में कि हुकमसिंह घेठा रामसिंह जाति तगा रहने वाला घ जमींदार हिस्सेदार ग्राम बैरा फीरोजपुर परगना स्याना जिला बुलन्दशहर का हू जो कि प्रणकर्ता ग्राम बैरा फीरोजपुर परगना स्याने में निम्न लिखित जमींदारी का स्वामी है।

खाता न० ७० रकमी—खाता न० ७३ रकमी—खाता न० ७४ रकमी
 ४६ बीघा ५ बिसवा ४६ बीघा ५ बिसवा १५७ बीघा ७ बिसवा
 कुल कुल में से
 २२ बीघा १२ बिसवा

यह कुल हकियत दो रहन नामों द्वारा एक १४ नवम्बर सन् १८७० लिखित तादादी दो हजार पांच सौ २५०० रुपये व दूसरा १४ नवम्बर सन् १८७६ लिखित तादादी एक हजार दो सौ १२००)

रुपये कुल तीन हजार सात सौ ३७००) रुपये के बदले, लाला किशन सहाय घेडा लाला रामप्रसाद जाति येदय रहने वाले, फूसवे स्थाने के पास रहने वाला है । और उसके द्वारा रहनदार अधिकारी व स्वामी है । इस समय स्वस्थचित्त और स्थिर बुद्धि की अवस्था में बिना किसी दयाचक महशयट के एक सौ पन्द्रह बीघे ७ बिसवे उपरोक्त पक्की भूमि में से जिसका मैं स्वामी हूँ ३८ बीघे ६ बिसवे पक्की भूमि दोनों खार्तों में से जिसकी मासिगुजारी (५५) और नम्बर नीचे लिखे हुए हैं तीन हजार सात सौ ३७००) रुपये के बदले कि जिसके आधे एक हजार आठ सौ पचास (१८५०) रुपये होते हैं पास किशनसिंह घेडा खुशहालसिंह जाति जाट निरासी गांव रजापुड तहसील हापुड जिला मेरठ विक्रिय सम रहने की, और रहन का रुपया कुल और पूरा वास्ते देने किशन सहाय पूर्य रहनदार के पास वर्तमान रहनदार के अमानत छोडा ।

प्रतिज्ञा यह है कि आपस के समझोते या न्यायालय की कार्रवाही द्वारा मैं प्रण कर्ता रहन की हुई सम्पत्ति को किशन सहाय पूर्य रहन दार से छुडा दूंगा और रहन का रुपया वर्तमान रहन दार से पूर्य रहन दार को दिला दूंगा । और पूर्य रहन छूटने के पश्चात् रहन की हुई वस्तु पर वर्तमान रहन दार को अधिकार देकर दायिल चारिज उसका सरिश्ते माल में करा दूंगा । विशेष प्रतिज्ञा यह है कि रहन दार स्वामी रूप से उपरोक्त सम्पत्ति पर स्वामी और अधिकारी रहे । और हर प्रकार के समस्त अधिकार कार्य में लावे । यदि मैं प्रण कर्ता आज की तारीख से पांच साल पीछे जू सन् १९१६ में इस रहन नामा का रुपया चुकादू नो जायदाद रहन से छूट कर मुझ को मिल जाये, अन्यथा उक्त रहन दार उस का चिर स्थाई और स्थिर स्वामी हो जायेगा । और मुझ प्रण कर्ता और मेरे दायभागी उत्तराधिकारी या स्थानापन्नो का कोइ स्वतंत्र

किसी प्रकार का शेष नहीं रहेगा, रहन की हुई सम्पत्ति हर प्रकार के ऋण और भार से रहित और निर्दोष है। और उस में कोई साम्नी व अशी मुक्त प्रण कर्ता को नहीं है। यदि कोई पूर्व भार निकले वा कोई साम्नी व अशी पैदा होकर किसी प्रकार का दावा करे तो उसका उत्तर देना मेरे ऊपर है और इस प्रकार के झगडे की दशा में या मेरे खासियत की किसी त्रुटि के कारण रहन दार को हानि पहुँचे या रहन की हुई सम्पत्ति कुल या उस का कोई भाग रहन दार के हाथ से निकल जावे या मैं प्रण कर्ता, उस के अधिकार और प्रबन्ध में बाधा या रुकावट डालूँ तो रहनदार का अधिकार होगा कि वह कुल अपना रुपया हानि व आठ आना सैकडा मासिक व्याज सहित रहन की हुई सम्पत्ति और मुक्त प्रण कर्ता की व्यक्ति और अन्य सम्पत्ति से प्राप्त कर लेवे। दो नग वैनाने और तीन नग अन्य दस्तावेज जिन का रहन की हुई जायदाद से सम्बन्ध है रहनदार को सौंप दिये। पूर्व के रहन नामे भी रहन छूटने पश्चात् उक्त रहन दार के पास रहेंगे। रहन छूटने और जायदाद वापस होने की दशा में यह कुल दस्तावेजात मुक्त प्रण कर्ता को रहनदार वापस देगा। इसलिये यह चिक्रिय सम रहन नामा लिख दिया कि प्रमाण रहे, और समय पर काम आवे।

हस्ता _____ दार सा _____ ली

हुकमसिंह प्रण कर्ता दस्तावेज

जवाहर लाल बेटा मोहनलाल
प्राहाण पेशा पडिताई रहने
वाला गांव वैरा फीरोज पुर

सा _____ ली

अशरफी लाल बेटा गनेशी लाल
जाति वैश्य पेशा दूकान दारी
निवासी वैरा फीरोज पुर
बखत सराफी

लिखने की तारीख _____ स्थान
बकलम

विक्रय सम रहन नाम

मैं कि भोला प्रसाद वेडा छीतर मल जाति कायस्थ पेशा नौकरी निवासी कोल मुहल्ला नमाटोला का ह ।

जो कि चार नग दूकान पक्की बनी हुई शहर कोल में स्थित नीचे लिखी सीमाऽनुसार मेरी पैदा की हुई सम्पत्ति हैं । और हर प्रकार के ऋण और भार से शुद्ध और रहित हैं । इस समय मुक्त प्रण कर्ता को ग्रह कार्य के लिये रुपये की अत्यन्त आवश्यकता है । इस कारण स्वस्थ चित्त और स्थिर बुद्धि की अवस्था में उपरोक्त चारों दूकानों को चार हजार ४०००) रुपये सिक्के चहरे दार के बदले कि जिसके आधे दो हजार २०००) रुपये उक्त सिक्के के होते हैं । हाथ लाला मिश्री लाल वेडा मेघराज जाति धौहरा निवासी कोल मुहल्ला सराय वीर नरायन के विक्रिय सम रहन की और रहन का रुपया कुल और पूरा ग्राहक से निम्न लेख अनुसार प्राप्त कर लिया ।

मध्ये पूर्व ऋण के जो प्रामेसरी नोट १०००) तारीख १४ जून सन् १९११ द्वारा उक्त लाला मिश्रीलाल का देना था मुजरा दिये १२२५)

मध्ये घही खाते द्वारा ऋण के उक्त धौहरे को मुजरा दिये ७७५)

रजिस्ट्री के समय रोक लेना ठहरे २०००)

उक्त ग्राहक को अपने समान जायदाद पर कृन्जा और अधिकार दे दिया उस को चाहिये कि मुक्त प्रण कर्ता की नाई उस पर अधिकारी रह कर हर प्रकार के मालिकी के अधिकार बर्ताव में लावे ।

विक्री की प्रतिज्ञा यह निश्चय हुई है कि यदि मैं प्रण कर्ता आज की तारीख से पात्र साल के भीतर इस दस्तावेज का

ग्राहक को भुगतान करदूँ तो मैं जायदाद वापस मांगने का अधिकारी हूँगा। और ग्राहक का कर्तव्य होगा कि जायदाद को मेरी ओर परिवर्तित करे, और जो सर्व जायदाद के वापस करने में पड़ेगा वह मेरे ऊपर रहेगा, ग्राहक के कब्जा रखने के समय मैं जो कुछ सर्व उसके पास से टूट फूट की मरम्मत में या किसी भूमि व आकाश सम्बन्धि दैवी आपत्ति के कारण होगा वह भी सम्पत्ति लौटने की दशा में मुझ पर कर्ता को चुकाना होगा, यदि जायदाद पर कोई ऋण या भार निकले या कोई सामी या अशी बनकर दावा करे तो उसका उत्तर देना मेरा कर्तव्य है। और किसी भार या ऋण के ग्राहक के ऊपर पड़ने की दशा में तथा कुल या कुछ भाग जायदाद का मेरी त्रुटि या मेरे अन्य दोष के कारण निकल जाने की अवस्था में ग्राहक को अविकार होगा कि कुल रुपया अपना हानि और व्यय सहित जो उसे उठाना पड़े मुझ से और मेरी अन्य सम्पत्ति से प्राप्त कर लेवे। इस लिये यह विक्रय सम रहन लिखदी कि प्रमाण रहे।

जायदाद का ब्यौरा

(१) एक दुकान बाजार मियागज शहर कोल में स्थित जिस पर इस समय जगन्नाथ किराफ दार बैठता है।

पूर ————— व पश्चि ————— म उत्त ————— र दक्षि ————— ण
 मकान सोबू खडक सरकारी दुकान मुन्ना दुकान मोहन
 महाजन लाल वैश्य लाल गुजराता

(२) दो दुकानें एक दूसरे से मिली हुई घडे बाजार शहर कोल में स्थित।

पूर ————— व पश्चि ————— म
 दुकान शुभ चक्र राय मकान कम्मू सा रगरेज
 कायस्थ

उत्तर ————— र दक्षिण ————— ण
 मकान लाला शिवप्रसाद प्रण सड़क
 कर्ता का भाई

(३) एक दूकान मुहत्तशा नगा टोला शहर कोल में स्थित

पूर ————— ष पश्चिम ————— म
 मकान राधे लाल कमरा लाला शिव प्रसाद प्रण
 कर्ता का भाई

उत्तर ————— र दक्षिण ————— ण
 गली सड़क सरकारी

हस्ताक्षर दया
 गवाह

स्थान चकलम लेखक

पट्टा

पट्टे की परिभाषा | पट्टा अचल सम्पत्ति का एक परिवर्तन पत्र है जो उक्त सम्पत्ति के वर्तने और काम में लाने के स्वत्व का किसी प्रत्यक्ष या अर्थापत्ति जनक अधि के लिये या सर्वदा के लिए उस मूल्य के बदले किया जाए जो दिया गया हो या जिसकी प्रतिशा की गई हो, या किसी नकद रुपये या फसल के भाग या किसी सेवा या और मूल्य रखने वाली वस्तु के बदले ठहरा हो जिसका चुकाना और देना परिवर्तन कर्ता को परिवर्तन ग्रहीता किस्त धार या नियत समयों पर अपने ऊपर ले। और ऐसा परिवर्तन परिवर्तन ग्रहीता उक्त प्रतिशाओं के साथ लेना स्वीकार करे।

परिवर्तन कर्ता से पट्टा देने वाला तात्पर्य है। और परिवर्तन ग्रहीता से पट्टा लेने वाला।

और रोक या फसल आदि का भाग या सेवा या मूल्यवान और वस्तु जिसके चुकाने की प्रतिशा हो लगान का रुपया या किराया कहलाती है।

(दफे १०५ कानून इन्तिकाल जायदाद)

यह दस्तावेज जिस के द्वारा पट्टा लेने वाला पट्टे की लिखा प्रतिक्षाओं पर जायदाद पट्टा लेना स्वीकार और अगी कार करता है कुवूलियत (स्वीकार पत्र) कहलाती है ।

अचल सम्पत्ति से सम्बन्ध रखने वाला पट्टा जो प्रति वर्ष के लिये या किसी अवधि के लिये हो जो एक वर्ष से अधिक हो या जिसमें लगान के रुपये के वार्षिक देने की प्रतिक्षा हो केवल रजिस्टर्ड दस्तावेज द्वारा होसकी है ।

जाइज (उचित) है कि अचल सम्पत्ति के समस्त पट्टे चाहे रजिस्ट्री की हुई दस्तावेज द्वारा या मौखिक प्रतिक्षा द्वारा कब्जेकी सौप सहित लिये जावें ।

जैसा कि उपरोक्त परिभाषा से श्रात होगा पट्टा सम्पत्ति के स्वामी की ओर से लिखा जाता है और उसमें समस्त प्रतिक्षाएँ मध्ये अवधिकाल, मृत्यु के रुपये, लगान या किराये के चुकाने की लिखी जाती हैं । इसके विपरीति कुवूलियत (स्वीकार पत्र) पट्टा लेने वाले की ओर से लिखी जाती है और उसमें वही प्रतिक्षाएँ लिखी जाती हैं जोकि पट्टेमें, पट्टे के द्वारा सम्पत्तिका स्वामी और स्वीकार पत्रद्वारा पट्टा लेने वाला परस्पर नियतकी हुई प्रतिक्षाओं का स्वीकार व अगीकार करने और उनके पालन करने का प्रण करते हैं पट्टा किरायेदार के लिये और स्वीकार पत्र स्वामी के लिये लिखा जाता है ।

रजिस्ट्री की कानून द्वारा पट्टे की परिभाषा में स्वीकार पत्र प्रति लिखि पट्टा, खेता करने की प्रतिक्षा या कब्जा और पट्टा लेने

की प्रतिष्ठा भी जो एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये हो उसकी रजिस्ट्री आवश्यक है ।

किसी भेट या पेशगी रुपये के चुकाने या न चुकाने के विचार से सामान्य तथा पट्टा दो प्रकार का होता है । एक साधारण जिसमें कोई पेशगी रुपया न दिया जावे । और उचित समय पर लगान चुकाने योग्य हो, दूसरा पेशगी रुपये वाला, जिसमें पट्टा दाता कुल या अश पेशगी लगान पट्टे लेन वाले से लेता है । वह रुपया होले दौल भाग या कुल अग्रधि काल में चुक जाता है । जरे पेशगी पट्टा और रहन दखली मुजरदे में लगभग कुछ अन्तर नहीं होता कब्जा लौटाने के समय जो पेशगी रुपया किसी पट्टे में वापस देना ठहरे तो वह पट्टा रहन दखली के सदृश होना है, नमूनों में विविध प्रतिष्ठाएँ जो इस प्रकार के पट्टों में होती हैं प्रगट होंगी, अधिकतर प्रतिष्ठाएँ उभय पक्ष के समझोते पर निभर हैं । जो कुछ दोनों पक्षों में ठहर जाये दस्तावेज लेखक को लिखना चाहिये ।

पट्टे की परिभाषा में ठेका भी सम्मिलित है जिसके द्वारा भूस्वप्ति या रहायशी जायदाद किसी मनुष्य को लगान उधाने के लिये और वार्षिक ठहरे हुए रुपये के भुगतानके निमित्त दी जाये ।

कानून स्टाम्प के अनुसार जो पट्टे किसानों को खेती करने के प्रयोजन से दिये जायें (खेती के प्रयोजन में घृत्तोंका पट्टा जो ब्राम्हे पैदावार खाने पीने की वस्तु के दिया जावे सम्मिलित है) और जिनके मध्ये कोई भेट या पेशगी रुपया न दिया गया हो और नियत अग्रधिके लिये हों और वह नियत अग्रधि एक वर्ष से अधिक न हो और लगान का वायिक परता एक सौ रुपये से अधिक न हो स्टाम्प से मुञ्जाफ है ।

इसी प्रकार विविध सूचों में ऐसे पट्टे जिनका वार्षिक लगान पचास रुपये और अवधि ५ सालसे अधिक न हो उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं होती।

जो अधिक अवधि और लगान के पट्टे होते हैं उनकी रजिस्ट्रेशन सामान्य रीति के अतिरिक्त कानूनगो द्वारा भी हो जाती है। इस प्रकार के पट्टों के विषय में दस्तावेज लेखक का काम है कि उन पर नियमाऽनुकूल बतौर करे जो किसी विशेष सूचे में प्रचलित हों।

स्टाम्प

मद ३५ जमीना, अथवा कानून स्टाम्प द्वारा निम्नलिखित लगता है
पट्टा मध्य पट्टा जैली या पट्टा शिकमी व इकरार नामा
पट्टा या शिकमी

(अ) जब ऐसे पट्टे के द्वारा लगान का रुपया नियत हो और कोई भेट चुकाई या सौंपी न हो।

(१) जब कि उक्त पट्टे से एक वर्ष से कम अवधि का होना पाया जाता हो।

वही रकम जो तमस्तुक के लिये नियत है उस कुल सख्या के मध्ये जो जैसे पट्टे द्वारा भुगतान या सांपने योग्य हो।

(२) जब कि उक्त पट्टे से एक वर्ष से कम और तीन वर्ष से अधिक अवधि का न होना पाया जाता हो।

वही रकम जो तमस्तुक के लिये नियत है उस सख्या या मूल्य पर जो उक्त दस्तावेज में वार्षिक लगान का परता हो।

(३) जब उक्त पट्टे से अवधि तीन वर्ष से अधिक होनी पाई जाती हो ।

वही रसूम जो विक्रिय पत्र के लिये नियत है, उस बदल के ऊपर जो उक्त दस्तावेज में लिखे हुए सालाना लगान के परते की मालियत के बराबर हो ।

(४) जब कि उक्त पट्टे से किसी नियत अवधि का होना न पाया जावे ।

वही रसूम जो विक्रिय पत्र के लिये नियत है उस बदल के ऊपर जो सालाना परते लगान की उस सख्या या मूत्य के बराबर जो पहले दस वर्ष के मध्ये यदि पट्टा उस समय तक स्थित रहता अदा या सुपर्द की जाती ।

(५) जब उक्त पट्टे से सर्वदा के लिये होना पाया जाता हो ।

वही रसूम जो येनामे के लिये नियत है उस बदल पर जो उस इकट्टे लगान की बराबर हो जो उक्त पट्टे के पहले ५० वर्ष के मध्ये अदा या सौपा जाता ।

(६) जब उक्त पट्टा किसी नजराना या भेट या जर पेशगी के बदले में दिया जाय और लगान उसमें लिखा न हो ।

वही रसूम जो येनामे के लिये नियत है उस बदल पर जो नजराना या भेट या जर पेशगी पट्टे की सख्या या मूत्य के बराबर हो ।

(७) जब उक्त पट्टा नियत लगान के अतिरिक्त किसी नज

वही रसूम जो येनामे के लिये नियत है उस बदल पर जो

राना या भेट या जरूरी पेशगी के बदले दिया जाये।

वैसे नजराने या भेट या जरूरी पेशगी पट्टे की सरया या मूल्य के बराबर हो। उस हसूम के सिवाय जो वैसे पट्टे के ऊपर उस दशा में ली जाती जब कि कोई नजराना या भेट या जरूरी पेशगी अदा या मुर्मुद न किया जाता। परन्तु शर्त यह है कि जिस दशा में किसी पट्टे लिखने के प्रतिज्ञा पत्र पर स्टाम्प उस मालियत पर जो पट्टे के लिये नियत है दिया जा चुका हो और वैसे प्रतिज्ञा के अनुसार कोई पट्टा पीछे से लिखा जाये तो ऐसे पट्टे की हसूम आठ आने से अधिक न होगी।

सयुक्त प्रांत में तथा दूसरों अन्य सूयों में पट्टे और कबूलियत (स्वीकार पत्र) की जगह यह प्रचार है कि जायदाद का मालिक कोई दस्तावेज पट्टे के रूप में नहीं लिखता, केवल काश्तकार या किरायेदार से कबूलियत लिखाली जाती है। जुतऊ जायदाद की दशा में उसको कबूलियत के नाम से बोलते हैं और रहायशी जायदाद की दशा में वह कहीं किराये नामा कहीं सरखत बोली जाती है। किरायेनामे द्वारा दोनों पक्षों के मध्य में पट्टा देने वाले और पट्टा लेने वाले का सम्बन्ध होजाता है या नहीं एक ऐसा विषय है जिस पर हिन्दुस्तान की हाई कोर्टों सहमत नहीं हैं। परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि किराएनामे या सरखत द्वारा जायदाद को

किराये पर उठाने का प्रचार बहुत समय से चला आता है और सामान्यतया लोगों को इसका अभ्यास पडा हुआ है मद् २५ जमीनमा अवल कानून स्टाम्प के अनुसार कबूलियत (स्वीकार पत्र) या किसी दस्तावेज के दूसरे परत पर स्टाम्प यदि असल दस्तावेज पर जिस की यह कबूलियत या दूसरा पत्र हो उचित स्टाम्प दिया जा चुका हो तो असल दस्तावेज पर एक रुपये से कम स्टाम्प लगाने की दशा में असल दस्तावेज के बराबर स्टाम्प लगता है और अन्य दशाओं में एक रुपये का स्टाम्प लगता है, अगर असल दस्तावेज स्टाम्प से मुआफ हो तो कबूलियत भी मुआफ होगी।

जुतऊ भूमि का पट्टा

पट्टा मिनजानिध लाला देवीदयाल, बेटा लाला जिश्वम्भरदयाल जाति वैश्य निवासी व जमींदार, रामपुर तहसील सिकन्दराराऊ जिला, अलीगढ़ जमींदार

बनाम

1301

शिरजी बेटा देवी जाति अहीर साकिन व काश्तकार मौजा रामपुर परगना अकराबाद तहसील सिकन्दराराऊ जिला, अलीगढ़ काश्तकार

जो मुक्त जमींदार ने २५ बीघा पक्की भूमि का जिसके नम्बर नीचे लिखे हैं मौजा रामपुर की जिसका मैं स्वामी और अधिकारी हूँ पट्टा उपरोक्त शिरजी काश्तकार को एकसौ पचास (१५०) रुपये सालाना नियत लगान पर जोतने के लिये सन् १३२५ फसली से सन् १३२८ फसली तक पांच साल के लिये नीचे लिखी शर्तों पर दिया है।

(१) उक्त काश्तकार नियत लगान को आधा फसल खरीफ में तारीख १ नवम्बर को और आधा फसल रबी में ता० १ अप्रैल को हर साल पैदा न होने या कम पैदा होने के बहाने बिना मुझ जमींदार को अदा करता रहेगा ।

(२) लगान के नियत मिति पर अदा न करने की दशा में उक्त काश्तकार को १) सैकड़ा मासिक व्याज देना होगा और दो किस्त का लगान न अदा होने की दशा में बिना विचार अवधिके वेदखली के योग्य होगा ।

(३) उपरोक्त अवधि के घीत जाने पर भूमि को उपरोक्त काश्तकार अपनी जोत से बिना किसी भगडे या बहानेया किसी प्रकार के दावे के अपने आप छोड देगा ।

(४) अपने सिवाय किसी दूसरे को खेती में साझी न करेगा न कोई रहने का या अन्य प्रकार का मकान बनावेगा, न कोई वृक्ष लगावेगा । ऐसा करने की दशा में वेदखली के योग्य होगा और मकान या अन्य तामीर या लगाये हुए वृक्षों में जमींदार मालिक हूगा और काश्तकार उस हानि को सहन करेगा जो उसके कार्य से होगी ।

(५) जो वृक्ष लगाये हुए या स्वयं उगे हुए खेत की मेंड या खेत के भीतर स्थित हैं, या आगे को पैदा होंगे उसकी रखवाली और देखभाल उक्त काश्तकार के ऊपर है ।

(६) काश्तकार के इस पट्टे के नियमाऽनुसार कार्य करने की दशा में अवधि के भीतर में जमींदार किसी प्रकार का हस्तक्षेप या भगडा उक्त काश्तकार के फब्जे में न करूगा । इस लिये यह थोडे से शब्द पाच साला पट्टे के रूपमें लिखदिये कि प्रमाण रहे ।

उपरोक्त पट्टे से सम्बन्धित कबूलियत

मैं कि चिरंजी वेटा देवी जाति अहीर साकिन व काश्तकार मौजा रामपुर परगना अकरा वाद तहसील सिकन्दरा राऊ जिला अलीगढ़ का ह ।

जो कि २५ बीघा पक्की भूमि जिसके नम्बर नीचे लिखे हैं मौजा रामपुर में स्थित जिसके मालिक व अधिकारी लाला देवी-दयाल वेटा विश्वम्भर दयाल जाति वैश्य रहने वाले व जमीदार रामपुर परगना अकरावाद तहसील सिकन्दरा राऊ जिला अलीगढ़ के हैं ।

उक्त जमीन का पट्टा उपरोक्त लाला साहिब से खेती करने के निमित्त सन् १३२५ फसली से सन् १३२६ फसली तक पाच साल के लिये निम्न शर्तों पर लिया है ।

(१) नियत लगान का आधा फसल खरीफ में १ नम्बर को और आधा फसल रबी में १ अप्रैल को हर साल पैदा न होने या कम होने या कम पैदा होने के बहाने बिना उक्त जमीदार को अदा करता रहूँगा ।

(२) नियत मितो पर लगान न भुगतान की दशा में एक रुपया सैकड़ा मासिक ब्याज का दैनदार हूँगा । और दो किस्त का लगान अदा न करने की दशा में बिना विचार अवधि के घेदपली के योग्य हूँगा ।

(३) उक्त अवधि के बीतने के पश्चात् भूमि को अपनी काश्त के कब्जे से बिना झगड़ें बहाने या किसी प्रकार के दावे के स्वयं छोड़ दूँगा ।

(४) अपने सिवाय किसी दूसरे को खेतों में साभी न करेगा न कोई मकाने रहायशी या अन्य प्रकार का भूमि पर न बनाऊगा न नये वृक्ष लगाउंगे पेंसा करने की दशा में जमींदार को बिना बिचाये अधिक के मेरे वे दखल करने का अधिकार होगा; और मकाने या दूसरी तामीर या लगाये हुए वृक्षों का मालिक जमींदार होगा उनके मध्ये मैं लिकी प्रकार के बदल पाने का अधिकारी न हूंगा और जमींदार मुझसे उस हानि के प्राप्ति करने का अधिकारी होगा जो ऐसे काम से होगी।

(५) जो पेड़ लगाए हुए या स्वयं उगे हुए खेत की मंड या खेत के भीतर स्थित हैं या आगे को पैदा हों उनकी रक्षायशी और देख भाल मुझ काश्तकार के ऊपर है।

(६) पट्टे की अविधि काल में मेरे इस कुवूलियत की शर्तों के अनुसार चलने की दशा में उक्त जमींदार को अधिकार मेरी घेदखली या मेरे फब्जे में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने या हस्त देने का न होगा। इस लिये यह थोड़े शब्द कुवूलियत की नाई लिख दिये कि प्रमाण रहे।

नम्बरों का ब्यौरा

हस्ता	द्वार	गवा
बैठा	ह	
लिखने की तारीख		
स्थान	बकलम	लेखक

दूसरा पट्टा

मैं कि मोहन लाल घेटा उरायन लाल जानि घासणी निवासी व जमींदार मौजा काजिम पुर परगना सुपल तदसील ग्रैर जिला अलागढ का हूँ। जो कि पट्टेद्वारा घेटा १६ बिस्वा पक्की भूमि जिसके नम्बर नीचे लिखे हैं मौजे काजिम पुर महाल घासीराम मेरी जमादारी व नम्बरदारी की ६३२) सालाना लगान पर चार साल के लिये सन् १३०६ फसली से १३०८ फसली तक सावलिया घेटा रामधन जाति चमार निवासी उक्त मौजा काजिम पुर को पट्टे पर दी हे शर्त यह है कि पट्टेदार उक्त जमीन पर नियत समय तक कायिज और अधिकारी रहकर उसको आप जोते और सालाना लगान आधा कांतिक और आधा वैमान्न में मुझ पट्टेदाता को देता रहे। पट्टेदार को उक्त जमीन में पेड लगाने या उम में से मट्टी खोदने या कोई दूसरा ऐसा काम करने का अधिकार न होगा जो उक्त भूमि के जोत में काम आने के लिए बाधक और हानिकारक हो जय अवधि का अन्तिम साल आरम्भ हो तो पट्टेदार को उचित होगा कि उक्त भूमि का त्याग पत्र (इस्तेफा) कानून लगानु क अनुसार, मुझ पट्टेदाता के नाम दाखिल कर देवे और अवधि शीत जाने पर उक्त भूमि को अपनी जोत से निकाल कर मुझ पट्टेदाता के अधिकार में दे देवे इस पट्टे की अवधि के बीच में पट्टेदाता पट्टेदार के कजे में किसी प्रकार का हस्तक्षेप और रुकावट न करेगा यदि पट्टेदार लगान हर फसल पर अदा न करे या कोई कार्य भूमि के विषय में इस पट्टे के नियमों के प्रतिकूल करे तो पट्टेदाता को पट्टे की अवधि के भीतर भी पट्टेदार को वेदखल करने का अधिकार होगा। अवधि शीत जाने पर मैं पट्टेदाता हर दशा में पट्टेदार को वेदखल कराने का अधिकारी हूँगा। इस लिये यह पट्टा लिख दिया कि सदा रहे।

दूसरी कुबूलियत (स्वीकार पत्र)

मैं कि मुनवा वेटा सूरजा जाति लोधा निवासी व काश्तकार मौजा चदनिया तहसील कोल जिला अलीगढ का हूँ। जो कि मुझ प्रण कर्ता ने ३७ बीघा १५ बिस्वा परकी जमीन जिसके नमर नीचे लिखे हैं मौजा चदनिया महाल सच्च लाला देवकी नन्दन वेटा लाला ज्योती प्रसाद जाति वैश्य जमीदार व नम्बरदार उक्त महाल से, १६३॥=) सालाना लगान पर पांच साल के लिए सन् १३२६ फसली से सन् १३३० फसली तक पट्टे परली है। इस लिए निम्न लिखित प्रतिज्ञा करता हूँ कि २१॥-1) आधा रुपया लगान का अक्टूबर के अन्त में और शेष आधा २१॥-2) लगान का रुपया अप्रैल के अन्त में त्रिना वहाने पैदा न होने और कम पैदा होने के उक्त जमीदार को रसीद लेकर अदा करता रहूँगा।

(२) नियत मितो पर लगान न चुकाने की दशा में उस पर १) सैकडा मासिक व्याज अदा करूँगा। और दो फसल का लगान अदा न करने की दशा में स्वीकार पत्र की अवधि के विचार बिना उक्त जमीदार को मेरी वेदगली का अधिकार होगा, अपनी जोत के अतिरिक्त किसी दूसरे से खेती न कराऊँगा और न भूमि पर कोई मकान या कूआ बनाऊँगा और न कोई इस प्रकार का काम करूँगा जो खेती के अतिरिक्त हो। और भूमि को उससे हानि पहुंचे और इन शर्तों के विरुद्ध चलने की दशा में बिना विचार पट्टे की अवधि के वेदखली के योग्य हुँगा। जो घूल लगाये हुए या स्वय उगे हुए खेत की-मंड या उसके भीतर हैं उनकी रखवाली और देख रेख प्रण कर्ता के ऊपर है नर्म स्वय-काम में लाउगा न किसी को लाने दूँगा।

(३) उक्त अग्रधि के यौत जाने पर भूमि को अग्रणी जोत से बिना किसी भगडे व बहाने के स्वय छोड डू गा । और कोई स्वत्व खेती के फसले और भूमि की हैसियत वृद्धि आदि का शेष न रहेगा । इस लिये यह स्वीकार पत्र लिख दिया कि सनद रहे, और आवश्यकता के समय काम आये ।

नम्बरों का व्यौरा

ह	स्ताक्षर सा	ली
सा	ली	लिखने की मिति
स्थान	बकलम	कुबूलियत लेखक

रहायशी जायदाद का पट्टा

मैं कि कामतानाथ घेटा श्रोनाथ जाति खत्री पेशा जमींदारी रहने वाला मुहल्ला सराय खिरनी शहर इलाहाबाद का ह —

जो कि मने एक पक्की दुकान निम्न लिखित सीमा वाली बाजार चोक शहर इलाहाबाद में स्थित सोलह रुपये मासिक किराये की दर से खूबचन्द्रा घेटा जवाहरलाल जाति कलवार पेशा यजाजी शहर इलाहाबाद को तीन साल की अग्रधि के लिये नीचे लिखी हुई शर्तों के साथ किराये पर दी है—

(१) उक्त किरायेदार नियत अग्रधि तक उपरोक्त दुकान पर काबिज व अधिकारी रहकर उसमें स्वयम् रहे अथवा दूसरे प्रकार से काम में लाने वह बिना विचार काम में आने या खाली रहने के किराये का देनदार हागा—

(२) किराया प्रतिमास मुझ प्रण कर्ता को बिना किसी भगडे और बहाने के रसीद लेकर या पट्टे की पीठ पर लिखा कर देता रहे, किसी मास के किराये के शेष रहने की दशा में यह उस पर

एक रुपया सैकड़ा मासिक की दर से-व्याज देने का जिम्मेदार होगा—

(३) किरायेदारी के समय में सामान्य मरम्मत लिपवाई पुतई मिट्टी डलाई आदि उक्त किरायेदार के ऊपर है और टूट फूट की मरम्मत मेरे ऊपर—

(४) नियत अवधि के बीतने के बिना मुझको उक्त किरायेदार के वेदखल करने का अधिकार न होगा हा, यदि उक्त किरायेदार के ऊपर तीन मास का किराया शेष रहेगा तो अवधि के भीतर भी वेदखली के योग्य होगा ।

(५) अवधि बीतने के पश्चात् किरायेदार का कर्त्तव्य होगा कि वह उक्त दूकान को अपने कब्जे और अधिकार स खाली करके मेरे कब्जे और अधिकार में दे देवे ।

(६) नियत अवधि के बीतने पर दूकान खाली कराने के लिये किसी खाली कराने के नोटिस देने की आवश्यकता न होगी इस लिये यह थोड़े शब्द पट्टा किरायेदारी की जाई लिख दिये कि 'प्रमाण रहे ।

दूकान की चारों सीमा

पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण
हस्ताक्षर गवाह _____ ह । गवाह _____ ह



“रहोयशी जायदाद के किरायेदारी का स्वीकार पत्र या किरायेनामा”

मैंकि पूर्वोक्त वेदा जवाहरलाल जाति कलेवा पेशा बजाजी रहने वाला मुहल्ला सराय मीरमा शहर इलाहाबाद का हूँ ।

जोकि मैंने एक दुकान पक्की निम्न लिखित नामा वाली बाजार चौक शहर इलाहाबाद में स्थित मुन्शी कामतानाथ वेदा आनाथ जाति खत्री पेशा जमीदारी रहने वाले मुहल्ला सराय खिरनो शहर इलाहाबाद उक्त दुकान के मालिक से नीचे की शर्तों के अनुसार तीन साल की अवधि के लिये किराये पर लेकर किरायेदारी स्वीकार की है।

(१) मैं किरायादार नियत अवधि तक उक्त दुकान में स्वयम निवास करूंगा अथवा अन्य प्रकार से काम में लाऊंगा, और उक्त दुकान के किराये का दैनदार बिना विचार काम में लाने या खाली रहने के रहूंगा।

(२) किराया प्रतिमास उक्त मालिक को बिना किसी झगड़े और बहाने के रसीद लेकर या किराये नामे की पीठ पर लिखाकर देता रहूंगा, किसी मास का किराया शेष रहने की दशा में उस पर एक रुपया सैकटा मालिक ध्याज दरम ध्याजका दैनदार हूंगा।

(३) किरायेदारी के समय में साधारण मरम्मत लिपाई पुताई और मिट्टी डलाई मेरे ऊपर है और टूट फूट की मरम्मत उक्त मालिक के जिम्मे है

(४) नियत अवधि के बीत जाने तक उक्त मालिक को किसी पदाने से मुझ किरायेदार को बेदखल करने का अधिकार न हागा-

हां! यदि तीन मास का किराया मेरे ऊपर शेष रह जाय तो मैं अवधि के भीतर भी वेदखली के योग्य हूंगा।

(५) नियत अवधि के बीतने के पश्चात् दुकान के खाली कराने के लिये, किसी खाली कराने के नोटिस देने की आवश्यकता न होगी—इस लिये यह थोड़े शब्द किरायानामा या कुबूलियत की भांति लिख दिये कि प्रमाण रहे।

दुकान की चारों सीमां

पू	_____	व	पश्च	_____	म
उत्त	_____	र	दक्षि	_____	ण
हस्ताक्ष	_____	र	गवा	_____	ह
लिखने की तारीख	_____	स्थान	_____		
वकालत	_____	लेखक	_____		

“साधारण किरायेनामा”

मैं कि इमदाद खा घल्द इलाही वरुश कौम राजपूत नौमुसलिम पेशा जरदौजी साकिन कस्बा खुर्जा जिला बुलन्द शहर का ह। जो कि मैंने अपनी प्रसन्नता व इच्छा से एक पक्का बना हुआ मकान पश्चिम मुहाना उत्तर मुहाने दो कोठों से सम्मिलित और उसके आगे चौक और पूर्व खड़ी दुवारी मुहल्ला करोडों कस्बा खुर्जा में निम्न लिखित सीमा वाला जो लाला प्यारे लाल बेटा तेजपाल जाति धंश्य चूड़वाल रहने वाले कस्बा खुर्जा के कब्जे और अधिकार में है अब उस मकान का उक्त मालिक स एव रुपया चार आना मासिक किराए की दर से ग्यारह मास की अवधि के लिये एक सितम्बर सन् १९१८ ई० से एक अगस्त सन् १९१९ ई० तक किराया देना चाहता हूँ।

अन प्रतिष्ठा करता हू और लिखे देता हू कि ऊपर नियत किया हुआ किराये का रुपया प्रतिमास उक्त मालिक को रसीद लेकर या इस किराए नामे की पीठ पर वसूल लिखा कर देता रहू गा। और नियत अवधि के बीत जाने पर उक्त मकान को अपने कब्जे और अधिकार मे बिना झगडे और बहाने के छोड दूगा। टूट फूट की मरम्मत उक्त मालिक के जिम्मे है, और लिपाई टिहसाई और छत्त पर मिट्टी डलाई मेरे जिम्मे है। किराये के न चुकाने की दशा में उक्त मालिक को बिना विचार अवधि अधिकार होगा कि मुझको मकान से पेदखल करदें और किराया चढे हुये को मुझ से जिस प्रकार चाहें वसूल करें इस लिये यह किराये नामा लिख दिया कि सनद रहे।

इति

मकान की चारों सीमा

पूर	पश्चिम	दक्षिण	उत्तर
मकान दुर्गा राज	इस मकान का आजम अलीखा दरवाजा फिर रास्ता	के दायभागियों की रिआया का मकान	उक्त मालिकका दूसरा मकान
हस्ता	क्षर	गवा	ह
इमदाद या वटद इलाही वटश व० खुद	संयद मुमताज अली वटद उसमान खा कोम संय्यद पेशा वैद्यक साकिन गुर्जा व० खुद	गवा	ह
		रोशन अली वलद बटद अली कोम संय्यद पेशा दृकान दारी साकिन गुर्जा मुहरला सादात व० खुद	

लिखने की तारीख

स्थान

वकलम

किराये नामे का लेखक

“पेशगी रुपये का पट्टा”

हम कि सालिगराम वेटा व मुसम्मात मेंडो विधवा अमरसिंह जाति जाट रहने वाले व खेती करने वाले गांव भीमपुर परगना तहसील अनरौली जिला अलीगढ़ के हैं—

जोकि उक्त ग्राम भीमपुर में ३५ बीघा ११ बिसवा पक्की भूमि नीचे लिखे हुये नम्बरों वाली हमारी सीर है और हम अपने दूसरे काम धन्धों के कारण उसका प्रबन्ध और रखवाली नहीं कर सकते। इस लिये उपरोक्त भूमि को (१७५) रुपये सालाना लगान पर राम दयाल वेटा रामकिशन जाति ब्राह्मण उक्त ग्राम निवासी को पाच वर्ष के लिये खरीफ सन् १३२१ फस्ली के आदि से रबी सन् १३२५ फस्ली के अंत तक पट्टे पर देदी और ४०० रुपया कि जिसके आधे २००) रुपये होते हैं उक्त रामलाल से पेशगी लगान की नाई प्राप्त कर लिये और उक्त भूमि पर उसको दखल दे दिया, पट्टेदार को चाहिये कि चाहे आप खेती करे या किसी दूसरे मनुष्यों से कराये और लगान के रुपये में पहिले चार साल में (१००) रु० साल काट कर ७५) रुपये साल हमको देता रहे और पिछले साल में कुल (१७५) रु० अदा करे आधा आधा लगान का रुपया फसल वार ता० १५ अक्टूबर व १५ अप्रैल को चुकाने योग्य होगा। नियत तारीख पर लगान वाजिब अदा न करने की दशा में उस पर एक रुपया नैकड़ा मासिक व्याज देना होगा और पट्टे की अवधि के भीतर हम प्रणक्तों बाधक और रुकावट डालने वाले पट्टेदार के न होंगे और उसको वेदखल न करेंगे। हमारे ऐसा करने की दशा में हमारी किसी झुट्टि या सौट के कारण उक्त पट्टेदार पट्टे की वेदखल हा जावे तो उसको अधिकार होगा कि अपना जो बिना भुगतान रदा हो-हानि और व्यय सहित पट्टेदार से पन्तू करे।

पट्टेदार को कोई अधिकार पट्टे की भूमि में पेड़ लगाने, मिट्टी खोदने या दूसरा कोई काम खेती के प्रयोजन के, विद्वज्ज करने शान होगा और अधि के दंत जाने पर उसका कर्तव्य होगा कि पट्टे की भूमि को अपने अधिकार से निकाल कर हमारे कब्जे में दे दे। इस लिये यह थाडे स शब्द जरूरी पेशगी पट्टे की नाई लिख दिये कि सनद रहे।

नम्बरी का ब्यौरा

हस्ताक्षर गवाह गवाह
लिखने की तारीख मुकाम लिखने वाला दस्तावेज का

ठेका जरूरी पेशगी

मैंकि मुसम्मन नूरेकातिमा बेटी मौलवी अहमदहुसैन जानि शेख पेशा जमींदारी रहने वाली कस्बे मलीहाबाद जिला लखनऊ की हूँ।

जोकि मुझ प्रतिष्ठा करने वाली को १३ मई सन् १८६१ ई० के लिये और १६ मई सन् १८६१ ई० की रजिस्ट्री किये हुए दान पत्र द्वारा नीचे लिखे ब्यौरे अनुसार जायदाद मौलवी अहमदहुसैन मेरे पिताने पत्रिक प्रेम फी दृष्टिसे दानकी उसपर लसी दिनसे मैं मालिक की तरह कायिज और अधिकारिणी हूँ। परन्तु परदे में रहने के कारण मैं स्वयम् उक्त जायदाद का प्रबंध और रखावती नहीं कर सकती और नार्थवैस्टरन बैंक मैरठ के ऋण का भारी भार वर्तमान प्रबंधक क कुप्रबन्ध के कारण मेरे ऊपर होगया है, अथ तक कोई मार्ग ऋण चुकाने और भार से हतका हाने का प्राप्त नहीं हो सका। वरन् ब्याज भी उक्त ऋण का नहीं चुक सका इस कारण उक्त ऋण के रुपये में वृद्धि होकर उनकी सरया तैतालोस हजार ४३०००) रुपये के लगभग होगई है। और दिन पर दिन मेरी

जायदाद घोभिल होती चली जाती है। जिससे मुझको अपनी जायदाद के नष्ट होजाने की शका है, जायदाद की रक्षा और उक्त ऋण चुकाने के लिये प्रबन्ध करना आवश्यक और उचित है।

अब मेरी प्रार्थना पर मेरे पिता उक्त मौलवी अहमदहुसेन साहिब रईस मलीहाबाद जो अदालत की आज्ञानुसार मुहम्मद अहमदसईदखा की ओर से नियम पूर्वक सरत्तक नियत हैं उक्त नाबालिग की ओर से उसकी जायदाद की आमदनी से साहिब जज बहादुर की आज्ञानुसार उपरोक्त जायदाद का ठेका ११ साल के लिये लेने और ४३०००) ठेकेका रु० पेशगी देने पर राजी होगये हैं। और ठेके के नियम निम्न लिखित ठहरे हैं। इस लिये स्वस्थ चित्त और स्थिर बुद्धि व इन्द्रियों की ठीक अवस्था में अपनी इच्छा और प्रसन्नता से बिना किसी दबाव या बहकावट के यह दस्तावेज ठेका जरे पेशगी का मुहम्मद अहमदसईदखा पुत्र नाबालिग मुहम्मद अब्दुशशकूरखा कौम शेख साकिन मलीहाबाद के नाम अपने पिता मौलवी अहमदहुसेन की सरत्तिका में लिखती ह। और नीचे लिखे अनुसार प्रण और प्रतिज्ञा करती ह।

(१) ४३०१०) जरे पेशगी उक्त मौलवी साहिब सरत्तक मुहम्मद अहमदसईदखा नाबालिग से इस प्रकार घसूल पाये कि कुल उक्त रुपया नार्थवेस्टरन बैंक मेरठ का ऋण चुकाने के लिये उक्त मौलवी साहिब के पास छोड दिये कि उक्त ऋण का भुगतान करके मेरा लिखा तमस्तुक वापस कर लें।

(२) ठेके की कुल जायदाद पर आजकी तारीखसे उक्त मौलवी साहिब को उक्त नाबालिग के हितार्थ बर्तीर ठेकेदार अपने समान करा दिया। उक्त मौलवी साहिब को उचितहै कि कागजात

के ठेकेदार के रूप में दाखिल करा लें मुझको किसी प्रकार का बहाना और आक्षेप नाम दर्ज होने में न होगा ।

(३) यह कि ठेके की अवधि ग्यारह साल की फसल गरीफ सन् १३०४ से रबीअ सन् १३१४ फसली तक ठहरी और सरकारी माल गुजारी व अन्य हर प्रकार के खर्चा के अतिरिक्त जो ठेकेदार के जिम्मे ठहरे हैं ठेके का रुपया सालाना ७५१०) रुपया ठहरा उसमें से ३६१०) रुपया सालाना उक्त ठेकेदार अपनापेशगी रुपया काटते थोर हिसाब में लगाते रहें और शेष ३६००) सालाना अर्थात् १२००) छ माही बैसाख और कातिक मास में मुझ ठेके देने वाली को देते रहें ।

(४) उक्त जायदाद के छूटने तक उपरोक्त ठहरा हुआ रुपया पाने के सिवाय मुझको और मेरे दाय भागियों और स्थाना पन्नो और प्रतिनिधियों को जायदाद से कुछ सम्बन्ध न होगा, जायदाद का हर प्रकार का प्रबन्ध उक्त मौलवी साहिब और उनके स्थानापन्न के अधिकार में रहेगा ।

(५) यह कि जो बकाया लगान व आबपाशी पिछली साल की आसामियों के ऊपर शेष है उसके उधाने का भी अधिकार ठेकेदार को है ठेका सालाना नियत करने में उमका विचार कर लिया है ।

(६) यह कि ठेके के समय में समस्त भूमि व आकाश सबधी आपत्ति ठेकेदार के जिम्मे ठहरी है । यह सरकारी मालगुजारी और मुझ को ठेके सालाना का रुपया अदा करने का जिम्मेवार बिना बिचार पैदावार न होने या कम पैदावार होने के रहेगा । हा अगर काइ किन्न मालगुजारी की मुश्काल या मुलतूथी हो जाय तो उसके पाने का अधिकारी ठेकेदार है, परन्तु प्रत्येक दशा में उस का १२००) छ माही मुझ ठेका देने वाली का अदा करे हामें ।

(७) यह कि ठेके के दिनों में कोई हस्तक्षेप ठेकेदार के अधिकार और प्रबन्ध में मुझ ठेका देने वाली की ओर से न होगा, यदि मैं किसी प्रकार का हस्तक्षेप करूँ या मेरे स्वामित्व की भ्रष्टि या किसी अन्य मेरे कारण से समस्त या कोई भाग ठेके की जायदाद का ठेकेदार के अधिकार से निकल जावे तो ठेकेदार को अधिकार होगा कि उतना ही रसूदी रुपया सालाना ठेके का कुल गाँवों की मालगुजारी पर जो परतसे पड़े कम कर लेवे। और मैं ठेका देनेवाली ठेकेदार को हानि और व्यय जो ठेकेदार को करना पड़े देने की जिम्मेवार हूँ।

(८) यह कि ठेके की नियत अवधि बीत जाने पर ठेकेदार का कर्तव्य होगा कि जायदाद को अपने अधिकार और प्रबन्ध से निकाल कर मुझ ठेका देने वाली के प्रबन्ध में दे दे।

(९) ठेके के दिनों में ठेकेदार को इमारती लकड़ी या बागवत के काटने और बेचने का अधिकार न होगा। किन्तु बबूल के पेड़ और दूसरी इधर उधर खड़ी लकड़ी खेती के औजारों के लिये ठेकेदार कटवा सकेगा।

(१०) यह कि इस ठेके नामे के नियम और प्रतिज्ञा दोनों पक्षों और उनके दायभागों और स्थानापन्नों को पालन करना होंगा। और कोई उनके विरुद्ध न कर सकेगा। इसलिये यह थोड़े से शब्द ठेका जरे पेशगी के रूप में लिख दिये कि प्रमाण रहे।

ठेके की जायदाद का व्यौरा।

हस्ता _____ कर _____ गवा _____ ह
गवा _____ ह



हिवा नामा (दानपत्र)

परिभाषा । दान पत्र, परिचर्तन है किसी, वर्तमान, घ, नियत आयदाद का वक्त हो या अज्ञात जो कोई मनुष्य इच्छा पूर्वक और बिना लेन किसी वस्तु के दूसरे के प्रति करे ।

परिचर्तन कर्ता दानी और परिचर्तन लेने वाला दान, प्रहीता कहलाता है । दान प्रहीता स्वयं या उत्तकी ओर से और कोई मनुष्य दान स्वीकार करे ।

(दफा १२२ क़ानून इन्तिकाल जायदाद)

नियम । अचल जायदाद के दान के लिये आवश्यक है कि उसका परिचर्तन रजिस्ट्री दस्तावेज़ द्वारा हो । जिस पर दानी या उसकी ओर से किसी और मनुष्य का हस्ताक्षर हो और कम से कम दो साक्षियों ने उसको प्रमाणित किया हो । चल जायदाद के दान के लिये जाइज़ा है कि उसका परिचर्तन चाहे किसी तिथी पर रजिस्ट्री दस्तावेज़ द्वारा (जिस पर ऊपर लिगे अनुसार हस्ताक्षर आवि हो) चाहे सांपने द्वारा किया जाए । और जाइज़ा है कि सांप उसी प्रकार हो जैसे वेने हुए मात की होती है ।

(दफा १२३ क़ानून इन्तिकाल जायदाद)

यदि दान में वर्तमान और आगामी दानों जायदाद सम्मिलित हो तो आगामी जायदाद के विषय में दान निरर्थक समझा जावेगा ।

व्याख्या

दान के लिए आवश्यक है कि वह नियत सम्पत्ति का हो और यह सम्पत्ति वर्तमान स्थिति रखती हो । अनियत धार

सम्पत्ति का दान कानून के अनुसार नाजाइज होता है। इसके सिवाय दानी ने इच्छा पूर्वक उसको दूसरे मनुष्य को दिया हो। ऐसा नहो कि धोरे व छल आदि से उससे दान पत्र लिखा लिया हो। और दान बिना किसी बदले के हो, जो दान बदल सहित होता है उसको मुहम्मदी धर्मशास्त्रानुसार हिवा, विलएवज कहते हैं। वह वेअ के समान होता है और वेअ नामे की तरह लिखा जाता है सामान्य सूचना। दान पत्रमें दान की हुई जायदाद की मालियत का परिमाण अवश्य लिखना चाहिये जिससे उचिन स्टाम्प लगाया जासके।

स्टाम्प : वही रसूम जो वैअनामे के लिए नियत है अर्थात् यदि दान की हुई जायदाद का मूल्य ५०) से अधिक न हो तो ॥) सौ रुपये तक १) एक हजार रुपये तक हर सौ पर १) एक हजार रुपये के पश्चात् हर अधिक पाच सौ रुपया या उसके भाग पर ५)

मह २३, जमीना १ कानून स्टाम्प एक्ट २

सन १९६६ ई०

दान पत्र

मैं कि हरफूल वेटा सीताराम जाति ठाकुर जादों रहने वाला व हफिकयतदार ग्राम स्यारौल परगना टप्पल तहसील खैर जिला अलीगढ का हू।

जोकि मेरे पिता सीताराम का लगभग २५ वर्ष

छोडे किसी जायदाद या घर की सामिग्री

भाई मन्फल की शाय उस समय २३

लग भग उसी समय से फौज में लौकरी करली । अब तक वहाँ लौकर हों, और उस समय से मेरेपर विभक्तकुलकेसमान रहते और शपना निर्वाह करते हैं अपनी आमदनी व जो कुछ आयदान उन्हीं में पैदा की है उस पर यह और उनकी समान अलग अधिकारी है, मुझ अकेले में भी उस समय से भीषाद का काम भ्रष्टाचार किया उक्त कारदार में बहुत कुछ सफलता प्राप्त हुई और अपने यादुपल से मने मोने लिखी हुई विविध सम्पत्ति अपाजित की जिन पर मैं बिना किसी की शरकत और साझे के अब तक कृतनिश और अधिकारी हूँ, यह आयदाद हर प्रकारके प्रणु और भार से निर्वाह है, उस में मेरा कोई साझे व अशी नहीं है उसके मने मुझ को हर प्रकार के परिवर्तन का अधिकार प्राप्त है मेरी समान में कोई पुत्र नहीं है, केवल एक रासकी लीलावती है जो भीष्म शेरपुर जिला मेरठ में हरमशसिंह को ब्याहो है उक्त लड़की के पेट से एक लड़का रामसदाय सिंह लग भग पारद पर्व की आयु का है जो बहुत छोटी अवस्था से मेरे पास रहता है, मैंने उसको अपने पालकके समान पाला है, और मुझको उससे अत्यन्त प्रेम है मैं उस प्रेम के पश जो मुझको उक्त राम सदाय सिंह से है नीचे लिखी हुई आयदाद (लगभग २०००) के सुख वाली को उसको देगा और अपने जीते जी उसको उसका स्वामी बनाना चाहता हूँ । और कोई बात परि वर्तन में बाधक नहीं है, इस बात पर यदि डालकर मैंने स्वस्थ चित्त और स्थिर मुदि की अवस्था में, अपनी इच्छा और प्रसन्नता से बिना किसी जबरदस्ती और वषाय को नीचे लिखी हुई आयदाद अपने पेटसे उक्त रामसदाय सिंह पेटा हरमश सिंह जाति ठाहुर जादों रहने वाले, ग्राम सारील जिला अलीगढ़ के प्रति दान की और गगश की ओर सालिकों के समान वास्तविक अधिकार दान की हुई आयदाद पर दान मदीना को दे दिया।

के कारण बहुधा रोगी रहता हूँ मेरे लड़के एजहुसैन और उस की पत्नी मुसम्मात रहीमन ने मेरी बहुत कुछ सेवा और सत्कार किया है और मैं उनके चलन व चर्चा से अत्यन्त प्रसन्न हूँ बहुत काल से मेरा विचार जमीमा (अ) व (ब) में लिखी जायदाद की एजहुसैन व मुसम्मात रहीमन के प्रति उनकी सेवा और सत्कार के पुरस्कार रूप में देने का है, और कोई बात परिवर्तन की बाधक नहीं है।

इस बात को विचार कर अपनी इच्छा और प्रसन्नता से इस जायदाद के नीचे जमीमा (अ) व (ब) में लिखी हुई जायदाद को बिना बहकावट और दबाव के समस्त अधिकार व स्वत्व आश्रित सहित बिना किसी शर्त के छोड़े और बिना भाग के त्यागे एजहुसैन व उक्त मुसम्मात रहीमन के प्रति समान भाग से दान किया और बखश दिया और दान की हुई जायदाद में अपना स्वत्व और अधिकार उठाकर दान ग्रहीता को अधिकारी और क़ाबिज़ कर दिया अत्र मुझको और मेरे दायभागियों स्थानापन्नों और प्रतिनिधियों को कोई सम्बन्ध और प्रयोजन किसी प्रकार का रहन की हुई जायदाद पर नहीं रहा, दान ग्रहीता को समस्त अधिकार स्वामियों के समान परिवर्तन के मेरी तरह प्राप्त होंगे। इस लिये यह दान पत्र लिखा दिया कि प्रमाण रहे।

हस्ता _____ सर _____ गया _____ ह

गयाह

लिखने की तारीख

यफ़लम

स्थान

दान पत्र लेखक



आज की तारीख से न रहा मेरा और मेरे दाय भागी स्थाना पत्नों और प्रति निधियों का कोई स्वत्व और अधिकार किसी प्रकार का रहन की हुई जायदाद पर।

दान ग्रहीता के नाम का दाखिल खारिज कागजात माल में नियम पंथक करा दूंगा, अन्यथा दान ग्रहीता अपने अधिकार से करा लेवे किसी प्रकार का बहाना न करेगा इसलिये यह थोड़े से शब्द दान पत्र के रूप में लिख दिये कि प्रमाण रहे।

दान की हुई जायदाद का व्यौरा जो समस्त बाहिरी व भीतरी स्वत्व व अधिकार सहित बिना छोड़ने किसी स्वत्व व वस्तु के दान की गई।

हस्ता _____ तार _____ गवा _____ ह _____ गवा _____ ह
 स्थान _____ बकलम _____ दानपत्र
 लेखक

दान पत्र ।

मंकि हस्सन बेग बेठा गुलाम हुसैन जाति मुगल पेशा खेती व व्यापार रहने वाला गाव साखनी परगना अनूपशहर जिला बुलन्द शहर का है। जोकि इस दस्तावेज के नीचे जमीमा (अ) में लिखी जायदाद मेरी पैदा की हुई है, और इस दस्तावेज के नीचे जमीमा (ब) लिखित जायदाद मुझको दायभागी रूप में मेरे चचा व पुत्रों में लगभग सान साल की मुद्दत हुई मिली है, दोनों प्रकार की जायदादों पर मैं प्रण कर्ता बिना किसी अन्य के स्वामे और शरकत के मालिकों के समान अधिकारी और स्वामी हूँ मुझको उक्त जायदाद के मध्ये हर प्रकार के अधिकार प्राप्त है, मैं कुछ काल से आखों से भन्धा हो गया हूँ और निर्वलता

के कारण बहुधा रोगी रहता हूँ मेरे लड़के एयजहुसैन और उस की पत्नी मुसम्मात रहीमन ने मेरी बहुत कुछ सेवा और सत्कार किया है और मैं उनके चलन व वर्ताव से अत्यन्त प्रसन्न हूँ। बहुत काल से मेरा विचार ज़मोमा (अ) व (ब) में लिखी जायदाद की एयज हुसैन व मुसम्मात रहीमन के प्रति उनकी सेवा और सत्कार के पुरस्कार रूप में देने का है, और कोई बात परिवर्तन की बाधक नहीं है।

इस बात को विचार कर अपनी इच्छा और प्रसन्नता से इस जायदाद के नीचे जमीमा (अ) व (ब) में लिखी हुई जायदाद को बिना बहकाषट और दवाय के समस्त अधिकार व स्वत्व आश्रित सहित बिना किसी स्वत्व के छोड़े और बिना भाग के त्यागे एयज हुसैन व उक्त मुसम्मात रहीमन के प्रति समान भाग से दान किया और बखश दिया और दान की हुई जायदाद में अपना स्वत्व और अधिकार उठाकर दान ग्रहीता को अधिकारी और क़ायिज कर दिया अत्र मुझको और मेरे दायभागियों स्थानापन्नों और प्रतिनिधियों को कोई सम्यग् और प्रयोजन किसी प्रकार का रहन की हुई जायदाद पर नहीं रहा, दान ग्रहीता को समस्त अधिकार स्वामियों के समान परिवर्तन के मेरी तरह प्राप्त होंगे। इस लिये यह दान पत्र लिखा दिया कि प्रमाण रहे।

हस्ता _____ तार गवा _____ ह

गवाह

लिपने की तारीख

वफ़ातम

स्थान

दान पत्र लेपक



तमलीक नामा (समर्पण पत्र)

तमलीक नामे से तात्पर्य चल या अचल सम्पत्ति के समर्पण से है जो लेख द्वारा किया जाय और वह लेख

(अ) विवाह के बदले में हो या

(ब) वास्ते वांटने सम्पत्ति के समर्पण करने वाले के सम्बन्धी या उन मनुष्यों के बीच में हो जिनका वह पालन करना चाहता हो। या वास्ते पालन करने किसी ऐसे मनुष्य के हो जो उसका आश्रित हो या

(स) वास्ते किसी धार्मिक काम के हो या किसी पुण्य के लिये हो। और उक्त शब्द में ऐसा प्रतिज्ञा पत्र भी सम्मिलित है जिसमें वैसे समर्पण की प्रतिज्ञा की जावे।

स्टाम्प । तमलीक नामे पर स्टाम्प तमस्सुक की दर से जायदाद की मालियत पर लगता है। और अगर समर्पण के प्रतिज्ञा पत्र पर पूरा स्टाम्प लगा दिया जावे तो फिर जो तमलीक नामा लिखा जावे उस पर केवल ॥) का स्टाम्प लगेगा। तमलीक नामे के खरडन पर भी स्टाम्प तमस्सुक की रीति से लगता है। परन्तु १०) से अधिक का स्टाम्प नहीं लगता।

(कानून स्टाम्प ज़मीमा १ महद ५८)

रजिस्ट्री । तमलीक नामा यदि अचल सम्पत्तिसे सम्बन्ध रखता हो और उसका मूल्य सौ रुपये से अधिक हो तो उसकी रजिस्ट्री होना आवश्यक है।

(एफ्ट रजिस्ट्री दफे १७)

तमलीक नामा [समर्पण पत्र]

मैं कि मुहम्मद अहमद बेटा सुलतान अहमद जाति शेख रहने
वाला मौजा, जिला, का हू।

जो कि मेरी आयु लग भग सत्तर ७० साल के है और बहुधा
बीमार रहता हू, इसलिये दूरदर्शिता के विचार से यह उचित
समझता हू कि मैं अपने जीते जो अपने दाय भागियों को अपनी
सम्पत्ति का स्वामी बना दू, जिस से आगे को लड़ाई भगडा न
मचे और मेरे दायभागी उस को सुख शान्ति के साथ भाग सकें
मुझ प्रण कर्ता के दो लडके शफीअहमद और नजीरअहमद
नामक मेरी पहली पत्नी कलसुमुन्निसा नाम्नी के पेट से हैं जो
लग भग दस साल का समय हुआ मर गई, और एक लडका बशीर
अहमद और दो लडकिया जेबुन्निसा व इम्तियाजुन्निसा मेरी
दूसरी पत्नी न्याज फातिमा नाम्नी के पेट से हैं, और न्याज फातिमा
अवतक जीवित है। इस लिये मैं स्वस्थ चित्त व स्थिर बुद्धि और
पच इन्द्रियों के ठोक ठोक हीने की अवस्था में अपनी, स्वय पैदा
की हुई निम्नलिखित सम्पत्ति के निम्न लिखित स्वामी बनाता हू।

जायदाद का व्यौरा

शफीअ अहमद। एक पक्का मकान नीचे की सीमा व व्यौरे वालों
नजीर अहमद " " " " " "
बशीर अहमद " " " " " "
जेबुन्निसा नाम्नी पुत्री " " " " " "
इम्तियाजुन्निसा नाम्नी पुत्री " " " " " "
न्याज फातिमा नाम्नी पत्नी " " " " " "

जिस जायदाद का जो स्वामी बनाया गया उसको वास्तविक
रूप से उन् पर अधिकार दे दिया, और आज की तारीख से

उमको निश्चय स्वामी बना दिया, भू सम्पत्ति पर हर एक अधिकारी का नाम माल के कागजात में लिखा दूंगा, अन्यथा वह अपने अधिकार से लिखालेवें। आजकी तारीखसे मेरे हर एक दाय भागी को उस सम्पत्ति से कुछ सम्बन्ध व प्रयोजन नहीं रहा जिसके स्वामी दूजरे दाय भागी बनाये गये हैं। और न आगे को होगा। मेरे जीते जी वशीर अहमद उस जायदाद के मुनाफे में से मुझ को २५) मासिक रोटी कपड़े के खर्च के लिये देता रहेगा जिसका वह स्वामी बनाया गया है। और वह जायदाद मेरे जीते जी उस भार की ज़िम्मेवार होगी और उस में आड और ऋणग्रसित रहेगी शेष मनुष्यों की सम्पत्तियों से मुझ को कुछ सम्बन्ध नहीं रहा। न आगे को होगा। स्वामी बनाई हुई समस्त सम्पत्ति सर्व प्रकार के भार और ऋण 'से' रहित व निर्दोष है, ईश्वर न करे यदि किसी प्रकार का ऋण या भार निकले या कोई झगडा तमलीक (समर्पण) की हुई जायदाद के मध्ये पैदा हो तो उसका सहन करने वाला और उत्तर दाता वही मनुष्य होगा जिसको उस जायदाद का स्वामी बनाया गया है इस लिये यह तमलीक नामा, लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आये।

हस्ता _____ हर _____ गवा _____ ह
 गवा _____ ह लिखने की तारीख
 स्थान वकलम लेखक

दूसरा समर्पण पत्र

मैंकि रामधन बेटा बुद्धिसेन जाति ब्राह्मण रहने वाला अमुक जिला अमुक का हूँ। जोकि मेरी सन्तान में से कोई पुत्र नहीं है

मेरे दो विवाह हुए हैं और दोनों पत्नियों का देहान्त हो गया, पहली स्त्री की सन्तान में केवल एक लड़की लीलावती नाम्नी है और उसका एक नानापातिंग लड़का चैनसुध है जो अपने मायाप के साथ सहावर गाव में रहता है दूसरी पत्नी की सन्तान में भी एक पुत्री रामप्यारी नाम्नी थी परन्तु उसका मेरे जीवन में देहान्त हो गया, उसका एक लड़का रामसुग है जो बहुत छोटी अवस्था में मेरे पास रहता है। और मैंने उसका पालन किया है। उसकी आयु अब ११ साल के लगभग है। इन लोगों के अतिरिक्त और कोई मेरा दाय भागी नहीं है। मेरे सगे भाए सीताराम का एक लड़का सुरजपाल है। यद्यपि वह मेरा दाय भागी विभक्त कुल और बहुत काल से अलग रहने कारण नहीं है परन्तु मुझको उससे प्रेम व प्रीति है। और मैं उसको भी अपनी सम्पत्ति से कुछ देना चाहता हूँ। मेरे पिता बुद्धसेन घिस विसवे मौजे रामनगर के स्वामी व अधिकारी थे मेरे और सीताराम के, घटवारे के समय जिसको लगभग २५ वर्ष हुए आधा भाग उक्त गाव का मुझका मिला, और उसका मैंने घटवारा कराकर अलग महाल बनवा लिया, जो अब महाल रामधन कहलाता है, और खाता खेवट नम्बर २ में है, पैतृक मकान में जो मुझको घटवारे द्वारा मिला था और उसको मैंने बहुत सी लागत लगाकर नये सिरे से बनवा लिया है उस में मैं अपने घरे रामसुग सहित रहता हूँ। इसके अतिरिक्त एक नौहरा स्वयं मेरा मोल लिया और बनवाया हुआ है जो पशुओं आदि के काम आता है, इसके सिवाय मौजे हयातपुर परगने फरीदनगर में पाच विसवे दफ्तरियत जमींदारी खाता खेवट न० ६ और मौजे मुहसिनपुर परगने जलालाबाद में साढे सात विसवा जमींदारी खाता खेवट न० ४ स्वयं मेरी पैदा की हुई है पिछला मौजा सहावर लीलावती और चैनसुध के निवास स्थान व बहुत समीप है।

दूर दर्शिता के विचार से मैं यह उचित समझता हूँ कि अपने जीवन में उसके अधिकारियों को अपनी सम्पत्ति का स्वामी बना दूँ जिससे, आगे को कोई लड़ाई भगडा न कर सके। और सन्तोष के साथ उससे सुख और लाभ उठावें।

इस लिये बिना बहकावट और दबाव के अपनी इच्छा और प्रसन्नता से दस बिसबे हविकयत मौजा रामनगर अपने हिस्से व महाल को अपने भतीजे सुरजपाल के प्रति और पैतृक मकान और नौहरा नीचे लिखी हुई सीमा अनुसार मौजे रामनगर में स्थित और पाच बिसबे हविकयत गांग हयातपुर में स्थित खाता खेवट न० ६ को रामसुख अपने धेवते के प्रति, और साढ़े सात बिसबा हविकयत जमींदारी चाकिश मौजे मुहसिनपुर परगना जलालाबाद को लोलावती नाम्नी अपनी पुत्री व चैनसुख धेवते के प्रति बराबर २ तमेलीक करता और स्वामी बनाना हूँ, और हर प्रकार के बाहिरी भीतरी समस्त स्वत्व व अधिकार हर एक जायदाद से सम्बन्धित उसके साथ परिवर्तित करता हूँ।

स्वामित्व प्राप्त सम्पत्ति पर हर एक स्वत्वाधिकारी को अधिकार देदिया और उसको स्थिर और स्थाई स्वामी उसका बना दिया अब मुझ को समर्पण की हुई जायदाद से कोई सम्बन्ध नहीं रहा और न आगे को होगा। जो जायदाद जिस मनुष्य को समर्पण की गई है वह उस पर अपना नाम दाखिल करा लेवे और जिस प्रकार चाहे उससे स्वामि रूप में लाभ उठावे। इस लिये यह समर्पण पत्र लिखदिया कि सनद रहे। और समयपर काम आवे।

हस्ता _____ क्षर गवा _____ ह

गवा _____ ह

लिखने की तारीख _____ स्थान _____

पक्षलम _____

वसीयतनामा (निष्ठापत्र)

शब्द वसीयत (निष्ठा) से अभिप्राय उस सकल्प के राजनीति अनुसार प्रकट करने से है जो निष्ठा करने वाला अपनी सम्पत्ति के सम्यग्ध में रखता हो । और जिसका पूरा होना वह अपने मरने के पीछे चाहता हो ।

परिशिष्ट निष्ठा पत्र से तात्पर्य उस दस्तावेज से है जो निष्ठा पत्र से सम्यग्ध रखता हो । और जिसके अनुसार निष्ठा पत्र के अभिप्रायों की व्याख्या, या तयदीली (बदल) या उनमें अधिकता की जाय । और परिशिष्ट निष्ठा पत्र अधिक भाग निष्ठा पत्र का समझा जाता है । प्रोवेट शब्द से तात्पर्य निष्ठा पत्र की लिपि से है जो किसी अधिकारप्राप्त न्यायालय की मुहर से प्रमाणित हो जब कि उसके साथ अधिकार पत्र निष्ठा करने वाले की सम्पत्ति के प्रबन्ध करने का सम्मिलित हो । वसी (अध्यक्ष) से तात्पर्य उस मनुष्य से है जिसको निष्ठा करने वाले ने अपने अन्तिम निष्ठा पत्र के कार्य करने के लिये उस निष्ठापत्र द्वारा नियत किया हो । शब्द ऐडमिनिस्ट्रेटर (शासक) से अभिप्राय उस मनुष्य से है जिसको अध्यक्ष न होने की दशा में किसी अधिकार प्राप्त हाकिम ने किसी मृत मनुष्य की सम्पत्ति के प्रबन्ध के लिये नियत किया हो ।

स्टाम्प । वसीयत नामे के लिये किसी स्टाम्प की आवश्यकता नहीं वह सादा कागज पर लिखा जा सका है रजिस्ट्री उसकी स्वाधीन है सिवाय उन जातियों के जिनसे एक्ट सन् १८६५ सम्बन्ध रखता है दूमरे मनुष्यों के निष्ठा पत्र के लिये साक्षियों के हस्ताक्षर की भी आवश्यकता राजनीति अनुसार नहीं है किन्तु जपानी वसीयत जाइज है ।

वसीयत नामे के प्रारम्भिक शब्द बहुधा यह होते हैं।

चूँकि मैं वृद्ध हूँ या कि अब मेरा बुढ़ापे का समय है। जीवन का कुछ भरोसा नहीं कि कब काल ग्रसित हो जावे।

चूँकि सत्कार अत्कार है और स्वप्न के समान है। इस सत्कार के समस्त कार्य अनिश्चर और चलायमान हैं।

मनुष्य जीवन पानी के घबूले के समान और जल भगुर है और मेरे कोई सन्तति किसी प्रकार की नहीं हैं।

जैसा 'अवसर हो वैसे शब्द प्रयोग करने चाहिये। और जो वास्तविक कारण निष्ठा पत्र लिखने का हो वह लिखना चाहिये।

वसीयतनामा (निष्ठापत्र)

मैं किं राम अतार घेटा महाराज भगवत जाति ^{घासण}
सारस्वत निवासी ग्राम अमुक परगना व तहसील अमुक ^{जिल}
अमुक का हूँ।

जो कि मेरी आयु ६० साल के लगभग है और बहुधा शरीर रोगी रहता है न जाने किस समय जीवन का अन्त हो जाये और प्राण छोड़कर शरीर पिण्ड से उडजावे। इस दूर दर्शिता विचार से आवश्यक व उचित है कि मैं जायदाद का ऐसा प्रवृत्त करदूँ जो मेरी मृत्यु के पश्चात् भगडे पैदा होकर नष्ट न हो और जिस कार्य और प्रयोजनमें मेरा सकटप उसके लगानेका है वह हो जाये। मेरे पहिले विवाह से एक लडका कृष्णअतार था ^{था} दैव इच्छा से निरसन्तान मर गया, उसकी पत्नी डुलारी नाम ^{ना} जीवित है और उसका पालन पोषण तथा रक्षण करना मैं ^{अप} कर्तव्य समझता हूँ। मेरे दूसरे विवाह से एक लडकी रकमा नाम ^{ना} है और उसका एक लडका राम आधीन है जिसकी अवस्था ^प साल के लगभग है उस लडकी और धेवते के पालन ^प

मेरे पिता की घनाई हुई है उस के व्यय का कोई प्रबन्ध मेरे स्वर्ग यासी पिता अपने जीवन में नहीं कर सके। इस कारण उसकी दशा अत्यन्त हीन और शोचनीय है मेरे पूज्य पिताकी यह हार्दिक इच्छा थी कि वह धर्मशाला अत्यन्त श्रेष्ठ और उत्तमता के साथ सदैव स्थित रहे। और मैं उनकी उस इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। इस बात पर दृष्टि रख कर स्वस्थ चित्त और स्थिर बुद्धि तथा इन्द्रियों के ठीक होने की दशा में निम्न लिखित निष्ठा (वसीयत) करता हूँ।

(१) जो कुछ हर प्रकार की पैत्रिक सम्पत्ति तथा मेरी पैदा की हुई मेरे अधिकार में है या आगे जो मैं उपार्जन करूँ उसका मैं अपने जीते जी निश्चित व स्थिर स्वामी रहूँगा।

(२) मेरे मरने के पश्चात् मेरी पैत्रिक सम्पत्ति में से निम्नस्थ जमीमा (अ) लिखित अमुक ग्रामकी जमींदारी की स्वामिनी अपने जीवन पयन्त मेरे पुत्र कृष्ण अवतार की विधवा दुलारा नाम्नी होगी उसका अधिकार हागा कि जब तक वह जावित रहे उस जायदाद की आमदनी चाहे जसे व्यय करे। परन्तु उसका कोई अधिकार प्रत्यक्ष रीति या यद्वा से उक्त सम्पत्तिके परिवर्तन करनेका किसी प्रकार व रूप प्राप्त न हागा। दुलारी के मरने क पछे उक्त जायदाद रुक्मा की पुत्र सन्तति को जा उस समय विद्यमान हो चिरस्थायी रूप से पहुँचेगी। और उक्त रुक्मा की कोई पुत्र सन्तति जीवित न हाने की दशा में उसके लडकों के लडके उस सम्पत्ति के चिरस्थायी स्वामी होंगे।

(३) निम्नस्थ जमीमा (ब) लिखित जायदाद को मैं रुक्मा के नाम उसको जीते जी के लिये वसीयत करता हूँ। जीवन भर वह उसकी मालिक रहेगी। और उसके अधिकार होगा कि उ

जायदाद को चाहे जैसे काम में लावे । और उसका मुनाफा अपनी इच्छा व अधिकार से व्यय करे । उक्त रुकमा के मरने पर उस जायदाद के स्वामी उस के लडके जो उस समय विद्यमान हों समान भाग से होंगे । यदि उसका कोई वेदा उसके जीवन में मर गया हो परन्तु उसकी पुत्र सन्तति विद्यमान हो ता उसकी सन्तान मिलकर एक लडके के बराबर हिस्सा पावेगी । इस अर्थ के लिये यह समझा जावेगा कि मानो उनका बाप रुकमा के मरते समय जीवित था ।

(४) जमोमा (ज) लिपित जायदाद को मैं भगवत नामक धर्मशाला की स्थिति और व्यय के निमित्त पुरण करता हू । उस की आमदनी से उक्त धर्मशाला के हर प्रकार के खर्च अदा किये जावेंगे और जो कुछ उस में टूट फूट आदि होगी उस की मरम्मत की जावेगी । आने जाने वालों के सुख और चैन के लिये जो प्रबन्ध और सामग्री आवश्यक हो उस में खर्च होगी । इस के प्रबन्ध के लिये मैं जीते जी स्वयं प्रबन्धक रहूंगा । मेरे मरने के पश्चात् धर्मशाला और आमदनी व खर्च जायदाद का प्रबन्ध मेरी निष्ठा अनुसार मेरी लडकी रुकमा और उसकी पुत्र सन्ततिके जो योग्य और सुपात्र हो गोढी दग पोढी अधिकार में रहेगा । यदि इस प्रकार का कोई मनुष्य न रहे या किसी प्रबन्ध कर्ता की आरसे चोरीया बेईमानी पाई जाये तो मुसम्मान रुकमाकी औलाद के अन्य मनुष्यों तथा सर्व साधारण को अधिकार होगा कि दूसरा मनुष्य प्रबन्धकर्ता और अधिष्ठाता पुरण की हुई सम्पत्ति और धर्म शाला का न्यायालय स नियत करा लेवे । न्यायालय का नियत किया हुआ प्रबन्ध कर्ता आर जायदाद पर अधिकार रखेगा और नि

में में घसीयत करता हूँ कि यदि वह या उसके मरण पश्चात् उस की सन्तान में से कोई उम्मा लडका पूर्ववत् मेरे यहाँ नौकर रहे और अपना काय पहले के समान करता रहै तो उन में से जो कोई मनुष्य मेरे मरते समय मेरी नौकरी में हो, उसको १००) रोकड़ी मेरी सम्पत्ति स दिया जावे ।

(६) मेरा क्रिया कर्म और तेरहवीं आदि उचित रीतिसे करना मुसम्मात दुलारी और मुसम्मात रकमा का कर्तव्य होगा । मेरा दाह कर्म रामाधीन के हाथ से कराया जाये ।

इसलिये यह निष्ठापत्र लिखदिया कि प्रमाण रहे ।

जायदाद का ब्यौरा

जमीमा	(अ)
जमीमा	(ब)
जमीमा	(ज)
हस्ता	क्षर गया
गवा	ह तारीख
स्थान	
षफलम	लोखक

दूमरा निष्ठापत्र

मैंकि लाल गोविन्दपालसिंह दत्तक पुत्र ठाकुर रामप्रसादसिंह जाति राजपूत यहूवशी रहस हसनगढ़ जिला पटा वर्तमान भियासी ग्राम धनीपुर परगना थ तहसील कोल जिला अलौगढ़ का हूँ ।

जो कि मैं रियासत हसनगढ़ के समस्त ग्रामों का बिना सांभे व सयाग किसी दूसरे के स्वामी व अधिकारी हूँ

का विवरण परिशिष्ट (अ) में लिखा है। इस समय तक मेरे कोई सन्तान नहीं है। सात मास व्यतीत हुए कि मेरी पत्नी ठकुरानी महताय कुवरि का देहान्त हो गया। अभी तक मैंने दूसरा विवाह नहीं किया और चूँकि मैं बहुधा बीमार रहता हूँ जीवन का कोई भरोसा नहीं न जाने किस समय यह क्षण भंगुर कलेजर काल का ग्रास हो जावे। इस लिये दूर दर्शिता के विचार से आवश्यक व उचित समझना हूँ कि निष्ठा द्वारा आगे के लिये ऐसा प्रबन्ध करदूँ कि मेरे न होने की दशा में, रियासत हसनगढ़ पूर्ववत् स्थित रहै। और कोई ऐसा भगडा बखेडा न उठे जिससे रियासत नष्ट हो जावे।

विदित हो कि मेरी अवस्था गोद लेने के समय केवल १४ मास की थी उस समय से रियासत मुसम्मात मानकुवरि विधवा ठाकुर रामप्रसाद सिंह मेरी उप माता, क स्वाधीन व अधिकार में रही, जब मेरी आयु उन्नीस साल की हुई तब मैंने रियासत पर अधिकार और उसका प्रबन्ध करना अपने आप चाहा, परन्तु उक्त मान कुवरि ने मुझ को रियासत पर अधिकार नहीं दिया वरन मुझको और मेरी पत्नी महताय कुवरि को ५००० सिह कारिन्दा हसनगढ़ की सहायता और बहकाने से दिया, और कुल गहना और असबाब रियासत और दहेज १००००० लिया, उस समय लाचार हो कर मुझे दीवानी अदालत दावा करना पडा जो २ अक्टूबर सन् १९०७ को अदालत जज्जी अलोगढ से डिगरी हुआ, और हसनगढ़ की हवेली अतिरिक्त रियासत हसनगढ़ से सम्बन्ध रखने वाले समस्त ग्रामों पर मेरा नाम दाखिल हो गया। मुसम्मात मान कुवरि से उस फैसले का अपील हाईकोर्ट में

न्यायालयकी प्रेरणासे मेरा और मुसम्मात मान कु वरिका परस्पर निबटारा हो गया और निबटारे के अनुसार जीवन भर तक खान पान के लिये १८०० रुपया सालाना और १० घोघा पत्तकी भूमि और हसनगढ़ की हवेली पर रहने का स्वत्व मुसम्मात मान कु वरि को दिया गया अब उक्त जमींदारोंके गावोंमें से जमींदारी व काश्त दखील कारी व मालिकाना मौजा गज गागनी परगना फीरोजाबाद जिला आगरे पर में स्वयम् अधिकारी हूँ और शेष-गावों का ठेका मेरी ओर सन् १३१७ फसली से सन् १३२४ फसली तक ८ वर्ष के लिये ठाकुर कल्याणसिंह साहिब राय बहादुर लाकिन व रईस बनीपुर के पास था, ठेकेदार ठेके की हकिकत पर अन्तिम सन् १३१८ फसली तक काबिज (अधिकारी) रहे और सन् १३१८ के अन्त तक का मुनाफा मुझको भुगता चुके और उस का हिसाब मैंने उनसे समझ लिया। उक्त ठेकेदार ने ठेके की शेष अवधि के लिये मेरी इच्छा अनुसार त्याग पत्र दे दिया। और मैंने भी इस निचार से कि मैं कुल रियासत हसनगढ़ के मध्ये निष्ठा (घसीयत) करना चाहता हूँ उक्त ठेका शेष अवधि के लिये तोड़ दिया और ठेकेदार को यह अधिकार दे दिया कि काश्तकारों के उपर का शेष रुपया सन् १३१७ व १३१८ फसली के मध्ये नालिश द्वारा या जैसे उचित समझे प्राप्त करलें। मेरा उससे कुछ सवन्ध नहीं है।

आगे के लिये मैं रियासत हसनगढ़के मध्ये निम्नलिखित निष्ठा

) जीतेजी मैं रियासत हसनगढ़ का स्वयं स्वामी व अधि-

समय मेरे कोई सन्तान नहीं है नीरोग हो जाने की
 मेरा विवाह करने की है यदि उस विवाह

से कोई पुत्र सन्तान उत्पन्न हो तो मेरे मरण पश्चात् वह रियासत का स्वामी होगा, और उक्त सन्तान की नायालिंगी के दिनों में मेरी पत्नी यदि उस समय जीवित हो सरत्तिकाके रूपमें रियासत का प्रबन्ध करेगी।

(२) मेरे विवाह न करने या विवाह करने पर पुत्र सन्तति पैदा न होने की अवस्था में रियासतका स्वामी दुर्गपालसिंह वेढा ठाकुर सरदारसिंह जाति ठाकुर रहने वाला मौजा गागनी परगना फौरोजाराद जिला आगरा होगा। और उस के न होने अथवा उस के पुत्र सन्तति जीवित न होने की दशा में बुद्धपालसिंह उस का छोटा भाई स्वामी होगा।

(४) दुर्गपालसिंह व बुद्धपालसिंह में से जो कोई रियासत का मालिक हो उस का कर्तव्य होगा कि वह मेरी विधवा की अपनी माता के समान सेवा सुश्रुषा तथा आरक्षा पालन करे। और उस के जीते जी हसनगढ़ की गढ़ी रहने के लिये उस को दी जावे, और १००) मानिक खान पान तथा दान पुण्य के खर्च के लिये दिया जावे। और जहाँ में पुत्री सन्तति छोड़ू उन के विवाह व भात छोड़ू की रीति व्यवहार आदि रियासत के नियमानुसार किये जावें।

(५) चू कि दुर्गपालसिंह व बुद्धपालसिंह इस समय नायालिंग है उन में से नायालिंगी के समय में जो कोई हसनगढ़ की रियासत का मालिक हो उस की इफ्कीस साल की आयु प्राप्त होने तक रायबहादुर ठाकुर कल्याणसिंह साहिब रईस धनीपुर उस के सरत्तक और रियासत के प्रबन्धक रहेंगे और उन को अधिकार होगा कि अपनी जगह किसी अन्य योग्य पुत्र को सरत्तक तथा प्रबन्धक नियत करें या निष्ठा द्वारा किसी को नियुक्त (नामजद) करें जिस से रियासत का प्रबन्ध न हो।

(६) दुर्गपालसिंह व बुद्धपालसिंह को मैं अपने व्यय से शिक्षा दिला रहा हूँ । मेरे मरण पश्चात् जो कोई हसनगढ़ की रियासत का मालिक हो वह तथा उस का सरलक भी उनका पूर्ववत् अपनी देस भाल, मैं इफ्तीस वर्ष की आयु होने तक जिज्ञा दिलाते रहूँ और शिक्षा का उचित व्यय रियासत हसनगढ़ से दिया जावे ।

(७) दुर्गपालसिंह व बुद्धपाल सिंह की माता मुसम्मात मोहन कुंवरि को मैं (००) धार्मिक धृति नियत कर रखी है यह उक्त 'मुसम्मात' के जीते जी पूर्ववत् उसको देना रियासतके हर मालिक का कर्तव्य होगा ।

(८) चूँकि बड़ी हसनगढ़ ठाकुरानी आनकुवरि साहिबा को जीवन पर्यन्त अशालतसे दिलवाई गई है । इस लिये मैं एक मकान अपने तथा उन लोगों के रहने के लिये जित को निष्ठा की गई है हसनगढ़ के छोड़े के ऊपर लग भग चार पाँच हजार रुपये की लागत से बनाना चाहता हूँ और मेरी इच्छा सड़क के किनारे पर किमी उचित स्थान पर एक बाग और कूआ यादगारी के लिये बनाने की है यदि मैं अपने जीवन में यह दोनों काम न कर सकूँ तो ठाकुर कटयानसिंह साहिय रायबहादुर को अधिकार देता हूँ कि वह अपनी देस रेख और अधिकार से उक्त मकान बनवा दें और बाग व कूआ उचित स्थान पर सड़क के किनारे लगावें । और दोनों का खर्च रियासत से लिया जाव ।

(९) रियासत हसनगढ़ की आमदनी सरकारी मालगुजारी चुकाने के पश्चात् लग भग सात हजार ७०००) रुपया सालाना चालिस होती है इसके अतिरिक्त लग भग ३००) रुपया धार्मिक मुनाफा मौजे गज गार्ह का होता है इस कुल ७३००) सालाना में से मैं सूचित करता हूँ । १८००) सालाना मुसम्मान मान कु धरि

को ८ फरवरी सन् १९१० ई० लिखित प्रतिष्ठापत्र के नियमानुसार दिया जावे। और ६००) रुपया सालाना दुर्गपाल सिंह व बुद्धपाल सिंह की पढ़ाई में अर्च किया जावे। और १००) सालाना मुसम्मात मोहन कुमरि की धृति में दिया जावे। शेष रुपया मेरी स्त्री के खान पान और मेरी सन्तान के चलन व्योहार की अगर कोई हो और अन्य उचित खर्चों को काट कर मेरे ऊपर के ऋण चुकाने में लगाया जावे। और यह व्यवहार व वर्तव मेरे ऊपर के ऋण के निश्शेष होने तक मेरे दाय भागियों और सरतकों का कर्तव्य होगा।

ऋण के निश्शेष होने के पश्चात् मालिक रियासतको अधिकार होगा कि वचत के रुपये को अपनी इच्छानुसार व्यय करे। मेरे ऊपर ऋण का विवरण नीचे के परिशिष्ट (ब) में लिखा है।

(१०) मेरी इस निष्ठा के पालन करने वाले राय बहादुर ठाकुर कल्याण सिंह साहिब रईस धनीपुर होंगे। और उनको मेरे इस लेखानुसार इस निष्ठा का पालन करना होगा।

इस लिये यह निष्ठा पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे और आवश्यकता के समय काम में आवे।

परिशिष्ट (अ)

रियासत हसनगढ परगना जलेसर जिला पट्टा की काश्तकारी दखोलकारी व बाग आदिक मौजै गज गांगनी परगना फीरोजाबाद जिला भागरा सहित हकिमयत का व्यौरा

नाम मौजा	तादाद	हकिमयत	क्षेत्र फल	अथ बाग सहित
				माल गुजारी

इसनगढ़	बीस बिसवा	१७३६ एकड़ ६२ डिसमिल	२१,३१)
महमूदपुर	बीस बिसवा	४२६ एकड़ ६३ डिसमिल	७७०)
दौलतपुर मुश्की	१५ बिसवा	४२८ एकड़	८४६।)
महाल १८ बिसवा		७० डिसमिल	
दौलतपुर मुश्की		४० एकड़	११०)
महाल २ बिसवा		८० डिसमिल	
ग्रजपुर चन्दा		२१३ एकड़	} ४८॥)॥ आधा
महाल १२ बिसवा		८८ डिसमिल	

मह की महाल नरायनसिंह		३६० एकड़ ५१ डिसमिल	७४७)
मह की महाल मुरलीसिंह नवें हिस्से में ६ बिसवासी		८ कचवासी	- ५)
सलाई		२१ एकड़ ८६ डिसमिल	७६॥)॥

॥ आता काश्त दखीलकारी मौजे गज गागनी लगानी महाल राजा साहब १५५)

आता काश्त दखीलकारी उक्त मौजा लगानी महाल राजा साहब १७७३) ४ पाई

बाग ३७ बीघा पक्का बाकिअ मौजे गज गागनी जिसमें नुरशाये आदि के घुल हैं

मालिकाना १००) सालाना मौजा गज गागनी - परगना फीरोजाबाद जिला आगरा

परिशिष्ट [थ.]

ठाकुर कल्याणसिंह साहिव रईस जलालपुर के दस्तावेज द्वारा देने ४०००)

राय बहादुर कल्याणसिंह साहिव रईस धनीपुर के देने लगभग ७०००)

रियासत अवागढ बाबत काश्त दखीलकारी मौजा गजगार्गी डिगरी आदि लगभग

हस्ताक्षर _____ र गवा _____ ह
गवा _____ ह लिखतम १७ अगस्त सन् १९११

॥ बकलम टीकाराम बेटा लाला श्री कृष्णदास जाति वश्य अग्रवाल साकिन कोल इस दस्तावेज का लेखक

तवादले नामा (बदले पत्र)

(परिभाषा । जब दो मनुष्य परस्पर एक वस्तु की मिलाकियत दूसरी वस्तु की मिलाकियत के बदले में लें और दें और दोनों वस्तुओं में से कोई वस्तु रोक रुपये के रूप में न हो या दोनों वस्तु रोक रुपये के रूप में हों तो यह व्यवहार बदल कहलायेगा ।

सम्पत्ति का परिवर्तन जिसकी पूर्ति बदले के रूप में करनी अभीष्ट हो केवल उस प्रकार हो सक्ता है जो वैसी जायदाद की विक्री द्वारा परिवर्तन करने के लिये नियत हुआ है ।

स्टाम्प-बदल के परिवर्तन में स्टाम्प चैनामे की नई मालियत के अनुमार बदली हुए जायदाद पर लगता है और उसकी रजिस्ट्री के विषय में भी वही नियम और बन्धन है । बदले की दस्तावेज में स्टाम्प के नियत करने के निमित्त बदली हुई जायदादों के मूल्य का प्रंगट करना आवश्यक है ।

बदले की पूर्ति एक या दो दस्तावेजों के द्वारा दोनों पक्षों की इच्छानुसार हो सकती है ।

वदल पत्र, दोनों पक्षों का

हम कि, अहमद हुसैन, वेटा इमृतियाज अली जाति शेष रहने वाला, गांव शाहपुर, परगना व तहसील, अलीगज जिला एटा पहला पक्ष, व मोहनलाल वेटा, सोहनलाल जाति कायस्थ रहने, वाला गांव नदरई, परगना व तहसील कासगज जिला एटा दूसरा, पक्ष जो कि मुझ पहले पक्ष, का एक ग्राम का बाग गांव शाहपुर परगना व तहसील अलीगज जिला एटा में, स्थित है उस से मिली हुई पश्चिमकी ओर एक टुकड़ा भूमि न० ३५५, दो बीघा ७ बिस्वा पक्की क्षेत्रफल वाली खाता, खेवट, न०, ३८८, गांव की दूसरे पक्ष की अधिकार प्राप्त सम्पत्ति है जो बहुत, दिनों से बे, चुनक-ओर बेकार है उस से कुछ लाभ दूसरे, पक्ष को प्राप्त नहीं, होता-मुझ दूसरे पक्ष के, रहायशी मकान गांव नदरई, से मिला, हुआ एक, कच्चा मकान, जोचे की सीमा वाला पूरब की ओर स्थित है- जो, पहले एक मनुष्य मफखन लाल का था उससे मुझ पहले पक्ष ने नीलाम द्वारा मोल लेकर, अधिकार प्राप्त किया है। उक्त मकान दूसरे पक्ष के रहायशी मकान में सम्मिलित ही, सक्ता है और उसकी दूसरे पक्ष को आवश्यकता है। हम दोनों पक्षों ने अपनी आवश्यकताओंको विचार करके स्वस्थ चित्त, व स्थिर बुद्धि की अवस्था में बिना किसी यहकाप्रदावाद्भाव के अपनी, इच्छा व प्रसन्नता से दोनों जायदादों का वदला परस्पर कर लिया। मुझ दूसरे पक्ष ने उक्त अपनी भूमि न० ३५५, उपरोक्त कच्चे मकान के बदले में पहले पक्ष को और मुझ पहले पक्षने अपना उक्त मकान उपरोक्त भूमि के बदले में दूसरे पक्ष का दे दिया। और परस्पर एक दूसरे के बदले का, अधिकार व्यवहार में आया। और हर एक पक्ष ने बदली हुई जायदाद पर अधिकार और कब्जा पा लिया।

तारीख से मुझ दूसरे पक्ष और मेरे दायभागों, स्थानापन्नों और प्रति निधियों को कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का स्वत्व और कब्जा भूमि न० ३५५ से और मुझ पहले पक्ष और मेरे दाय भागियों, स्थानापन्नों और प्रति निधियों को कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का स्वत्व और कब्जा गाँव नदरई घाले उपरोक्त मकान से नहीं रहा न आगे को होगा बदली हुई दोनों जायदादों हर प्रकारके परिचर्तन व भार से रहित व निर्दोष हैं। उन पर किसी प्रकार का ऋण नहीं है। यदि किसी पक्ष की मिलकियत की भुट्टि या किसी साम्नी ए अर्शी की दावेदारी स'दूसरे पक्ष के अधिकार से बदली हुई जायदाद समस्त या उसका कोई भाग निकल जावे या कोई भार या ऋण उसको देना पड़े तो पक्षों को भुट्टि वाले पक्ष से अपनी जायदाद को लौटा लेने तथा उससे हानि और व्यय का रुपया जो उठे साठ आने सैकड़ा मार्सिक व्याज सहित लेने का अधिकार प्राप्त होगा। मिलकियत के कागजात जो हर एक पक्ष के कब्जे में बदली हुई जायदाद के मध्ये थे वह अधिकारी पक्ष को सौंप दिये गये।

इस लिये यह बदल पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे।

परिशिष्ट (अ)

उस जायदादका विवरण जो दूसरे पक्षने पहले पक्षको परिचर्तनकी

आम का बाग न० ३५५ रकबी २बीघा ७ बिसवा एकही भूमि साता

खेबट न० ३ गाँव शाहपुर परगना व तहसील अलीगज

जिला एटा में स्थित

परिशिष्ट (ब)

उस जायदादका विवरण जो पहले पक्षने दूसरे पक्षके प्रति परिचर्तनकी

की नीचे की सीमावाला एक कच्चा मकान गाँव नदरई परगना

व तहसील कोसगज जिला एटा में स्थित।

मकान की चारो सीमा

पूर _____ ब पश्चिम _____ में
 मकान सैनु चमार रास्ता फिर सड़क
 दक्षि _____ ण उत्त _____ र
 मकान सोहन तेजी गली
 दस्ता _____ क्षर दस्ता _____ क्षर
 अहमद हुसैन पहला पक्ष व० खुद सोहनलाल दूसरा पक्ष व० खुद
 गवा _____ ह गवा _____ ह
 लिखतम स्थान
 बकलम तथादले नामा लेखक

बदले पत्र पृथके पृथके

मैं कि अली अहमद घेडा शफीअ अहमद जाति मुगल रहने
 वाला कस्बा मुहसिनाबाद जिला उन्नाय का ह । जो कि मैं स्वामी
 व अधिकारी एक मकान कच्चे व पक्के बने हुए का ह जो नीचे
 लिखी हुई सीमाओं से घिरा हुआ मुहल्ला बाधरी मण्डी शहर
 लखनऊ में स्थित है ।

स्वस्थ चित्त व स्थिर बुद्धि की अवस्था में मैंने उपरोक्त मकान
 को नीचे लिखी हुई चौदही वाले उपरोक्त मुहल्ले व शहर में स्थित
 एक दूसरे कच्चे मकान के बदले में अहमद अली घेडा सआदत
 अली जाति वढ़ई उपरोक्त मुहल्ला निवासी के हाथ बदले में देकर
 उसको उक्त मकान का स्वामी व अधिकारी बना दिया, आज की
 तारीख से उक्त परिवर्तन ग्रहीता स्थिर स्वामी बदले हुए

का हो गया, मुझको; और मेरे दायभागियों स्थाना पत्नों और प्रति
 निधियों को अब कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का उपरोक्त मकान से
 नहीं रहा, यदि दैवात् उक्त मकान पर कोई भार निकले या किसी
 साझी, व श्रंशी के दावा करने या मेरी मिलकियत की किसी घुटि
 के कारण बदला हुआ मकान उक्त बदलापाने वाले के कब्जे और
 अधिकार से निकल जावे तो उसको अधिकार होगा कि जो मकान
 मुझको बदले में दिया है वापस ले लेवे। और जो कुछ हानि और
 व्यय उस पर पड़े वह मेरी व्यक्ति और दूसरी जायदाद से प्राप्त
 करलेवे।

इस लिये यह बदल पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे।

हस्ताक्षर गवाह गवाह
 तारीख स्थान वकालत लेखक

नोट। उसी प्रकार दूसरा दस्तावेज दूसरे पक्ष की ओर से
 उन्हीं शर्तों के साथ लिखना चाहिये।

साझा

साझा, वह सम्बन्ध है जो उन मनुष्यों के बीच में होता है
 जिन्होंने अपनी सम्पत्ति, परिश्रम या हुनर किसी में एक साथ
 लगाने और उसका लाभ परस्पर बांटने की प्रतिज्ञा की हो।

जो मनुष्य एक दूसरे के साथ साझे के काम में साझी हाते हैं
 समूह रूप में फर्म कहलाते हैं।

(दफा २३६ कानून मुआहदा)

साझा दो या दो से अधिक मनुष्यों के मध्य में हो सकता है।
 यह आवश्यक नहीं है कि हर एक साझी एक ही प्रकार की
 सम्पत्ति, धर्म या हुनर साझे में लगावे, बसधा एक मनुष्य का

दुसरें दूसरे की पूजा और तीसरे का धर्म सामे में काम आता है, और उनके विचार से वह विविधि लाभ के अधिकारी होते हैं और विविधि कार्य उनको सौंपे जाते हैं जो प्रतिष्ठापत्रसामी सामे के नियमों के विषय में लिखते हैं उसको शराकत नामा (साम्भापत्र) कहते हैं। और जिस दस्तावेज के द्वारा सामी लोग अपनी प्रसन्नता से सामे से अलग होते हैं वह दस्तावेज साम्भा भगपत्र कहा जाता है।

साम्भा पत्र के लिखने में भागों का परिमाण-काम की रीति लाभ वाटने के नियम आवश्यक होते हैं। शेष नियम वह होते हैं जो सब पक्ष परस्पर ठहरावें। इसी प्रकार साम्भा भगपत्र में समस्त पक्षों की पृथक्ता और हिसाब का निबटारा हो जाना आवश्यक अङ्ग होते हैं।

शराकतनामे पर स्टाम्प । यदि सामे की पूजा ५००) रु० से अधिक न हो २॥) रु० लगता है अन्य देशों में पूजा कितनी हो क्यों न हो १०) रु० का स्टाम्प पर्याप्त होता है। साम्भा भगपत्र पर ५) रु० का स्टाम्प लगता है।

(मह ४६ जमीना १ कानून स्टाम्प)

साम्भापत्र और साम्भा भगपत्र की रजिस्ट्री स्वाधीन है परन्तु शर्त यह है कि अगर उक्त दस्तावेज किसी अचल सम्पत्ति के मध्ये कोई स्वत्व उत्पन्न या प्रकट या नियत करती हो और उस स्वत्व का मूल्य सौ रुपये से अधिक हो तो उसकी रजिस्ट्री कानून रजिस्ट्री की धारा १७ के अभिप्रायानुसार आवश्यक होगी। साम्भा पत्र और साम्भा भगपत्र सामान्यतया बहु मूल्य चल सम्पत्ति से सम्बन्ध रखते हैं, और उनकी रजिस्ट्री कराना सुरक्षित रीति समझी जाती है।

साझा पत्र

शिव मुण्णराय बेटा शकरराय जाति वैश्य अग्रवाल चूड़वाल
 रहने वाले महल्ला शेखान कस्बा सुर्जा जिला बुलन्दशहर प्रथम पत्र
 राम दयाल बेटा भूपालदास जाति सत्री रहने वाला कस्बे
 अतगौली जिला अलीगढ़ द्वितीय पत्र

सुखानन्द बेटा रामचन्द्रदास जाति ब्राह्मण रहने वाला सुनारान
 शहर हाथरस तृतीय पत्र

जो कि हम प्रणकर्ताओं ने व्यापार क्रय विक्रय अन्न व कपास
 तथा अन्य व्यापारिक वस्तुओं का साभे में शिवमुण्णराय सुखानन्द
 के नाम से स्थान अलीगढ़ बाजार कल्याण गज में कुछ दिनों से
 चला रक्खा है, परन्तु उसके विषयमें कोई साभेका प्रतिज्ञापत्र नहीं
 लिखा गया। हम प्रणकर्ता चाहते हैं कि उक्त शराकत के मध्य
 नियमाऽनुसार प्रतिज्ञा पत्र लिख जावे। जिसके अनुसार हम सब
 लोग नियम बद्ध रहें। आगे का कोई झगडा पैदा न हो।

इस लिये हम सब उपरोक्त प्रणकर्ता साभे का प्रतिज्ञापत्र
 स्वस्थचित् और स्थिर बुद्धि की अवस्था, बिना किसी अन्य के
 बदलाने, फुलाने व सुचि दिलाने के नीचे के नियम लिखते हैं।

(१) साभे की पूंजी इस समय दस हजार (१००००) रुपया है।
 जो हमने नीचे लिखे विवरण से दिया है:-

शिव मुण्णराय	सुख नन्द	रामदयाल
(४०००)	(४०००)	(२०००)

आगे भी यही पूंजी सामान्य साभे की रहेगी और इसी परि-
 माण के विचार से हम प्रणकर्ताओं का बाट उक्त व्यापार
 में टहरा है।

(२) साम्ने के काम काज साम्प्रति एक किराये की दुकानि बाजार कल्याणगज शहर अलीगढ में शिर्ष मुखराय सुखानन्द के नाम से होता है पूर्ववत् उसी नाम से होता रहेगा । और जो चिट्ठियां हु डिया तथा अन्य लेख साम्ने को आर से लिखी जायगी वह सब इसी नाम से लिखी जायेंगी ।

(३) साम्ने के कारवार के मध्ये सामान्यतया रोकड व यही खाते का काम शिर्ष मुखराय,मोल लेने व बेचने का काम सुखानन्द और बाहिर माल मोल लाने और बाहिर माल बेचने की ले जाने का काम रामदयाल करेंगे । परन्तु सब साम्प्रियों को आवश्यकता अनुसार हर काम में सम्मिलित होने का अधिकार होगा । और हर एक साम्नी का कर्तव्य होगा कि वह दूसरे साम्नी को साम्ने के काम में हर प्रकार की सहायता करें ।

(४) साम्ने के काम काज के मध्ये जो कुछ व्यय होगा वह साम्ने के यही खाते में खर्च खाते में डाला जावेगा । इसके सिवाय जो कोई साम्नी साम्ने की दुका से अपने निजी खर्च और काम के लिये रुपया लेगा वह उसके नाम हिसाब में लिखा जायेगा । परन्तु शर्त यह है कि किसी साम्नी का २५) मासिक से अधिक साम्ने की दुकाने में अपने निजी खाते में रुपया लेने का अधिकार न होगा ।

(५) साम्ने के व्यापार में दस हजार से जो अधिक पूंजी लगेगी वह ऋण से लगाई जायेगी । और उस पर व्याज साम्ने से दिया जायेगा, हर एक साम्नी का अधिकार है कि वह अपने अधिक रुपया ऋण के रूप में साम्ने में आवश्यकतानुसार लगा देवे, वह उस पर दूसरे ऋण दानाओं के समान व्याज पाने का अधिकारी होगा । साम्ने के ऋण की व्याज पर १) सैकडा

मासिक ठहरी है परन्तु इसके विपरीति दोनों पक्ष ठहरा सकते हैं और ऐसी दशा में व्याज उसी दर से लगेगी ।

(६) साम्ने के सब काम सब साभियों की सम्मति और सलाह में हुआ करेंगे । और आघश्यक्ता की दशा में और अवसर पर हर एक साभी साम्ने का काम अपनी जिम्मेदारी और अपने अधिकार से कर सकेगा और उसका प्रभाव हर एक साभी पर होगा । परन्तु प्रत्येक साभी का कर्तव्य है कि वह साम्ने का काम अत्यन्त ईमानदारी और धर्म व परिश्रम से इस प्रकार करे कि मानो उसका निजी काम है ।

(७) साम्ने का हिसाब कार्तिक मास में वार्षिक हुआ करेगा । और हिसाब समझाना उस साभी का कर्तव्य होगा जिस के अधिकार में खाता और रोकड रहेगी ।

(८) समस्त साभी हानि लाभ के सहन कर्ता प्रथम नियम लिखित भागों के अनुसार होंगे ।

(९) साम्ने के व्यापार में लाभ का रुपया समस्त साभियों की सम्मति के अनुसार बटा करेगा । या कुछ भाग बाटा जायगा और कुछ भाग जमा होता रहेगा और जो कुछ जायदाद आदिक साम्ने की पूजी से पैदा होगी वह समस्त साभियों की मिलकियत साम्ने के भागों के अनुसार होगी ।

(१०) सब साभी और उन के दायभागी व स्थानापन्न और प्रति निधि वर्ग इस प्रतिज्ञापत्र की समस्त प्रतिज्ञाओं के पालन कर्ता होंगे । और दस साल की अवधि तक जब तक कोई प्रत्यक्ष बेईमानी या दुष्कर्म किसी साभी का न पाया जावेगा, साभा

तोड़ने का किसी साझी को अधिकार न होगा इस लिये यह साझा पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे ।

हस्ताक्षर

गयाह

आदि

दूसरा

दूसरा साझा पत्र

राजाराम	प्रण कर्ता न० १	पहला पक्ष
मोहनलाल	प्रण कर्ता न० २	दूसरा पक्ष
माधो प्रसाद	प्रण कर्ता न० ३	तीसरा पक्ष
धरकतुल्ला	प्रण कर्ता न० ४	चौथा पक्ष
नई मुल्ला	प्रण कर्ता न० ५	पाचवा पक्ष
बेनीराम	प्रण कर्ता न० ६	छटा पक्ष

जोकि बहुत दिनों से हम प्रण कर्ताओं का विचार साझे में एक कारखाना कपास की उटार्ई य रुई की गांठ की लिच्वाई का स्थान हाथरस में आरम्भ करने का था और इसी निमित्त ३ शीघा ० बिसवा पक्की भूमि न० ५५३ खाता खेवट न० ५ महाल श्याम लाल कम्बे हाथरस में स्थित (१३५०) में विक्रय पत्र ता० १६ जून सन् १९२० द्वारा माधो प्रसाद व बेनीराम प्रण कर्ता न० ३ व ६ के नाम से खरीदी गई । अब हम समस्त प्रण कर्ता उक्त भूमि पर आवश्यक मकान बनाकर और कल अजन आदि लगा कर उक्त कार्य आरम्भ करना चाहत है । इस लिये यह निम्नलिखित साझा लेख बन्द करते हैं ।

(१) उक्त 'सामे' में 'हम प्रण' कर्ताओं' का हिस्सा इस प्रकार ठहरा है।

न० १ राजाराम न० २ मोहनलाल न० ३ माधोप्रसाद
=) =)॥ =)॥

न० ४ परकतुल्ला न० ५ नईमुल्ला न० ६ घेनीराम जोड़
=) =)॥ =)॥ १६ आना

(२) कुल पूजा सामे की कारखाने की स्थिति और चलाने के लिये डेढ़ लाख रुपये की ठहरी है वह हम सब सामे अपने हिस्से के अनुसार देंगे।

(३) जो भूमि विक्रयपत्र तारीख १६ जून सन् १९२० द्वारा माल लागई है वह सामे की मिलकियत रहेगी और उसका माल १३५०) माधोप्रसाद व घेनीराम अपने हिस्से की पूजा में से मुजरा कर लें।

(४) कुल काम मेशीन खरीदने और इमारत बनवाने का मु० परकतुल्ला प्रणकर्ता न० ४ के प्रबन्ध और देवमाल में होगा जो पास शुदा इजिनियर और इस काम में अनुभवी है। परन्तु वह सब सामियों को मेशीन की खरीदारी और इमारत की तैयारी का हिस्सा समझाने के जिम्मेवार होंगे।

(५) कारखाना घनजाने के पश्चात् मेशीन को चलाने और उसकी सुफाई और देव, भात आदि का काम मुशी परकतुल्ला इजिनियर के सुपर्द रहेगा, और कपास व रुई आदि के खरीदने व बेचने का सब काम लाला राजाराम करेंगे और वे ही मुख्य अधिष्ठाता सामे के कार, वार के होंगे। और सामे का कुल कामावन के प्रबन्ध और देव माल में होगा।

(६) साझे के काम में जो लाभ हागा उस में से साढ़े सात प्रति सैकड़ा मूषी, एकतुला को और पाच प्रति सैकड़ा लाला राजाराम को उनकी सघातक बदले में दिया जावेगा । और साढ़े बारह सैकड़ा रक्षानिधिमें रहेगा शेष पचहत्तर सैकड़ा सदसाभियों में उनके हिस्से के अनुसार बाट दिया जावेगा । और हानि होने की दशमें कुल साझी उसको अपने हिस्से के अनुसार सहन करेंगे ।

(७) लाला राजाराम अधिष्ठाता का कर्तव्य होगा कि साझे के कारखाने के हानि लाभ का सालाना हिसाब अन्तिम मास जून में बनाकर हर एक साझी के पास भेज दें और आवश्यकता अनुसार उन को समझा दें और उसके एक मास पश्चात् जो मुनाफे का रुपया हो उस को हिस्सों के अनुसार साभियों में बाट दें ।

(८) हिसाब पहुँचने के पश्चात् सब साभियों की एक सालाना कमैटी हिसाब की जांच और साझे के अन्य कार्यों की देखभाल और विचारार्थ कारखाने की इमारत में हुआ करेगी जिसकी तारीख अधिष्ठाता या दूसरे साझी अथ काम का विचार रखते हुए नियत करेंगे । उस कमैटी में जो आगामी साल के लिये कार्य प्रणाली माल के खरीदने और बेचने या और काम करने के लिये नियत की जायगी उस पर मैनेजर (अधिष्ठाता) और इ जनिपर को चलना होगा ।

(९) साझे के कार बार काल में जो रुपया साधारण मरम्मत बसफाई कारखाने में लगेगा वह साझे के खर्चगते में डाला जावेगा परन्तु जो रुपया साधारण मरम्मत या किसी नई मशीन मगाने या नई इमारत बनाने के लिये आवश्यक होगा वह रक्षानिधिसे और उस फण्डमें रुपयान होने की दशमें साझे की रोकडसे दिया जावेगा ।

(१०) साधारण कार बार उटाई कपास व रुई की गाठ खिंचाई के अतिरिक्त यदि कोई अन्य नया काम साझे के मध्ये किया जावेगा

तो सब साभियों की बहुसम्मति अनुसार हो सकेगा परन्तु बहुसम्मति निश्चय करने से सम्मति देनेवाले सांझी के हिस्सेके परिमाण पर विचार किया जायेगा। जो सम्मति अधिक परिमाण के हिस्सेके साभियों की होगी वह माननीय होगी।

(११) मुंशी बरकतुल्ला इ जनियर और राजाराम मैनेजर अपन काम सचाई और ईमानदारी से करने की दशा में अलग करने योग्य न होंगे। परन्तु उनकी बेईमानी या चोरी या बुरा कार्य निश्चय होनेको दशा में अन्य साभियों को उनके पृथक करने और उनका जगह अन्य मनुष्य बहुसम्मति अनुसार नियत करने का अधिकार होगा। नया मैनेजर और नया इ जनियर उस वेतन या मुनाफे का हिस्सा पाने का अधिकारी होगा जो सांझी लोग उसके नियत करते समय बहुसम्मति से निश्चय करें। और वर्तमान मैनेजर और वर्तमान इ जनियर मर जाने या काम करनेके अयोग्य होजाने की दशा में भी यही रीति नये मैनेजर और नये इ जनियरके नियत करने में काम में लाई जावेगी।

(१२) यदि कोई सांझी अपना हिस्सा सांझी के कारखाने का बेचना या अन्य प्रकार परिवर्तन करना चाहे तो उसका कर्तव्य होगा कि दूसरे हिस्सेदारों को एक मास का नोटिस देवे और उनके अस्वीकार करने की दशा में वह अन्य मनुष्यके हाथ परिवर्तन करने का अधिकारी होगा किसी सांझी के इसके विपरीत कार्य करनेपर साभियों को उक्त परिवर्तन पर हक्क शुफा प्राप्त होगा। एक से अधिक हिस्सेदार शुफा करने और परिवर्तन लेनेके इच्छित होने की दशा में परिवर्तन करने वाले का हिस्सा उन साभियों में उनके हिस्सेके परिमाणानुसार बाटने योग्य होगा।

(१३) दस साल तक किसी सांझी को सांझी भग करने का अधिकार न होगा। दस साल की अवधि बीत जाने पर यदि कोई

साझी साझा तोड़ने का दावा, दाख, करे तो दूसरे साझियों को अधिकार होगा कि यह उसका हिस्सा उचित मूल्य अदालत द्वारा खरीद लें। या हिस्सेदारों में उसका हिस्सा अदालत द्वारा नीलाम कराये और यह सब से अधिक मूल्य देनेवाले को दिया जाये।

। (१४) इस साझे पत्र की समस्त प्रतिक्षाओं का पालन करना हम प्रण कर्ता व हमारे दाय भागियों व स्थाना पत्रों व प्रतिनिधियों पर आवश्यक होगा। जो कोई साझी मर जावेगा उसके दायभागी उसके प्रतिनिधि और उसकी जगह मिलकर एक हिस्सेदार समझे जायेंगे और उनको सम्मिलित रूप में उक्त हिस्से के मध्ये साझे के अधिकार प्राप्त होंगे। इन लिये यह साझा पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे।

हस्ता _____ हार गवाह आदि
लेखतिथि _____ स्थान

वक्फ (धर्मार्थ या पुण्यार्थ)

। किसी चल या अचल सम्पत्ति को किसी मन्दिर, मसजिद, इमामघाडे, अनाथालय, धर्मशाला या दूसरे पुण्यकार्य या परोपकार के काम में लगा देने को वक्फ (पुण्य) कहते हैं। किसी जायदाद के पुण्य होजानेसे यह प्रयोजन होता है कि उसका स्वामी कोई मुख्य मनुष्य नहीं रहता और यह सर्वदा के लिये दायभाग के अयोग्य और उस पुण्य कार्य के अनिरिक्त जिरूके लिये यह वक्फ (पुण्य) की गई है अन्य प्रकार से अपरिवर्तनीय होजाती है जिस हस्तावेज के द्वारा इस प्रकार का पुण्य किया जावे वह पुण्य पत्र कहलाता है।

पुराय की योग्यता और स्थिरता के लिये किसी मैनेजर अधिष्ठाता, मुतवल्ली महन्त या किसी अन्य कमेटी का होना आवश्यक है जिसके द्वारा उसका प्रबन्ध हो सके, कभी पुरायपत्र में समस्त नियम पुराय की हुई सम्पत्ति के प्रबन्ध अधिष्ठाता या मुतवल्ली नियत और पृथक् करने और अन्य कार्य के विषय में लिखे होते हैं कभी मैनेजर और मुतवल्ली के नियत और अलग करने के विषयों पृथक् दस्तावेज लिखी जाती है। और उसमें उनके अधिकार पुराय का हेतु पूरा करने तक सीमा बद्ध और नियत किये जाते हैं। और अन्य उचित और आवश्यक विषय उसमें लिखे जाते हैं। इस प्रकार का दस्तावेज बहुधा ट्रस्टीनामा कहलाता है। ट्रस्टीनामे अन्य कार्यों के भी होते हैं।

पुरायपत्र पर जो ट्रस्टकी परिभाषामें आता है स्टाम्प जमीमा। मह ६४ फानून स्टाम्प के अनुसार तमस्सुक की दर से पुराय का हुई जायदाद की मालियत पर लगता है। परन्तु यह नियम है कि किसी दशामें (१०) से अधिक स्टाम्प नहीं लगता।

पुरायपत्र की जो अचल सम्पत्ति से जिसकी मालियत सौ रुपये से अधिक हो सम्बन्ध रखता हो उसकी रजिस्ट्री होना आवश्यक है।

धर्मार्थ पत्र

मैंकि इनायतुल्ला बेदा खैरानुल्ला जाति शेख रहनेवाला कस्बा हयातनगर जिला मुरादाबाद का हू।

जोकि मेरे बाप ने मुहल्ला चावूगज शहर इलाहाबाद में एक मसजिद पक्की बनवाई और उससे मिला हुआ एक इमामबाडा बहुत सी लागत लगाकर बनवाया परन्तु दोनों के साधारण खर्चों और स्थिति के लिये कोई प्रबन्ध न कर सके और उनका देहान्त होगया उसी समय से मैं उक्त मसजिद व इमामबाडे का कुल स्वर्ण

उठाता हूँ मसजिद में एक अज्ञान देने वाला रहता है और बंधना योरिया (चटार्) व इमाम (स्नान गृह) आदि का भी खर्च होता है इमामघाडे में एक झाड़ू लगाने वाले की नौकरी देनी पडती है और ताजियेदारी, मरसिया रवानी, व फातिहा आदि अन्य खर्च भी होते हैं। मैं चाहता हूँ कि उचित आमदनी को जायदाद धरूफ कर के उक्त मसजिद व इमामघाडे से लगा दूँ जिससे सदा के लिये उनका खर्च चलता रहे और उनकी स्थिरता व देखभाल हो सके, इस बात पर दृष्टि डाल कर स्वस्थ चित्त व स्थिर बुद्धि व इन्द्रियों की आराम्यता की अवस्था में बिना किसी की यहफावट व फुमलावट तथा दबाव डालने व चिन्नि दिलाने के निम्न लिखित जायदाद का जो बिना किसी साझे व शरकत के मेरी मिल्कियत है। उसको उक्त मसजिद व इमामघाडे के हितार्थ माल धरूफ (पुण्य सम्पत्ति) करार देता हूँ। आज की तारीख से मुझ का या मेरे दाय भागियों स्थानागनों व प्रतिनिधियों का उक्त जायदाद के स्वत्व से कोई काम और सम्बन्ध नहीं रहा न आगे का होगा उक्त सम्पत्ति समस्त वाहिरी व भातरी स्वत्व व अधिकार समेत बिना किसी स्वत्व व वस्तु के छोड़े सर की सब उक्त इमामघाडे व मसजिद से सम्बन्धित पुण्यार्थ होगई। जय तक मैं जीता हूँ उक्त सम्पत्ति का प्रबन्ध मुतवल्ली रूप से मैं करता रहूँगा और मेरे मरने के पीछे जो कोई मनुष्य मेरे कुल में सभ्य बडा और योग्य होगा वह मुतवल्ली नियत होगा, और यही काम आगेको मुतवल्ली नियत हान का जारी रहेगा, मेरा और प्रत्येक मुतवल्ली का जो मेरे पश्चात् नियत हा यह कतव्य हागा कि यह पुण्य सम्पत्ति का प्रबन्ध भले प्रकार करे के उसकी आमदनी से उक्त मसजिद और इमामघाडे को स्थिर और स्थित रखे। और जो गर्च उक्त मसजिद व इमामघाडे के समय ध में मय तक होता रहा है, यह ५

धत् करता रहें। जो आमदनी साधारण खर्च और असाधारण
 टूट फूट की मरम्मत करने के पश्चात् बचे उसको कंगालों व
 भिखारियों के पालन पोषण में खर्च करे। प्रत्येक मुतवल्लीका यह
 भी कर्तव्य होगा कि पुण्य सम्पत्ति का प्रबन्ध प्रत्यन्त ईमानदारी
 व सचाई के साथ करे, उनकी देहमानी, चोरी, या अन्य घुरा काम
 सिद्ध होने की दशा में वह पृथक्ता के योग्य होगा। और अन्य
 मुतवल्ली उपरोक्त नियमानुसार मेरे कुल से चुना और नियत
 किया जावेगा किसा मुतवल्ली को पुण्य सम्पत्ति के किसी प्रकार
 परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त न होगा।

इसलिये यह पुण्य पत्र लिख दिया कि सनद रहे।

परिशिष्ट (अ) पुण्य जायदाद का व्यौरा

हस्ता _____ हर गवा _____ ह

गवा _____ लिखने की तारीख _____

स्थान _____

कलम लेखक दस्तावेज _____

पुण्य पत्र व टुस्टीनामा

हमकि हरमुखराय बेटा लाला भगताराम व बसीधर बेटा
 उमरावलाल व छोटे लाल बेटे उक्त लाला हरमुखराय व मोती
 राम बेटा लाला दुलीचन्द्र जाति वैश्य अग्रवाल चूडवाल रहने
 वाले व साहूकार कसबे हाथरस जिला अलीगढ़ के हैं।

जोकि तीन चौक वाली धर्मशाला और १३ नग दुकानें उक्त
 धर्मशाला से मिली हुई थीर एक नग हवेली उक्त धर्मशाला से लगी
 हुई यह सब इमारत पक्की बनी हुई उनके नीचे की भूमि सहित
 बाजार शामीघाट शहर मथुरा में स्थित (जिन का व्यौरा नीचे

परिशिष्ट (अ) में लिखा है) और एक बागीचा फलदार घेरे फल के पेड़ों का फूआ व पफके मरान व मूमि। जिस में उक्त बागाचा लगा हुआ है सासेनी दग्वाजा नयागज कसये हाथेरस में चुंगी की हड के अन्दर सिकन्दरा राज की सडक क किनारे (जिसका ध्यौरा पारशिष्ट (घ) में दिया है) हमारी आर से पुण्यार्थ चले आते हैं, और उक्त धमशाला व हवेली व बागीचा में जात्री लोग और आने जाने वाले मुफत ठहरते हैं। और उक्त धमशाला स लगे हुई दूकानों के किराये और बागीचा की आमदनी, धर्मशाला और बागीचे के नौकरों की तनुखा और मररमत और, पुण्य की जायदाद के अन्य आवश्यक कार्यों में खर्च होती है। उसके आगामी प्रबन्ध के लिये ट्रस्ट नामा लिखना आवश्यक है जिससे आगे को हमारे पीछे यह पुण्य कार्य का प्रबन्ध सदैव स्थित रहे और कोई मनुष्य दाय भाग द्वारा उसमें हस्तक्षेप न करे। इसलिये स्वस्थ चित्त व स्थिर बुद्धि की अवस्था में अपनी प्रसन्नता, और रुचि से इस पत्र-द्वारा प्रतिज्ञा करते हैं कि उपरोक्त कुल जायदाद मालियती लगभग अस्सी हजार रुपये की सर्व साधारण के उपकारार्थ पूर्व वत पुण्यार्थ रहेगी। और अपने जीवन तक क हैया लाल व मोती राम प्रण कर्ता साभके में घ अलग २ अधिष्ठाता व प्रबन्ध कर्ता पुण्य की हुई जायदाद के रहेंगे। और उनके मरण पश्चात् पीढी दर पीढी लाला हरमुख राय के कुल से धी, मनुष्य जा मुखिया और याग्य होंगे अधिष्ठाता व प्रबन्ध कर्ता, होते रहेंगे और उन के न होने की दशा में, या कुप्रबन्ध त्या चोरी या घेईमानी करने की अवस्था में उक्त लाला के खानदान वालों को अधिकार उनके पृथक करने और उस खानदान से अन्य मनुष्यों को अधिष्ठा व प्रबन्ध कर्ता नियत करने का प्राप्ति होगा।

अधिष्ठा व प्रबन्ध कर्ता का उचित है कि पुण्य की हुई जायदाद की आमदनी, उक्त जायदाद की मररमत व दुखस्ती

उस धर्मशाला के नौ कर्मियों की तनुपाह आदि और सर्व साधारण के उपकार के कामों तथा कगालों के पालन में व्यय और खर्च करते रहें। अपने निजी या किसी अन्य काम में खर्च न करें और किसी दशा में हम को, और हमारे दाय भागियों, स्थाना पन्नों व प्रतिनिधियों को उक्त जायदाद के परिवर्तन का अधिकार रहन, किसी दान व आड आदि के प्राप्त न होगा न कोई भार। किसी ऋण या झगडे का पुण्य सम्पत्ति पर पड़ेगा। यदि कोई मनुष्य उपरोक्त पुण्यार्थ सम्पत्ति पर किसी प्रकार का दवा या तलब करे या हम प्रण कर्ता या हमारे दाय भागी या स्थानापन्न या प्रतिनिधि वग काई परिवर्तन किसी प्रकार का उक्त समस्त जायदाद वा उसके किसी भाग के मध्ये किसी मनुष्य के नाम करे तो वह इस दस्तावेज के सामने अनुचित व झूठा धावे।

इसलिये यह दूस्ती नामों लिखे दिया कि प्रमाण रहे और आवश्यकता के समय काम आये।

परिशिष्ट (अ) परिशिष्ट (ब)

हस्तलिखित गवाहियाँ—स्थान, लेख तिथि लेखक

पुण्य पर पुण्य

हम कि कन्हैया लाल बेटा लॉ० हरिमुख राय व मोतीराम बेटा लॉ० दुलीचंद व घसीधर बेटा लॉ० उमराम लाल व मुसम्माम (गौमती कुर्वर विधवा लॉ० छोटेलाल मालिकान दुकान लाला हरि मुखराय दुलीचंद जीति वैश्य अर्धवाल चूड़वाल साहूकार व रईस कस्बा दाधरसे जिला अलीगढ़ के है।

जोकि तीन श्री क वालो धर्मशाला और १३ नग दुकानें उक्त धर्मशाला से मिली हुई और एक नग हवेली उक्त धर्मशाला से

लगी हुई यह सब-इमारत पत्नी की हुई उनके नीचे की, भूमि सहित, बाजार शामीघाट शहर मधुग में स्थित (जिन का ब्यौरा नीचे परिशिष्ट (अ) में लिखा है) और एक बागीचा फलदार व व फल का पेड़ों का कृत्रिम, व पक्के मकान व भूमि जिस में उक्त बागीचा लगा हुआ है, सासनी दरवाजा नया गज कसबे हाथरस में चुगी की हद्द के अन्दर सिक्न्दरा राज की सड़क के किनारे (जिसका ब्यौरा परिशिष्ट (ब) में दिया हुआ है । दूकान लाला हर मुपराय दुलीचन्द के मालिकान की ओर से सर्व साधारण के परोपकारार्थ पुण्य चली आती है । और उस के आगामी प्रयत्न के लिये उक्त दूकान के मालिकान की ओर से एक ट्रस्टी पत्र ८ जून सन् १९०७ को लिखा जाकर उसी मास की १६ तारीख को रजिस्ट्री हो गया है । और उक्त पत्र के नियमानुसार कार्य चल रहा है । और उसी पत्र के अनुकूल हम कन्हैयालाल व मोतीराम प्रणकर्ता अधिष्ठाता व प्रबन्ध कर्ता उक्त सम्पत्ति के सामने और अलग २ हैं चूँकि उक्त जायदाद की आमदनी हम को कम प्रतीत हुई इसलिये हमने निम्न लिखित जायदाद मालियती ६५०० रुपये (सबके सरकार-की उक्त पुण्यार्थ धर्मशाला और बागीचा से लगाकर पूरा पुण्य-की हुई जायदाद के सम्मिलित कर दिया है । और निम्न लिखित विवरण अनुसार धर्मशाला और बागीचा से लगा दिया है इसलिये प्रतिज्ञा करते हैं और लिखे देते हैं कि जायदाद परिशिष्ट (ज) में इस पत्र के नीचे लिखी हुई उपरोक्त पूरा ट्रस्टी पत्र लिखित पुण्य सम्पत्ति में सम्मिलित रहेगी । और उसके भी अधिष्ठाता व प्रबन्ध कर्ता उक्त लाला कन्हैयालाल व मोतीराम सामने में और अलग अलग उक्त ट्रस्टी पत्र के नियमानुसार रहेंगे । और इस जायदाद के विषय में भी उक्त ट्रस्टी पत्र के नियम हम का और हमारे स्थानापनों और उत्तराधिकारियों को माननीय होंगे । और यह पत्र उक्त पूर्व ट्रस्टी पत्र का एक अंग समझा जायेगा । और

उक्त पूर्व ट्रस्टी पत्र के जिन नियमों के अनुसार पूर्व पुण्यार्थ जायदाद की आमदनी रच्य होती है उन्हीं नियमों के अनुकूल इस पत्र में लिखी हुई जायदाद की आमदनी खच होती रहेगी। हमको और हमारे दायभागी और स्थाना पत्रों को उक्त जायदाद से कुछ सम्बन्ध और स्वत्य किसी प्रकार का नहीं रहा और न आने को होगा।

इसलिये यह ट्रस्टी पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे।

परिशिष्ट (अ)

परिशिष्ट (ब)

परिशिष्ट (ज)

हस्ताक्षर—गवर्ही, स्थान, लेख, तिथि, लेखक।

ट्रस्टी पत्र

हमकि-कन्हैयालाल घेटा-लाल हरमुस्तराय व मुसम्मात भगवानदेवी विधवा-रामनारायन जाति वैश्य अग्रवाल रहनेवाले कसबे हाथरस जिला अलीगढ़ के हैं।

जोकि रामनारायन मुझ कन्हैयालाल के सगे भतीजे और मुझ भगवानदेवी के पति ने ५०००० रुपये हाथरस जिला अलीगढ़ में एक अनायालय बनवाने और उसको चलाने के लिये पुण्यार्थ कर के हम प्रणकर्ताओं को निष्ठा की थी कि हम प्रणकर्ता उस अमोष्ठ की पूर्ति के लिये एक उच्चिन् कमेटी नियम कर दें। और उस के लिये आवश्यक नियम बना दें जिससे उक्त कमेटी पुण्य के मनोरथों को भले प्रकार पूर्ण करती रहे।

हम प्रणकर्ता उक्त पुण्य और निष्ठा को स्वीकार कर के उस निष्ठा के अनुसार नाचे लिखे मनुष्यों की कमेटी नियत करते हैं। और उस के लिये नियम निश्चय करते हैं।

(१) अनायालय का नाम "छोटेलाल रामनारायण अनायालय धापरस" होगा।

(२) उक्त अनायालय का प्रबन्ध एक कमेटी के हाथ में रहेगा जिस के सभासदों की संख्या ६ होगी। और इस समय हम इस पत्र के नीचे लिखे परिशिष्ट (अ) के मनुष्योंको सभासद नियत करते हैं।

(३) ६ सभासदों में से लाला कन्हैयालाल अपने जीवन पर्यन्त उक्त कमेटी के प्रधान रहेंगे। इनके सिवाय शेष सभासदों में से एक मंत्री और एक कोषाध्यक्ष सभासदों के बहु पक्षाऽनुसार चुना जावेगा।

(४) विविध पदाधिकारियों के कर्तव्य और अधिकार यह होंगे जो कमेटी अपने अधिवशनों में बहु पक्षाऽनुसार निश्चय करे परन्तु वह इस पत्र के अभिप्राय और अर्थ के प्रतिकूल न होंगे।

(५) कमेटी को अपने सभासदों की संख्या न्यूनाधिक करने का अधिकार प्राप्त न होगा। परन्तु शर्त यह है कि अपने जीवन पर्यन्त लाला कन्हैयालाल व लाला बसोधर उक्त कमेटी के सभासद रहेंगे। और उनके पश्चात् पीढ़ी दर पीढ़ी दो मनुष्य जो योग्य हों हमारे कुलमें कमेटी के सभासद होते रहेंगे। और किसी जलसे का कोरम पूरा करने के लिये दो तिहाई सभासदों की उपस्थिति पूर्वाप्त होगी। और सम्पूर्ण कार्य बहु पक्षाऽनुसार निश्चय हुआ करेगा और समान सम्मति भेद होने पर प्रधान की ही सम्मति होगी।

(६) सिवाय हमारे कुल के सभासदों के चुनाव हर तीसरे साल कमेटी के सभासदों के करेगा। यदि कोई सभासद मर जाये या

से काम न कर सके या त्यागपत्र देदे या किसी अपराध करने के कारण कमेटी उसको सभासद रखना चाहे तो अन्य योग्य पुरुष उसकी जगह बहु पक्षाऽनुसार चुना जावेगा ।

(७) पचास हजार ५००००) रुपये में से दसहजार १००००) रुपये तक इमारत बनाने में खर्च किया जावेगा और शेष चालीस हजार ४००००) रुपये की आमदनी से अनाथालय का खर्च चलाया जावेगा ।

(८) कमेटी को अधिकार होगा कि पुरणार्थ रुपये को किसी सुरक्षित बैंक में जमा करे या कोई अचल सम्पत्ति मोल लेले मूल धन चालीस हजार ४००००) रुपये में से किसी अशके खर्च करने का कमेटी को अधिकार नहीं होगा ।

(९) कमेटी को अनाथालय को चलाने और प्रबंध करने निमित्त नियम बनाने का और उनको समय समय पर बदलनेका भी अधिकार होगा और वह विशेष काम के लिये व प्रबन्ध के निमित्त सब कमेटी बना सकेंगी ।

(१०) अनाथालयमें हिन्दू बालक लिये जावेंगे जहातक कि समाई हो ।

(११) लडके १६ साल की अवस्था तक व लडकिया १४साल की आयु तक अनाथालय में रखी जावेगी, लडकियों के विवाह के लिय उचित प्रबन्ध जहां तक होसकेगा कमेटी करेगी ।

(१२) लडके व लडकियों को पालन कालमें प्रारम्भिक शिक्षा अवश्य दी जावेगी और उनको कोई ऐसा उद्यम अवश्य सिखलाया जावेगा जिससे वह अनाथालय से निकलने के पश्चात् अपना निर्वाह उचित रीति से कर सकें ।

(१३) अनाथों के खान पान व, शारीरिक स्वास्थ्य व पाल पोषण तथा चिकित्सा के विषय में कमेटी उचित प्रबंध रखेगी

(१४) भगवानदेवी नामी प्रणु करतें वाली उक्त अनाथाला की पैटून (पालक) रहेगी ।

(१५) कमेटी को अधिकार दिया जाता है कि वह अपने रजिस्ट्री नियमानुसार कराले और कुल जायदाद अपने नाम से खरीद करे ।

(१६) इस प्रतिशा पत्र का पालन करना हम प्रणु कर्ता और हमारे दायभागी और प्रतिनिधियों का आवश्यक कर्तव्य होगा ।

इस लिये यह ट्रस्टी पत्र लिख दिया, कि सनद रहे ।

परिशिष्ट (अ) सभासदों के नामों का झोरा

(१) लाला कन्हैयालाल बेटा लाला हर मुखरीय चूड़वाल साहू हाथरस

(२) लाला यशीधर बेटा लाला उमगवलाल चूड़वाल साहू हाथरस

(३) लाला मुनकूलाल बेटा सेठ बैनीराम चूड़वाल साहू हाथरस

(४) सेठ चिरजीलाल बेटा लेपालक पुत्र लाला मोहनलाल चूड़वाल साहू हाथरस

(५) लाला धावलाल बेटा लाला किशनलाल चूड़वाल साहू हाथरस

(६) डाक्टर किशनप्रसाद बेटा धावू धुनीलाल ब्राह्मण कस्या मंडू ।

(७) धावू विद्याप्रसाद धकील अदालत मुसिफी हाथरस

(८) लाला खुरेलाल वेढा लाला तुलसीप्रसाद रईस। सिक
। म्दरा राज

(९) वात्रु श्रीराम मैनेजट अनायालय आगरा।

हस्ताक्षर गवाह । । गवाह । ।

लेख विधि स्थान

दस्तावेज लेखक

बटवारा

जो जायदाद एक से अधिक मनुष्यों की मिलकरियत हो वह
साम्मे की सम्पत्ति कहलाती है। एक या कई साम्मे की जायदादों
को उसके विविधि हिस्सेदारों में बांटने को बटवारा कहते हैं।
जिस दस्तावेज के द्वारा इस प्रकार का बाट या बटवारा कार्य रूप
में आवे वह विभाग पत्र या बटवारा पत्र कहलाती है।

विभाग पत्र पर स्टाम्प तमस्सुक की दर से अलग किये हुए
हिस्से या हिस्सों की मालियत पर लगता है। परन्तु विशेष नियम
यह है कि यदि अलग किया हुआ हिस्सा या हिस्से और बचे हुए
हिस्से की मालियत में अन्तर हो तो बिना विचार इस बात
कि कौन हिस्सा अलग हुआ है और कौनसा बच रहा है स्टाम्प
सब से अधिक मालियत के हिस्से के मूल्य के विचार से देना
होगा यदि हिस्से समान मालियत के हों तो एक हिस्से की मा
लियत पर स्टाम्प लगता है।

स्टाम्प के प्रयोजन के लिये विभाग पत्र में हर हिस्से पर
सम्मिलित है जिसके द्वारा किसी सम्पत्ति के स्वामी उस
बटवारा करें या अलग अलग करने की प्रतिज्ञा करें और तब

ऐसा पचायती निवटारा भी सम्मिलित है जिसमें बाटने की आज्ञा की गई हो परन्तु जब किसी बटवारे के विषय में पहले प्रतिज्ञा पत्र घाट करने के लिये लिखा जा चुका हो और उस पर स्टाम्पें लग चुका हो और फिर उस प्रतिज्ञा पत्र के अनुकूल बटवारा होवे तो पिछले बटवारा पत्र पर स्टाम्प पहले दिये स्टाम्प की कीमत काट कर लगता है। परन्तु किसी अथस्या में आठ आने से कम का स्टाम्प नहीं लगता।

(मद्र ४५ जमीना १ कानून स्टाम्पें)

विभाग पत्र अचल सम्पत्ति का जिसकी मालियत सौ १०० रुपये से अधिक हो रजिस्ट्री होना आवश्यक है।

विभाग पत्र

हमकि रामसहाय वेदा रामरतन, य केवलराम, वेदा इन्द्रमन
ध मोहनलाल वेदा देयोसहाय जाति वैश्य चूड़वाल रहने वाले
कसबे सादाबाद जिला मथुरा के हैं

जोकि हम प्रणकर्ताओं की विविध पैत्रिक चल व अचल सम्पत्ति
सांभे की हैं जिसमें हम तीनों पक्षों का एक २ तिहाई धरावर २ हिस्सा
है इसके अतिरिक्त बहुत सी जायदादें हम लोगों ने पैत्रिक सम्पत्ति
की सहायता तथा अपने भुजबल से सांभे में पैदा की है और वे
कुल जायदादें पैत्रिक सम्पत्ति की नाई हम लोगों की सांभे की
मिलकियत बराबर २ हैं। सांभे की जायदाद के काममें लाने और
मुनाफे के मध्ये हम प्रणकर्ताओं में झगड़े रहते हैं। शका है कि
जायदाद डूब जाने। इसके अतिरिक्त हम लोगों का एक कारखाना
पेच रुई का स्थान सादाबाद में समान भाग से सांभे में चलता

था। यह भी भगडों के कारण एक साल से रुक है। और उसीके सम्बन्ध में बहुत सी इमारत और मेशनरी के अतिरिक्त बहुत सा लौह दैन है जो उक्त कारखाने के बहीखानों में लिखा है। कारखाने बन्द हो जाने के कारण उस में बड़ी हानि हो रही है, आपस के सुभीते के विचार से अपने इष्ट मित्रों और शुभचिन्तकों के समझाने पर हम लोगों ने हर प्रकार की साझे जायदादके तीन कुरे समान मालियत के तैयार करके आपस में बांट लिये। कुरा न० १ मुक्त प्रणकर्ता न० १ के हिस्से में आया है। और इसी प्रकार कुरे न० २ व ३ अलग अलग प्रणकर्ता न० २ व ३ के हिस्से में आये हैं।

कुरों का विवरण इस पत्र में नीचे लिखा है। आज की तारीख से जो कुरा जिस पक्षके हिस्सेमें आया है वह उसका स्थिर स्वामी है। किसी पक्ष वाले को दूसरे पक्षके कुरे से कोई सम्बन्ध और प्रयोजन नहीं है न आगे का हागा, जा जायदाद जिस पक्षके हिस्से में लगाई गई है उसके मध्ये समस्त कानूनी स्वत्वों का वह पक्ष अधिकारी है और जो मार किसी जायदाद पर है या आगे को निकले, वह भी उस पक्ष के ऊपर रहेगा जिसके हिस्से में कि जायदाद इस विभागपत्र द्वारा पहुँची है। बट्टी हुई जायदाद को मालियत पञ्चीस हज़ार (२५०००) रुपया है इसके अतिरिक्त यदि कोई अन्य साझे की जायदाद हम तीन पक्षों की निकले तो उसके सब पक्ष समान भाग से मालिक होंगे।

इसलिये यह विभाग पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे और आवश्यकता के समय काम आवे।

कुरा न० १	कुरा न० २	कुरा न० ३
हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
गवाह	गवाह	गवाह
लेख तिथि	लेखक	ध्यान
	लेखक विभाग पत्र	

विभाग पत्र

हमें कि अइमद हुसैन वेष्टा व मुसम्मात सई दुन्निसा व जैन दुन्निसा वेष्टिया व मुसम्मात कुलसमुन्निसा विधवा हुसैन बख्श जानि मुगल रहने वाले फसवे सआदन गज मुहरला रगमहल जिले अहमदाबाद के हैं।

जोकि हमारे पुरुखा हुसैन वरश जुनऊ और रहायशी जायदाद लग भग १००००) की छांडकर तीन साल बीते मर गये और हम प्रणकर्ताओं को अपनी जायदाद का दायभागी शरध के अनुसार छोडा मृत सम्पत्तिमें मुझ प्रणकर्ता न० १ यत्तीस सिहाम में से १४ सिहाम और हम प्रण कर्ता न० २ और ३ के सात २ सिहाम और मुझ प्रण करने वाले न० ४ के ४ सिहाम होते हैं। हम प्रण कर्ताओं में सामे के कारण झगडे रहते हैं और हर पक्ष अपने जायदाद के हिस्म से पूरा और उचित लाभ नहीं उठाता। झगडों के निवटानेके विचार से अपनी प्रसन्नता से हम प्रण कर्ताओं न भूत सम्पत्ति को नाचे लिये हुए चार कुरी पर जो मालियत में हमारे शरध सिस्लों के अनुसार हैं गट कर लिया कुरा न० १ का मालिक आज की तारीख से प्रण कर्ता न० १ और न० २-३-४ के कुरी के मालिक आज की तारीख से क्रम से न० २ व ३ व ४ हुए और हर एक पक्ष अपने २ कुरे पर अधिकारी और काबिज हो गया अब किसी पक्ष को दूसरे पक्ष क कुरे से कोई सम्बन्ध और प्रयोजन नहीं रहा। और न आगे का होगा जो जुतऊ भू सम्पत्ति जिस पक्ष के हिस्से में आई है उस को चाहिये कि अपना नाम सरकारी कागज़ों में लिखा लेये। दूसरे पक्ष को कोई आप्तेप व विरोध इस विषय में न होगा। दैन महर मुझ प्रण करने वाली न० ४ का मात्तव्य मृत हुसैनवरध अपने जीवन में अदा कर चुके थे। उसके

मध्ये कोई भार घटी हुई जायदाद पर नहीं है। और हम प्रण कर्ताओं के विश्वास व ज्ञान में कोई भार या ऋण हमारे पुरुखा का पैदा किया हुआ या अन्य प्रकार का नहीं है। यदि दैवात् कोई भार या ऋण निकले, और किसी पक्षको भुगताने पड़े तो भुगतान करने वाला पक्ष दूसरे पक्षों के हिस्सों के अनुसार उन से लैनदार होगा घटी हुई जायदाद के अतिरिक्त अन्य मूल सम्पत्ति निकले तो हम प्रण कर्ता शर्ह हिस्सों के अनुसार उस के लैनदार और स्वामी होंगे घटघारे की तारीख से घटी हुई जायदाद के मुनाफे का हिसाब आपस में हो गया। आगे अपनी जायदाद का मुनाफा हर एक हिस्सेदार उधावेगा। ज़मोदारी का लगान और रहायशी सम्पत्ति के किराये की उधाई जो अब तक शेष है उसके मध्ये यह ठहरा है कि जो जायदाद जिस पक्ष के हिस्से में गई है वह प्राप्त कर लेवे और उस के मध्ये लेख हर एक हिस्से वाले को दे दिये गये हैं। यदि एक पक्ष की उधाई किसी दूसरे पक्ष का वसूल करना निश्चय हो तो अधिकारी पक्ष वसूल करने वाले पक्ष से उसका लैनदार होगा, इसलिये यह विभाग पत्र लिख दिया कि सनद रहे और आवश्यकता व समय काम आये।

कुरों का व्यौरा

कुरा न० १ अहमद हुसैन के हिस्से में । कुरा न० २ सईदुन्निसा के हिस्से में

कुरा न० ३ जैनबुन्निसा के हिस्से में कुरा न० ४ कुलसुन्निसा के हिस्से में

हस्ताक्षर हस्ताक्षर हस्ताक्षर हस्ताक्षर

गवा गवा

स्थान लेख तिथि लेखक

अधिकार पत्र

यह पत्र जिस के द्वारा एक मनुष्य किसी दूसरे मुख्य मनुष्य या मनुष्यों को अपने लिये और अपने नाम में काम करने के लिये नियत करता है अधिकार पत्र कहलाता है। यदि नियत करना किसी एक या एक से अधिक निश्चित कार्यों के लिये होता है तो यह मुख्य या विशेष अधिकार पत्र कहलाता है और जो मुख्य प्रकार के कार्यों के लिये नियत करना सर्वत्र होता है उसको सर्वाधिकार पत्र कहते हैं—

स्टाम्प । मह ४८ जमीना १ कानून स्टाम्प के अनुसार निम्न लिखित लगता है

(अ) जब केवल इस तात्पर्य से कि एक या एक से अधिक दस्तावेज एक ही व्यवहार से सम्बन्ध रखने वाले की रजिस्ट्री कराई जावे। या वास्ते स्वीकारी लिखने एक या एक से अधिक ऐसी दस्तावेजों के लिखा जाये ॥)

(ब) जब खफोफे की नालिगों में प्रेसीडेंसी शहरों में ऐक्ट सन् १८८२ के अनुसार दायित्व करने के लिये आवश्यकता हो ॥)

(ज) जब उसके द्वारा एक या एक से अधिक मनुष्यों की एक ही व्यवहार के सम्बन्ध में कार्य करने का अधिकार दिया जावे मह (अ) को छोड़ कर १)

(द) जब उसमें अधिकार दिया जावे कि पाच या पाच से कम मनुष्य एक से अधिक व्यवहारों में या साधारणतया मिलकर और अलग २ कार्य करें ५)

(ह) जब उस में अधिकार दिया जावे कि कुछ मनुष्य जिनकी संख्या पाच से अधिक हो परन्तु दस से अधिक न हो एक

अधिक व्यवहारों में या साधारणतया मिलकर और अलग २
कार्य करें १०।

(घ) जब किसी बदल के बदले में लिखा जाये और अधिकारी
को किसी अचल सम्पत्ति के वै करने का अधिकार दिया जाये
रसूम, वै नामे को दर से उस जायदाद की मालियत पर जो वै
करनी हो।

(स) किसी और अवस्था में १।

मुख्य अधिकार पत्र

मैं कि मनोहरलाल वेटा लाला नथमलदास जाति वैश्य सरावगी
पेशा आदत कपडा रहने वाला मुहल्ला धर्म पुर शहर देहली का हू।
जो कि एक नालिश नम्बरी ५३१ सन् १९१८ अदालत सय जजी
शाहजहापुर में फर्म राम सुपदास प्यारेलाल की ओर से मुझ
प्रण कर्ता के नाम विचाराधीन है और मैं व्यापारिक कार वार के
कारण उस की दौड धूप करने से लाचार हू। इसलिये मैं अपनी
ओर से लाला ज्योतीप्रसाद वेटा लाला बनारसीदास जाति वैश्य
सरावगी शहर देहली निवासी और गोरधन लाल वेटा शिवचरन
लाल जाति ब्राह्मण शहर मेरठ निवासी को अपना मुद्राधिकारी
नियत करके अधिकार देना हू कि उक्त नालिश में उपरोक्त दोनों
मुद्राधिकारी मेरी ओर से किसी वकील वेरिस्टर या अन्य कानून
पेशा को, नियत करें। अथवा नतिहरीरी (अभियोग उत्तर) पर मेरी
ओर से तसदीक (सही) लिखें और उसको दाखिल करें।
बागजात या अन्य लिखित प्रमाणों को तलब करायें या पेश
करें या वापस ले या प्रश्नोत्तर करें मुल्लेखनामा (सधिपत्र) राजी

नामा (मेल पत्र) त्यागें पत्र' या निवेत्ति' पत्र देव' या पचायत' का प्रतिज्ञा पत्र दाखिल' करें' या पचायत स्वीकार' करें' वकील और रिस्टर को 'मिहन्ताना देवें और उसको प्रामाणित' करें या अन्य' वयान हटफो ('सशपथ' कथन) देवें या वयान लिखावें या अन्य' ई दरयास्त किसी विषय की पेश' करें या मोर्द रुपया किसी रुदमे'के' सम्बन्ध में दाखिल' करें या वापस लें और मुकद्मा पट जाने पर डिगरी का जारी करावें और दरयास्त इजराय र मेरे हस्ताक्षर अपनी लेखनी से लिखें और उसको प्रामाणित' करें और इजराय डिगरी का रुपया प्रसूल' करें और उसके सम्बन्ध' जो कुछ कार्य बाही हो' करें, सब' क्रिया' हुआ उक्त मुफ्तारों' को अपने किये समान स्वाकार और अगीकार' है।

इसलिये यह मुख्य अधिकार पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे। और आवश्यकता के समय काम आवे।

हस्ताक्षर व साक्षी आदि।

सर्वाधिकार पत्र

मैं कि सोहनलाल थेटा प्यारेलाल जाति कायस्थ मटनागर ने घाला मलीहाबाद जिला लखनऊ का हूँ।

जो कि बहुत से मुकद्दमे मेरी आरसे और मेरे नाम दीवानी फौजदारी व कलकटरी आदि की अदालतों के प्रिटिंश इटिया में र उस के बाहिर रहते हैं और मैं दूसरे कारगार क कारण स्वयं की पैरवी नहीं कर सकता, इस लिये मैं अपनी ओर से रामचन्द्र व आराम जाति वश्य अलीगढ़ निवासी का इस अधिकार पत्र अथवा सर्वाधिकारी नियत उक्त अधिकारी

मुकद्दमों में, जिनमें मेरा पक्ष हो, माल व फौजदारी व दीवानी की अदालतों से हाईकोर्ट व साहिबान बोर्ड की अदालत तक और डाक खाना व रेलवे व आबकारी व नहर व नमक बन्दोबस्त के मुकद्दमों में तथा श्रीमान् गवर्नर व गवर्नर जनरल बहादुर की सेवा में उपस्थित हाकर हर प्रकार की पैरवी (यत्न) मेरी ओर से करे और उक्त पैरवी के निमित्त कोई मुख्तार वकील या वैरिम्बर नियत करे उनको मिहनताना देवे और उसको प्रमाणित करे कोई ध्यान तहरीरी (लिखित कथन) या अन्य दस्तावेज मेरी ओर घाले पर हस्ताक्षर करे या प्रमाणित करे या कोई प्रश्नात्तर करे या कोई दस्तावेज दाखिल करे या वापस लेवे या इजराय डिगरी कराने या डिगरी का रपया या अन्य मेरा लेना रुपया वसूल करे या मेरी ओर से कोई रुपया दाखिल करे या किसी मुकद्दमे में पचायती दरखास्त देवे या आपसे का निबटारा करे या इकबाल दावा या त्याग पत्र पेश करे या नौलाम खरीदे या जमींदारी के गावों में किसी प्रकार का रुपया काश्तकारों मुआफीदारों ठेकेदारों अथवा किसी श्रय से वसूल करे और अपनी रसीद देवे या लगान की तहसील या तशखीस नियत करावे या घट्टारा करावे या कुरा डलवावे या आसामियों के नाम पट्टे लिखे या वेदखली की नालिश दाखर करे या मुद्द इग्तियारी (स्वाधीन) कुरकी व्यवहार में लावे नात्पर्य यह कि समस्त आवश्यक कार्यवाही कार्य में लारे वह सब उक्त सर्वाधिकारी का क्रिया और बनाया हुआ मुझको अपनी मुख्य व्यक्ति के सदृश स्वीकार व श्रमाकार है।

इस लिये यह सर्वाधिकार पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे और आवश्यकता के समय काम आवे।

सर्वाधिकार पत्र

हम कि पडित भैरवदत्त व पडित टीकाराम, व पडिन गुरुदत्त, वेटे श्री महाराज पडित अम्बादत्त व पडित गणेशदत्त वेटा उक्त पडित भैरवदत्त जाति ब्राह्मण पर्वती रहने वाले कसबे अनूपशहर जिला बुलन्दशहर के हैं।

जो कि बहुत से मुकद्दमे व मुश्रामले (काम काज) हमारी ओर से और हमारे नाम ब्रिटिश इंडिया के भीतर व बाहिर सरकारी राज्य के हर स्थान व अहाते की समस्त अदालतों दीवानी व माल व फौजदारी व होईकोर्ट और अय सय महकमों व सरिश्तों व दफतरों तथा अधिकार प्राप्त हिन्दुस्तानी रियासतों में दायर होते रहते हैं और स्वयं उनकी पैरवी व जवाबदिही से हमारे वैद्यक आदि के अन्य कार्य में हानि होती है इससे हमने अपनी ओर से गौरीशकर वेटा राधेलाल जाति कायस्थ पेशा नौकरी रहने वाले अनूपशहर जिला बुलन्दशहर को अपना सर्वाधिकारी नियत किया।

प्रतिष्ठा निम्न लिखित यह है।

(१) यह कि उक्त अधिकारी उपरोक्त किसी अदालत या महकमा या सरिश्ता या दफतर या प्रारम्भिक अधिकार वाली (अदालत) में या अपील में हमारी ओर से हाजिर (उपस्थित) या कोई काम या पैरवी या कार्यवाही या जवाबदिही या उज्रवारी या सवाल जबाब करे या कोई नालिश या दरखास्त या इस्तिमासा या अपील या निगरानी या तजवीज सानी अकसाम दीवानी या माल या फौजदारी में या कोई और अर्जी या सवाल या दरखास्त किसी प्रकार या आशय को दायर करे या गुजराने या उसकी जवाबदिही करे या कोई अर्जी दावा या बयान तहरीरी

दस्तावेज इजराय डिंगरी, या किसी और दस्तावेज या कागज
 हमारे दस्तावेज करे या इवारत तसदीक लिखे या उन को
 पत्रे या पेश करे या वापस ले या आवश्यकता के समय उस में
 जो या सशोधन करे या कोई सशोधन लिखे या उस को
 लिख करे, या किसी घोरिस्टर या घकील या मुख्तार-या- रेवेन्यू
 अदालत को या किसी विशेष कार्यवाही या कामों के लिये
 जो और पुष्प को- मुख्याधिकारी, नियत किया-पृथक-करे-या-
 अलतनामा मुख्तार नामा खास (मुख्याधिकार पत्र) लिखे या
 अस्ट्री कराये या हिदायत करे या मिहानताना शुकाये या उसको
 लिख करे या कोई कागज या शहादत (सादी) या दस्तावेज
 ले या पेश करे या वापस ले या तलब कराये या इजहार
 कराये, या दूसरे पक्ष से सवाल करे या कोई दस्तावेज नफ्त
 मुआइने की देवे औरानकल हासिल या मुआइना करे (देवे)

(२) वह, कि हमारे जमींदारी के गावों में हर एक जायदाद
 कार्य का स्वयम् उचित रीति से प्रबन्ध करे और खेती कराने
 र लगान बढ़ाने के लिये वह कुल काम जो राजनीति अनुसार
 र हमारे लाभ दायक हो परिश्रम और प्रयत्नसे करे या आसा
 यों या और मनुष्यों से हमारा लेना नपया वसूल करे या रसीद
 या हमारे प्राप्त करने योग्य लगान में आसामियों की पैदावार
 प कुर्क करे या दूसरे को लिखित आज्ञा कुर्क करने की दे और
 त कार्य कुर्क और नीलाम के सम्बन्ध में राजनीति
 अनुसार करे और कुल नालिशों और दस्तावेजों कानून कर्ज
 राजी और कानून माल गुजारी के अनुसार जो उस समय
 गलिन हो दाहर करे और देवे । इत्तलानामा वेदगली पर
 ताहर करे या कोई नोटिस या इत्तलानामा कानूनी दे।

१ (३) किसी मुकद्दमे इम्तिदाई (ओरम्मक) या अपील या इजराय डिग्री में मीजीनामा या मुलदनामा (सन्धि पत्र) या बाजदावा या दस्तख्तदारी या पचायत को सपोलट्टेचे या स्वीकार करे या फौसिला सालिसी या पचायत को नियत या नियुक्त (नीमजद) करे या फौसिला सालिसी या पचायत को नियत या नियुक्त (नीमजद) करे या कोई उज्र (प्रतिघात) या अज्ञेपकरे या फिस्त बन्दी या किसी खायदादा का कुछ समय का परिवर्तन स्वीकार या अगीकार करे या नम्बरदार या यंत्रवारी या मुत्तिया या चौकीदार के नियत होने में स्वीकरी दे या विरोध करे या विरुद्ध लिखने या खयानत मुजिरिमाना या मुचलका या जमानत में बचलैनी या दिफ्ज अमन (शान्ति रक्षा) किये जाने की शिकायत या इस्तिगामा करे या किसी शिकायत या इस्तिगामे की जियोयदिही करे या सफाया या इत्तलानामा या हुफमनामा जो हमारे नाम ही लेकर उसे परे रसीद या इत्तलायाची लिखे ।

(४) दरखास्त इजराय डिग्री या उसके सम्बन्ध में हर प्रकार की और दरखास्त पेश करे या और कोई कार्यवाही इजराय डिग्री को करे या कोई जायदाद फुके या नीलाम कराय और इजाजत लेकर नीलाम में डिग्री के मतालये तक बोली बोलकर उसको हमारे वास्ते खरीद करे और मतालये डिग्री में रसीद दागिल करे या और कोई जायदाद हमारे लेने में हमारे लिये खरीद करे या डिग्री के फुल या किसी भाग के बखल होने की तसदीक करे ।

(५) वास्ते प्राप्त करने या बदलवाने लेस-स हथियारों के या और कोई दरखास्त कानून हाथियाती के और कुल कार्य उसके सम्बन्ध में करे या कोई अन्य रुपया हमारा लेना किसी अदाकत या किसी और मनुष्य से या वकील या

घसूल करके रसीद दे या जो रुपया हमको देना या दाखिल करना हो उसको रसीद लेकर दाखिल या अदा करे ।

- सारांश यह कि उक्त अधिकारी हर एक उपरोक्त प्रत्येक कार्यवाही और काम को सचार्द और ईमानदारी-से हमारे काम के-लिये ऐन प्रयत्न से करे कि मानो स्वयं उसका काम है वह सब हमको स्वीकृत और अगीकार होगा । परन्तु उक्त अधिकारी को प्रत्यक्ष में अथवा किसी बहाने-से अग्रण लेने-या हमारी किसी जायदाद को आड या परिवर्तन करने का और किसी ऐसे कार्य या प्रतिज्ञा करने का कि जिससे हमारी व्यक्ति या जायदाद पर जिम्मे धारी होतो हो अधिकार न होगा । और उक्त अधिकारी आमदनी और खर्च की हर एक रकम का क्रम पूर्वक और ठीक हिसाब तैयार करता और समझाता रहेगा और रोकड याकी हमको अदा करके उसकी रसीद नियमाऽनुकूल लेता रहेगा ।-उक्त अधिकारी को किसी ऐसे पट्टे का जिसकी भी आद तीन साल या लगान सालाना पचास रुपये से अधिक हो देने का अधिकार न होगा और किसी रुपये के घसूल करने या किसी राजानामा सुलहनामा या बाजदाना और थोडे समय का परिवर्तन स्वीकार करनेका जिसकी तादाद पाचसौ रुपये से अधिक हो अधिकार उसको न होगा ।

उक्त अधिकारी कुल कानूनी जिम्मेदारियों का जवाब देने वाला और पाबन्द होगा इस लिये यह मुख्तारनामा लिख दिया किसनद रहे ।

हस्ताक्षर	र	हस्ताक्षर	र
प० भैरवदत्त बकलम खुद		प० टीकाराम बकलम खुद	
हस्ताक्षर	हर	हस्ताक्षर	हर
प० गुरुदत्त बकलम खुद		प० गणेशदत्त बकलम खुद	
गवा	ह	गवा	ह
लेख तिथि		स्थान अनुपशहर	
बकलम		लेखक	

जमानत नामा (लग्नक पत्र) :

लग्नक पत्र (जमानत नामा) वह पत्र है कि जिस के द्वारा एक मनुष्य यह भार लेता है कि दूसरा मनुष्य जिसको वह जमानत (लग्नक) करता है अपनी प्रतिक्षा को या किसी अन्य ठहरे हुए कार्य या कर्तव्य को पूरा करेगा या किसी कार्य के करने या न करने से बचा रहेगा और ऐसा न करने की अवस्था में जमानत करने वाला उस के कर्तव्य को स्वयम् पूरा करेगा या दैनदार बदल या हानिका उक्त पत्र लिखित सत्या तक होगा।

जमानत करने वाले को जामिन कहते हैं और जिस मनुष्य की जमानत की जाती है वह किसी रुपये की देन दारी होने की अवस्था में मद्यून (ऋणी) कहलाता है।

स्टाम्प जमानत नामे पर जब जमानत की सख्या १०००) रुपये तक हो तमस्तुक की दर से लगता है और अन्य दशाओं में ५) का।

जब जमानत नामे में अचल सम्पत्ति आड की जावे तो उसकी रजिस्ट्री आवश्यक है जमानत की सख्या चाहे कुछ भी हो। परन्तु ब्यक्ति की जमानत में रजिस्ट्री की आवश्यकता नहीं है।

लग्नक पत्र

मैं कि अहमदयार या बेटा सईदुद्दीन खा, जाति पठान रहने वाला ग्राम मायुवा तहसील अतरौली जिला अलीगढ़ का हू।

जो कि बदरुद्दीन बेटा सदरुद्दीन खा, जाति पठान निवासी मायुये से जो डाकगाने के महकमे में पोस्टमास्टर पद पर नौकर है जमानत नेकचलनी व ईमानदारी की १०००) की मांगी गई है। इसलिये मैं यह जमानत नामा (लग्नक पत्र) सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इंडिया इन कांसिल के हक्क में अपनी राजी व इच्छा से

स्वस्थ चित्त और स्थिर बुद्धि की अवस्था में लिखकर उक्त बंद
रहीन का जमिन होता है और प्रण करता है और लिखे देता है
कि यदि उक्त बंदरहीन अपनी नौकरी के समय में कोई सरकारी
रुपया चोरी करे या खा लेवे या घेईमानी उस से घने पडे तो
उपरोक्त घन सख्या तक में जामिन उसका दैनदार है । और एक
नग हवेली पक्षी मौजा मांचुवा तहसील अतरौली जिला अलीगढ़
में स्थित मालियती दो हजार रुपये जो मेरी मिल्कियत है इस
जमानत नामे के ऋण में आड और प्रसित करता है मेरे न अदा
करने की अवस्था में उपरोक्त जायदाद से कुल रुपया जो बंदरहीन
के ऊपर निकले घसूल किया जावे । मुझे को या मेरे दाये भागी
उत्तराधिकारी स्थानापन्नो को कुछ विरोध न होगा । आड की
हुई जायदाद हर प्रकार के ऋण और भार से रहित और निदोश है ।

इसलिये यह जमानत नामा लिख दिया गया कि सनद रहे
और समय पर काम आवे ।

हस्ता _____ संर गधा _____ ह
गधा _____ ह
लेख तिथि _____ स्थान _____
लेखक _____

जमानत नामा निस्वत हलतिवाय हजाराय डिगरी
मेकि रामसहाय वेठा दुर्जन जाति लोधो निवासी देवरिया
जिला गोरखपुर का ह ।

जो कि अहमद हुसैन मुहई ने दावा नम्बरी ३७ सन् १९१८
ध मुकावला माधोदास मुदाअले सब जमी गोरखपुर की अदालत
में दाहर किया और १५ नवम्बर सन् १९१८ को डिगरी मुहई के
हफ्ते में सादिर हुई मुदाअले ने उक्त डिगरी की नाराजी में अर्पित

साहिव, जज बहादुर गोरखपुर की अदालत में दाखल किया जो अब तक जेर तजवीज़ (विचाराधीन) है ।

अब चूंकि मुद्दे डिगरीद्वारा ने, इजरा की दरखास्त-पेश की है और मुद्दाअले की दरखास्त इलतिवा पर उसको जमानत दाखिल करने का हुकम हुआ है ।

इस लिये मैं अपनी प्रसन्नता व इच्छा मे ३०००) रुपये के मध्ये जामिन होकर जमानत नामा साहिव जज बहादुर गोरखपुरके प्रति लिखता ह, और इस दस्तावेज के नीचे परिशिष्ट में लिगी जाय दाद को आड करता ह और प्रतिज्ञा करता ह कि यदि प्रारम्भिक अदालत की डिगरी अपील की अदालत से बहाल या तरमीम होगी तो उक्त मुद्दाअले अदालत अपील की तामील (पालन) व पावन्दी करेगा और जो कुछ मतालवा। उस डिगरी के अनुसार देने योग्य होगा उसको मैं जामिन अदा करूंगा और उसके सिद्ध करने की अवस्था में उक्त रुपया इस दस्तावेज में आड की हुई जायदाद से वसूल योग्य होगा और यदि उक्त जायदादों का नीलाम के मूल्य के रुपया देने योग्य रुपये की शेषाकी के निमित्त अपर्याप्त हो तो मैं और मेरे स्थानपन्न व प्रतिनिधि कानूनी धाक्री का रुपया भुगताने के निजी रूप में जिम्मेदार होंगे ।

इस लिये यह जमानत नामा लिख दिया कि सनद रहे और समय पर काम आवे ।

परिशिष्ट जायदाद

स्थस्थ चित्त और स्थिर बुद्धि की अवस्था में लिखकर उक्त यद-
 रुहीन का ज़मिन होता है और प्रण करता है और लिखे देता है
 कि यदि उक्त यदरुहीन अपनी नौकरी के समय में कोई सरकारी
 रुपया चोरी करे या खा लेवे या वेईमानी उस से घन पडे तो
 उपरोक्त धन सरया तक मैं जामिन उसका देनदार हूँ । और एक
 नग हवेली पष्की मौजा माचुवा नहसील अतरौली जिला अलीगढ़
 में स्थित मालियती दो हजार रुपये जो मेरी मिल्कियत है इस
 जमानत नामे के ऋण में आड और प्रसित करता हूँ मेरे न अदा
 करने की अवस्था में उपरोक्त जायदाद से कुल रुपया जो यदरुहीन
 के ऊपर निकले घसूल किया जावे । मुझ को या मेरे दाय भागी
 उत्तराधिकारी स्थानापन्नो को कुछ विरोध न होगा । आड की
 हुई जायदाद हर प्रकार के ऋण और भार से रहित और निदोश है ।

इसलिये यह जमानत नामा लिख दिया गया कि सन १९१६
 और समय पर काम आवे ।

हस्ता - _____ सार गया _____ ह
 गया _____ ह
 लेख तिथि स्थान
 लेखक

जमानत नामा निस्थत इलतिवाय इजराय डिगरी
 में कि रामसहाय घेठा दुर्जन जाति लोधा निवासी देवरिया
 जिला गोरखपुर का ह ।

जो कि अहमद हुसैन मुहरे ने दावा नम्बरी ३७ सन १९१६
 य मुकाबला माधोदास मुहाअले सब जजो गोरखपुर की अदालत
 में दाहर किया और १५ नवम्बर सन १९१६ को डिगरी मुहरे के
 हक में सादिर हुई मुहाअले ने उक्त डिगरी की नारोजी में अपील

(२०३)

साहिव जज बहादुर गोरखपुर की अदालत में दाख़र किया जा अथ तक ज़ोर तजवीज़ (विचाराधीन) है ।

अब चूकि, मुद्दई, डिगरीदार ने इजरा की दरखास्त-पेश की, है और मुद्दाअले की दरखास्त इलतिवा पर उसको ज़मानत दाख़िल करने का हुक्म हुआ है ।

इस लिये मैं अपनी प्रसन्नता व इच्छा से ३०००) रुपये के मध्यें जामिन होकर जमानत नामा साहिव जज बहादुर गोरखपुर के प्रति लिखता हूँ, और इस दस्तावेज़ के नीचे परिशिष्ट में लिखी जाय दाद को आड करता हूँ और प्रतिज्ञा करता हूँ कि यदि प्रारम्भिक अदालत की डिगरी अपील की अदालत से बहाल या तरमीम होगी तो उक्त मुद्दाअले अदालत अपील की तामील (पालन) व पावन्दी करेगा और जो कुछ मतालया, उस डिगरी के अनुसार देने योग्य होगा उसको मैं जामिन अदा करूंगा और उसके विरुद्ध करने की अवस्था में उक्त रुपया इस दस्तावेज़ में आड की हुई जायदाद से वसूल योग्य होगा और यदि उक्त जायदादों के नीलाम के मूल्य के रुपया देने योग्य रुपये की प्रेषाकी के निमित्त अपर्याप्त हो तो मैं और मेरे स्थानगन्त व प्रतिनिधि कानूनी बाकी का रुपया भुगताने के सिजी रूप में ज़िम्मेदार हूँगे ।

इस लिये यह जमानत नामा लिख दिया कि सनद रहें और समय पर काम आवे ।

परिशिष्ट जायदाद

नोट—यदि मुद्दे डिगरीदार से इजराय काल में जमानत वापसी जायदाद के निमित्त जो इजरा में ली जावे तलब हो तो उसका जमानत नामा भी इसी भाति लिया जावेगा और उन शब्दों की जगह जिनको माटे अक्षरों में लिखा गया है निम्न लिखित क्रम से इवारत लिखी जावेगी।

- (१) " मुद्दे को जमानत दाखिल करने का हुकम हुआ है"
(२) मन्सूर (३) उक्त मुद्दे जो कुछ जायदाद इजराय डिगरी में ली गई हो या ली जावे वापस करेगा।

दस्त बरदारी (त्याग पत्र)

वह पत्र जिस के द्वारा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के प्रति या किसी विशेष सम्पत्ति के सम्बन्ध में अपने स्वत्व का त्याग करे वह त्याग पत्र कहलाता है। त्याग पत्र को निवृत्ति भी बोलते हैं।

दस्त बरदारी, (त्याग पत्र) पर स्टाम्प तमस्तुक की दर से मालियत के धिन्धार से १०००) रुपये तक लगता है, अन्य अवस्थाओं में ५) यदि दस्त बरदारी किसी अचल सम्पत्ति के स्वत्व से जिस की मालियत सौ रुपये से अधिक हो सम्बन्ध रखती हो तो उस की रजिस्ट्री आवश्यक है।

त्याग पत्र

मैं कि सुमेरसिंह बेटा रनधीरसिंह जाति ठाकुर गहलौत पेशा जमींदारी निवासी कसबा जहागीराबाद जिला बुलन्दशहर का ह। जोकि इस पत्रके परिशिष्ट (अ) घं (ब) में लिखित जायदाद मौजा बड़पुरा परगना अहार में स्थित १७ जून सन् १९११ के

लिये सादा रहननामे द्वारा गंगासहाय व दौलत राम वेंटे जोरामर सिंह जाति जाट रहने वाले बड़पुरा परगना अहार जिला बुलन्द शहर की लिखी छ हजार रुपये के बदले में मेरे पास आड है। उक्त रहन नामे का रुपया अतक अदा नहीं हुआ और उस की तादाद लगभग साठे ग्यारह हजार रुपये के होते है, कुल आडी जायदाद लगभग पन्द्रह हजार रुपये के माल की है। मालके परते के विचार से परिशिष्ट (अ) की सम्पत्ति पर साठे चार हजार रुपये के लगभग भार आता है उक्त गंगा सहाय व दौलत राम परिशिष्ट (अ) की सम्पत्ति को छ हजार रुपये के बदले बेचने और बेची हुई सम्पत्ति को १७ जून सन् १९११ के आड पत्र के ऋण भाग भुगताने में देने के लिये प्रेरित हुए और मने उस को स्वीकार कर लिया तदनुसार उक्त विक्रम पत्र की पूर्ति व रजिस्ट्री नाहरसिंह बेटा केहरसिंह जाति जाट निवासी मौजा बड़पुरा परगना अहार जिला बुलन्दशहर के नाम हो गई उक्त प्रतिशानुसार ४५००) रुपये कि आधे जिसके २२५०) होते हैं उक्त नाहरसिंह से रजिस्ट्री के समय रोकड़ी घसल पाये और सम्पत्ति परिशिष्ट (अ) लिखित को भार और ऋण आडनामा तारीख १७ जून सन् १९११ से रहित और निर्दोश किया और उस का त्यागन कर दिया अथ मुझ का या मेरे दाय भागियों, स्थानापनों और प्रति निधियों को स्वत्व किसी प्रकार का आड नामा ता० १७ जून सन् १९११ के ऋण के घसूल करने का उक्त सम्पत्ति से नहीं रहा न आगे को होगा।

शेष ऋण उक्त आडनामे का सम्पत्ति परिशिष्ट (य) के ऊपर चालू और उस स घसूल करने योग्य होगा इसलिये यह त्याग पत्र लिख दिया गया कि प्रमाण रहे।

परिशिष्ट (अ) बेची हुई जायदाद जो भार से मुक्त की गई.

परिशिष्ट (ब) जायदाद जिस के ऊपर ऋण स्थिर व चालू रहा

हस्ता _____ द्वारा गवा _____

लेख तिथि

स्थान लेख

दूसरा त्याग पत्र

हम कि मौलवी जैनुद्दीन साहिब कलक्टर बहादुर अलीगढ़ मेनेजर कोर्ट आफ वार्ड्स व प्रबन्ध कर्ता रियासत कुवर विक्रम सिंह व गुलजारसिंह व जगवीरसिंह व स्वयम् विक्रमसिंह वेदा यलवन्तसिंह व गुलजारसिंह व जगवीरसिंह वेदा ठाकुर नरायनसिंह जाति जाट रहने वाले पिसावा परगना चडास तहसील खैर जिला अलीगढ़ पहला पक्ष व उक्त मुसम्मात भगवान कु वरि विधवा ठाकुर नौनिद्धसिंह जाति जाट निवासी पिसावा वर्तमान निवासी मौजा प्रानगढ़ तहसील सिकन्दराबाद जिला मुल्तान्दशहर दूसरा पक्ष । जोकि ठाकुर तेजसिंह रईस पिसावा विविध जमींदारी जायदादों व मालिक व अधिकारी थे, उनके मरने पर उनके तीन लहके ठा० यलवन्तसिंह व नरायनसिंह व नौ निद्धसिंह बेटों और हिन्दू अधिभक्त कुल शोषाधिकारियों के रूप में उक्त जायदाद के मालिक हुए ठाकुर नौनिद्धसिंह ने भी कुल की अधिभक्त दशा में सन् १८६५ में मृत्यु पाई उन की जगह उक्त जायदादके एक तिहाई भाग पर मुसम्मात भगवान कु वरि मुझ दूसरे पक्ष का नाम माल के कागजों में चढ़ा तत्पश्चात् नरायन सिंह कुल की अधिभक्त दशा में मरे और उनकी जगह कु वर शोवरन सिंह व गुलजार सिंह व जगवीर सिंह उन के लहके का नाम माल के कागजों में लिखा गया ।

इस काल में और इस के पश्चात् रियासत पर अद्रुत आक्रमण हो गया और भय था कि जायदाद बरबाद हो जावे ठाकुर यलवन्तसिंह ने जो कुल के मुखिया थे कूटभियों की रजामन्दी से कुल जायदाद को सन् १८९३ में कोर्ट आफ वार्ड्सके प्रबन्ध में करा दिया उस समय से बराबर जायदाद कोर्ट आफ वार्ड्स

के प्रबन्ध में चली आती है कुंवर श्योवरन सिंह को निस्सम्मान मृत्यु हा गई उनकी कोई विधवा नहीं है कुंवर गुलज़ार सिंह और जगवीर सिंह उनके हिस्से के मालिक हैं ऋण का बड़ा भाग भुगत चुका है जो कुछ शेष रहा है उस के भुगताने का प्रबन्ध हो रहा है और आशा है कि जायदाद शीघ्र स्वधिकारी पुरुषों को वापस दी जावे मुसम्मात भगवान कुंवरि नौनिद्धसिंह की विधवा का नाम उनके सन्तोपार्थ एक तिहाई हफिकयत पर कागजात माल में दर्ज चला आता है परन्तु घट कुल के अधिमक्त और उनके पति कुल की अधिमक्त दशा में मरजाने के कारण केवल खान पान पाने की अधिकारिणी हैं । मुसम्मात भगवान कुंवरि अब आंगामी ऋणदा पूरा करने और कुल के हितार्थ अपने स्वत्व से जो उनका उपरोक्त जायदाद में समझा जावे साठ रुपये माहवार खान पान पाने के बदले में हम प्रण कर्ता पहले पक्ष के प्रति त्यागन करना स्वीकार करतो हैं और हम प्रण कर्ता पहले पक्ष को उपरोक्त खान पान देने में कोई विरोध नहीं है । इस लिये इस प्रतिज्ञा पत्र द्वारा हम प्रण कर्ता निम्न लिखित प्रतिज्ञा करते हैं ।

(१) आज की तारीख से मुसम्मात भगवान कुंवरि दूसरे पक्ष को नीची लिखी हफिकयत से जिस पर उनका नाम कागजात माल में लिखा चला आता है कोई सम्बन्ध या स्वत्व किसी प्रकार का सिधाय ६०) मालिक खान पान पाने के नहीं रहा न आगे की होगा ।

(२) कोर्ट आफ वार्ड्स का प्रबन्ध रहने तक यह खान पान आमदनी रियासत से कोर्ट आफ वार्ड्स के मैनेजर दत्ते रहेंगे और उक्त प्रबन्ध छूट जाने पर कुंवर विक्रमसिंह व गुलज़ारसिंह व जगवीरसिंह जब तक सामे रहें उक्त रुपये को सामे से अदा करते रहेंगे और रियासत उनके धीरे में घट जाने पर

रुपया विक्रमसिंह के ऊपर और आधा गुलजारसिंह व जगवीरसिंह के ऊपर रहेगा ।

(३) उक्त खान पान किसी महीने का उस महीने से आगामी महीने की दस तारीखको लेने योग्य हुआ करेगा और न अदा होने की दशा में मुसम्मात भगवान कु घरि उस पर ब्याज दस आना सैकड़ी मालिक की दर से पाने की अधिकारिणी होंगी ।

(४) खान पान के रुपये और उस के ब्याज का भार जायदाद के उस हिस्से पर रहेगा जिसके विषय में यह त्याग पत्र लिखा जाता है और मुसम्मात भगवान कु घरि खान पान और ब्याज का रुपया सर्वदा उक्त जायदाद के नीलाम द्वारा वसूल करने की अधिकारिणी होंगी और यह भार उन समस्त भारों पर विशेषता रफ्तोगे जो पहले पक्ष वाले या उनके दायभागी स्थानापन्न और प्रति निधि पैदा करें ।

(५) मुसम्मात भगवान कु घरि के नाम की जगह आधे पर नाम कु घर विक्रम सिंह का और आधे पर कु घर गुलजार सिंह व जगवीर सिंह का कागजात माल में लिखा जावेगा और पहले पक्ष वाले उसको अपने अधिकार से करालें ।

(६) जो कुछ ऋण इस समय तक रियासत पर शेष है उसके दैन दार प्रण कर्ता पहले पक्ष वाले हैं मुसम्मात भगवान कु घर हुसरे पक्ष को ऋण चुकाने और उसकी दैन दारी से कुछ सम्बन्ध व प्रयोजन न होगा ।

(७) कु घर विक्रम सिंह व गुलजार सिंह व जगवीरसिंह पहले पक्ष और उनके स्थानापन्न दायभागी और प्रतिनिधि जो जायदाद के मालिक हैं खान पान और उसके ब्याज के रुपये के दैनदार

होंगे और इस प्रतिज्ञा पत्र के समस्त नियम और बन्धन उन को माननीय होंगे ।

(८) मुसम्मात भगवान् कुवरि दूसरे पक्ष की रहायश इस समय गाँव प्रानगढ़ में अपने भतीजे के पास है उनके रहने के लिये कसबे पिसावे में एक नग मकान कच्चा पक्का बना हुआ नीचे लिखी सीमाओं का निश्चित किया जाता है उनको अधिकार है कि चाहे वह गाँव प्रानगढ़ में रहे चाहे वह उक्त मकान में पिसावे में रहे उनके पिसावे या प्रानगढ़ के रहने का कोई प्रभाव उनके खान पान पाने के स्वत्व पर न पड़ेगा और हर दशा में वह उसके पाने की अधिकारिणी होंगी ।

(९) जो कुछ गहना आदि या अन्य चल सम्पत्ति भगवान् कुवरि के पास है या वह आगे को अपने खान पान के रुपये से या अन्य प्रकार से पैदा या इकट्ठा करें उससे कुवर विक्रमसिंह गुलजारसिंह व जगवीरसिंह और उनके दायभागी व स्थानापन्नों व प्रतिनिधियों को कुछ सम्बन्ध व प्रयोजन न होगा हा मकान रहायशी पिसावे वाला मुसम्मात भगवान् कुवरि के मरने पर कुवर विक्रमसिंह आदि की मिल्कियत रहेगा ।

(१०) इस पत्र की पूर्ति दो पतों में कराई गई है असल प्रतिज्ञा पत्र मुसम्मात भगवान् कुवरि के अधिकार में और दूसरा पत्र कुवर विक्रमसिंह आदि पहले पक्ष के अधिकार में रहेगा ।

इस लिये यह प्रतिज्ञा पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे ।

ब्योरा जायदाद जिससे दूसरे पक्षने पहले पक्ष के प्रति त्यागन किया ।

ब्योरा और सीमा मकान पिसावे का जो दूसरे पक्ष के रहने के लिये नियत किया गया ।

हस्ताक्षर व साक्षी आदि ।

(गौद पत्र) तिवनियत नामा

मैं कि हरीराम घेढानथमल जाति वैश्य अग्रवाल चूड़वाल रहने वाला कस्या हाथरस जिला अलीगढ़ का हूँ।

जोकि मेरी अवस्था लगभग पचास वर्ष के पहुँची, मेरे कोई पुत्र सन्तान नहीं है न आगे को होने की आशा है, श्राद्ध-तर्पण व पिरण्डदान के विचार और हिन्दू-धर्म के अन्य चलन व्यवहार के निमित्त मेरी तथा मेरी पत्नी की इच्छा बहुत दिन से लड़का गोद लेने की थी, चुनाच मैंने अपनी पत्नी सहित धार्मिक रीति व्यवहार करके मोहनलाल औरस पुत्र राधेलाल जाति वैश्य चूड़वाल निवासी ग्राम वैरमगढी, परगना घ तंइसील, हाथरस, जिला अलीगढ़ को जो अपनी बिरादरी का लड़का चार वर्ष की आयु का है उसके, माता-पिता की प्रसन्नता से गोद लिया और दत्तक पुत्र अपना बनाया।

इस दस्तावेज द्वारा प्रतिष्ठा करता हूँ और लिखे देता हूँ कि उक्त मोहनलाल गोद लेने की तारीख से मेरा ही पालक पुत्र है और मेरे पास रहता है। मैं उसका कर्ण वेध व यज्ञोपवीत व विवाह आदि उसके पिता के रूप में बिरादरी के चलन व्यवहार के अनुसार करूँगा और उसका पोषण व शिक्षण करूँगा और उसको गोद लेने की तारीख से वह समस्त स्वत्व व अधिकार प्राप्त है, और आगे को होंगे जो औरस पुत्र को राज नियम तथा शास्त्र द्वारा होते हैं वही मेरा और मेरी पत्नी का क्रिया कर्म पिरण्डदान और श्राद्ध तर्पण करेगा और मेरी जायदाद का दाय भागी और स्वामी होगा।

इसलिये यह गौद पत्र लिख दिया गया कि प्रमाण्य रहे और समय पर काम आवे।

हस्ता _____ हरगवा _____ ह
 गवा _____ ह _____ लेख तिथि _____
 लेखक _____

गोद पत्र पर स्टाम्प मद्द वे जमीमा, १ कानून स्टाम्प द्वारा दस रुपया लगता है। स्टाम्प के प्रयोजन को लिये गोद लेने का प्रारम्भ पत्र भी गोद पत्र के सदृश होता है। और उस पर भी यही स्टाम्प लगता है गोद लेने के आज्ञा पत्र की रजिस्ट्री आवश्यक है।

गोद देने वाले की ओर से प्रतिज्ञा पत्र

मैंकि राधेलाल वेदा रामसुख जाति वैश्य बूडवाल रहने वाला ग्राम वैरमगढ़ो परगना घ तहसील हाथरस जिला अलीगढ़ का ह

जो कि मोहनलाल मेरा दूसरा लडका चार साल की अवस्था का है और हरीराम वेदा नथमल जाति वैश्य बूडवाल के कोई लडका नहीं है, उसकी तथा उसकी पत्नीकी इच्छानुसार मैंने स्वस्थ चित्त और इन्द्रियों के ठीक होने की दशा में अपनी स्त्री की सहमति और राजामन्दी से उसको धार्मिक रीति रिवाज करके उक्त हरीराम की गोद रख दिया और उसका लेपालक वेदा किया अब मुझको उक्त मोहनलाल से कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं रहा उक्त हरीराम को चाहिये कि उसका पालन व शिक्षण करे और जो धार्मिक सस्कार यथा कर्णवेध (कनछेदन) यज्ञोपवीत विवाह आदिक होते हैं उनको करे।

उक्त मोहनलाल को हरीराम की पैतृक सम्पत्ति और उसकी स्वयम् उपार्जित के वे समस्त स्वत्व लेपालक पुत्र के रूप में प्राप्त होंगे जो औरस पुत्र को प्राप्त होते हैं। यदि उक्त मोहनलाल पितृ भ्रम तथा किसी अन्य कारण से हरीराम के पास से चला अरु

तो मैं उसको हरीराम के पास पहुँचा दूँगा । इस लिये यह प्रतिज्ञापत्र गोद देने के विषय में लिख दिया कि प्रमाण रहे ।

हस्ताक्षर व गयाहियाँ आदि

नोट-गोद देने और लेनेवाले के बीच में कोई प्रतिज्ञा आगामी दाय भाग के मध्ये औरस पुत्र के उत्पन्न होने की दशा में ठहरे तो गोद के प्रतिज्ञा पत्र तथा त्याग पत्र दोनों में लिखी जा सकती है यथा । यह शर्त कि गोद लेने के पश्चात् कोई औरस पुत्र गोद लेने वाले के उत्पन्न हो तो पैतृक स्वत्व दत्तक पुत्र और औरसपुत्र में धर्म शास्त्र के अनुसार होगा या कि और रीति से और यदि एक से अधिक लडके पैदा हों तो फया दशा होगी और इसी प्रकार की अन्य शर्तें जो दोनों पक्षों में ठहरें लिखी जा सकती हैं ।

गोद का आज्ञा पत्र

मैं कि पूरनचन्द बेटा ज्ञानचन्द जाति ब्राह्मण बीहरा मारवाडों रहने वाला कस्बा खुर्जा जिला बुलन्दशहर का हूँ ।

जोकि मैंने एक के पश्चात् दूसरे तीसरे तीन विवाह किये पहली दो स्त्रियों से जो सन्तान उत्पन्न हुई वह सब मर गई और वे दोनों स्त्रिया भी मर गई तीसरे विवाह को किये हुए पन्द्रह वर्ष बीत गये इस से कोई सन्तान उत्पन्न नहीं हुई मेरी अवस्था अब पचपन साल की है । बहुधा रोगी रहता हूँ और आगे को कोई आशा सन्तानोत्पत्ति की नहीं है चूकि हिन्दू धर्म में क्रिया कर्म श्राद्ध तर्पण आदि धार्मिक रीति पूरा करने के लिये लडके का होना आवश्यक है और मेरा बिचार अपने जीवन में लडका गोद लेने का है यदि मैं अपने जीवन में इस इच्छा को पूरा न कर सकूँ तो अपनी पत्नी सुसम्मात इन्द्र कुचरि को अधिकार देना हूँ कि वह मेरे मरने के

पश्चात् पिरादरी के किसी योग्य लडके को मेरे लिये लैपालक पुत्र बना लेवे यदि उस लैपालक पुत्र की आयु पूरी न हो तो दूसरा योग्य लडका गोद ले लेवे इस प्रकार एक के पश्चात् चार लडके तक गोद रखने का अधिकार मेरी पत्नी को प्राप्त होगा गोद लिये लडके के बालिग (जवान) होने तक या अपने जीवित तक जो घटना पहले घटने में आवे मेरी स्त्री लैपालक लडके की व्यक्ति की सरसिका और मेरी जायदाद की अधिकारिणी व प्रबन्ध कारिणी रहेगी यदि लैपालक लडका विवाह के पश्चात् कोई पुत्र सन्तान छोड़ कर मर जावे तो मेरी पत्नी को दूसरे लडके को गोद लेने का अधिकार न होगा ।

इस लिये यह गोद का आज्ञा पत्र लिख दिया कि सनद रहे ।

हस्ताक्षर गवाह गवाह तारीख लेखक

नोट—स्टाम्प मह ३ जमीग १ कानून स्टाम्प के अनुसार स्टाम्प १०) रु० लगता है और रजिस्ट्री आवश्यक है । यदि गोद लेने का अधिकार निष्ठा पत्र द्वारा दिया जावे तो कोई स्टाम्प नहीं लगता न उसकी रजिस्ट्री आवश्यक है ।

विक्री निश्चय का प्रतिज्ञा पत्र

मैं कि घासीराम बेटा भोलानाथ जाति वैश्य अग्रवाल पेशा जमींदारी निवासी हरदुभाग जिला अलीगढ़ का हूँ

जो कि इस पत्र के नीचे लिखे परिशिष्ट की जायदाद का जो मेरी मिल्कियत है । विक्री निश्चय सात हजार रुपये के मूल्य में मु० उलफतराय बेटा मुग्शी नारायणलाल जाति कायस्थ पेशा जमींदारी निवासी व रईस कृष्ये हरदुभाग जिला

से ठहरा है और पांचसौ रुपये कि आधे, जिसके दो सौ पचास होते हैं उक्त मुंशी साहिब से उपरोक्त विक्री निश्चय की सार्द से आज की तारीख में रोक वसूल पाये है।

इस लिये मैं प्रतिज्ञा करता हूँ और लिखे देता हूँ कि आज की मिति से एक मास के भीतर अपने व्यय और खर्च से विक्रीय पत्र नियमाऽनुकूल उपरोक्त जायदाद का उक्त मुंशी उलफतराय के नाम लेख बद्ध पूर्ति करके रजिस्ट्री करा दूंगा और शेष मूल्य का रुपया उक्त मुंशी साहिब से रजिस्ट्री के समय रोक लूंगा। विक्रीय पत्र का स्टाम्प व पूर्ति व रजिस्ट्री का खर्च मेरे ऊपर ठहरा है।

विक्रीय पत्र की कच्ची लिपि उक्त मुंशी साहिब को आज की तारीख से एक सप्ताह के भीतर मुझको देना होगी और इसमें साधारण वृत्तान्त विक्री और मूल्य चुकाने के विषय के अतिरिक्त सम्पूर्ण प्रतिज्ञापे बेची हुई जायदाद केवल मुझ प्रण कर्ता की मिलकियत होने और हर प्रकार के भार और ऋण से शुद्ध और रहित विक्री होने के विषय में लिखी जावेगी और प्रतिज्ञा भंग होने की दशा में मैं प्रण कर्ता उस का उत्तर दाता और जिम्मेदार ठहराया जाऊंगा। जायदाद का व्यौरा निश्चय करने और देव भाग के पश्चात् इस पत्र में लिखाया गया है, देवात् उसमें कोई अशुद्धी या अन्तर पाया जावे तो वह अन्तर कोई कारण निश्चय भंग करने का न होगा वरन एक पक्ष दूसरे पक्ष से जैसी अवस्था हो उसके विषय में दो पक्षों और एक सरपत्र के जितको दोनों पक्ष नियत करें निश्चयानुसार हानि पाने का अधिकारी होगा मेरी इस विक्रीय निश्चय की प्रतिज्ञा भंग करने की दशा में उक्त मुंशी साहिब को अधिकार विशेष पालन कराने उक्त विक्रीय निश्चय और पाने एक

हजार (१०००) रु० हानि का होगा। और बैंक मुंशी साहिब के विक्रिय पत्र न लिखाने या शेष मूल्य धन न देने की अवस्था में साई का रुपया लौटाने योग्य न होगा, यदि एक मास के भीतर कोई उचित त्रुटि में स्त्रामिस्व की विकने वाली जायदाद के विषय में उक्त मुंशी साहिब को प्रतीति और प्रमाणित हो तो वह विक्रिय निश्चय रद्दित कराने और साई का रुपया लौटाने और पांच सौ (५००) रु० विशेष हानि के रूप में मुक्त प्रण कर्ता से वसूल करने के अधिकारी होंगे। इस लिये यह विक्री निश्चय का प्रतिज्ञा पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे।

ब्योरा जायदाद का परिशिष्ट

हस्ताक्षर
स्थान

गवाह

गवाह

लेख तिथि

पत्र लेखक

मह ५ जमीन १ कानून स्टाम्प द्वारा समस्त प्रतिज्ञा पत्रों पर एसूय स्टाम्प आठ आना का लगता है और उनकी रजिस्ट्री स्वाधीन है।

प्रतिज्ञा पत्र पंचायत अविभक्त कुल सम्पत्ति के विभागार्थ

हम कि राम सहाय बेटा चतुर भुज पहला। पत्न व भगत राम बेटा चन्द्रसेन दूसरा पत्न। जाति वैश्यनियासी कस्बे पागा जिला फतहपुर के हैं। जो कि भगवानदास हम प्रणकर्ताओं के दादा और उनके दो पुत्र चतुरभुज और चन्द्रसेन अविभक्त हिंदू कुल के मय्यर थे और जायदाद जमींदारी व रहायशी अभिषिक्त कुल की पैतृक सम्पत्ति थी। भगवान दास और उनके दोनों पुत्रों ने कुल की

अविभक्त दशा में मृत्यु पाई और हम प्रण कर्ता शेषाधिकारी रूप से, अपरोक्त सम्पूर्ण कुल की सम्पत्ति तथा अन्य सम्पत्ति के जो उसके द्वारा उपार्जित और प्राप्त हुई स्वामी व अधिकारी हैं। हम प्रण कर्ताओं में उक्त सम्पत्ति के विषय में तरह तरह के झगड़े रहते हैं। हम चाहते हैं कि उक्त सम्पत्ति दो समान भागों में बट जावे। इस के अतिरिक्त एक धर्मशाला कस्बे खागा में स्थित उक्त भगवान दास की बनाई हुई है उसकी स्थिरता और आगामी प्रबन्ध के लिये आवश्यक है कि सम्पत्ति का कुछ भाग धर्मशाला से लगाकर कोई मनुष्य उसका प्रबन्ध कर्ता नियत कर दिया जावे। इस बात पर दृष्टि रखते हुए सम्पत्ति के बटगारे और धर्मशाला के प्रबन्ध के लिये लाला मोहन चन्द बेटा गुलाब चन्द जाति वैश्य निवासी खागा को पंच रामसहाय पहले पक्ष की ओर से और शादीलाल बेटा नेकराम जाति ब्राह्मण निवासी खागा को पंच भगत राम दूसरे पक्ष की ओर से और लाला उलफत राय बेटा खुश चक राय जाति कायस्थ निवासी खागा को सर पंच दोनों पक्षों की ओर से नियत करते हैं और अधिकार देते हैं कि उक्त दोनों पंच और सर पंच दोनों पक्षों की साम्ने की सम्पत्ति में से जितनी सम्पत्ति उक्त धर्मशाला की स्थिरता और चर्च के लिये उचित आवश्यक समझे पृथक कर दें और उसका प्रबन्ध कर्ता और अधिष्ठाता हम दोनों पक्षों में से जिसको योग्य समझें या किसी अन्य मनुष्य को अपनी सम्मति से नियुक्त कर दें और शेष सम्पत्ति को दो समान भागों में बाँट कर एक २ भाग हम दोनों पक्षों का दें और जो कुछ निबटारा उक्त पंच और सर पंच करेंगे वह हम दोनों पक्षों को स्वीकार और अगीकार होगा मत भेद होने की दशा में जिस पंच की सम्मति से सरपंच सहमत होगा उस अनुसार अन्तिम निबटारा होगा।

विदित रहे कि सम्पूर्ण सम्पत्ति जमींदारी और रहायशी चाहे-
 वह किसी कुल के मेम्बर के नाम से मील ली गई हो साभे की
 सम्पत्ति है और उक्त पत्रों को अधिकार है कि जो कुछ और
 सम्पत्ति साभे की निश्चय हो वह सब को वाट देवें । इसलिये यह
 प्रतिज्ञा पत्र पंचायती लिख दिया कि प्रमाण रहे और आवश्यकता
 पर काम आवे ।

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

गुत्राह

गवाह

स्थान

यकलम लेखक—लेख विधि

प्रतिज्ञा पत्र पंचायत साभे के झगड़े के विषय में

पहला पक्ष-दूसरा पक्ष-तीसरा पक्ष-चौथा पक्ष । जो कि हम
 सम्पूर्ण पक्षों के साभे में कारखाना हरमुखराय गोविन्दराम नामक
 कृष्णापुरी जिला बुलन्द शहर, कृष्णा, हाथरस जिला अलीगढ़ में
 कुछ काल से चल रहा था परन्तु हम सब पक्षों के बीच में इस
 प्रकार के झगड़े पड़ गये कि लगभग छ मास से व्यवहार सर्वथा
 बन्द है और सब पक्षों की हानि हो रही है हम सब पक्ष आपस
 में उनको नियंत्रण करने से अशक्त हैं । इस लिये हम अपनी ओर
 से लाला मोहनलाल बेटा लाला बनारसोदास जाति वैश्य अमवाल
 निवासी हाथरस को पंच नियत करके निम्नलिखित अधिकार
 देते हैं (अ) बही खाते और अन्य साभे सम्बन्धी कागजों को
 जान्च परताल करके जो कुछ दिखाय हम सब पक्षों का है उसको
 निबटावें और जो एक पक्ष का दूसरे पक्ष पर निकले वह दिलाव
 (ब) जो जायदाद मैशोनरी और अन्य सामान हर प्रकार का साभे
 के कारखाने का है वह हम सब पक्षों में उनके हिस्स क अनुसार
 बाट दें चाहे उसको नीलाम करके दण्डा हिस्सों के अनुसार बाट
 दें । (ज) जो च्याई साभे की कागजों के अतिक्रम निकले ८

उद्याने के लिये किसी मनुष्य को नियत कर दें और जो ऋण स
का निकले पहले उधार्ई से उसके चुकाने की आज्ञा दें और
ऋण और समस्त खर्च चुक जाने के पश्चात् जो कुछ बचे वह
हिस्सों के अनुसार हम सब पत्तों में बांट दिया जावे ।

हिस्सों का ब्यौरा इस प्रकार है

पहला पत्र—दूसरा पत्र—तीसरा पत्र—चौथा पत्र

1) 1- 3) 3)

इस लिये यह प्रतिज्ञा पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे ।
हस्ताक्षर व साक्षी आदि

पंचायती निवटारा

हम कि मोहनलाल चेटा मानिकचन्द जाति वैश्य अग्रवा
निवासी कस्बे फीरोजाबाद व शादीलाल चेटा नैकराम जा
ब्राह्मण निवासी आगरा पचान व उलफतराय चेटा खुशबकरा
जाति कायस्थ निवासी आगरा सरपच ।

जो कि प्रतिज्ञापत्र तारीख ७ मई सन् १९१३ लिखित द्वारा
नाथूराम व मंगलसेन ने हम लोगों को अधिभक्त कुल की जायदा
और कारबार वांटने के लिये पच व सर पच नियत किया औ
अधिकार दिया कि हम लोग जिस प्रकार उचित समझें उनक
साझेकी जायदाद तथा व्यौपारिक कारवार राधाकिशन नौवतरा
नामक फतहआबाद और दौलतपुर वाले को समान भागों में उन
में विभक्त कर दें । हम लोगों ने उसके सम्बन्ध में कई पंचायत
को बैठकें कीं और खो बुद्ध लिखित और मुहसूद (जघानी
साक्षी दोनों पत्तों ने उपस्थित की उसको लिखा और उसके धा

करते हैं कि नाथूराम व मंगलसेन दोनों पक्ष खानपान का रुपया वेंरावर २ मुसम्मात लीलावती को देते रहें यदि उक्त मुसम्मात अकेले एक मनुष्य से घसूल करलेवे तो अदा करने वाला आधे रुपये के घसूल करने का अधिकारी दूसरे पक्ष से आठ आना मासिक व्याज सहित होगा, रहायशी मकान जिस में दोनों पक्षों की रहायश है मंगलसेन के हिस्से में दिया गया है नाथूराम को उचित है कि एक साल के अंदर खाली कर देवे यदि ऐसा न करे तो मंगलसेन को अदागत द्वारा उसके खाली कराने का अधिकार प्राप्त होगा और एक वर्ष की अवधि बीत जाने पर दखल मिलने की तारीख तक जितने दिन नाथूराम अधिकारी रहेगा उस के मध्ये मंगलसेन को दस रुपये मासिक किराये का देनदार होगा।

इसलिये यह पचायती निबटारा पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे।

भाग (अ) जो नाथूराम को दिया गया।

(१) एक नंग नौहरा।

(२) एक नंग दुकान पक्की।

(३) एक नंग नौहरा।

(४) जमींदारी मौजा रामनगर।

भाग (ब) जो मंगलसेन को दिया गया।

(१) एक नंग हवेली पक्की रहायशी।

(२) एक नंग नौहरा।

(३) एक नंग दुकान।

(४) चार हजार रुपया रोकडी जो एक साल की अवधि के भीतर नाथूराम मंगलसेन को देगे।

(५) जमींदारी मौजा राम नगर

हस्ताक्षर _____ र. सा _____ ली सा _____ ली

लेखतिथि _____ स्थान _____ पत्र लेखक _____

(नोट) पचायती निबटारे पर स्टाम्प तमसलुक की दर से जायदाद की मालियत पर जिससे उक्त निबटारा सम्बन्ध रखता

हो लगता है परन्तु यह दर एक हजार रुपये की मातियत की जायदाद तक रहती है। अधिक मातियत होने पर केवल पाँच ५) रुपये का स्टाम्प लगता है। यदि पचायती निघटारे में जायदाद के घटवारे की आशा हो तो उस पर स्टाम्प विभाग पत्र की दर के अनुसार लगेगा जा पहले लिखी जा चुकी है।

प्रतिज्ञा पत्र एजेन्सी

मैं कि मुहम्मद यूसफ बेटा शेख निपाजग्रही निवासी फोल मुहत्ता मदार दरवाजे का ह।

जो कि मैंने हाजी मुहम्मद इस्माईल व हाजी मुहम्मद इस्हाक अहमद ताले के व्यापारी निवासी शहर बहली बाजार बादनी चोक के साथ उनके मनेजर मुश्री नूरमुहम्मद के द्वारा काम एजेन्सी करने की प्रतिज्ञा वास्ते घेचने तालों व अन्य सामान उक्त सौदागरों के किया है।

इस लिये मैं प्रतिज्ञा पत्र नीचे लिखित शर्तों के साथ उनके प्रति लिखता ह।

(१) विविध स्थानों में अपने व्यय से यात्रा (सफर) करके उक्त सौदागरों के लिये खरीदारी माल के आर्डर आहकों से उनके सूची पत्र में लिखी दर से प्राप्त करके वेद्यू वेपविल पासल द्वारा संपर्क के लिये भेजता रहूँगा।

(२) किसी आर्डर के मान के मूल्प पर दस रुपये सैकंडे से अधिक पेशगी रूप में आहक से न लूँगा और न कोई अन्य रुपया उक्त सौदागरों का लौना उनकी स्पष्ट आशा के बिना वसूल करूँगा और जो रुपया उनका मेरे अधिकार में आवेगा उसको बिना देर करके उनके पास भेजता रहूँगा।

(३) सम्पूर्ण माल पर कमीशन की दर साढ़े सात रुपये सैकडा ठहरी है परन्तु वह उस समय पाने योग्य होगी जब माल ग्राहक के पास पहुँच कर उसके मोल का रुपया उक्त सौदागरों को वसूल हो जावे ।

(४) जो माल मेरे भेजे हुए आर्डरों के अनुसार ग्राहक वापस करेंगे और वह उक्त सौदागरों को वापस मगाना या अन्य प्रकार से वेचना पड़ेगा उसकी वापसी के कुल खर्च और हानि का मैं जिम्मेवार हूँगा और उसके मध्ये किसी कमीशन पाने का अधिकारी न हूँगा ।

(५) जो आर्डर मेरे भेजे हुए आवें उन के विषय में उक्त सौदागरों को ग्राहकों से सही की चिट्ठी मगाने और सही की चिट्ठी न आने या अस्वीकार करने की दशा में उस आर्डर के माल को सपलाई न करने का अधिकार होगा ।

(६) कुल हिसाब काम एजेंन्सी का ठोक और नियमानुकूल रखेगा और उसकी मासिक लिपि उक्त सौदागरों को भेजता रहूँगा और समस्त हिसाब वार्षिक दहली में उक्त सौदागरों का समझा दिया करूँगा ।

(७) भाव के घटने बढ़ने और अन्य कार्यों के विषय में जो एजेंन्सी के समय में पैदा या उपस्थित हों आवश्यक शिक्षा उक्त सौदागरों के मैनेजर से देश काल के विचार से लेता रहूँगा और उनके अनुसार कार्य करूँगा ।

(८) एजेंन्सी का सारा काम सचाई और ईमानदारी के साथ चतुराई और सावधानी से करता रहूँगा । चेह्रमानी चोरी कुकर्म या अन्य हानिकारक कार्य की दशा में उक्त सौदागरों को हानि का दैनदार हूँगा ।

(६) पचास ५०) रुपये एक पेशगी रूप में और साठ ६०) रु० का सामान धानगी के लिये उक्त सौदागरों से मने लिया है पेशगी का रुपया कमीशन के हिसाब से मुजरा व बेबाक करूंगा धानगी का सामान उक्त सौदागरों की इच्छानुसूल या एजैन्सी की समाप्ति पर उनको सौंप दूंगा ।

(१०) एजैन्सी की अवधि इस समय दो साल ठहरी है उक्त अवधि के बीत जाने पर उसको नवीनता और शर्तों में घटाने बढ़ाने का अधिकार होगा ।

इसलिये यह एजैन्सी का प्रतिज्ञा पत्र लिख दिया कि प्रमाण रहे और आवश्यकता के समय काम आये ।

हस्ताक्षर व गवाही आदि ।

॥ इति ॥

उपयोगी और लाभ दायक बातें ।

- (१) शब्द अचल सम्पत्ति में भूमि और इमारत व चिरस्थायी घास घास्ता, रीशनी और पुल और मछली के शिकार का स्वत्व या और प्रकार का लाभ जो भूमि से पैदा हो और वह वस्तुएँ जो भूमि से जुड़ी हुई हों या ऐसी वस्तु के साथ चिरन्तर लगी हुई हों जो भूमि से जुड़ी हुई हो सम्मिलित हैं पड़े हुए पेड़ उगी हुई फसल और घास को छोड़ कर ।
- (२) शब्द चल सम्पत्ति में बड़े हुए पेड़ उगी हुई फसल और घास और पेड़ों का मेवा और रस और हर प्रकार की सम्पत्ति जो अचल सम्पत्ति न हो सम्मिलित है
- (३) नावालिंग से अभिप्राय उस मनुष्य से है जो उस धर्म शास्त्र के अनुसार जो उस की व्यक्ति पर माननीय हो वालिंग (युवा) न हुआ हो ।

सम्पत्ति के परिवर्तन के लिये जो मनुष्य अठारह वर्ष से कम आयु का हो वह राजनीति अनुसार कोई प्रतिज्ञा या परिवर्तन नहीं कर सकता उसकी ओर से कोई परिवर्तन पत्र नहीं लिखना चाहिये यदि नावालिंग का सरक्षक किसी न्यायालय की आज्ञा द्वारा नियत हो गया हो तो वह अठारह साल की जगह २१ साल की आयु में वालिंग होता है और ऐसे नावालिंग का सम्पत्ति परिवर्तन करना इफकीस साल की आयुके पश्चात् सम्पत्ति परिवर्तन करना उचित हो सकता है ।

(४) नीचे लिखे लेखों की रजिस्ट्री राजनीति अनुसार अनिवार्य है ।

• अचल सम्पत्ति का दान पत्र ।

- (घ) अन्य अनिष्ठित विना वसियती) पत्रों (दस्तावेजात) की जिनसे यह विदित होता हो या जिनका यह प्रभाव हो कि वर्तमान में या आगे को कोई अधिकार स्वामित्व (हकिकयत) या स्वत्व उपस्थित या हेतुक (शर्तिया) एक सौ रुपये या उस से अधिक मालियत का किसी अचल सम्पत्ति में पैदा होता है या निश्चय होता है या सम्बन्धित या परिमित या नष्ट होता है।
- (ज) अन्य अनिष्ठित पत्रों की जिनसे प्रतिक्षा वसूल या अदा हो जाने बदल की मध्ये पैदा होने या नियत किये जाते या सम्बन्धित या परिमित या नष्ट होने किसी उपरोक्त प्रकार के अधिकार या स्वामित्व या स्वत्व की विदित हो।
- (द) पट्टे या सरखत अचल सम्पत्ति के साल बसाल या एक साल से अधिक अधि के लिये हों या जिनमें लगान या किराये का रुपया सालाना देने की प्रतिक्षा हो। परन्तु ऐसे पट्टे या सरखत जिनकी अधि पांच साल से आर किराया या लगान ५०) रुपये से अधिक न हो बहुत सी जगह रजिस्ट्री से चर्जित हैं। अनिष्ठित गोद के आक्षा पत्र की रजिस्ट्री राज नीति अनुसार अनिवार्य है।
- (ह) निम्नलिखित पत्र (दस्तावेज) रजिस्ट्री से चर्जित है।
- (अ) सन्धिपत्र (सुनहनामा)
- (ब) वह पत्र जिसमें स्वयम् कोई अधिकार या स्वामित्व या स्वत्व किसी अचल सम्पत्ति में पैदा या प्रगट या परिवर्तन या परिमित या नष्ट न होता हो धरन जिस के अनुसार अधिकार प्राप्त करने ऐसे पत्र (दस्तावेज) का पदा होता हो जो लिख जाने पर वही मालियत का कोई या स्वत्व या स्वामित्व पैदा या प्रगट या परिमित या नष्ट करता हो।

(ल) पञ्चायत के निवेदारे

(द) रहन नामे की पोठ पर वसूल पानेको लेखे जिससे समरत रहन के रुपये या उसके भाग का अदा होना स्वीकार किया जाय तथा कोई अन्य रसीद जो रहन के रुपये के मध्ये दी जावे परन्तु उस रसीद से रहन के रुपये की चेकाकी साधित न होती हो।

(६) जिन पत्रों (दस्तावेजों) की रजिस्ट्री अनिवार्य नहीं है और जो रजिस्ट्री से धेरे हुए हैं उनके विषय में रजिस्ट्री कराना संशोधीन है।

(७) रजिस्ट्री कराने की अवधि निष्ठा पत्रों को छोड़कर लिखने की मितो से चार महीने की है। यदि किसी अत्यन्त आवश्यकता या अचानक आपत्ति के कारण कोई पत्र जिसका रजिस्ट्री कराना अभीष्ट हो चार मास की अवधि के भीतर पेश न किया गया हो तो रजिस्ट्रार विशेष चार मास के भीतर दण्ड लेकर रजिस्ट्री के लिये स्वीकार कर सकता है। दण्ड की सख्या रजिस्ट्री की उचित फीस के दस गुने से अधिक न होगी। और हर एक सबरजिस्ट्रार को जाइज है कि वह उसको तत्काल अपने से ऊपर जो रजिस्ट्रार हो उसके पास भेजदे।

वसियत नामा (निष्ठापत्र) हर समय रजिस्ट्री के लिये या अमर्षत रकने के लिये दाखिल हो सकता है।

(८) अचल सम्पत्ति से सम्बन्ध रखने वाले पत्र उस सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में पेश किये जावेंगे जिसके हिस्से जिले में कुल या कोई भाग जायदाद का जिसमें उक्त पत्र सम्बन्ध रमता हो स्थित हो। अन्य पत्र उस सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में पेश होंगे जिसके हिस्से जिले में वह पत्र लिखा गया हो या लिखने वाले रहते हों।

(६) निम्न लिखित स्वत्व परिवर्तन के अयोग्य हैं उन के- मरने पर पत्र लेखक को चाहिये कि कोई परिवर्तन पत्र न लिये।

(अ) दाय भाग का सम्भावित स्वत्व या अन्य सम्भावित स्वत्व जिसका उपस्थित होना स वह युक्त हो या जिसका निर्भर किसी अन्य मनुष्य को मान या किसी अन्य घटना के होने पर हो।

जैसे किसी हिन्दू विधवा के मरने पर उसके किसी सम्बन्धी दाय भाग का स्वत्व यदि वह सम्बन्धी विधवा की मृत्यु से पहले मर जाये तो वह स्वत्व कभी उत्पन्न न होगा। इस प्रकार का स्वत्व परिवर्तन के अयोग्य है।

(ब) किसी ज्ञायदाद के घटने का व्यक्तिगत स्वत्व।

(ग) शुल्काधिकार (हफक) आसायश) उस ज्ञायदाद संश्लग जिस से वह सम्बन्धित हो।

(द) केषक नालिश करने का स्वत्व। जैसे एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य की मान हानि की हो तो जिस मनुष्य की मान हानि हुई हो उसको हर्ज की नालिश करने का अधिकार उस मनुष्य पर हाता है जिस ने मान हानि की हो परन्तु यह स्वत्व परिवर्तन के अयोग्य है इस प्रकार मान हानि शारीरिक

घोट आदिके मध्ये जो नालिश का अधिकार होता है वह मरने मनुष्य की ओर परिवर्तन नहीं हो सकता।

रस्याई कृषक का स्वत्व (हफक देखीलकारी) भूमि

त्यक्त कृषक का स्वत्व (हफक साकिनुल मिलकियत) भूमि

न्य भूमि जोतने का स्वत्व सिधाय उस सीमा तक कि

य प्रचलित राज नीति अनुसार हो सका हो।

स्वत्व त्यक्त कृषक के स्वत्व का त्याग पत्र पत्र -

स्वत्व पैदा हुआ हो।

(ग) पचायत के नियंत्रारे

(द) रहन नामे की पोट पर घसूल पानेका लेख जिससे समस्त रहन के रुपये या उसके भाग का अदा होना स्वोकार किया जाय तथा कोई अन्य रसीद जो रहन के रुपये के मन्जे दी जावे परन्तु उस रसीद से रहन के रुपये की बेबाकी सांघित न होती हो।

(६) जिन पत्रों (दस्तावेजों) की रजिस्ट्री अनिवार्य नहीं है और वे रजिस्ट्री से धेचे हुए हैं उनके विषय में रजिस्ट्री कराना बांधीन है।

(७) रजिस्ट्री कराने की अवधि निष्ठा पत्रों को छोडकर लिखने की मित्ती से चार महीने की है। यदि किसी अत्यन्त आवश्यकता या अचानक आपत्ति के कारण कोई पत्र जिसका रजिस्ट्री कराना अभीष्ट हो चार मास की अवधि के भीतर पेश न किया गया हो तो रजिस्ट्रार विशेष चार मास के भीतर दण्ड लेकर रजिस्ट्री के लिये स्वीकार कर सकता है। दण्ड की सख्या रजिस्ट्री की उचित फीस के दस गुने से अधिक न होगी। और हर एक सधर रजिस्ट्रार को जाइज है कि वह उसको तत्काल अपने से ऊपर जो रजिस्ट्रार हो उसके पास भेजदे।

वसियत नामा (निष्ठापत्र) हर समय रजिस्ट्री के लिये या अमानत रखने के लिये दाखिल हो सकता है।

(८) अचल सम्पत्ति से सम्बन्ध रखने वाले पत्र उस सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में पेश किये जावेंगे जिसके हिस्से जिले में कुल या कोई भाग जायदाद का जिससे उक्त पत्र सम्बन्ध रखता हो स्थित हो। अन्य पत्र उस सब रजिस्ट्रार के दफ्तर में पेश होंगे जिसके हिस्से जिले में वह पत्र लिखा गया हो या लिखने वाले रहते हों।

(६) निम्न लिखित स्वत्व परिवर्तन के अयोग्य है उन के मध्ये पत्र लेखक को चाहिये कि कोई परिवर्तन पत्रान्त लिये ।

(अ) दाय भाग का सम्भावित स्वत्व या अन्य सम्भावित स्वत्व जिसका उपस्थित होना संदेह युक्त हो या जिसका निर्भर किसी अन्य मनुष्य की मृत या किसी अन्य घटना के होने पर हो ।

जैसे किसी हिन्दू विधवा के मरने पर उमफो किसी सम्बन्धी दाय भाग का स्वत्व यदि वह सम्बन्धी विधवा की मृत्यु से पहले मर जाये तो वह स्वत्व कभी उत्पन्न न होगा । इस प्रकार का स्वत्व परिवर्तन के अयोग्य है ।

(ब) किसी जायदाद के घटने का व्यक्तिगत स्वत्व ।

(ज) सुग्वाधिकार (इफक; आसायश) उस जायदाद से, अन्नग) जिस से वह सम्बन्धित हो ।

(द) केवल नालिश करने का स्वत्व । जैसे एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य की मान हानि की हो तो जिस मनुष्य का मान, हाजि हुई हो उसको हर्ज की नालिश करने का अधिकार उस मनुष्य पर होता है जिस ने मान हानि की हो परन्तु यह स्वत्व परिवर्तन के अयोग्य है इसी प्रकार मान हानि शारीरिक चोट आदि के मध्ये जो नालिश का अधिकार होता है वह दूसरे मनुष्य की ओर परिवर्तन नहीं हो सका ।

(इ) बिरथार, कृषक का स्वत्व (इफक दखीलकारी) भूमि स्वत्व त्यक कृषक का स्वत्व (इफक साकिनुल मिलकियत) या अन्य भूमि जोतने का स्वत्व सिधाय उस सीमा तक कि जो समय प्रचलित राज नीति अनुसार हो सका हो ।

(घ) भूमि स्वत्व त्यक ५५ का त्याग पत्र पूर्ण
कि उक्त स्वत्व पैदा ५

जब कोई जमींदार अपनी जमींदारी धिक्री या रहन द्वारा परिवर्तन करता है तो सीर की जमीन में जो, परिवर्तन के समय उसके कृषी अधिकार में हा भूमि स्वत्व त्यक्त कृषी अधिकार प्राप्त हा जाता है। वह अधिकार चिरस्थायी कृषक के समान होता है केवल इतना अन्तर होता है कि उसका लगान चिरस्थायी कृषक के लगान से २५% सैकड़ा कम हाता है। बहुधा देखा गया है कि लेखक लोग परिवर्तन पत्र लिखते समय भूमि स्वत्व त्यक्त कृषक स्वत्व का त्याग पत्र परिवर्तन ग्रहीता के नाम लिख देते है जो बहुधा राज नीति विरुद्ध और प्रचार के अयोग्य हाता है। कई किसान किसी स्वत्व को उस समय त्याग कर सका है जब कि उसको वह स्वत्व प्राप्त हो जाये इसके अतिरिक्त त्याग पत्र के लिये भूमि अधिकार के कानून में विविध रीति दी हुई है जिनका पालन करना पूर्ण त्याग पत्र के लिये आवश्यक और अनिवार्य होता है।

(१०) कोई प्रतिज्ञा पत्र जिसके द्वारा कोई मनुष्य ऐसा काम करने का प्रण करे जो भारत दण्ड सग्रह (ताजीरात हिन्द) या अन्य किसी निति के अनुसार अपराध (जुर्म) की परिभाषा में आता हो राज नीति अनुसार अनुचित है और पत्र लेखक को नहीं लिखना चाहिये।

(११) पत्र लिखने के पश्चात् यदि उसके लेख में कोई काट, फास या घटाना बढ़ाना किया जाये तो उस पर प्रण कर्ता के हस्ताक्षर कराना आवश्यक है। यदि सम्भव हो तो पत्र के अन्त में उस काट, फास या घटाने बढ़ाने का, घर्णन कर दिया जावे और उस पर भी प्रण कर्ता के दस्तखत करा देना चाहिये जिससे आगे की सन्देह या भ्रम उसके पीछे बनाये जाने का न हो सके।

(१२) पत्र लेखक अपना नाम पूरे पते और तारीख और लिखने के स्थान सहित साथसे, पाछे पत्र के अन्त में लिखे यदि उसको साक्षी के रूप में पत्र को प्रमाणित करना स्वीकार हो वा आवश्यक है कि वह अपने हस्ताक्षर साक्षी की नाई पत्र के किनारे पर करे और वह सब बातें लिखे जो साक्षी के सम्यन्ध में लिखी जाती है।

दस्तावेज नवीसी के लपजों के पर्याय

उर्दू

हिंदी

उर्दू

हिंदी

(अ)

अग्ज=प्रदण, पकड़ ।
 अङ्गकय कानून=न्यायानुसार
 अदालत=न्यायालय ।
 अमन अमान=सुख शान्ति ।
 अर्ज=भूमि ।
 अज=प्रार्थना ।
 अर्जी=भूमि सम्बन्धी ।
 अर्जी=प्रार्थना पत्र ।
 अर्जी दावा=स्वत्व प्रार्थना ।
 अगास=पुत्री सन्तति ।
 अदालत=बदल ।
 अहालियान खानदान=कुटुम्बी
 अशइ जुकरत=अत्यन्त आवश्यकता ।
 असल=मूल ।

(आ)

आराज़ी=भूमि ।
 आराजी साफितुल मिलकियत=
 स्वामि त्यक्त जोत ।
 आराजी दखीलकारी=चिरस्थायी
 जोत ।
 आराज़ी गेर दखीलकारी=अन
 स्थाई जोत ।
 आफत=आपत्ति ।

आफत अर्जी=भूमि सम्बन्धी
 आपत्ति

आफत समाया=आवाशी आपत्ति
 आलात कशावर्जी=रोतीके औजार
 आलम जई फी=बुढ़ापा ।
 आसाश=सुख ।
 आयन्द रय दगान=अग्ने जानेवाले
 आरिज़ी=ऊपरी ।

(इ)

इकरार=प्रतिष्ठा ।
 इकरारनामा=प्रतिष्ठा पत्र ।
 इफवाल=स्वीकार ।
 इफवाल दावा=स्वत्व स्वीकार ।
 इजदियाज=विवाह ।
 इजाजतनामा=आज्ञा पत्र ।
 इजाज़त नामा तयनियत=गोद
 का आज्ञा पत्र
 इजहार=घर्षण करना ।
 इजबार=दगाध ।
 इतमीनान=विश्वास ।
 इत्तिकाफ नाशुजीर=अचानक
 आपत्ति
 इनफिकाफ रहन=रहन

इन्तिजामिया कमेटी=प्रबन्ध का
रिणी सभा ।

इन् हिस्सार=निर्भरता ।

इन्तिकाल=परिवर्तन

इमकानी हक्क=सम्भव स्वत्व

इवारत=लोच ।

इस्तिगासा=अभियोग ।

इस्तिम्याती=अर्धापत्ति जनक ।

इहतिमाल=धन ।

इहतियात=सावधानी ।

इशिराक=साक्षा ।

ई - ई

ईफा=पूरा करना

ईमा=प्रेरण

उ

उज्र=विरोध

उलूफा=धास

ए औ

एनराज=आक्षेप

औलाद जुकूर=पुत्र सन्तति

औलाद अनास=पुत्री सन्तति

औसत=पता

(क)

कतई=सर्वथा ।

कजा=अधिकार

कजा धाकिई=वास्तविक अधि-
कार ॥

करावत दार=सम्बन्धी ।

कूब खाइ=लेनदार ।

कर्जा मूरिस=पेतक ऋण ।

कमी येशी=घटाव बढ़ाव ।

काइमो=स्थिति ।

काइम मुकाम=प्रतिनिधि ।

कानून=राजनीति ।

कानूनन=राजनीति अनुसार ।

काबिजु=अधिकारी ।

काबिल पायन्दी=माननीय ।

काबिल नफाज=व्यवहार योग्य ।

काबिल लिहाज=विचार योग्य ।

काबिल वसूल=प्राप्त योग्य ।

काश्तकार दखीलकार } चिरस्थाई

काश्तकार गैर दखीलकार } अन

काश्तकार गैर दखीलकार } स्थाई

काश्तकार साकि- } भूमि स्वत्व

तुल मिलकियत } त्यक रूपक

कासिर=चूक करने वाला ।

कानून कब्जा आराजी=भूमि

अधिकार का कानून

कारबन्द होना=चलना

किस्त=खन्दी ।

किफालत=आड ।

कीमत=मूल्य ।

कुबूल=स्वीकार ।

कुबूलियत=स्वीकार पत्र ।

कुरा=भाग-लाना ।

कुसूर=ओट-चूक ।

कौम=जाति ।

(ख)

षडशा=भगदा ।

पानगी=घरेलू ॥

पानदान मुशतर्का=अविभक्तकुल ।

पानदान मुनकसिमा=विभक्त
कुल ।

खिलाफ बर्जी=प्रतिष्ठा भग ।

गिलाफ कानून=राजनीति विरुद्ध

पुरो नोश=दान पान ।

खुद इप्तिवारी=स्वाधीनता

(ग)

गहन=चोरी ।

गैर जरई=वे जुतऊ ।

गैर मुसमिरा=वे फले ।

गैर मजरुआ=वे जुतऊ ।

गौर परदाब्त=देशभाल, जाच ।

(च)

चरागाह=पशु चारन भूमि ।

(ज)

जलसा=वेठक

जलसा पचायत=पचायत की
वेठक

जम्र=दवाय

जवाज=ओचित्य, उचित होभा

जमानत=लग्नक

जमानत नामा=लग्नक पत्र

जवाय=उत्तर

जवावदह=उत्तर दाता

जवावदिही=उत्तर दायित्व

जवावदावा=प्रत्युत्तर

जमीमा=परिशिष्ट

जबानी=मौखिक

जरौआ=सहारा

जब्त=दाय लेना

जर रसदी=पर्ता का रुपया

जरई=जुतऊ

जरईफी=बुढापा ।

जरईकुल वस्र=बूढी

जाइज=उचित

जायदाद=सम्पत्ति

जायदाद जरई=भू सम्पत्ति जुतऊ

जायदाद सकनी=रहायशी संपत्ति

जायदाद मौजूदा=वर्तमान संपत्ति

जायदाद आयन्दा=आगामी संपत्ति

जायदाद आराजी=भू सम्पत्ति

जायदाद मनकूला=चल सम्पत्ति

जायदाद गैर मनकूला=अचल

सम्पत्ति

जायदाद इस्तिमरारी=चिरस्थायी

भूसम्पत्ति

जायदाद आघाई=पैतृक सम्पत्ति

जायदाद } अविभक्त } सयुक्त

इजमाली } सम्पत्ति } सम्पत्ति

जायदाद } अविभक्त } सम्पत्ति

मुशतर्का } संपत्ति }

जायदाद मुनकस्मा=विभक्त

सम्पत्ति

जायदाद मुआफी=अकरद भूमि

जायदाद मुतनाजआ=रिवाज

प्रस्त सम्पत्ति

जा नशीन = स्थानापन्न
जात = व्यक्ति
जी इस्तिवार = अधिकार प्राप्त
जुजूय मजीद = अधिक भाग
जुर्म = अपराध
जीज = जोडा, मर्द
जौजा = खी

(त)

तगल्लुब = चोरी
तरफका = वृद्धि
नयादला = बदल
तयादिला नामा = बदल पत्र
तसदीक = सही प्रमाण
तसदीक शुदा = प्रमाणित
तशरीह = धारणा
तशयास लगान = लगान लगाना
तजयोज सानी = पुनर्विचार
तजदीद = नवीनता
तहकाफात = अनुसन्धान
तहगेर = लेख
तफसीत = धोखा, विवरण
ननाजा = भगवा
तमसुक = टीप
तरीक अमल = कार्य प्रणाली
नमहोदी = प्रारम्भिक
तमलीक = समर्पण, मालिक

थनाना

तमलीक नामा = समर्पण पत्र
तमलीक बुनदा = समर्पण कर्ता
ततिम्मा = परिशिष्ट-पत्रक

ततिम्मा वसीयत नामा = परिशिष्ट
निष्ठा पत्र
तयनियत नामा = गोद पत्र
तामील = पालन करना
तावान = दरह
तामील मुणत्स = विशेष पालन,
मुख्य पालन
तौजोह = धारणा
तौहीन = मानहानि-अपमान

(द)

दस्तखत = हस्ताक्षर ।
दस्तावेज = पत्र ।
दस्तखदारी = त्याग पत्र ।
दस्त अदाजो = हस्तक्षेप ।
दस्तावेज किफालत = आड पत्र ।
दररन = वृत्त
दररास्त = निवेदन पत्र
दयून = श्रुणु
दग्ल = अधिकार-प्रय ध
दज = लिखना
दयाम = सयदा
दफा = धारा
दामे दिरमे = पैसा कौडी
दागिली = भोवरी
दागिलग्यारिज = चटना उतरना
दारमदार = निर्भर
दावा = अर्थ मांग
दाइना = सर्वदा
दागर = दूसरा अर्थ
दौरान = काल समय

न
नफा = लाभ
नुरुस = श्रुति
नरुन = लिपि
नक्रद = रोक
नज्राना = भेट
नधीरा = पोती
नवासा = धरता
नसलनवाद । पीढी दर
नसलन । पीढी
नविशता = लेख, लिखित
नामजुद = नियुक्त
नाननफा = खान पान
नाकाबिल नफान = प्रचार के
अयाम्य

(प)

परदागत = देवभाल
पट्टा दिहदा = पट्टे दाता
पट्टा गीरा = पट्टा ग्रहीता
पट्टेदार
पेशकश = भेट
पेशगी = पहले
पंपस्ता = लगा हुआ

फ)

फस्य = दूटना
फक्कुररदन = रदन छूटना,
फरीफ = पक्ष
फरीफैन = दोनों पक्ष, उभयपक्ष
फरीक इन्दिदार = प्रारम्भिकपक्ष

फरीक सानो = विपत्ती
फर्ज = कर्तव्य
फैसला, = निश्चयार्थ निर्णय
फैसला अदालत, = न्यायालय का
निर्णय

(घ)

वकाया = शेष
बतदराज = क्रमशः शन २।
बमजिला = समान सदृश जगह
बददयानती = बेइमानी
बयात तहरीरी = लख बचन
अभियोग उत्तर

बाये = विक्रेता, नेत्रने वाला
बाजाविता = यथाधिधि ।
बाकाइद = नियम पूर्वक ।
बाजदावा = त्याग पत्र ।
बार = भार ।
बाकी मादा = शेष, उचा हुआ
बार मुकद्दम = पूर्ण भार

बिला शरकत = बिना साक्षात्
बिला मुसाहमत = बिना अशत्व
बिला बसीयती = अनिष्टित
बेवा = विधवा ।
बन्न = विक्री ।

बैश्ननामा = वैश्नामा } विक्री पत्र
बै उलवफा = बेचे के समाप्त
बैश्नाना = सार ।
बै घात = प्रतिपेध ।

(म)

- मसफूना=रहायशी ।
 मजाज=अधिकार प्राप्त ।
 महदूद=परिमित ।
 महचल=सम्बन्धित ।
 मकसूरा=उपार्जित ।
 ममदूह=उक्त ।
 मजकूरायाला=उपरोक्त ।
 मजकूर=उक्त ।
 मजमूधा ताजीरातहिन्द=भारत
 दशद सग्रह ।
 मजरूआ=जुतऊ ।
 मजमअन=इकट्टी ।
 मनफूला=चल ।
 मतन=लेखाशय ।
 मतरूफा=मृत सम्पत्ति ।
 मशरूत=नियम बद्ध प्रणयद
 मशरूतुलरहन=रहन सयुक्त रहन
 मकबूजा=अधिकार प्राप्त ।
 ममलूका=स्वत्व प्राप्त ।
 मसूय=खडित ।
 महफूज फरड=रहानिधि ।
 मालिक=स्वामी ।
 माइा=पाकृतिक ।
 मिकशर=परिमाण ।
 मिरक=स्वत्व ।
 मीआद=अवधि ।
 मुग्दफा=प्रमाणित ।
 मुसलमा=स्वाकृत ।

- मुतबन्ना=दत्तक पुत्र लैपालक ।
 मुआहदा=निश्चय प्रतिज्ञा ।
 मुआवजा=बदल, पलटा प्रत्यु
 पकार ।
 मुस्तकल=अचल, स्थिर ।
 मुस्तगरफ=आड ।
 मुस्नगीस=न्याय प्रार्थी ।
 मुश्नरी=माहक=फैता ।
 मुख्तारनामा=अधिकार पत्र
 मुख्तारनामा यास=मुख्याधि-
 कार पत्र ।
 मुख्तारनामा आम=सर्वाधिकार
 पत्र ।
 मुख्तार=अधिकारी ।
 मुख्तार मजाज=पूर्णाधिकारी ।
 मुराफिक=आश्रित ।
 मुजाहिम=बाधक ।
 मुस्तगरफ=ऋण प्रसित ।
 मुहतयिम=प्रबन्धकर्ता ।
 मुन्तजिम=प्रबन्धक ।
 मुयाहसा=बाद प्रतिबाद ।
 मुलसिक=जुडा हुआ ।
 मुकम्मल=पूरा ।
 मुकिर=प्रणकर्ता ।
 मुस्तकल=स्थिर ।
 मुतजम्मन=सम्मिलित ।
 मुतमत्ता=लाभ उठाने वाला ।
 मुस्तफीद=उपयाग प्रहीता
 मुआफीदार=अकरद ।
 मुसाहमत=अशत्व ।

मुननाजत्रा = मगडे का ।
 मुस्तसना = यजित ।
 मुपेयन = नियत ।
 मुश्रामला = व्यवहार ।
 मुसना = पैठ, प्रतिरूप ।
 मुसम्मा = नामक नामधारी
 मुसम्मात = नाम्नी
 मुस्तहिन = रहन प्रहीता, रहनदार
 मुसमिरा = फलदार ।
 मुश्राहदावैश्र = विक्रिय निशय ।
 मुश्राहदा रहन = आड प्रतिष्ठा
 मुशापजा = ऋण मार ।
 मुनालथा = ऋण
 मुतालथा मुकहम = प्रथम ग्राह्य
 ऋण ।
 मुतालथा मुनवख्खर = पश्चात्
 ग्राह्य ऋण
 मुसव्यदा मसौदा = कचची लिपि ।
 मुहतमिम = प्रबन्धक ।
 मुतवत्ती = महन्त सरत्तक ।
 मुलदक = मिला दुश्रा ।
 मुनफरदन = अलग अलग ।
 मुशतकन = मिलकर ।
 मैम्पर = सदस्य
 मैम्पर रानदान मुशतर्का =
 अविभक्त कुल सदस्य
 मैम्पर खानदान मुनफसमा =
 विभक्त कुल सदस्य
 मैनेजर = अधिष्ठाता = प्रबन्धक
 मौहब लह-दाग प्रहीता

मौहबदल = शिष्य
 मौसूफ = दल
 मौरुनी = पैतृक
 मौसूमा = नामक
 मौजूदा = उपस्थित
 यादगार = इयाद
 गदोषदल = दल
 रहन वैउलथर = रहन
 रहन = आड
 रहन दारुली = दल
 रहन साधा = दल
 रहन नामा = दल
 रवाज = चलन प्रथा
 रजा = प्रसन्नता
 रगयन = इच्छा
 राहिन = रहनकर्ता
 राजीनामा = धन शून्य
 रिफाह आम = गणपति
 लघाहक = सन्निधित
 लाजिमी = माननीय
 वक्फ = पुण्य
 वक्फनामा = पुण्य पत्र
 वसीयतनामा = निष्ठापत्र
 वसी = निष्ठा कर्ता

लिया = सरलिका
 ारिस = दायभागी, उ
 उक्तराधिकारी

ारिस माकबल = पूर्वदायभागी
 ारिस मावाद = पश्चात दाय
 भागी

ारिस पसमादा = शेपाधिकारी
 ाकिअ = स्थित
 ाद्विष = दानी

ावस्ता = आश्रित
 (श)

ार्न = प्रतिज्ञा, नियम प्रण
 ार्त पारिजी = बाह्य नियम
 ार्न जुरूरो वा लाजिमी =
 अनियमित प्रतिज्ञा आवश्यक
 नियम

ार्त मा करल = पूर्व प्रतिज्ञा
 ार्त मा वाद = उत्तर प्रतिज्ञा
 ार्त मुकदम = पूर्व प्रतिज्ञा
 ार्त मवरपर = उत्तर प्रतिज्ञा

ाराकत = साम्ना
 ाराकत नामा = साम्ना पत्र
 ारअ = मुसलमानी धर्म शास्त्र

ारीक = साम्नी
 ार्तिया = हेतुक

ाहादत तहरीरी = लिखित साक्षी
 ाकिस्तारेन = दूट फूट
 (स)

सनद = प्रमाण

समावी = आकाशी,
 सरीही = प्रत्यक्ष

सरीहन } प्रत्यक्ष रूप से
 सरीहतन, }

सरमाया = पू जी
 सर्फ, सर्फा = व्यय, खर्च
 सवात अकल = स्थिर बुद्धि

सहीम = अशी
 सरीह = प्रत्यक्ष
 माकितुल मिलकियत = भूमि

स्वत्व त्यक्त
 साकिन = निवासी
 साखना व परदाखना = कियाहुआ
 साकित = नष्ट

सेहते नकूम = स्वस्थ चित्त
 (ह)

हक्क = स्वत्व
 हक्कदार = स्वत्याधिकारी
 हक्कियत = रियासत

हक्क हुक्क = स्वत्व व अधिकार
 हवालगी = साप
 हर्जा = हानि

हक्कदाखिलो = भीतरी स्वत्व
 हक्क खारिनी = बाहरी स्वत्व
 हिजा = दान

हिजा नामा = दान पत्र
 हीनइयात = जीतेजी जीवन भर
 हीलतन = पहाने से
 हैमियत = रूप, अनुरूप

IN PRESS

TO BE OUT SHORTLY

PRE PUBLICATION PRICE Rs 4/8 AFTER PUBLICATION Rs 5/

"TAR-TIB-A-MUKADMA"

توتیب مقدمات

BY

Mr Panna Lal B A L L B

Of

The Allahabad High Court Bar

A book on Pleading in Urdu. An unique publication which will be the only one of its kind on the market. It is expected to be very helpful to legal practitioners. It will tell them how to conduct their cases to the best interests of their clients, how to argue, in fact any thing and everything that a lawyer is required to know. New practitioners and mofussil lawyers will do well to have a copy with them. The book is written by an experienced and successful lawyer, who has over 25 years High Court and District Court work to his credit.

First class, got up Cloth Bound. Printed at the Indian Press Allahabad

As the demand will be heavy and only a limited number will be published make sure of your copy by registering your order at once with —

MESSRS PAUL BROTHERS

(PUBLISHING DEPARTMENT)

Aligarh U P

